लोक-सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

Third-Session

(सातवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य: चार रुपये

विषय-सूची

अंक 23, बुधवार, 9 जुलाई, 1980/18 आषाढ़ 1902 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—23
*तारांकित प्रश्न संख्या 449 से 451, 453 से 455 और 458 से 460	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	24—156
तारांकित प्रश्न संख्या : 452, 456, 457 और 461 से 469	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 3482 से 3569 और 3571 से 3631	
अतारांकित प्रश्न संख्या 398 दिनांक 11-6-80 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण	156
स्थगन प्रस्तावों के बारे में	157—158
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में अध्यक्ष की घोषणा	158—159
सभा पटल पर रखे गये पत्र	159—161
राज्य सभा से संदेश	161
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	161—178
कोयला के कथित अन्तर्राज्यीय तस्करों के गिरोह का पता लगाना	
श्री जनार्दन पुजारी	161
श्री विक्रम महाजन	161
श्री तारिक अनवर	164
श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा	165
श्री ज्योतिर्मय बसु	166
श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी	169
श्री धनिक लाल मंडल	177
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति चौथा प्रतिवेदन	178
व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य समझौते (गैट) के अन्तर्गत गैर-प्रशुल्क उपायों के बारे में किए गए कुछ करारों को सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने के बारे में सरकार का वक्तव्य	178—181
श्री प्रणव मुखर्जी	178

* किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह † इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

नियम 377 के अधीन मामले 181—183

(एक) सीमा सड़क संगठन के कर्मचारियों की शिकायतें

श्री मुकुन्द मंडल 181

(दो) केरल राज्य में नारियल बोर्ड की स्थापना

श्री स्कारिया थामस 182

(तीन) कर्नाटक राज्य के बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए राहत उपायों की आवश्यकता

श्री आर० वाई० घोरपाडे 183

अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1980-81 183—253

विदेश मन्त्रालय

श्री चित्त बसु 183

श्री बृजमोहन महन्ती 188

श्री अटल बिहारी वाजपेयी 192

श्री जैनुल बशर 198

श्री सी० टी० दण्डपाणि 203

श्री रवीन्द्र वर्मा 207

श्री हरिकेश बहादुर 213

श्री जी० एम० बनातवाला 216

श्री त्रिदिब चौधरी 218

श्री ख्वाजा मुबारक शाह 219

श्री जयपाल सिंह कश्यप 221

श्री पी० वी० नरसिंह राव 223

ऊर्जा मन्त्रालय तथा कोयला विभाग
(इस्पात, खान तथा कोयला मन्त्रालय)

श्री दौलत राम सारण 237

श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय 244

लोक सभा

बुधवार, 9 जुलाई, 1980/18 आषाढ़, 1902 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

सौर ऊर्जा आयोग की स्थापना

*449. †श्री एच० एन० नन्जे गौडा
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी } : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेक्ट्रानिक्स आयोग की तरह ही सौर ऊर्जा आयोग की स्थापना करने का कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो कब तथा इसके क्या कार्य, लक्ष्य और उद्देश्य होंगे; और

(ग) सरकार का इस संगठन से किस प्रकार अधिकतम लाभ उठाने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा अन्तरिक्ष विभाग में उप-मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) समय-समय पर सौर ऊर्जा आयोग स्थापित करने सहित विभिन्न सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं। सौर ऊर्जा कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिए उपयुक्त संस्थागत व्यवस्थाओं का प्रश्न हमेशा से सरकार की समीक्षा के अधीन रहा है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री एच० एन० नन्जे गौडा : सौर ऊर्जा एकमात्र प्राकृतिक संसाधन है तथा देश में ऊर्जा की कमी को स्थायी तौर पर समाप्त करने तथा राष्ट्रीय संसाधन बढ़ाने का एकमात्र साधन है। इसलिए मैं सरकार से स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि सौर ऊर्जा को उचित लागत पर विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए वह क्या कार्यवाही करना चाहती है तथा क्या इस कार्य के

लिए वह किसी अन्य देश के साथ सहयोग करना चाहती है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्री विजय एन० पाटिल : जापान जैसे देशों में इस बारे में अनुसंधान अधिक उन्नत स्तर पर पहुंच चुका है। इसलिए हम उनके अनुसंधान-अनुभव से कुछ मदद ले रहे हैं। दूसरे सौर ऊर्जा के व्यावहारिक रूप में प्रयोग में लाये जाने में कुछ और समय लगेगा। क्योंकि पानी गरम करने, फोटो इलैक्ट्रिक प्रक्रिया आदि पर होने वाले व्यय का हिसाब लगाया जा रहा है और उसके व्यावहारिक प्रयोग में अभी काफी खर्च आ रहा है। सौर ऊर्जा समेत वैज्ञानिक सहयोग करार अमरीका, सोवियत रूस, फ्रांस, जर्मनी, आस्ट्रेलिया और इटली के साथ भी किये गये हैं।

श्री एच० एन नंजे गौडा : मैं सरकार से इस बारे में स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि वह क्या कार्यवाही करने जा रही है तथा इस कार्य के लिए कितना धन आबंटित किया गया है क्योंकि समाचारपत्रों मे पता चलता है कि वह सौर ऊर्जा के परिवर्तन पर कुछ धन व्यय करने जा रही है।

श्री विजय एन० पाटिल : हमारे देश में बहुत सी संस्थाएं जैसे केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, केन्द्रीय नमक, समुद्री खनिज तथा खनिज अनुसंधान संस्थान एन० सी० एल० तथा कुछ अन्य प्राइवेट संस्थाएं सौर ऊर्जा के उपयोग पर कार्य कर रही हैं।

प्रो० एन० जी० रंगा : क्या उनमें कोई समन्वय है।

श्री विजय एन० पाटिल : समन्वय कार्य विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग करता है। वहां पर विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग के एक अधिकारी के सभापतित्व में एक समिति इस कार्य की देखरेख कर रही है।

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : माननीय सदस्य की जानकारी के लिए मैं यह और जोड़ना चाहती हूं कि हम प्रति वर्ष धन की मंजूरी की जा रही धनराशि बढ़ाते जा रहे हैं और अब उसमें पर्याप्त वृद्धि कर छठी पंचवर्षीय योजना में 65 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कोयला भण्डार तथा ऊर्जा के अन्य भण्डार कम होते जा रहे हैं तथा धूप वर्ष के अधिकांश भाग में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहती है इस बारे में क्या ठोस कार्यवाही की गई है तथा चल रहे अनुसंधान तथा विकास कार्य की प्रगति पर कितना समय और लगेगा ?

श्री विजय एन० पाटिल : हम प्रदर्शन के स्तर पर पहले गये हैं। देश में कई स्थलों पर प्रदर्शन कार्य किया जा रहा है। उनकी लम्बी सूची है। मैं कुछ को पढ़ूंगा। पानी गरम करने के लिए भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि० फैक्टरी हरद्वार में हो रहा है। दिल्ली में कुतुब होटल, नई दिल्ली में परीक्षणात्मक कार्य हो रहा है। मोडर्न राईस मिल, अन्नामलाई नगर में सौर ऊर्जा से 1 टन प्रति दिन धान सुखाने की क्षमता की मशीन और राज्य बीज फार्म, लाधोवाल, लुधियाना में 10 टन प्रति दिन की क्षमता वाली अनाज सुखाने की मशीन काम कर रही है। अवानिया ग्राम, गुजरात में 5 हजार लीटर की क्षमता वाला शोधन यंत्र कार्यरत है। जहां तक फोटो-

वाल्टिक यंत्रों का प्रश्न है, सौर पम्पिंग प्रदर्शन एकक गुजरात के अवानिया गांव तथा राजस्थान के तेजरा गांव में कार्यरत हैं। सामुदायिक आकार की बायो-गैस प्रदर्शन परियोजनाएं उत्तर प्रदेश में फतेह सिंह का पुर्वा में, आंध्र प्रदेश में करीम नगर में, उत्तर प्रदेश में गजरिया फार्म ग्राम तथा नैनीताल, काशी-भवानीपुर में कार्य कर रही हैं। ये कुछ प्रदर्शन कार्य हैं जो विभिन्न स्थलों पर किए जा रहे हैं।

श्री के० लकप्पा : मैं प्रधान मन्त्री के इस कथन का कि सौर ऊर्जा आयोग की स्थापना के लिए धन आबंटित किया गया है स्वागत करता हूं। विभिन्न संस्थाओं द्वारा समय-समय पर प्रयोग किए जाते रहे हैं। पर्याप्त प्राकृतिक संसाधनों वाले भारत जैसे देश में कोयले तथा अन्य वस्तुओं की क़मी के कारण ताप बिजली तथा पन बिजली की कमी है। परन्तु सर्वेक्षण रिपोर्टों से पता चलता है कि देश में विजली की कमी को पूरा करने के लिए 1985 तक सौर ऊर्जा का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा सकेगा। इसलिए मैं प्रधान मन्त्री से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बारे में सभी कार्यवाहियों को समन्वित करने के लिए स्वतंत्र सौर ऊर्जा आयोग का गठन करेगी ताकि इस समग्र स्थिति का सामना कर सकें और देश में बिजली की कमी को दूर कर सकें एवं विकास कार्य को गति दे सकें।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : सौर ऊर्जा आयोग की स्थापना के बारे में बहुत से सुझाव प्राप्त हुए हैं। फिर भी हम समझते हैं कि अभी उसकी आवश्यकता नहीं है। इन सभी प्रयत्नों को समन्वित करने के लिए एक समिति है जिसकी देखभाल विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा की जाती है। इस मामले पर बहुत सी बैठकें हो चुकी हैं। योजना आयोग तथा अन्य सम्बद्ध व्यक्तियों से भी बातचीत हो चुकी है। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिला सकती हूं कि इस मामले में कोई ढ़ील नहीं बरती जायेगी जायेगी। न केवल सौर ऊर्जा अपितु वायु ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों का भी उपयोग किया जा सकता है। परन्तु हमारे देश में सौर ऊर्जा पूरे वर्ष उपलब्ध है। वायु इतनी नियमित नहीं है। परन्तु हम परिस्थितियों के बारे में जागरूक है। पहले इन संसाधनों का उपयोग अत्यन्त व्यय साध्य समझा जाता था। कई संस्थाओं ने इस शक्ति के विकास का इसलिए विरोध किया बहुत अधिक व्यय साध्य है, शुरू में योजना आयोग का भी यही मत था। परन्तु अब पैट्रोल का मूल्य बढ़ गया है तथा लोग अन्य ससाधनों की ओर ध्यान देने लगे हैं।

श्री निरेन घोष : सूर्य सारी ऊर्जा का स्रोत है। स्वभावतः हमें उससे ऊर्जा प्राप्त करनी चाहिए। देश के विभिन्न भागों में जो प्रयोग किए जा रहे हैं जिनका कि उल्लेख किया गया है, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उनसे कोई संकेत मिला है कि सौर ऊर्जा का वाणिज्यिक आधार पर उत्पादन किया जा सकता है ताकि हम उसका उपयोग पैट्रोल तथा पैट्रोलियम उत्पादों के स्थान पर कर सकें। यदि हां, तो क्या सरकार इस दिशा में ऐसे प्रयत्न कर रही है कि शीघ्र ही आम उपयोग के लिए सौर ऊर्जा उपलब्ध की जा सके ?

श्री विजय एन० पाटिल : निकट भविष्य में सौर ऊर्जा से बड़े पैमाने पर ऊर्जा उपलब्ध नहीं हो सकेगी और न ही व्यापक बिजली उत्पादन के स्थान पर इसका इस्तेमाल किया जा

सकेगा। इसलिए इसका पैट्रोल अथवा डीजल का स्थान लेने का प्रश्न ही नहीं है। इसका उपयोग विकेन्द्रित आधार पर जहां ऊर्जा की आवश्यकता होगी वहां उसे उपलब्ध करने के लिए किया जायेगा, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अनाज सुखाने, पानी गरम करने, सिंचाई आदि उद्देश्यों के लिए किया जायेगा।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : इसका उपयोग कुछ होटलों तथा निजी स्थानों पर पानी गरम करने के लिए ही किया जा रहा है। मुझे विश्वास है कि इसका उपयोग बढ़ेगा।

कन्टेनर बनाने वाली अमरीकी फर्म से सहयोग

*450. **श्री पी० एम० सईद** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कन्टेनर बनाने वाली एक अमरीकी फर्म बाजार के बारे में आश्वस्त होकर भारत में एक उत्पादन यूनिट की स्थापना करने को तैयार है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत उक्त फर्म को भारत में यूनिट स्थापित करने की अनुमति देने के लिए सहमत हो गया है;

(ग) क्या औद्योगिक विशेषज्ञों ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया है; और

(घ) यदि हां, तो यह भारत के लिए कहां तक लाभकारी होगा ?

उद्योग मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री वेंकट रेड्डी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

श्री पी० एम० सईद : मुझे पता चला है कि प्रक्रियात्मक विलम्बों के कारण उद्योगपति आगे नहीं आ रहे। इसलिए क्या सरकार प्रक्रिया को सरल बनाएगी ताकि भारतीय उद्योगपति सहयोग द्वारा इस प्रौद्योगिकी को प्राप्त कर सकें।

श्री पी० वेंकट रेड्डी : कन्टेनर निर्माताओं को पहले ही रियायतें दी गई हैं, कई व्यक्तियों को लाइसेंस जारी किए गए हैं। परन्तु अभी तक उन्होंने निर्माण शुरू नहीं किया है। अतः सहयोग में कोई कठिनाई नहीं है। सरकार इसके लिए सहमत हो गई है, परन्तु वे अभी भी निर्माण करने की स्थिति में नहीं हैं।

श्री पी० एम० सईद : प्रक्रिया में पैदा की जाने वाली बाधाओं के कारण लोग इस कार्य को नहीं ले रहे हैं। यह मेरा पहला प्रश्न था, मैं नहीं जानता कि मन्त्री महोदय उसे समझे हैं या नहीं।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है समाचार पत्रों में छपा है कि एक अमरीकी फर्म चीन की अपेक्षा भारत की फर्मों को कन्टेनर निर्माण की प्रौद्योगिकी देने को तैयार है। क्या सरकार सभा को विश्वास दिलायेगी कि इस फर्म के साथ भारतीय उद्योगपति द्वारा करार किए जाने से पूर्व इसका उचित मूल्यांकन किया जायेगा क्योंकि भारत में कन्टेनर उद्योग का भविष्य अच्छा नहीं है?

श्री पी० वेंकट रेड्डी : जैसाकि मैं पहले बता चुका हूं जो लोग भारत में कन्टेनर बनाने की तकनीक उपलब्ध करने के लिए सामने आये हैं उन्हें और अधिक रियायतें देने की आवश्यकता

नहीं है। जहां तक भारतीय कम्पनियों का प्रश्न है डालमियां उद्योग लिमिटेड ने अमरीकी फर्म के साथ सहयोग करने की अनुमति मांगी है और उस पर विचार किया जायेगा।

श्री पी० एम० सईद : कोई भी करार करने से पहले प्रौद्योगिकी का मूल्यांकन आवश्यक है क्योंकि इस उद्योग का भविष्य उज्जवल नहीं लगता। इसलिए मैंने पूछा था कि क्या सरकार सहयोग की अनुमति देने से पूर्व उसकी उपयुक्तता सुनिश्चित करेगी।

श्री पी० वेंकट रेड्डी : सरकार ने निर्माताओं को उदार रूप से रितायतें दी हैं परन्तु वे विदेशी सहयोग के बावजूद पर्याप्त संख्या में कन्टेनर नहीं बना पाये हैं। इसलिए इसके पुनः मूल्यांकन का प्रश्न नहीं है।

श्री जेवियर अराकल : भारत में कौन-कौन सी फर्में कन्टेनर बनाती हैं तथा इन फर्मों द्वारा कितने कन्टेनर बनाये गये तथा सौंपे गये ?

मैं मन्त्री महोदय को यह भी बताना चाहता हूं कि कोचीन शिपयार्ड द्वारा इंजनों की मांग की जाने पर भी उसे इंजन सप्लाई नहीं किये गए। मुख्य समस्या यह है कि उन्हें उपकरण तथा मशीनरी समय पर नहीं दी जाती। इसलिए क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि कौनसी फर्में कन्टेनर निर्माण करती हैं तथा फर्मों ने अब तक कितने कन्टेनर तैयार करके भेजे हैं ?

श्री पी० वेंकट रेड्डी : आठ कम्पनियां हैं जिनमें से पांच को लाइसेंस जारी किए गए हैं—दो कम्पनियों ने उत्पादन शुरू किया है तथा तीन कम्पनियों ने अभी उत्पादन शुरू नहीं किया। मैं उनके नाम बताता हूं :—मैसर्स ए० एस० डी० ई० जी० कन्टेनर्स लि० पूना, सर्वश्री ट्रांसफेट कन्टेनर्स लि० तारापुर ने उत्पादन शुरू कर दिया है। सर्वश्री बलमेर लॉरी एण्ड कम्पनी लि० बंबई, ब्रिज एंड रूफ कम्पनी कम्पनी (आई) लि० कलकत्ता तथा सी लॉर्ड कन्टेनर्स लि० बंबई ने उत्पादन शुरू नहीं किया परन्तु उन्हें लाइसेंस जारी कर दिये गये है।

जम्मू और कश्मीर में उद्योग स्थापित करना

*451. **श्री गुलाम रसूल कोचक** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने 1980-81 के दौरान जम्मू और काश्मीर राज्य में नये उद्योग स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो किन उद्योगों के स्थापित किए जाने की सम्भावना है;

(ग) इन्हें किन क्षेत्रों में स्थापित किया जायेगा;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने देश में पहाड़ी, पिछड़े तथा आदिम जाति क्षेत्रों में तथा जम्मू और कश्मीर राज्य में भी उद्योग स्थापित करने का निर्णय किया है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या जम्मू और कश्मीर राज्य में भी क्षेत्रों का चयन किया गया है ?

उद्योग मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री पी० वेंकट रेड्डी) : (क) जी हां।

(ख) एच० एम० टी० प्रिसिजन इन्स्ट्रूमेंट्स फैक्टरी।

(ग) श्रीनगर में।

(घ) और (ङ) तकनीकी आर्थिक पहलुओं व वित्तीय संसाधनों के आधार पर सरकारी क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने के बारे में निरन्तर विचार किया जाता है।

श्री गुलाम रसूल कोचक : क्या मैं यह जान सकता हूं कि मन्त्री महोदय को मालूम है कि जम्मू और कश्मीर औद्योगिक दृष्टि से एक सर्वाधिक पिछड़ा राज्य है और यही वहां की बेहद बेरोजगारी तथा बेहद गरीबी का मूल कारण है, यद्यपि इसे पृथ्वी पर स्वर्ग की संज्ञा दी गई है। यदि हां तो अब तक केन्द्रीय औद्योगिक विकास नीति के अधीन विकसित क्षेत्रों के स्तर तक इसको लाने के लिए कौन-कौन से करम उठाये गये हैं या उठाये जाने वाले हैं ? क्या मन्त्री महोदय राज्य की उन विशिष्ट जलवायुगत परिस्थितियों से अवगत हैं, जिसके परिणामस्वरूप राज्य में छह मास बेरोजगारी रहती है ? भारत सरकार की औद्योगिक नीति के अनुसार यही उचित होगा कि वहां एक सर्वेक्षण करने के बाद इस प्रकार के उद्योग स्थापित किये जाएं जो उन छह महीनों के लिए रोजगार उपलब्ध करा सकें और जो उस राज्य की जलवायुगत परिस्थितियों के लिये सर्वोत्तम हों। क्या सरकार यह बतायेगी कि सरकारी क्षेत्र में अथवा अन्यथा, बड़े मध्य दर्जे के और लघु उद्योगों की इस वर्ष स्थापना के लिए वह क्या करना चाहती है ? अन्य स्थानों की तरह, कश्मीर में भी, भारत बड़े उद्योगपतियों को उद्योग स्थापित करने के लिये प्रोत्साहित किया जाये जिससे राज्य का औद्योगिक विकास हो सके, इसके लिए भारत सरकार को कौन रोकता है ?

अध्यक्ष महोदय : पूरक प्रश्न पूछने का यह ढंग नहीं है। यदि आपको उत्तर चाहिए तो आपको बहुत संक्षिप्त रूप से अपनी बात रखनी होगी। इन सब बातों का उत्तर वह कैसे दे सकते हैं ?

श्री पी० वेंकट रेड्डी : जम्मू और कश्मीर के विकासार्थ, सरकार ने जम्मू और कश्मीर के आर्थिक विकास के लिए मन्त्रियों की एक समिति नियुक्त की है। गत मास, अर्थात 14 जून को वे श्रीनगर में मिले थे और उन्होंने कई उपाय किये हैं। राज्य सरकार ने कई प्रस्ताव रखे थे। बैठक में उन पर विचार किया गया था, और राज्य सरकार द्वारा भेजे गये बहुत से प्रस्तावों के वे हक में थे। जम्मू और कश्मीर और उत्तरी-पूर्वी राज्यों पर विशेष स्तर पर विचार किया जा रहा है। अतः इन राज्यों की अवहेलना का तो प्रश्न ही नहीं है। जम्मू और कश्मीर के लिए तो सरकार ने विशेषरूप से वरीयता प्रदान की है।

अध्यक्ष महोदय : डा० कर्णसिंह।

श्री गुलाम रसूल कोचक : महोदय, मैंने कई प्रश्न किये थे, परन्तु उनमें से एक का भी उत्तर नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : आपने अपने प्रश्न उस ढंग से प्रस्तुत ही नहीं किए। आप पूछते ही ऐसे ढंग से हैं कि उनका उत्तर ही नहीं मिल सकता है।

श्री गुलाम रसूल कोचक : जी नहीं, वे तो विशिष्ट प्रश्न थे।

डा० कर्ण सिंह : जम्मू और कश्मीर में सरकारी क्षेत्र के जिन उद्योगों की स्थापना की योजना है, उनके अतिरिक्त क्या मन्त्री महोदय यह बतायेंगे कि उस क्षेत्र की पर्यावरण सम्बन्धी

आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इन पिछड़े क्षेत्रों में निजी उद्योगपतियों को भी उद्योग स्थापित करने के लिए तैयार करने के लिए आमतौर पर सरकार कौन से कदम उठा रही है ? हम वहां प्रदूषण नहीं चाहते परन्तु हम यह अवश्य चाहते हैं कि औद्योगिक विकास के साथ ही साथ रोजगार जुटाने के लिए सरकार उन्हें कुछ विशेष प्रलोभन दें । इन क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?

क्या मन्त्री महोदय पिछली बेंचों से उत्तर न देकर थोड़ा सा आगे आकर उत्तर देने की कृपा करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : स्थान सभी उपयुक्त हैं ।

श्री पी० वेंकट रेड्डी : राज्य की पर्यावरण सम्बन्धी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, सरकार कर प्रस्तावों पर विचार कर रही है, उदाहरणस्वरूप मैसर्स हिन्दुस्तान लिवर लिमिटेड का अपने सिन्थेटिक डीटरजेन्ट संयन्त्र की वर्तमान 10,000 टन की क्षमता को 20,000 टन तक विस्तार करने का प्रस्ताव और फिर हिन्दुस्तान लीवर का संयन्त्रों के लिए उत्प्रेरक उत्पादन करने का प्रस्ताव है तथा मैसर्स चनाब टेक्सटाइल मिल्स का अपने वर्तमान तकुओं की संख्या 25,000 को बढ़ाकर 50,000 करने का प्रस्ताव है । और मैसर्स कोंकण केमिकल्स लिमिटेड ने घड़ियों के लिए हीरे बनाने का प्रस्ताव किया है और इसी प्रकार मैसर्स कश्मीर जीपसम एण्ड केमिकल्स लिमिटेड का जिपसम वाल-बोर्ड बनाने का प्रस्ताव है और मि० इफ्तखार अन्सारी का विभिन्न प्रकार के कागज बनाने का प्रस्ताव है । राज्य सरकार ने ऐसे बहुत से प्रस्ताव भेजे हैं और प्रक्रिया सम्बन्धी समिति ने उन्हें कुछ हद तक स्वीकार कर लिया है और वे विचाराधीन हैं तथा मेरे विचार से उन पर शीघ्र स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी ।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष जी, एक तरफ तो सरकार क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करना चाहती है और दूसरी तरफ पिछड़े इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में, आदिवासी क्षेत्रों में उद्योग लगाने की सहमति प्रदान नहीं करती है, फाइनेन्शल रिसोर्सेज की कमी की बात करती है । क्या सरकार पिछड़े इलाकों में उद्योग लगाने के लिए तथा क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करने के लिए अलग से पैसे का इन्तजाम करेगी ?

श्री पी० वेंकट रेड्डी : सरकारी क्षेत्र के उद्योगों की स्थापना के मामले में विस्तृत तकनीकी—आर्थिक विचरण पर उद्योगों के स्थापना-स्थान का निर्णय लिया जाता है । फिर भी, नीति यह रही है कि तकनीकी-आर्थिक विचारण आधार पर, उद्योगों की स्थापना के लिए स्थान के बारे में अपेक्षाकृत पिछड़े क्षेत्रों को वरीयता प्रदान की जाती है ।

जहां तक निजी उद्योगों का सम्बन्ध है, सरकार उन्हें हर सम्भव प्रोत्साहन दे रही है । यदि राज्य सरकार आगे आती है तो केन्द्रीय सरकार को सभी प्रकार का समर्थन देने में कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री एम० सत्यनारायण राव : इस प्रश्न का उत्तर देते समय, मन्त्री महोदय ने पिछड़े क्षेत्रों का जिक्र किया है । जहां तक सरकारी क्षेत्र के एककों की स्थापना की बात है, मैं जानता हूं कि

उसमें कुछ कठिनाईयां हैं, क्योंकि उनका कहना है कि यह वित्तीय तथा अन्य कारणों पर निर्भर करता है। क्या इस सम्बन्ध में मैं जान सकता हूं कि यदि कोई व्यक्ति निजी तौर पर वहां उद्योग की स्थापना के लिए तैयार है तो क्या मन्त्री महोदय इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे ? इस सम्बन्ध में विशेष रूप से मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि आन्ध्र प्रदेश में तेलंगाना क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है···(व्यवधान) । वह एक पिछड़ा क्षेत्र है, मै एक पिछड़े हुए क्षेत्र के बारे में पूछ रहा हूं । तेलंगाना को पिछड़ा क्षेत्र घोषित कर दिया गया है । मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या तेलंगाना जैसे पिछडे इलाके में उद्योग स्थापना के लिए किसी निजी उद्योगपति के आवेदन-पत्र पर विचार करेंगे और विशेषकर मेढक जिले में और क्या उन्हें आवेदन-पत्र पहले ही मिल चुके हैं तथा क्या वे उन आवेदनपत्रों पर विचार कर रहे हैं।

श्री पी० वेंकट रेड्डी : वहां उद्योग स्थापित करने के लिए आए आवेदन-पत्रों पर सरकार निश्चित रूप और सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है ।

श्री गिरधारी लाल डोगरा : पिछड़े राज्यों में भी कई क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक पिछड़े हैं । जम्मू और कश्मीर में राजौरी और पूंछ क्षेत्र बहुत ही पिछड़े हुए हैं । क्या सरकार वहां एक ऊन पर आधारित उद्योग स्थापित करने पर विचार करेगी चूंकि कच्चा-माल, अर्थात ऊन वहां पर बहुतायत में मिलती है ?

श्री पी० वेंकट रेड्डी : निजी उद्यमियों के बारे में सरकार निश्चित रूप से विचार करेगी कि पिछड़े क्षेत्रों का ध्यान रखा जाए और उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जाए । रहा सरकारी क्षेत्र, यह तकमीकी आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है । उस शर्त पर, पिछड़े क्षेत्रों को वरीयता प्रदान की जायेगी ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मन्त्री महोदय ने सदन को आश्वासन दिया है कि जम्मू और कश्मीर में विद्यमान एककों और विशेषकर सरकारी क्षेत्र के एककों का विस्तार करने के लिए हर सम्भव उपाय किये जायेंगे । क्या वे उस तथ्य से अवगत हैं कि जम्मू और कश्मीर में इस बात पर भारी निराशा व्याप्त है कि श्रीनगर में 1969 में स्थापित भारतीय दूरभाष उद्योग का एकक, ग्यारह वर्ष के पश्चात भी वैसा ही है, यद्यपि लोगों ने एकक के विस्तार की मांग की है—यह एक बड़ा ही श्रेष्ठ एकक है और अच्छा लाभ कमा रहा है और इसके कार्य का अच्छा रिकार्ड है—वहां 125 कर्मचारी हैं जबकि बरेली तथा उत्तर-प्रदेश में कुछ अन्य स्थानों पर बहुत बाद में लगाए गए भारतीय दूरभाष एककों में 5,000 या 6,000 कर्मचारी हैं । श्रीनगर के इस एकक के विस्तार के लिए कुछ क्यों नहीं किया जा रहा है ? क्या वे बता सकते हैं कि इस एकक के प्रति उनका क्या रवैया है ?

श्री पी० वेंकट रेड्डी : महोदय, जहां तक चालू एककों के विस्तार की बात है, सरकार वास्तव में ही उन उद्योगों के विस्तार की बात सोच रही है । तीन एककों में से, भारतीय दूरभाष संस्थान के एक एकक को कश्मीर में लगाया जा सकता है । स्विच बोर्ड फैक्टरी के तीन एककों में से, कास बार इक्विपमेन्ट और लम्बी दूरी के संचार एककों से एक का वहां विस्तार किया जा सकता है ।

श्री ख्वाजा मुबारक शाह : महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि जम्मू कश्मीर में सरकारी क्षेत्र में अब तक 15,000 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है जबकि निजी क्षेत्र में कुछ ही करोड़ रुपये का निवेश हुआ है। यदि ऐसी बात है तो क्या वे असमानता को समाप्त करने का प्रयास करेंगे ?

श्री पी० वेंकट रेड्डी : जैसा कि माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है, जहां तक निजी-एककों का सम्बन्ध है, सरकार उन्हें प्रोत्साहित कर सकती है। जहां तक सरकारी क्षेत्र के एककों का सम्बन्ध है—कुछ नियम होते हैं—यह सब उस क्षेत्र के तकनीकी-आर्थिक अध्ययन, पिछड़ेपन और पर्यावरण सम्बन्धी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। वायु प्रदूषण अधिक खतरनाक है, विशेषकर कश्मीर में। उस पर भी तो विचार करना होगा। अतः, सरकार निजी उद्योगों की उन्नति करने के लिए प्रोत्साहित करती है। उन्हें राज्य के वायु प्रदूषण को भी ध्यान में रखना होगा।

श्री वीरभद्र सिंह : प्रश्न के भाग (घ) का सम्बन्ध देश के पहाड़ी, पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करने से है। अतः मैं यह प्रश्न रख रहा हूं। इस तथ्य के आधार पर कि हिमाचल प्रदेश भी जलवायु की दृष्टि से कश्मीर जैसा ही है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस पिछड़े राज्य में विशेष रूप से सरकारी क्षेत्र में कोई उद्योग स्थापित करने जा रही है। यदि हां, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इस पिछड़े क्षेत्र में उद्योग लगाने के लिए सरकार क्या-क्या कदम उठा रही है।

श्री पी० वेंकट रेड्डी : मुझे इसके लिए नोटिस चाहिये।

"मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड" द्वारा दिया गया ज्ञापन

*453. **श्री जी० एम० बनातवाला :** क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 28 मार्च, 1980 को अथवा उसके आसपास 'मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड' के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रधान मन्त्री से भेंट की थी तथा कुछ ऐसी अविलम्बनीय समस्याओं के बारे में ज्ञापन प्रस्तुत किया था जिसका मुसलमानों के शरियत कानून पर बुरा प्रभाव पड़ता है और जो कानूनी उपबन्धों तथा हाल के न्यायालय निर्णयों से उत्पन्न हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या मुख्य समस्याएं प्रस्तुत की गई हैं तथा क्या सुझाव दिये गये हैं; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

(ग) दत्तक बाल विधेयक के सम्बन्ध में, सरकार ने निर्णय किया है कि वह ऐसे कोई कानूनी उपाय नहीं करेगी जिससे अल्पसंख्यक समुदायों की भावनाओं को ठेस पहुंचे। बोर्ड के अन्य सुझाव विचाराधीन हैं।

विवरण

ज्ञापन में उल्लिखित प्रश्न

1. संविधान के अनुच्छेद 44 में उपयुक्त संशोधन किया जाए ताकि भविष्य में मुस्लिम पर्सनल लॉ की रक्षा हो सके ।

2. दत्तक बाल विधेयक, 1972 जिसे वापिस ले लिया गया था, दोबारा पेश नहीं किया जाए ।

3. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 में संशोधन, उन मामलों में अपवाद की व्यवस्था करने के लिए किया जाए जिनमें पर्सनल लॉ के अधीन देय धनराशि की अदायगी की जा चुकी है ।

4. धार्मिक महत्ता की सम्पत्ति के अधिग्रहण को रोकने के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 में संशोधन किया जाए ।

5. विधि मन्त्रालय में एक मुस्लिम लॉ सेल बनाया जाए जिसमें मुस्लिम लॉ के एक या एक से अधिक ऐसे विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाए जो अपनी ओर से अथवा मुख्य उलेमाओं और विधिवेत्ताओं से परामर्श करके सरकार को सामाजिक कानून के ऐसे मामलों पर सलाह दे सकें जिनके मुस्लिम समुदाय के पर्सनल लॉ को प्रभावित करने की सम्भावना है ।

श्री जी० एम० बनातवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय को उनके उत्तर के लिए धन्यवाद देता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : क्या ? क्या केवल धन्यवाद ।

श्री जी० एम० बनातवाला : उनके उत्तर के लिए धन्यवाद । महोदय, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में सभी विचारधाराओं के प्रमुख उलेमा तथा विशिष्ट व्यक्ति शामिल हैं ।

अतः मैं एक विशिष्ट प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ से सम्बद्ध किसी भी प्रस्तावित विधान के मामले में सरकार इस बोर्ड को विश्वास में लेगी और उससे इस विषय में विचार-विमर्श करेगी, जिससे किसी भी प्रकार का भ्रम न हो अथवा बाद में कोई आन्दोलन या कोई ऐसी बात न हो क्योंकि बोर्ड ने सरकार को अपने सहयोग की पेशकश की है ।

श्री योगेन्द्र मकवाना : सरकार निश्चित रूप से बोर्ड तथा सभी प्रसिद्ध जूरियों एवं अन्य अल्पसंख्यकों की सलाह लेगी ।

श्री जी० एम० बनातवाला : बहुत से मामलों का उल्लेख किया गया है । अतः क्या सरकार सभा को बतायेगी कि जो विभिन्न प्रश्न उठाये गये हैं उन पर सरकार को अपनी प्रक्रिया बनाने में कितना समय लगेगा विशेषरूप से जब उनमें से कुछ बहुत ही सरल हैं जैसे धार्मिक महत्व की सम्पत्तियों के अधिग्रहण को रोकने के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम में संशोधन करना ? इस अधिनियम का यह कभी भी अभिप्राय नहीं था कि मन्दिरों, गिरजाघरों, गुरुद्वारों और तीर्थ स्थानों जैसे धार्मिक महत्व के स्थानों की सम्पत्ति का अधिग्रहण किया जाये । किन्तु न्यायालय के

निर्णय को ध्यान में रखने के लिए ऐसी स्थिति आ गई है। अतः क्या सरकार बोर्ड द्वारा उठाये गये विभिन्न प्रश्नों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया शीघ्र बनायेगी ? और इसमें सरकार को कितना समय लगेगा ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : यह यथा सम्भव शीघ्र किया जायेगा।

क्षेत्रीय असन्तुलन

*454. **श्री के० प्रधानी :** क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्तमान क्षेत्रीय असन्तुलन को ठीक करने तथा प्रतिनिधि क्षेत्रों में सुचारू संवेग पैदा करने के उद्देश्य से एक नई योजना तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार किए गए सर्वेक्षण का क्या परिणाम निकला ?

योजना मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) सरकार को वर्तमान क्षेत्रीय असंतुलनों को ठीक करने और नए असंतुलनों को रोकने के लिए उपाय करने के लिए देश में योजनाबद्ध विकास के आरम्भ से ही चिंता रही है। इस दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप, हरेक राज्य की दशाओं के अनुसार विशेष कार्यक्रम बनाए गए हैं, जैसे पहाड़ी क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सूखा-प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम, नियन्त्रण क्षेत्र विकास कार्यक्रम, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों के लिए प्रोत्साहन स्कीम आदि।

इन स्कीमों के अलावा, केन्द्रीय सहायता के वितरण के लिए फार्मूला उन राज्यों के हित में है जिनकी प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से कम है। विशेष समस्याओं के लिए भी केन्द्रीय सहायता आवंटित की जाती है। इनके अलावा और अधिक मार्गदर्शी सिद्धांत तथा कार्यक्रम छठी पंच वर्षीय योजना में प्रकट होंगे जो इस समय तैयार हो रही है।

(ख) से (घ) : (क) की दृष्टि से, ये प्रश्न उपस्थित नहीं होते।

श्री के० प्रधानी : अध्यक्ष महोदय, उन सब कदमों को उठाने के बाद भी जिनका मन्त्री-महोदय ने अभी उल्लेख किया है, धनी, और निर्धन राज्यों के बीच असंतुलन दिन-प्रति-दिन बढ़ रहा है। अतः क्या मैं जान सकता हूं कि सातवें वित्त आयोग में प्रो० राज कृष्ण द्वारा सुझाये गये आधार पर निर्धन राज्यों को अधिक धनराशि देने की किसी प्रक्रिया को अपनाने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : महोदय, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि छठी पंचवर्षीय योजना तैयार की जा रही है और क्षेत्रीय असंतुलन की इस समस्या तथा पिछड़े राज्यों में पिछड़ेपन को दूर करने की समस्या और तथाकथित विकसित राज्यों में पिछड़े क्षेत्रों की समस्या पर विस्तार से विचार किया जायेगा। हमने पिछड़े क्षेत्रों के विकास के बारे में विचार करने के लिए श्री शिवारामन, जो इस क्षेत्र में एक सुप्रसिद्ध विशेषज्ञ है, की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय

समिति बनाई है। हमें आशा है कि इस वर्ष के अन्त तक इस समिति का प्रतिवेदन मिल जायेगा किन्तु हमने श्री शिवरामन को शीघ्र प्रतिवेदन देने के लिए कहा है ताकि हम इस मामले में विस्तार से विचार कर सकें और छठी पंचवर्षीय योजना बनाते हुए इन सब पहलुओं पर विचार कर सकें ।

श्री के० प्रधानी : मैं उड़ीसा का रहने वाला हूं जहां 40 प्रतिशत लोग अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के हैं और 71 प्रतिशत से अधिक लोग गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुसूचित जनजाति विकास और अनुसूचित जाति विकास के अन्तर्गत धनराशि के आबंटन में वृद्धि करने का प्रस्ताव किया है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहता हूं कि छठी पंचवर्षीय योजना बनाते हुए हम उड़ीसा की आवश्यकताओं, अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति की आवश्यकताओं पर पूरी तरह से ध्यान देंगे ।

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, सम्पूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र, विशेषरूप से अरुणाचल, मेघालय और मेरा जिला कछार तथा मिजोरम का कुछ भाग पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है। किन्तु योजना मन्त्री का ध्यान गत चार महीनों से आकर्षित करते रहने पर हमें यही उत्तर मिल रहा है, "इस पर विचार हो रहा है"। "विचार किये जाने" का दौर कब समाप्त होगा और योजना मन्त्री के अधीन पूर्वोत्तर क्षेत्र में कार्यवाही कब आरम्भ होगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : माननीय सदस्य मुझसे इस बात से सहमत होंगे कि मैंने कभी भी उन्हें यह उत्तर नहीं दिया है कि "इस पर विचार हो रहा है"। किन्तु मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं कि जहां तक देश के पूर्वोत्तर भाग का सम्बन्ध है, सरकार इस क्षेत्र की विकास सम्बन्धी समस्याओं के प्रति बहुत सजग है और वित्त मन्त्री ने अपने बजट भाषण में तथा अन्य रूप से यहां पहले ही उल्लेख किया है कि सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा आसाम के लिए योजना परिव्यय में अधिक वृद्धि करने के लिए तैयार है। हमें आशा है कि वहां शीघ्र ही राजनीतिक स्थिति सामान्य हो जायेगी और हम इन योजनाओं को क्रियान्वयन के लिए तैयार कर सकेंगे ।

श्री झारखंडे राय : मन्त्री महोदय को अनुभव होगा कि जो तथाकथित उन्नत प्रदेश देश के हैं उनमें भी कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत पिछड़े होते हैं और जो पिछड़े प्रदेश हैं उनमें कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो बहुत ही पिछड़े हुए हैं ? योजना बनाते समय उस अंचल या पूरे देश के मामले ने इन बातों का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : मैं माननीय विद्वान सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार का दृष्टिकोण उसी यथार्थता को परिलक्षित करता है जिस का उल्लेख उन्होंने अपने प्रश्न में किया है जो प्रदेश विकसित कहे जाते हैं—वैसे तो विकसित प्रदेश वे भी उस अर्थों में नहीं हैं जिन अर्थों में विकासोन्मुख देशों की गणना होती है—लेकिन फिर भी तथा कथित विकसित प्रदेशों में भी पिछड़े हुए क्षेत्र हैं और ऐसे क्षेत्रों की उन्नति के लिए जैसा मैंने अभी पूर्व

उत्तर में कहा, हमारा प्रयास होगा कि साधनों की सीमा के अन्तर्गत रहते हुए और माननीय सदस्य के सहयोग से इस क्षेत्रीय असन्तुलन को कम कर सकें ।

श्रीमती कृष्णा साही : माननीय मन्त्री महोदय ने बताया है कि शिवारामन कमेटी बनी है और उसका प्रतिवेदन एक वर्ष में प्राप्त हो जाएगा । उसके बाद एक साल और लगेगा कुछ कार्रवाई होने में । इस अर्से में क्षेत्रीय असन्तुलन और भी बढ़ जाएगा । ऐसी अवस्था में जो क्षेत्र पिछड़े हुए हैं उनके लिए कोई शार्ट टर्म कार्यक्रम बनाने पर मन्त्री महोदय विचार कर रहे हैं ताकि यह क्षेत्रीय असन्तुलन दो वर्षों के अन्दर कुछ कम हो सके ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : मैं माननीय विद्वान सदस्या का ध्यान अपने पूर्व के उत्तर के संदर्भ में पुनः आकर्षित करना चाहता हूं । मैंने यह कहा था कि हमने शिवारामन समिति से आग्रह किया है कि वह अपनी संस्तुतियां समय से कुछ पहले देने का कष्ट करें ताकि छठी योजना को बनाते समय हमें क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करने के सम्बन्ध में जो उपाय करने हैं उन पर विचार करके उनको कार्यान्वित भी कर सकें । मैंने स्वयं उल्लेख किया है और मैं माननीय विद्वान सदस्या के मनोभावों का आदर करता हूं और उनकी पीड़ा के मर्म को समझता हूं और उसका आदर अवश्य किया जायेगा ।

श्री सी० टी० दंडपाणि : जहां तक योजना का सम्बन्ध है 1950 से आरम्भ होने वाले दशक से वही प्रक्रियाएं अपनाई जा रही हैं यद्यपि सूत्र में वित्त आयोग की शिफारिशों के अनुसार परिवर्तन किए जा रहे हैं । मन्त्री महोदय ने एक समिति के गठन की बात कही है जो पिछड़े क्षेत्रों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं पर विचार करेगी । क्या इस समिति को कुछ विशिष्ट विषय विचारार्थ दिये गये हैं ? यदि हां, तो विचारार्थ विषय क्या हैं ? यदि नहीं तो क्या यह समिति राज्यों में असंतुलन के बारे में इस सूत्र के अनुसार मामलों की जांच करेगी ? माननीय मन्त्री ने कहा, इसे सुधारा जाना चाहिए। विकसित राज्यों में भी जिलों में असंतुलन है । एक ही राज्य में कुछ बहुत ही पिछड़े क्षेत्र हैं । किन्तु कुल मिलाकर सरकार किसी विशेष जिले को 'उन्नत जिला' या 'विकसित जिला' लेती है । अतः अधिकांश मामलों में पिछड़े क्षेत्र, पिछड़े रह जाते हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का इस मामले पर विचार करने के लिए कोई योजना बनाने का विचार है और क्या सरकार ने कुछ क्षेत्रों को पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : महोदय, जहां तक जिलों में, अन्तर्राज्यीय तथा राज्य के अन्तर्गत पिछड़ेपन का सम्बन्ध है माननीय सदस्य ने पिछड़ेपन के मापदण्ड का जो विश्लेषण दिया है मैं उनसे पूरी तरह से सहमत हूं । महोदय, संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के अन्तर्गत हमें राज्यों के साथ-साथ चलना है । हम इस सूत्र को सहसा योजना पर लागू नहीं कर सकते । राष्ट्रीय विकास परिषद ने सभी पहलुओं को योजना आयोग द्वारा बनाए गए प्रस्तावों तथा राज्यों के अपने सूत्रों को ध्यान में लिया है और तभी केन्द्रीय सहायता का सूत्र दिया गया । फिर राज्य सरकारों ने भी इस पहलू पर विचार किया और स्वयं अपने राज्य की योजनाओं के लिए उन्होंने अपनी दृष्टि से अपने राज्य के क्षेत्रों के पिछड़ेपन पर विचार किया । अतः हमें इन सब

बातों पर विचार करना है। जहां तक विचारार्थ विषयों का सम्बन्ध है मैं शिवारामन समिति के प्रतिवेदन में उल्लिखित विचारार्थ विषयों को पढ़कर सुनाना चाहूंगा।

"वर्तमान नीति के प्रयोजनों के लिए प्रचलित परिभाषा में निहित पिछड़ेपन के विभिन्न अर्थों की वैधता की जांच करना और एक मापदण्ड की सिफारिश करना जिसके आधार पर पिछड़े क्षेत्रों का पता लगाया जाना चाहिए।"

2. निम्नलिखित के कार्यकरण की समीक्षा करना:—

(क) जन-जाति उप-योजनाओं, पर्वतीय क्षेत्रों में, आदि की योजनाओं जैसे पिछड़े क्षेत्रों की सामान्य विकास की समस्याओं पर कार्यवाही के लिए वर्तमान योजनाएं। और

(ख) पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को तेज करने के लिये, रियायती वित्त, निवेश राजसहायता, परिवहन राजसहायता, बिक्री कर रियायतें, आदि जैसी वर्तमान योजनाएं; डी० पी० ए० पी० जैसी कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में इसी प्रकार की योजनाएं और निर्धनता तथा बेरोजगारी की समस्याओं का समाधान करने के सामान्य उपायों का पिछड़े क्षेत्रों में पिछड़ेपन को दूर करने में इनके प्रभावी होने की दृष्टि से; और

3. पिछड़े क्षेत्रों की, जो, यदि आवश्यक हो, क्षेत्रों के अनुसार, कारणों अथवा निर्धारित उपायों के अनुसार वर्गीकृत हों, समस्या का प्रभावी रूप से समाधान करने के लिए उचित नीति या नीतियों की सिफारिश करना।

औद्योगिक लाइसेंस प्रक्रिया का सरलीकरण

*435. **श्री छोटूभाई गामित** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार औद्योगिक लाइसेंस प्रक्रिया को सरल बनाना चाहती है;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या कदम उठाए गये हैं; और

(ग) आवेदनपत्रों के अनेक समितियों से मंजूर होने की पुरानी प्रक्रिया से किसी प्रकार निपटने का सरकार का विचार है।

उद्योग मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री पी० वेंकट रेड्डी) : (क) से (ग) कानून के अधीन अधिसूचित केवल एक अनुमोदन समिति द्वारा उद्योग विकास एवं विनियमन, अधिनियम के अन्तर्गत औद्योगिक लाइसेंस संबन्धी प्रत्येक आवेदन-पत्र पर विचार किया गया है तथा जो सभी सम्बद्ध पहलुओं पर विचार करने के पश्चात सरकार के निर्णय के लिये आवेदन-पत्र पर अपनी सिफारिश देती है। अतः उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के अधीन एक ही आवेदन पत्र पर विविध अनुमोदन समितियों द्वारा विचार किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

सरकार निर्दिष्ट समय-सीमा औद्योगिक लाइसेंसों आदि सम्बन्धी आवेदन-पत्रों के निपटान का सुनिश्चय करने के निरन्तर प्रयास कर रही है।

श्री छीतूभाई गामित : अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में औद्योगिक क्षेत्र में जो 15, 20 बड़े घराने है, उनका ही साम्राज्य है। आज भी देश में जो उद्योगों के लाइसेंस मिलते हैं, उनके बारे में शिकायतें आती रहती हैं। छोटे उद्योग लगाने वालों को लाइसेंस मिलते नहीं हैं, बड़े उद्योग लगाने वालों को ही मिलते हैं। अभी हमारे देश में लघु उद्योग विकास की नीति अपनाई गई है, लेकिन लघु उद्योगों में भी वही लोग लाइसेंस प्राप्त करते हैं जो बड़े घराने के हैं।

मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जो लघु उद्योग लगाने वाले हैं, जो औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े या आदिवासी क्षेत्र है, जहां बेरोजगारों की संख्या बहुत बड़ी होती है, वहां रोजगार बढ़ाने के लिए जो लघु उद्योग लगाने वाले लोग हैं, उनको जल्दी से जल्दी लाइसेंस मिल सकें, इसके लिए मंत्रालय की ओर से क्या कदम उठाये गये हैं? क्या ऐसा कोई समय निर्धारित किया गया है, जिससे कम-से-कम टाइम में उनको लाइसेंस मिल सकें ?

श्री पी० वेंकट रेड्डी : वर्ष 1975, 1976 और बाद के वर्षों में की गई पहल के परिणामस्वरूप औद्योगिक लाइसेंस नीति को उदार बनाया गया। माननीय सदस्य को शिकायत है कि लघु क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने के लिए लाइसेंस नहीं दिये जा रहे हैं। मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहता हूं कि लघु क्षेत्र में लघु उद्योग लगाने के लिये लाइसेंस देने की आवश्यकता नहीं होती। लगभग 800 उद्योगों को लघु क्षेत्र के लिये सुरक्षित अधिसूचित किया गया है। इन यूनिटों के लिए औद्योगिक लाइसेंस नीति के अनुसार किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती। जहां तक तीन करोड़ रुपयों तक के निवेश के लिए औद्योगिक लाइसेंस लेने का सम्बन्ध है, कतिपय दशाओं में औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। अतः लघु क्षेत्र के उद्योगों के लिये लाइसेंस लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। एकाधिकारी तथा निर्बन्धनकारी व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अधीन आने वाले गृहों के औद्योगिक लाइसेंसों के लिए आवेदनपत्रों, एकाधिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए संयुक्त आवेदन-पत्रों और अन्य औद्योगिक लाइसेंसों के आवेदन पत्रों को निपटाने के लिए और स्वीकृति देने के लिए केवल एक समिति है। इसमें कोई देरी नहीं होगी। सभी कुछ सरल बना दिया गया है।

श्री छीतू भाई गामित : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि पिछले एक वर्ष में टाटा, बिड़ला जैसे बड़े घरानों ने लाइसेंस के लिए कितनी एप्लिकेशन दी और दूसरे लोगों ने कितनी दीं और उनमें से बड़े घरानों को कितने लाइसेंस दिए गए और दूसरे लोगों को कितने दिये गये।

श्री पी० वेंकट रेड्डी : मेरे पास सूचना नहीं है। इसके लिए अलग नोटिस देने की आवश्यकता है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, हमने समाजवाद से लेकर वृहत्तर समाजवाद तक के विभिन्न औद्योगिक नीति संकल्प देखे हैं। (व्यवधान) क्या माननीय मंत्री हमें बतायेंगे कि क्या ब्लेडों के उत्पादन जैसे कम प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के लिए अमेरिका की जिलेट एंड कम्पनी के साथ सहयोग भारत

सरकार की वर्तमान औद्योगिक नीति के अनुसार किया गया है या इस पर विचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या विचार हुआ है । (व्यवधान)

श्री के० लकप्पा : इसका प्रश्न ही नहीं उठता, यह एक असंगत प्रश्न है । आप मन्त्री से उत्तर की आशा कैसे कर सकते हैं ।(व्यवधान)

श्री पी० वेंकट रेड्डी : माननीय सदस्य एक विशिष्ट सूचना चाहते हैं । मुझे इसके लिए पृथक नोटिस चाहिये ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : ब्लेडों का व्यापक और काफी मात्रा में उत्पादन लघु क्षेत्र में होता है । किस औद्योगिक नीति ने उन्हें अमरीका की बहुराष्ट्रिक कम्पनी 'जोन जिलेट एंड कम्पनी' के साथ सहयोग करने के लिये प्रेरित किया है ? क्या यह तथ्य है कि अमीचन्द-प्यारेलाल के साथ सहयोग··· (व्यवधान)

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : हमारे सदस्य ऐसा न करें । यह हमारे हित में नहीं होगा ।

अध्यक्ष महोदय : आप नहीं हैं ।

श्री पी० वेंकट रेड्डी : मैंने जैसा कि कहा है, मुझे इसके लिये पृथक नोटिस चाहिये····· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री बसु आपको उन्हें इसके लिये पृथक नोटिस देना होगा ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्यों ?

अध्यक्ष महोदय : यदि आप चाहें तो पृथक नोटिस दे देना ।

प्रो० एन० जी० रंगा : दशकों से न सही पर कई वर्षों से लाइसेंस प्रदान करने के ढंग पर काफी शिकायतें मिलती रही हैं कई समितियों की नियुक्ति भी की गई और हमें बताया गया कि इन बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कुछ बहुत से लाइसेन्स ले गए हैं । मध्यम दर्जे के उद्योगपतियों और अन्यों के साथ, जो बड़े गृहों से नहीं जुड़े हुए हैं, लाइसेंसिज समितियों द्वारा निष्पक्ष व्यवहार किया जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है ? और इन लाइसेंसिंग समितियों के गठन का जहां तक सम्बन्ध है क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है कि केवल वही अधिकारी इन समितियों के सदस्य नियुक्त न किए जाएं परन्तु इन प्रतिष्ठानों के, उद्योगपतियों के प्रतिनिधि भी लिए जाएं और कर्मचारी भी समय-समय पर बदले जाएं ।

श्री वेंकट रेड्डी : यदि कोई विशिष्ट मामले हैं और यदि मामले सरकार के ध्यान में लाए जाते हैं तो इस पर निश्चित रूप से कार्यवाही होगी और सुझावों पर ध्यान दिया जाएगा ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हमें विभिन्न अवसरों पर इस सभा में कई बार आश्वासन दिए गए हैं कि नए लाइसेन्स देते समय देश की मौजूदा क्षमता को ध्यान में रखा जाएगा अर्थात भविष्य में ऐसे लाइसन्स नहीं दिए जाएंगे जिनके लिए विदेशी तकनीकी जानकारी या विदेशी अंश पूंजी की ऐसे क्षेत्रों में आवश्यकता होगी जिनमें देशी तकनीकी जानकारी मौजूद है या हमारी आवश्यकताओं

की पूर्ति के लिए देशी उत्पादन पर्याप्त है। मुझे विश्वास है कि यह एक सामान्य सिद्धान्त है जिसका उल्लेख इस सभा में कई बार किया गया है। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि यदि उनके ध्यान में उद्योग के ऐसे क्षेत्रों में, जिनमें तकनीकी जानकारी उपलब्ध है और मौजूदा उत्पादन पर्याप्त है, विदेशी सहयोग और यहां तक कि अंश पूंजी के लिए लाइसेंस देने के मामले लाये जायें तो हम यह नहीं समझ सकते हैं कि सरकार अपने पिछले आश्वासनों का स्वयं उल्लंघन कर रही है ? जिलेट ब्लेड के सम्बन्ध में वह यह प्रश्न करना चाहते हैं। यह परियोजना अलवर में स्थित है। यह किस प्रकार और किस आधार पर दिया जा रहा है ? वर्तमान क्षमता उपलब्ध है, तकनीकी जानकारी उपलब्ध है और देश में करोड़ों ब्लेडों का उत्पादन हो रहा है। तो क्या कारण है कि अलवर स्थित शेविंग ब्लेड फैक्ट्री के लिए इतनी बड़ी बहु-राष्ट्रिक कम्पनी को अंश पूंजी लगाने की अनुमति दी जा रही है।

श्री पी० वेंकट रेड्डी : देश में तकनीकी जानकारी कहां उपलब्ध है ? सामान्यतः विदेशी सहयोगी···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखिए।

श्री पी० वेंकट रेड्डी : यह एक विशिष्ट प्रश्न है। मुझे इसके लिए नोटिस चाहिए। यदि ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो उत्तर दिया जाएगा। (**व्यवधान**)

श्री ज्योतिर्मय बसु : इसके लिए पृथक नोटिस क्यों चाहिए ? यह एक बहुत अच्छा प्रश्न है। यह बहस क्यों हो रही है ?

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य सामान्य प्रश्न पर उत्तर चाहते हैं तो मन्त्री महोदय उत्तर दे सकते हैं। यह वही प्रश्न है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : सामान्य नीति पर यदि मन्त्री महोदय उत्तर देना चाहें तो दे सकते हैं। ब्लेडों के सम्बन्ध में वह पहले ही उत्तर दे चुके हैं।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मुझे भय है। मैंने स्वयं ही इस ओर ध्यान आकर्षित किया है। इस सौदे के बारे में मैं नहीं जानती। मुझे यह भी पता नहीं है कि मन्त्री महोदय इसे जानते हैं या नहीं ? यदि सौदा किया गया है तो हम इसकी जांच करेंगे कि इसके क्या कारण हैं। सामान्य सिद्धान्त बहुत स्पष्ट हैं कि जहां क्षमता और जानकारी उपलब्ध है हम वहां ऐसे सौदे नहीं करते। फिर भी ऐसे कुछ मामले हैं। मिसाल के तौर पर विद्युत उत्पादन अभी ···(**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य : टूथ पेस्ट के बारे में।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : टूथ पेस्ट के लिए नहीं। इनमें से कुछ पहले किए गए होंगे, मैं नहीं जानती। परन्तु इस पर निरन्तर निगाह रखे हुए हैं। पहले भी यद्यपि हमारी नीति स्पष्ट थी, फिर भी, मैं स्वीकार करती हूं कुछ सौदे हो गए हैं। हमने तत्काल इस पर कार्यवाही करने का प्रयत्न किया और जहां सम्भव होगा, हम भविष्य में भी करेंगे।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० द्वारा अन्य देशों में ठेके लिया जाना

*458. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० ने दूसरे देशों के साथ करार किये हैं और वहां कुछ परियोजनाओं पर काम शुरू किया है; और

(ख) यदि हां, तो वे देश और परियोजनाएं कौन-कौन सी हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वेंकट रेड्डी) : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

क्रमांक	देश	परियोजना का नाम	परियोजना का ब्यौरा
1.	मलयेशिया	(क) टुंकू जाफर पावर स्टेशन—चरण 2	2×60 मे० वा० के बायलरों की सप्लाई, संस्थापन और चालू करना।
		(ख) टुंकू जाफर पावर स्टेशन—चरण 3	3×120 मे० वा० के बायलरों की सप्लाई, संस्थापन और चालू करना।
		(ग) सुल्तान इस्माइल पावर स्टेशन	1×20 मे० वा० के बायलरों की सप्लाई, संस्थापन और चालू करना।
		(घ) प्राई पावर स्टेशन एक्सटेंशन	3×120 मे०वा० के बायलरों की सप्लाई, संस्थापन और चालू करना।
		(ङ) पीयोर गुडंग पावर स्टेशन एक्सटेंशन	2×120 मे०वा० के बायलरों की सप्लाई, संस्थापन और चालू करना।
2.	लीबिया	त्रिपोली वेस्ट पावर स्टेशन एक्सटेंशन	सिविल कार्यों सहित 2×120 मे० वा० के थर्मल पावर स्टेशन की टर्न की निष्पादन।
3.	सऊदी अरब	वादी जीजान विद्युतीकरण परियोजना	42 मे० वा० के डीजल पावर स्टेशन, सम्बद्ध पारेषण और वितरण कार्य तथा सिविल कार्यों का 900 वर्ग कि० मी० के क्षेत्र में विद्युतीकरण के लिए टर्न-की निष्पादन।

क्रमांक	देश	परियोजना का नाम	परियोजना का ब्यौरा
4.	जोर्डन	इरबिद मेन सब-स्टेशन	बिजली के ट्रांसफार्मरों की सप्लाई, संस्थापन और चालू करना।
5.	तंजानिया	(क) मोरोगोरी सब-स्टेशन	बिजली के ट्रांसफार्मरों (30 एम० वी० ए० के० 4 और 20 एम० वी० ए० के० 2) की सप्लाई, संस्थापन और चालू करना।
		(ख) राज-मेरीन इन्टर-कनेक्शन परियोजना	सिविल कार्यों सहित 132 के० वी० और 33 के०वी० सब-स्टेशनों की सप्लाई, संस्थापन और चालू करना।
6.	घाना	प्रेस्टिया और कुमासी सब-स्टेशन	ट्रांसफार्मरों और स्विचगियरों, कन्ट्रोल चेलनों आदि सहित 25 एम० वी० ए० और सिन्क्रोनस कंडेन्सरों का डिजाइन, सम्भरण और अधिष्ठापन।
7.	न्यूजीलैंड	(क) चाऊ बी और सी पावर स्टेशन	53 मे० वा० के 8 हाइड्रो जनरेटरों का डिजाइन, निर्माण, सप्लाई, संस्थापन का पर्यवेक्षण और चालू करना।
		(ख) रंगीपी पावर स्टेशन	60 मे० वा० के दो हाइड्रो-जनरेटरों का डिजाइन, निर्माण, सप्लाई, संस्थापन का पर्यवेक्षण और चालू करना।

क्रमांक	देश	परियोजना का नाम	परियोजना का ब्यौरा
8.	थाईलैंड	(क) पट्टानी हाइड्रो-इलेक्ट्रिक परियोजना	22 मे० वा० की 2 हाइड्रालिक टर्बाइनों का डिजाइन, सप्लाई, और संस्थापन का पर्यवेक्षण।
		(ख) भूमिबोल हाइड्रो-इलेक्ट्रिक परियोजना	121 एम०वी०ए० के एक हाइड्रो जनरेटर का डिजाइन, सप्लाई और संस्थापन का पर्यवेक्षण।
9.	फिलीपाइन्स	एगस 4 हाइड्रो-इलेक्ट्रिक परियोजना	137 के० वी० के स्विचयार्ड उपकरणों का डिजाइन, सप्लाई, संस्थापन और चालू करना।
10.	नेपाल	कुलेहानी जल-विद्युत विकास बोर्ड	2×35 एम० वी० ए० हाइड्रो जनरेटरों का डिजाइन, सप्लाई, संस्थापन चालू करने के काम का पर्यवेक्षण।

श्री पी० राजगोपाल नायडू : विभिन्न डिजाइन, स लाई और संस्थान फर्मे ट्रांसफार्मर, सब-स्टेशन, हाइड्रो जनरेटर में और हाइड्रोलिक टर्बाइन भेज रही हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच्ची भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स द्वारा निर्मित भेज रहा है।

श्री पी० वेंकट रेड्डी : ये उत्पाद और देशी उत्पादन वहां भेजे जा रहे हैं और संस्थापना भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स द्वारा की जाती है।

श्री पी० राजगोपाल नायडू : यह वायलर, टर्बाइन और अन्य मशीनें किन शर्तों पर बना रहे हैं?

श्री पी० वेंकट रेड्डी : यह निविदा अनुसूची में दिया गया है और वे इसे कार्यान्वित करेंगे।

'टार्चर फार क्राइम देट नेवर वाज' शीर्षक समाचार

*459. **श्री के० लक्कप्पा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 14 जून, 1980 के नई दिल्ली संस्करण 'इंडियन एक्सप्रेस' में 'टार्चर फार क्राइम देट नेवर वाज' (न किये गए अपराध के लिये यातना) शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या उन्होंने इस मामले की उच्च स्तर पर जांच कराई थी और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है; और

(ग) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उनका क्या कार्यवाही करने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) दिल्ली के पुलिस आयुक्त ने मामले की छानबीन की है। जांच कर रहे सब-इंसपेक्टर तथा उस सब-इंसपेक्टर की जो सराय रोहिला पुलिस स्टेशन में थाना अधिकारी के रूप में कार्य कर रहा था के आचरण को संदेह से मुक्त नहीं पाया गया। दोनों अधिकारियों को मुअत्तिल कर दिया गया है। उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

जब कभी ऐसा मामला ध्यान में आएगा तो दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाई की जाएगी।

श्री के० लक्कप्पा : जनता शासन के पिछले दो सालों में अपराध के प्रति ऐसा सुझाव पैदा कर दिया कि विभिन्न पुलिस स्टेशनों पर लोगों को पुलिस अधिकारियों द्वारा परेशान किया जाता था और यातना कक्ष में उन्हें यातना दी जाती थी। उन दिनों राजनीतिक लोगों तक को परेशान किया गया और यातना दी गई। आज यही पुलिस अधिकारी विभिन्न पुलिस स्टेशनों में कार्य कर रहे हैं। यह एक मिसाल है, जहां ऐसी बात हुई। क्या गृह मन्त्री इन लोगों की चाहे ये कोई भी हों, जांच करवाएंगे और उन्हें बाहर करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि देश में एक बार फिर यातना कक्ष न बनें और वहां शांतिपूर्ण वातावरण बना रहे।

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैं पिछली सरकार के बारे में, माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है, उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता परन्तु जो सुझाव उन्होंने दिया है, उस पर हम विचार करेंगे ।

टायर और ट्यूबों के उत्पादन के लिए सरकारी क्षेत्र में एक एकक की स्थापना करना

*460. **श्री अमर सिंह वी० राठवा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में टायर और ट्यूबों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए टायर और ट्यूब के उत्पादन के लिए सरकारी क्षेत्र में एक एकक की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो एकक किसी राज्य में स्थापित किया जायेगा;

(ग) क्या इसके लिए किसी राज्य सरकार ने आवेदन किया है; और

(घ) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा उनके आवेदनों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वेंकट रेड्डी) : (क) से (घ) फिलहाल केन्द्र सरकार द्वारा निजी क्षेत्र में टायर एवं ट्यूबों का उत्पादन करने वाले किसी भी एकक की स्थापना करने का कोई विचार नहीं है । तथापि, मोटरगाड़ियों के टायरों व ट्यूबों का उत्पादन करने के लिए औद्योगिक लाइसेन्स की स्वीकृति के लिये विभिन्न राज्य औद्योगिक विकास निगमों आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे तथा उनके द्वारा प्रवर्तित कम्पनियों को इस कार्य के लिए औद्योगिक लाइसेंस जारी कर दिए गए थे । सम्बन्धित राज्य औद्योगिक विकास निगमों द्वारा प्रवर्तित निम्नलिखित कम्पनियों के पास मोटरगाड़ियों के टायरों व ट्यूबों का उत्पादन करने के लिए वैध औद्योगिक लाइसेंस है :—

1. आन्ध्र प्रदेश आटो मोबाइल टायर्स एण्ड ट्यूब्स लिमिटेड;
2. गुजरात टायर्स लिमिटेड;
3. उड़ीसा टायर्स लिमिटेड;
4. वेवस्टर लिमिटेड;
5. पंजाब टायर्स लिमिटेड; और
6. उत्तर प्रदेश टायर्स एण्ड ट्यूब्स लिमिटेड ।

श्री अमर सिंह वी० राठवा : अध्यक्ष महोदय, अपने देश में टायर ट्यूब का उत्पादन करने वाली 6 कम्पनियां हैं । मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि टायर ट्यूब्स की मांग को देखते हुए, उनकी आपूर्ति के लिए सरकार की ओर से क्या-क्या कदम उठाए गए हैं और आगे कौन-कौन से कदम सरकार उठाना चाहती है ?

श्री पी० वेंकट रेड्डी : वर्तमान युनिटों में उत्पादन बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा विस्तार की अनुमति दी जा रही है क्योंकि यद्यपि कोई नई फर्म तो आ नहीं रही इसलिए विस्तार की अनुमति दी जा रही है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

गंगा बराज परियोजना, कानपुर के बारे में 'टास्क फोर्स' का प्रतिवेदन

*452. **श्री आरिफ मोहम्मद खां :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा बराज परियोजना, कानपुर संबंधी 'टास्क फोर्स' के प्रतिवेदन में, जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा योजना आयोग को फरवरी, 1979 में प्रस्तुत किया गया था, कानपुर में गंगा पर बराज के निर्माण की सिफारिश की गई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

योजना मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) कानपुर में गंगा बराज परियोजना से संबंधित कृतिक दल की रिपोर्ट की एक प्रति योजना आयोग में दिनांक 8-7-1980 को प्राप्त हुई है और संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से इसकी जांच की जाएगी ।

सौराष्ट्र क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र के एककों की स्थापना

*456. **श्री डी०पी० जदेजा :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में उस क्षेत्र की बेरोजगारी की समस्या हल करने के लिए निकट भविष्य में सरकारी क्षेत्र का एकक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) योजना आयोग इस समय 1980-85 की अवधि की नई पंचवर्षीय योजना तैयार करने में लगा हुआ है ।

केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और (गुजरात राज्य सहित) राज्य सरकारों से कार्यक्रमों/स्कीमों के ब्यौरे तैयार करने के लिए कहा गया है । इस पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही सरकारी क्षेत्रक की इकाइयों की स्थापना और बेरोजगारी की स्थिति पर उसके प्रभाव के बारे में स्थिति स्पष्ट होगी ।

पूर्व पाकिस्तान के विस्थापितों से नागरिकता प्रमाण-पत्रों के लिए आवेदन पत्र

*457. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन :** क्या गृह मंत्री निम्नलिखित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न पूर्वोत्तर राज्यों में राज्यवार, भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान के ऐसे कितने विस्थापित व्यक्ति है जिन्होंने नागरिकता प्रमाण-पत्रों के लिए आवेदन-पत्र दिए हैं ;

(ख) इनमें से कितनों को नागरिकता प्रमाण-पत्र दे दिए गए हैं ;

(ग) कितने आवेदन-पत्र नामंजूर किए गए हैं ;

(घ) कितने आवेदन पत्र अभी तक विचाराधीन हैं ;

(ङ) ये आवेदन-पत्र वर्षवार और राज्यवार कब से विचाराधीन पड़े हुए हैं ; और

(च) ऐसे व्यक्तियों का राष्ट्रीयता का दर्जा क्या है जिन्हें नागरिकता प्रमाण-पत्र नहीं

दिए गए हैं अथवा जिन्होंने ऐसे प्रमाण-पत्रों के लिए आवेदन-पत्र नहीं दिए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

प्राथमिकता प्राप्त रक्षा परियोजना

*461. **डा० वसंत कुमार पंडित** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गंभीर शिकायतें मिली हैं कि सालिड स्टेट फिजिक्स लेबोरेटरी में उच्च प्राथमिकता प्राप्त सैनिक अभिमुखी परियोजना, पी० एक्स०-एस० पी० एल-47 में कमियां और रुकावटें आ रही हैं ;

(ख) क्या सरकार ने कथित अनियमितताओं के आरोपों और स्वर्ण प्लेटिनम और अन्य बी० पी० एल० भंडार के दुरुपयोग के कारण होने वाली हानि के बारे में जांच की है ; और

(ग) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की है कि एस० पी० एल० प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाओं का सुचारु रूप से समन्वित विकास और अनुसंधान करे ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी०पी०एन० सिंह) : (क) : जी नहीं । परियोजना पहले ही पूरी हो चुकी है ।

(ख) आरोपों की जांच की गई लेकिन उनमें कोई सार नहीं पाया गया ।

(ग) सालिड स्टेट भौतिकी प्रयोगशाला (एस० पी० एल०) में विभिन्न परियोजनाओं पर अनुसंधान और विकास का काम सुचारु रूप से चल रहा है ।

अनुसूचित आदिमजातियों के लिए पृथक मंत्रालय

*462. **श्री भीखा भाई** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस तथ्य को देखते हुए कि अनुसूचित जनजाति की समस्याएं अनुसूचित जाति की समस्याओं से भिन्न हैं, एक पृथक अनुसूचित जनजाति मंत्रालय अथवा विभाग बनाने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या अनुसूचित जनजाति की समस्याओं का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन किया गया है ; और

(ग) क्या यह सच है कि अनेक राज्यों के अनुसूचित जनजाति अनुसंधान केन्द्रों ने कोई विशेष अनुसंधान कहीं किया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) जी हां, श्रीमान् ।

(ग) अधिकतर राज्यों में जनजाति अनुसंधान संस्थान अनुसूचित जनजातियों तथा जनजातिय क्षेत्रों के कार्यों में कारगर रूप से योगदान दे रहे हैं ।

पुलिस कर्मचारियों का प्रशिक्षण

463. श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति
श्री प्रभुनारायण टंडन } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारायणपुर की घटना के बाद पुलिस कर्मचारियों के प्रशिक्षण और उनके कार्यनिष्पादन के बीच के वर्तमान अन्तर को खत्म करने के लिए कोई व्यावहारिक कदम उठाए गए हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान्। राज्य सरकारों ने राज्यों में पुलिस कर्मचारियों के प्रशिक्षण और उनके कार्य-निष्पादन के बीच अन्तर को खत्म करने के लिए उपाय किए हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बस्तर जिले की जनजातियों के बीच विदेशियों की उपस्थिति

*465. श्री अरबिन्द नेताम
श्री ज्योतिर्मय बसु } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश में बस्तर जिले के जनजातीय लोगों के बीच विदेशियों के रहते रहने के संबंध में सूचनाएं प्राप्त हुई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) सरकार ने इस संबंध में प्रेस रिपोर्टें देखी है।

(ख) मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार केवल 9 विदेशियों ने एक जनवरी से 5 जुलाई, 1980 के बीच में पर्यटकों के रूप में बस्तर जिले की यात्रा की थी। विदेशियों की गतिविधियों पर निगरानी रखी जाती है और यदि कोई प्रतिकूल बात ध्यान में आती है तो उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

मोटर दुर्घटनाओं में मृत्यु दर

*464. **श्रीमती कृष्णा साही** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में मोटर सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर प्रति हजार 65 व्यक्ति है जबकि विश्व के अन्य देशों में यह दर प्रति हजार 5 से 15 व्यक्ति है ; और

(ख) यदि हां, तो इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) भारत में 1978 में मोटर दुर्घटनाओं में मृत्यु दर प्रति हजार। 138.4 व्यक्ति आंकी गई है जबकि विश्व के अन्य देशों में यह 25.8 से 76.4 व्यक्ति है।

(ख) राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा निम्नलिखित निवारक उपाय किए जा रहे हैं :

(1) ड्राइविंग लाइसेंस देने के लिए कठिन परीक्षाओं का शुरू किया जाना ।

(2) अन्धाधुन्ध और लापरवाही से गाड़ी चलाने की अवस्था में ड्राइविंग लाइसेंसों को स्थगित/रद्द करना ।

(3) चालकों/पिछली सीट पर बैठने वालों के लिए हेलमेट का प्रयोग अनिवार्य करना ।

दिल्ली में सीमेंट की कमी

466. **श्री धर्मदास शास्त्री** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें संघ क्षेत्र दिल्ली में सीमेंट की कमी से उत्पन्न स्थिति के बारे में पता है;

(ख) दिल्ली को मई, 1979 में सीमेंट का कितना कोटा दिया गया था और इस वर्ष मई में कितना कोटा दिया गया ; और

(ग) सरकार दिल्ली में और समूचे देश में सीमेंट की कमी दूर करने और उसकी वितरण व्यवस्था सुधारने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना) : (क) चूंकि माँग की अपेक्षा सीमेंट की कुल उपलब्धता कम है, अतः दिल्ली संघ क्षेत्र सहित देश में ही सीमेंट की सामान्य कमी चल रही है ।

(ख) सीमेंट का आबंटन तिमाही आधार पर किया जाता है । दिल्ली संघ क्षेत्र को अप्रैल-जून 1979 तथा अप्रैल-जून 1980 की तिमाहियों में किया गया कुल आबंटन क्रमशः 1,39,000 मी० टन तथा 1,11,200 मी० टन था ।

(ग) सरकार विद्यमान क्षमता के बेहतर उपयोग नई क्षमताओं की स्वीकृति तथा आयात के जरिए देश में सीमेंट की उपलब्धि में वृद्धि करने के हर संभव प्रयास कर रही है । दिल्ली संघ क्षेत्र को सप्लाई करने के संबंध में उपलब्धि स्थिति आसान बनाने की दृष्टि से 13,000 मी० टन सीमेंट का अतिरिक्त आबंटन किया गया था ।

सीमेंट का फुटकर वितरण राज्य सरकारों/संघ क्षेत्रों द्वारा विनियमित किया जाता है जिन्हें जनता को सीमेंट बिक्री करने तथा उसके उचित वितरण हेतु भावी योजनाएं बनाने की आवश्यकता के बारे में परामर्श दिया गया है ।

अन्त्योदय कार्यक्रम का मूल्यांकन

*467. **श्री राम विलास पासवान** : क्या योजना मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) क्या देश के विभिन्न राज्यों में 'अन्त्योदय' कार्यक्रम का मूल्यांकन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों, जिलों और गाँवों के नाम क्या हैं जहाँ यह मूल्यांकन किया गया है और इस अध्ययन की अवधि और अपनाई गई प्रक्रिया तथा मूल्यांकन अध्ययन में राजस्थान में अपनाई गई प्रक्रिया का तुलनात्मक विवरण क्या है ;

(ग) क्या अन्त्योदय की उपलब्धियों के बारे में प्रतिवेदन तैयार कर लिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

योजना मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी हां, 'अन्त्योदय' कार्यक्रम का मूल्यांकन, वर्ष 1978 में 'राजस्थान में अन्त्योदय कार्यक्रम के कार्यकरण के मूल्यांकन अध्ययन' के रूप में किया गया है ।

(ख) यह अध्ययन अक्तूबर-नवम्बर, 1978 में पांच गांवों में, अर्थात् राजस्थान के इन पांच जिलों में हरेक में एक गांव में किया गया था—चित्तौड़गढ़ (भदसौदा), जयपुर (कोटखावदा), झुंझुनू (हनुमंतपुरा, जोधपुर (लूनावास कलां) और कोटा (उंडवा) ।

(ग) ऊपर (क) में दिए अनुसार ।

(घ) रिपोर्ट की प्रतियां अनुवर्ती कार्रवाई के लिए राजस्थान सरकार और केन्द्रीय ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय को भेजी गई थीं ।

रूस को भारी मशीनों का निर्यात

*468. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारी मशीनों के निर्यात के सम्बन्ध में सोवियत संघ के साथ एक करार किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उसके परिणामस्वरूप देश को पहुंचने वाले लाभ का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, हां ।

(ख) 1981-85 में हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची और माइनिंग एण्ड अलाइड मशीनरी कारपोरेशन, दुर्गापुर से मोटेतौर पर क्रमशः 70531 मी० टन और 53715 मी टन भारी मशीनों का सम्भरण करने का निश्चय किया गया है ।

(ग) देश को निम्नलिखित लाभ पहुंचने की आशा है :—

1. भारी मशीनों के निर्माण में आधुनिक प्रौद्योगिकी संबंधी प्रक्रिया का शुरू होना ।
2. आधुनिक भारी मशीनों के निर्माण के कारण वर्तमान निर्माण संबंधी कारीगरी और प्रौद्योगिकी संबंधी स्थिति में सुधार ।
3. विदेशी बाजार में भारतीय कम्पनियों के ब्रांड नामों की शुरुआत ।
4. भारत-रूस व्यापार करारों के संतुलन में योगदान ।
5. हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची और माइनिंग एण्ड अलाइड मशीनरी कारपोरेशन, दुर्गापुर में कार्यभार में होने वाली कमियों की पूर्ति ।

भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारी

*469. **श्री तारिक अनवर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1972-73 में सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त किए गए भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारियों को उनके संवर्ग पदों पर 1100-1600 रुपए का वेतनमान अब तक

नहीं दिया गया है, जैसाकि आयकर, सीमा शुल्क, रक्षा लेखा आदि अन्य केन्द्रीय सेवाओं में नियुक्त अधिकारियों को दिया जाता है ; और

(ख) भारतीय आर्थिक सेवा की संवर्ग-स्थिति में सुधार करने और उन्हें अन्य सेवाओं के समकक्ष लाने के लिए क्या प्रगति हुई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) वर्ष 1972-73 के दौरान भारतीय आर्थिक सेवा के ग्रेड-IV में 10 अधिकारियों को सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त किया गया था। उनमें से दो ने त्याग-पत्र दे दिया था। एक अधिकारी की मृत्यु हो गई है। शेष सात अधिकारियों में से छः ग्रेड-III अथवा रुपए 1100-1600 के वेतनमान में समकक्ष पदों पर कार्य कर रहे हैं। सातवें अधिकारी को उक्त सेवा के ग्रेड-III पद पर पदोन्नत करने के आदेश भी जारी किए जा चुके हैं परन्तु उपलब्ध सूचना के अनुसार इस अधिकारी ने अभी तक उस पद का कार्यभार नहीं सम्भाला है।

(ख) भारतीय आर्थिक सेवा के संवर्ग की निरन्तर पुनरीक्षा की जा रही है और उक्त सेवा के विभिन्न ग्रेडों में आर्थिक कार्यों वाले सभी पदों को शामिल किए जाने के लगातार प्रयत्न किए जा रहे हैं। संवर्ग की संरचना में महत्वपूर्ण विकास हुआ है जैसाकि इस तथ्य से स्पष्ट है कि सेवा की पद संख्या जोकि इसके प्रारम्भिक गठन के समय 324 थी पहली जनवरी, 1980 को बढ़कर 544 हो गई है। परन्तु विभिन्न सेवाओं में इस सम्बन्ध में कोई पूर्ण समतुल्यता नहीं हो सकती क्योंकि किसी भी सेवा के प्रत्येक ग्रेड में पदों की संख्या कार्य के स्तरों, कार्य के स्वरूप, कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के साथ-साथ उनकी सेवाओं का उपयोग करने वाले मंत्रालयों/विभागों की वास्तविक आवश्यकताओं सहित अनेक घटकों पर निर्भर करता है।

श्रीमती पूर्णिमासिंह की मृत्यु के मामले में न्यायिक जांच

3482. **प्रोफेसर मधु दण्डवते** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि 28 मार्च, 1980 को दिल्ली में पंजाब पुलिस के एक अधिकारी की पत्नी श्रीमती पूर्णिमा सिंह की मृत्यु की न्यायिक जांच कराने की मांग की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मांग पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 के अधीन जांच-पड़ताल की कार्रवाइयों से निष्कर्ष निकलता है कि श्रीमती पूर्णिमा सिंह ने आत्म हत्या की थी। मामले में कोई मानवघाती मृत्यु अथवा जालसाजी की बात ध्यान में नहीं आई। अतः कोई न्यायिक जांच करने का प्रस्ताव नहीं है।

आदिवासी उपयोजना के बारे में राज्यों के साथ बातचीत

3483. **श्री गिरधर गोमांगो** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने आदिवासी उपयोजना के बारे में राज्यों के साथ विचार-विमर्श किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य उनके मंत्रालय की मध्यावधि योजना के लिए आदिवासी विकास संबंधी कार्यकारी दल द्वारा सिफारिश किए गए रूप में नीति, कार्यक्रम, नियतन और क्रियान्वयन ऐजेंसियों को स्वीकार करने के बारे में सहमत हैं ;

(ग) क्या मंत्रालय ने राज्यों को केवल कार्यकारी दल का प्रतिवेदन भेजा है और यदि हां, तो राज्यों द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) मंत्रालय ब्यौरेवार चर्चा करने और निर्णय लेने के लिए आदिवासी विकास से संबंधित मंत्रियों की बैठक का आयोजन कब तक करेगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) मोटे तौर पर राज्य जनजाति विकास के संबंध में कार्यकारी दल द्वारा की गई योजना, नीति, कार्यक्रमों आदि से संबधित सिफारिशों से सहमत हैं । राज्यों ने कुछ सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है जबकि कुछ अन्य को धीरे-धीरे स्वीकार किया जा रहा है ।

(घ) इस समय कोई बैठक बुलाने का विचार नहीं है ।

श्री हरिकोटा राकेट लान्चिग स्टेशन में रोजगार स्थिति

3484. **श्री पी० पेंचालैया** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में श्री हरिकोटा राकेट लान्चिग स्टेशन में वर्तमान रोजगार स्थिति कैसी है ;

(ख) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की नियुक्ति के मामले में आरक्षण नियम का पालन किया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका संवर्ग-वार ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ग) अन्तरिक्ष विभाग के शार केन्द्र, श्रीहरिकोटा में 1 जून, 1980 को समूह-वार कर्मचारियों की कुल संख्या, प्रत्येक समूह में रिक्त-पदों की संख्या और उनमें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति के प्रतिनिधित्व को दिखाते हुए एक विस्तृत विवरण संलग्न है ।

(ख) जी हां । शार केन्द्र में 1 अप्रैल, 1975 से अर्थात् भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसका शार केन्द्र एक भाग है, के सरकारी निकाय में रूपान्तरण की तारीख से होने वाले रिक्त स्थानों के लिए आरक्षण आदेशों को लागू किया गया है ।

विवरण

I. शार केन्द्र, श्रीहरिकोटा में 1 जून, 1980 को समूह-वार कर्मचारियों की कुल संख्या, रिक्त पदों की संख्या तथा अनुसूचित जातियों (अनु. जाति.) और अनुसूचित जन जातियों (अनु. ज. जाति.) का प्रतिनिधित्व निम्न प्रकार है :—

समूह	वैज्ञानिक/तकनीकी								प्रशासनिक							
	कर्मचारियों की संख्या				रिक्त पदों की संख्या				कर्मचारियों की संख्या				रिक्त पदों की संख्या			
	सामान्य	अनु. जाति	अनु. ज. जाति	कुल	सामान्य	अनु. जाति	अनु. ज. जाति	कुल	सामान्य	अनु. जाति	अनु. ज. जाति	कुल	सामान्य	अनु. जाति	अनु. ज. जाति	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
समूह (क)	231	—	—	231*	6	—	—	6	18	—	—	18	—	—	—	—
समूह (ख)	172	—	—	172*	4	—	—	4	14	—	—	14	1	—	—	1
समूह (ग)	478	98	12	588	18	6	6	30	344	37	8	389	17	3	2	22
समूह (घ)	120	59	17	196	1	—	—	1	122	45	10	177	6	—	—	6
कुल	1001	157	29	1187	29	6	6	41	498	82	18	598	24	3	2	29

*आरक्षण आदेश से छूट।

11. कर्मचारियों की विद्यमान कुल संख्या में से, उन पदों पर कर्मचारियों की संख्या जिनके लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षण सम्बन्धी आदेश लागू हैं तथा ऐसे संवर्गों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों का प्रतिनिधित्व निम्न प्रकारहैं :—

	कर्मचारियों की कुल संख्या	कालम (1) में से उन कर्मचारियों की संख्या, जिन पर आरक्षण आदेश लागू हैं	कालम (2) में से उन कर्मचारियों की संख्या जो निम्न से सम्बन्धित है :	
			अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
	(1)	(2)	(3)	
वैज्ञानिक तथा तकनीकी	1187	784	157 (20%)	29 (3.7%)
प्रशासनिक	598	598	82 (13.7%)	18 (3%)

पुलिस कर्मचारियों की बहाली

3485. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के 350 पुलिस कर्मचारियों को 29 जुलाई, 1979 को इस तर्क पर नौकरी से हटा दिया गया था कि उन्होंने अपनी सेवा की शर्तों और वेतनमानों में भिन्नता को दूर करने की मांग के समर्थन में शान्ति और अनुशासनपूर्ण तरीके से आन्दोलन किया था ;

(ख) क्या तत्कालीन सरकार ने इन आन्दोलनकारियों के खिलाफ निराधार मुकदमें दायर किए और रात को सोते समय उन पर सेना ने गोलियाँ बरसाई ;

(ग) यदि हां, तो गोलियों के शिकार पुलिस कर्मियों और उनके परिवारों की संख्या क्या है ;

(घ) क्या सरकार ने इन बर्खास्त पुलिस कर्मचारियों को बहाल कर दिया है ; और

(ङ) यदि नहीं तो कब तक इनके वहाल हो जाने की आशा है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ग) आन्दोलनकारियों के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई के परिणामस्वरूप केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के 3 कर्मचारी मारे गए थे ।

(घ) और (ङ) 1979 में आन्दोलन के दौरान बर्खास्त किए गए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के 1773 कर्मचारियों में से 1524 को उनके द्वारा की गई अपीलों पर विचार करके वहाल कर दिया गया है । शेष 249 कर्मचारियों में से 221 की अपीलों को अस्वीकृत कर दिया गया था और 28 ने कोई अपील नहीं की ।

दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में भवन निर्माण सामग्री के गैर लाइसेंस शुदा स्टोर

3486. **श्री चन्द्रपाल शैलानी** : क्या गृह मंत्री दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में भवन निर्माण सामग्री के गैर लाइसेंसशुदा स्टोर के बारे में 11 जून, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 340 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोपाल नगर, नई दिल्ली का स्टोर कब से चल रहा है और दिल्ली नगर निगम की इस संबंध में सूचना कब मिली थी ;

(ख) उक्त गैर लाइसेंस शुदा भवन निर्माण सामग्री स्टोर के विरुद्ध मुकदमें कब से तथा कौन से न्यायालय में चलाये जा रहे हैं और उस पर लगाये गये जुर्माने की राशि कितनी है ; और

(ग) सरकार द्वारा इस अवैध कब्जे से अपनी भूमि खाली कराने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि दुकान पंजीकरण प्रमाण-पत्र के अनुसार गोपाल नगर में भवन निर्माण सामग्री स्टोर जुलाई, 1975 से विद्यमान है । उपलब्ध रिकार्डों के अनुसार सितम्बर, 1975 में इस-

के कार्यकरण के बारे में एक शिकायत प्राप्त हुई थी। दिल्ली नगर निगम ने यह भी स्पष्ट किया है कि पहले सूचित किए गए 6 अभियोजन जुलाई, 1979 से अप्रैल, 1980 तक की अवधि से संबंधित हैं। स्टोर के विरुद्ध पहले भी अभियोजन कार्यवाईयाँ की गयीं थी। जनवरी, 1977 से स्टोर के विरुद्ध की गई अभियोजन कार्रवाइयों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

चालान सं०	तारीख	न्यायालय का नाम	किया गया जुर्माना	
1	2	3	4	
			रु०	
225368	29-1-1977	श्री आर० सी० चोपड़ा	60.00	7-4-77
240821	2-4-1978	,,	50.00	11-4-78
240822	7-4-1978	,,	50.00	11-4-78
240827	25-5-1978	,,	उपलब्ध नहीं हैं।	
240837	16-8-1978	,,		
275001	6-7-1979	श्री एस० एल० मेहता	40.00	17-7-79
275014	16-7-1979	,,	50.00	17-7-79
285904	29-1-1980	,,	50.00	3-3-80
285908	29-1-1980	,,	50.00	3-3-80
291505	15-2-1980	,,	40.00	9-6-80
291580	26-4-1980	,,	40.00	9-6-80
4103	21-6-1980	,,	अभी तक निर्णय नहीं हुआ।	

दिल्ली नगर निगम अधिनियम के अधीन कार्रवाई की गई है और समय-समय पर मुकदमें चलाये गये हैं।

तमिलनाडु में बक्तरबन्द कार्मिक वाहक (आरमर्ड पर्सोनल कैरियर) के लिए कारखाना

3487. **श्री थाभ्भाई एम० करुणानिधि** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तमिलनाडु राज्य में "वख्तरबंद कार्मिक वाहक" (आरमर्ड परसोनल कैरियर) के लिये कारखाना आरम्भ करने का विचार है और यदि हाँ, तो यह कब तक आरम्भ हो जायेगा और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ख) भारत में ऐसे कितने कारखाने काम कर रहे हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) और (ख) : इन सूचनाओं को प्रस्तुत करना लोक हित में नहीं होगा।

सीमेंट परियोजनाओं का चालू न किया जाना

3488. **श्री महमूद हसन खाँ** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सीमेंट निगम की परियोजनाएं निर्धारित समय पर चालू नहीं की जा रही है, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और प्रत्येक परियोजना के उत्पादन और उसके चालू होने की वर्तमान स्थिति क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) संशोधित अनुसूची के अनुसार सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया की तीन परियोजनाएं चालू की जा रही हैं।

(ख) तीनों परियोजनाओं तथा नीमच (मध्यप्रदेश), अकलतरा (मध्य प्रदेश) यारगुन्तला (आन्ध्र प्रदेश), की चालू करने की अनुसूची को प्रमुख संभरण कर्त्ताओं द्वारा उपकरणों के भेजे जाने में पर्याप्त बिलम्ब तथा भेजे गए कुछ उपकरणों के सम्बन्ध में कार्यस्थल पर जरूरी काम में सुधार करवाने के कारण संशोधन करना पड़ा था। नीमच में जनवरी, 1980 में क्लिंकर का उत्पादन शुरू कर दिया था और अकेलंतरा में मई, 1980 में। इन परियोजनाओं में क्रमशः जुलाई, 1980 तथा अक्तूबर, 1980 तक सीमेंट का उत्पादन शुरू होने की आशा है। यारगुन्तला में क्लिंकर का उत्पादन अगस्त/सितम्बर, 1980 तक तथा सीमेंट का उत्पादन दिसम्बर, 1980 तक शुरू हो जाने की आशा है।

मशीन टूल्स फैक्ट्री में पूंजी निवेश

3489. **श्री रामजी भाई बी० मावणि** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भावनगर गुजरात में सरकारी क्षेत्र के संस्थान मशीन टूल्स फैक्ट्री के शुरू होने से अब तक आवर्ती और अनावर्ती कितनी पूंजीगत और गैर-पूंजीगत धनराशि लगाई गई है और उसका फैलाव किया गया है ;

(ख) उनकी स्थापना के समय से लेकर अब तक इसमें उत्पादित विभिन्न मदों का किस-किस वर्ष में उत्पादन किया गया ;

(ग) इस कारखाने में कितने-कितने श्रमिक, कर्मचारी और अधिकारी नियुक्त किए गए; और

(च) उपरोक्त अवधि के दौरान वर्ष-वार वेतन, बोनस अन्य उपलब्धियों और समवोपरी भत्ते के रूप में कितनी-कितनी धनराशि का भुगतान किया गया ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) ; मैं० गुजरात स्टेट मशीन टूल्स कारपोरेशन लिमिटेड जो गुजरात सरकार का उपक्रम है, को कुछ प्रकार के मशीनी औजारों के निर्माण के लिए भावनगर, में एक नया औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के लिए 29 अगस्त, 1975 को एक औद्योगिक लाइसेंस दिया गया था। परियोजना पर कुल 553 लाख रु० की पूंजी व्यय की गई है और 100 लाख रु० की कार्यसंचालन पूंजी का पूरी तरह उपयोग कर दिया गया है।

(ख) कम्पनी ने 1979-80 के मध्य से उत्पादन करना शुरू किया और 96 सेन्टर लेथों का उत्पादन किया। 1980-81 की प्रथम तिमाही में कम्पनी ने इस प्रकार की और 55 मशीनों का उत्पादन किया है।

(ग) 30 जून, 1980 को कम्पनी में कुल 483 कर्मचारी थे जिनमें से 315 श्रमिक, 117 प्रशिक्षणार्थी और 51 पर्यवेक्षक तथा अधिकारी थे।

(घ) 1975-76 में 2.38 लाख रु०, 1976-77 में 3.12 लाख रु०, 1977-78 में 4.35 लाख रु०, 1978-79 में 10.12 लाख रु०, 1979-80 में 20.85 लाख रु० और 1980-81 की प्रथम तिमाही में 7 लाख रु० कुल परिलब्धियों के रूप में दिए गए थे। अभी कोई बोनस नहीं दिया गया है।

वैद्यलिंगम आयोग की रिपोर्ट

3490. **श्री भगवान देव** : क्या गृह मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) सी० ए० वैद्यलिंगम जाँच आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर सरकार का क्या अनवर्ती कार्यवाही करने का विचार है ;

(ख) क्या सरकार ने उन व्यक्तियों के विरुद्ध कोई और कार्यवाही की है, जिनके विरुद्ध रिपोर्ट में और कार्यवाही करने के लिए सिफारिश की गई ; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) सरकार अभी तक न्यायमूर्ति सी० ए० वैद्यलिंगम के प्रतिवेदन पर की जाने वाली अनुवर्ती कार्रवाई के सम्बन्ध में किसी निर्णय पर नहीं पहुंची है।

बंगलौर और गाजियाबाद स्थित भारत इलेक्ट्रोनिक्स का कार्यकरण

3491. **श्री ए० के० राय** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत दो वर्षों से गाजियाबाद स्थित भारत इलेक्ट्रोनिक्स लि० का एकक घाटे में चल रहा है जबकि बंगलौर स्थित इसका एकक लाभ कमा रहा है, यदि हाँ, तो ब्यौरेवार तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या उक्त दोनों एककों के बीच मशीनों द्वारा उत्पादन अथवा श्रमिकों द्वारा उत्पादन में कोई अन्तर है, यदि हाँ, तो ब्यौरेवार तथ्य क्या हैं और क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी हाँ। भारत इलेक्ट्रोनिक्स बंगलौर, जहाँ 1956 से उत्पादन शुरू हुआ, एक सुव्यवस्थित उपक्रम है और पिछले कई वर्षों से लाभ दिखाता आ रहा है। भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड के गाजियाबाद यूनिट में सितम्बर 1973 से उत्पादन शुरू हुआ लेकिन यह अभी तक लाभ कमाने की स्थिति में नहीं आया है। इस यूनिट में बनाये जाने वाले मिश्रित उत्पादों के जटिल स्वरूप और उत्पादन कार्य सुव्यवस्थित करने में लगने वाले समय को देखते हुए यहाँ शुरू के वर्षों में हानि होने की पहली ही आशा की गई थी। सितम्बर 1979 में यहाँ अभूतपूर्व बाढ़ आने, 59 दिन की तालाबंदी और बिजली की भारी कमी के कारण पिछले दो वर्षों में उत्पादन में भारी हानि हुई जिससे इस यूनिट में लाभ कमाने की स्थिति में और विलंब हो गया है।

(ख) भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड बंगलौर में इलेक्ट्रानिकी उपकरण और संघटक दोनों का निर्माण होता है जबकि इसकी गाजियाबाद यूनिट में केवल इलेक्ट्रानिकी उपकरणों का ही निर्माण किया जाता है। दोनों यूनिटों में मशीनों तथा श्रमिकों की उत्पदकता इसी प्रकार के कार्यों के लिए एक-सी है।

गैर-सरकारी सीमेंट स्टाकिस्ट द्वारा सीमेंट उठाया जाना

3492. **श्री एन० डेनिस** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि गैर-सरकारी सीमेंट स्टाकिस्ट को अब बिना किसी एजेन्सी करार के आवंटित स्टाक को सीमेंट कारखाने से उठाना पड़ेगा,

(ख) क्या सरकार का विचार वही पहले वाली प्रथा को अपनाने का है जिसके अन्तर्गत गैर-सरकारी स्टाकिस्ट आवंटित सीमेंट उस सीमेंट कारखाने से उठा सकते हैं जिसके साथ उनका एजेन्सी करार है; और

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि गैर-सरकारी सीमेंट स्टाकिस्ट को आवंटित स्टाक सीधे उस कारखाने से जिसके साथ उसके एजेन्सी करार हैं, उठा लेने की छूट देने की प्रथा से सीमेंट उठाने और जनता को उसके वितरण की प्रक्रिया में शीघ्रता आ जायेगी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) 16 राज्य सरकारों तथा 3 केन्द्रशासित क्षेत्रों ने सीमेंट के स्टाकिस्टों को सीमेंट के उत्पादकों से अलग करके सीमेंट का सार्वजनिक वितरण अपने हाथ में ले लिया है।

(ख) यह मुख्य रूप से राज्य सरकारों/केन्द्र क्षेत्र प्रदेशों पर निर्भर करता है कि वे सीमेंट के सार्वजनिक वितरण पर उपयुक्त नियंत्रण रखने के लिए जो भी प्रणाली अपनाना आवश्यक समझें उसे अपनाएँ।

(ग) सीमेंट के सार्वजनिक वितरण को अपने हाथ में लेने के लिए किसी भी राज्य सरकार/केन्द्रशासित क्षेत्र से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

सरकारी क्षेत्र के उद्योगों की स्थापना

3493. **श्री के० ए० राजन (श्री पी० के० कोडियन)** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान केरल में आल इण्डिया यूथ फैडरेशन के सक्रिय कार्यकर्ताओं द्वारा की गई उस सामूहिक विरोध कार्यवाही की ओर दिलवाया गया है जिसका आयोजन आकाशवाणी, डाक ओर तार कार्यालयों आदि के सामने धरना देकर तथा रेलगाड़ियों आदि को रोककर, केन्द्र सरकार द्वारा कैपरोलेक्टम प्रोजेक्ट एरोमैटिक प्लांट रेलवे कोच मैनुफैक्चरिंग फैक्ट्री, रेलवे वर्कशाप आदि जैसे सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को वहाँ न लगा राज्य की पूर्ण उपेक्षा करने के विरुद्ध लिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्रीय सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

लिबिया में बिजलीघर करार पूरा करने में विलम्ब के लिए भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड पर जुर्माना

3494. **श्री आर० के० महालगी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उपक्रम भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को लिविया में बिजली घर का अपने करार पूरा करने में विलम्ब के लिए 10.5 करोड़ रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा ;

(ख) क्या यह सच है कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड सिविल ठेकेदारों ने 7 करोड़ रुपये का और दावा किया है जिससे सिविल ठेके पर ही 30 करोड़ रुपये की कुल हानि हुई है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि ब्रिटिश कंसलटेंट्स "कैनेडी एण्ड डोकिन" द्वारा टर्बाइन ब्लेडिंग का कार्य अस्वीकार कर दिया गया है और क्या इससे 13.6 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत से टर्बाइन ब्लेडिंग रेडिओन प्राप्त करना जरूरी हो गया है ;

(घ) क्या इस हानि का कारण यह है कि प्रारम्भ में हम अपनी तकनीकी जानकारी तीसरे विश्व में बहुत सस्ती बेच रहे हैं ;

(ङ) क्या सरकार ने तीसरे विश्व के देशों में हमारी परियोजनाओं में इस प्रकार की भारी हानि से वचत के लिए कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किये हैं अथवा निर्धारित करने का विचार है ; और

(च) यदि हाँ, तो वे मार्गदर्शी सिद्धान्त क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, नहीं ।

(ख) सिविल कार्यों के लिए बी० एच० ई० एल० के उप-ठेकेदारों ने 4 करोड़ रुपये का एक और दावा प्रस्तुत किया है, जिसमें से अब तक 71 लाख रुपया स्वीकार कर लिए गए हैं । इसके साथ-साथ बातचीत के दौरान दर में 75 लाख रुपया की कटौती की गई है ।

(ग) जी. ई. सी., यू. के. द्वारा इसी प्रकार के ब्लेडों पर किए गए कुछ परीक्षणों के आधार पर उन्होंने त्रिपोली वेस्ट पावर स्टेशन को जिन टर्बाइन ब्लेडों की सप्लाई की थी, जी. ई. सी., यू. के. ने उनके बदले में नये ब्लेड लगाए थे । ब्लेडों को बदलने का निर्णय जी. ई. सी. और बी. एच. ई. एल. ने संयुक्त रूप से किया था और परामर्शदाताओं ने इन ब्लेडों को रद्द नहीं किया था । रि-ब्लेडिंग का सारा काम जी. ई. सी., यू. के. के द्वारा मुफ्त किया गया था ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) तथा (च) भारतीय फर्मों द्वारा विदेशों में निष्पादित की जा रही बड़े मूल्य की संविदाओं को विदेशी परियोजना विकास समिति, संबंधित मंत्रालयों और आई. डी. बी. आई. द्वारा वास्तविक तथा वित्तीय दोनों दृष्टियों से प्रगति को मानीटर किया जाता है और जहां आवश्यक हो सुधार के लिए कार्रवाई करने की सिफारिश की जाती है ।

त्रिपुरा कर्मचारी समन्वय समिति द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन

3495. **श्री अजय विश्वास** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा कर्मचारी समन्वय समिति ने वर्ष 1979 में प्रधान मंत्री को कोई ज्ञापन दिया था ;

(ख) यदि हाँ, तो इस ज्ञापन में की गई मांगें क्या हैं ; और

(ग) ये मांगें पूरी करने के लिये अब तक क्या कदम उठाए गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) त्रिपुरा कर्मचारी समन्वय समिति की तरफ से एक ज्ञापन जो प्रधान मंत्री को संबोधित किया गया था अगस्त, 1979 में प्राप्त हुआ था। इसमें महंगाई भत्ते के लिए राष्ट्रीय सूत्र, राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन की पुनः संरचना के लिए राष्ट्रीय वेतन आयोग, बोनस, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने, अनिवार्य जमा योजना की रोकी हुई राशि देना, ड्यूटी के घंटे निर्धारित करना आदि जैसी मांगें निहित थीं।

राज्य सरकार अपने कर्मचारियों की माँगों पर कर्रवाई करने के लिए सक्षम प्रधिकारी है। फिर भी अभ्यावेदन में दिए गए मुद्दों को नोट कर लिया गया था।

पुलिस बल में वृद्धि

3496. **श्रीमती प्रमिला दंडवते** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पुलिस बल में वृद्धि की है ;

(ख) वर्तमान जनसंख्या की तुलना में पुलिस बल का अनुपात क्या है ;

(ग) 1947 में जनसंख्या की तुलना में पुलिस बल का अनुपात क्या था ;

(घ) क्या पुलिस बल में वर्तमान वृद्धि 1947 में प्रवृत्त अनुपात के अनुरूप है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) वर्ष 1976 और 1977 के अतिरिक्त पुलिस बल में सामान्यः निरन्तर वृद्धि हुई है। वास्तव में 1947 की पुलिस बल की वृद्धि की तुलना में 1977 में पुलिस बल में 101.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

(ख) जनसंख्या की तुलना में वास्तविक पुलिस बल का अनुपात 1977 के दौरान प्रति 10,000 की जनसंख्या के पीछे 12.3 पुलिसमैन था।

(ग) 1947 में जनसंख्या की तुलना में स्वीकृत पुलिस बल की संख्या का अनुपात प्रति 10,000 की जनसंख्या के पीछे 11.1 थी।

(घ) अनुमानित मध्य वर्ष की जनसंख्या में 1947 से 1977 तक वृद्धि का रुख देखा गया है। इसी प्रकार वर्ष 1976 और 1977 के अतिरिक्त पुलिस बल की संख्या में भी निरन्तर वृद्धि हुई है। किन्तु जनसंख्या की तुलना में पुलिस बल का अनुपात 1947 से 1977 तक लगभग वही रहा और प्रति 10,000 की जनसंख्या के पीछे 11.1 से 13.3 पुलिसमैनों की व्यवस्था रही। किन्तु यह अनुपात 1947 की तुलना में 1977 में 10.8 प्रतिशत बढ़ गया।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

तारापुर के लिए यूरेनियम की सप्लाई का वैकल्पिक प्रबन्ध

3497. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान और मद्रास में परमाणु विद्युत जैनरेटर के दूसरे यूनिट के तैयार हो जाने के बाद सरकार देशी कच्चे माल की सहायता से ही विद्युत का उत्पादन करने में समर्थ होगी, और

(ख) क्या सहारनपुर में पाई गई यूरेनियम अयस्क जादुगुडा की अयस्क से बेहतर है ?

प्रधानमंत्री (श्रीमती इंदिरा गाँधी) : (क) जी हाँ। राजस्थान और मद्रास परमाणु विद्युत परियोजनाओं के लिए आवश्यक ईंधन भारतीय कच्चे माल से भारत में ही तैयार किया गया है।

(ख) सहारनपुर जिले में यूरेनियम की विद्यमानता का पता हाल ही में लगा है। अयस्क के ग्रेड की जानकारी विस्तार से समन्वेषण करने के बाद ही मिल सकेगी। अतः जादुगोडा में मिलने वाली अयस्क की तुलना इस अयस्क से करना अभी संभव नहीं है।

सीमेंट के (फैक्ट्री से बाहर के) मूल्य में वृद्धि का प्रस्ताव

3498. **श्री नवीन रवाणी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सीमेंट के (फैक्ट्री से बाहर के) मूल्यों में वृद्धि करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इसके लिए बाध्यकारी कारण क्या हैं; और

(ग) फैक्ट्री से बाहर के मूल्य पिछली बार कब निर्धारित किए गए थे और सीमेंट उत्पादकों ने मूल्य-वृद्धि के क्या कारण बताए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (चरणजीत चानना) : (क) से (ग) सीमेंट उद्योग संबंधी उच्चस्तरीय समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर सरकार ने सीमेंट उत्पादकों के लिए 3 मई, 1979 को संशोधित संधारण मूल्य की घोषणा की है। उच्चस्तरीय समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि जहाँ वेतन, मजदूरी, कोयले के मूल्यों तथा भाड़े बिजली प्रशुल्क, स्टोर तथा अतिरिक्त हिस्से पुर्जों के संबंध में उतार-चढ़ाव हुए हों वहां इन वृद्धियों की व्यवस्था करने के लिए तिमाही समीक्षा की जानी चाहिए। सरकार ने तिमाही समीक्षा करने की सिफारिश को मानने की सहमति नहीं दी थी और यह निर्णय लिया था कि संधारण मूल्यों की केवल वार्षिक आधार पर ही समीक्षा की जानी चाहिए।

उपयुक्त औद्योगिक आधार के निर्माण में वियतनाम को सहायता का प्रस्ताव

3499. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वियतनाम में उपयुक्त औद्योगिक आधार के निर्माण के लिए वियतनाम को सहायता देने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उन क्षेत्रों को चुन लिया गया है जिनके लिए भारत सहायता देगा; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) वियतनाम के विदेश व्यापार मंत्री और भारत के उद्योग राज्य मंत्री के बीच अप्रैल, 1980 में हुए विचार-विमर्श के दौरान वियतनामी पक्ष ने बताया कि भारत सीमेंट, वस्त्र, विद्युत जनित्रण और वितरण, खनन, इंजीनियरी उद्योगों, ट्रैक्टर और कृषि उपकरणों, डीजल इन्जनों, मत्स्य-नौकाओं और मछली पकड़ने की नावों, कागज, चीनी मिट्टी के बर्तनों, सिगरेटों और निर्यात पर आधारित उद्योगों जैसे क्षेत्रों में वियतनाम की सहायता कर सकता है।

(ख) तथा (ग) वियतनामी पक्ष से अनुरोध किया गया था कि वह अपनी विकास योजनाओं में परिकल्पित विशिष्ट कार्यक्रमों को बताएं ताकि सहयोग को विशिष्ट प्राथमिकताओं, सम्भावनाओं, परियोजनाओं और रीतिविधियों का पता लगाने की दृष्टि से दोनों पक्षों के विशेषज्ञों द्वारा विचार-विमर्श किया जा सके।

पालम हवाई अड्डे पर श्री और श्रीमती संजय गांधी को रोका जाना

3500. **श्री जगदीश टाइटलर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच नहीं है कि श्री संजय गांधी और श्रीमती मेनका गांधी को पालम हवाई अड्डे पर, जब वे इण्डियन एयरलाइन्स की उड़ान संख्या आई० सी० 181, जिसे 1 जुलाई, 1977 को प्रातः 9.25 पर जाना था, द्वारा बम्बई जा रहे थे, रोक लिया गया था;

(ख) क्या यह भी सच नहीं है कि उनका इस तरह से रोका जाना गृह मंत्री और दिल्ली पुलिस के उच्च अधिकारियों सहित गृह मंत्रालय और इसके अधिकारियों द्वारा जारी किये गये अनुदेशों पर आधारित था;

(ग) क्या यह भी सच नहीं है कि इस बारे में 2 जुलाई, 1977 को लोक सभा में तत्कालीन गृह मंत्री, श्री चरणसिंह द्वारा दिया गया वक्तव्य तथ्यों पर आधारित नहीं था; और

(घ) इस प्रकार अनुचित रूप से रोके जाने की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) : जी हां, श्रीमान्।

(ख) उनका रोका जाना, दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा एयरपोर्ट सुरक्षा, पालम, को दिए गए निर्देशों पर आधारित था।

(ग) प्रश्न के (क) और (ख) भागों के उपर्युक्त उत्तरों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि तत्कालीन गृह मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य में सही तथ्यों का वर्णन नहीं था।

(घ) वर्तमान सरकार ने इस प्रकार अनुचित रूप से रोकने के कोई निर्देश जारी नहीं किए हैं।

जी० आर० ई० एफ० के सीमा सड़क कर्मचारी

3501. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नौवहन और परिवहन मंत्रालय द्वारा यह स्पष्ट किये जाने के बाद भी जी० आर० ई० एफ० के सीमा सड़क कर्मचारी सिविल सेवा नियमों से शासित हैं; उन पर निरीक्षण करते समय सैनिक अधिकारी, सेना अधिनियम, 1950 तथा सेना नियम, 1954 द्वारा उनको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं ।

(ख) उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए सैनिक अधिकारियों द्वारा तेजपुर केन्द्रीय कारागार में कितने सीमा सड़क कर्मचारी रखे गये हैं; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार उन कर्मचारियों को मुक्त करने के लिए कार्यवाही करने का है ?

रक्षा मंन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जनरल रिजर्व इन्जीनियर्स फोर्स में मुख्य रूप से सिविलियन कर्मचारी हैं और कुछ रक्षा सेवाओं से प्रतिनियुक्ति पर लिए गए कार्मिक हैं । ऐसे मामलों को छोड़कर जहाँ अन्यथा व्यवस्था की हुई है, यहां के सिविलियन कर्मचारियों पर वही सिविल सेवा नियम लागू होते हैं जो रक्षा सेवाओं में गैर-औद्योगिक सिविलियनों पर लागू हैं । इसके साथ-साथ अनुशासन की दृष्टि से सेना अधिनियम 1950 तथा सेना नियम 1954 के कुछ उपबन्ध भी उन पर लागू किए गए हैं । इन नियमों में प्रत्यायोजित अनुशासनिक कार्यवाही संबंधी शक्ति का उपयोग इस इंजीनियर्स फोर्स के सैनिक तथा सिविल अधिकारियों द्वारा किया जाता है ।

(ख) तथा (ग) कोर्ट मार्शल कार्रवाइयों के अनुसरण में सेंट्रल जेल, तेजपुर में 25 सिविलियन कर्मचारी भेजे गए हैं । इनमें से तीन कर्मचारी सजा की अवधि पूरी करने के बाद छोड़ दिये गये हैं और राज्य सरकार ने 18 कर्मचारियों को सिविल जेल, वाराणसी में स्थानान्तरित कर दिया है । सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करना नही चाहती ।

उत्तर बिहार में खोई पर आधारित कागज उद्योग

3502. **श्री हरिनाथ मिश्र :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान नेशनल कौंसिल आफ अप्लाइड रिसर्च द्वारा 1967 में प्रकाशित "चौथी योजना के लिए औद्योगिक कार्यक्रम बिहार" शीर्षक वाले शोध पत्र की ओर दिखाया गया है;

(ख) क्या उत्तर बिहार के औद्योगीकरण के संदर्भ में उच्च प्रकाशन में यह निष्कर्ष निकलता है कि "देश में खोई पर आधारित कागज मिलों की स्थापना के लिए उत्तर बिहार की स्थिति उत्तम है;

(ग) क्या यह सच है कि बिहार में गंगा के उत्तर का क्षेत्र अत्यधिक घना बसा हुआ है और वहाँ प्रायः कोई उद्योग नहीं है और उसकी प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे कम है; और

(घ) यदि उक्त भाग (क), (ख) और (ग) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो तीन करोड़ से भी अधिक लोगों से बसे हुए उत्तर बिहार क्षेत्र में खोई पर आधारित कागज मिलों की स्थापना के लिए क्या कार्यवाही की गयी है अथवा करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (ग) जी हां। यह स्वीकार कर लिया गया है कि उत्तरी बिहार औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है और वहां खोई पर आधारित कागज संयंत्र स्थापित करने के लिए संसाधन उपलब्ध है।

(घ) हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन ने खोई जिसे उत्तरी बिहार के बेतिया के आसपास की चीनी मिलों से प्राप्त किया जा सकता है, के उपयोग से एक कागज/अखबारी कागज के संयंत्र की स्थापना करने की संभावनाओं की जाँच की है और संभाव्यता पूर्व प्रतिवेदन भी तैयार कर लिया गया है। खोई के लिए चीनी मिलों को देय रायल्टी तथा खोई फायर्ड बायलरों को कोयला फायर्ड बायलरों में परिवर्तित करने में आने वाली लागत का लेखा लगाने तथा बायलरों की परिवर्तित करने तथा योजना के लिए उपलब्ध खोई की मात्रा के विषय में राज्य सरकार द्वारा चीनी मिलों से बातचीत करने के उपरान्त ही प्रस्ताव की लाभप्रदता का ब्यौरा दिया जा सकता है।

हरिजनों और आदिवासियों के लिए सामुदायिक केन्द्र

3503. **श्री कुंवर राम** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गाँवों में हरिजनों और आदिवासियों के लिए सामुदायिक केन्द्र स्थापित करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हाँ, तो योजना का ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों के अन्तर्गत हरिजनों और आदिवासियों के लिए गाँवों में सामुदायिक केन्द्रों के निर्माण करने की कोई विशिष्ट योजना नहीं हैं। तथापि कुछ राज्य सरकारें इस प्रकार की योजनाओं को अपनी जनजाति उपयोजना और विशेष संघटक योजना में सम्मिलित करती हैं, जिन्हें मुख्यत: राज्य योजना स्रोतों से धन दिया जाता है और गृह मंत्रालय की विशेष केन्द्रीय सहायता द्वारा पूरक सहायता दी जाती है। योजना का ब्यौरा अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होता है।

उर्दू को मान्यता देने की मांग

3504. **श्री भीकूराम जैन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचार पत्रों में छपे उन समाचारों की ओर आकृष्ट किया गया है जिनमें उर्दू को राज्यों में दूसरी भाषा के रूप में मान्यता दिए जाने की मांग की गई है ; और

(ख) उर्दू को पूरा दर्जा दिए जाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

जम्मू व काश्मीर में उर्दू पहले ही राजभाषा है। आन्ध्र प्रदेश के तेलगू क्षेत्र में यह दूसरी राजभाषा है। हाल में प्रेस में यह प्रकाशित हुआ है कि बिहार सरकार ने सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, कटिहार, पूर्णिया और भागलपुर जिलों में उर्दू को दूसरी राजभाषा के रूप में घोषित किया है। अगस्त, 1961 में हुए मुख्य मंत्रियों और केन्द्रीय मंत्रीयों के सम्मेलन में तैयार किए गए मानदंड के अनुसार उर्दू को सरकारी प्रयोजनों के लिए अल्पसंख्यक भाषाओं की मान्यता के लिए कहीं भी राजभाषा का दर्जा दिया जा सकता है। सम्मेलन द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार यदि किसी राज्य की लगभग 70 प्रतिशत या इससे अधिक जनसंख्या एक भाषा बोलती है तो उसे एक भाषी राज्य समझा जाता है और यदि वहां पर्याप्त अल्पसंख्यक हों जो उस राज्य की जनसंख्या का 30 प्रतिशत या उससे अधिक बनता हो, तो ऐसे राज्य को द्विभाषी राज्य समझा जाता है। जिला स्तर पर जहां 60 प्रतिशत जनसंख्या राज्य की राजभाषा के अलावा कोई अन्य भाषा बोलती है या प्रयोग करती है, तो अल्पसंख्यक वर्ग को उस भाषा को एक राजभाषा के रूप में मान्यता दी जाती है।

2. भारत सरकार का अब सम्पूर्ण मामले का पुनरीक्षण करने का विचार है।

पेट्रोल के बदले ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत

3505. श्री प्रताप भानु शर्मा
श्री एस० ए० रहीम } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार पेट्रोल के बदले ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के विकास के लिए प्रोत्साहन दे रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

(ग) क्या राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला को इस दिशा में आगे बढ़ने का आदेश दे दिया गया है; और

(घ) इस अनुसंधान और विकास कार्यक्रम पर सरकार का विचार कितनी पूंजी निवेश करने का है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी०पी०एन० सिंह) : (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(घ) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के 1980-81 के लिए बजट में नया ऊर्जा स्रोत के समस्त क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कार्य के लिए 225 लाख रुपये का विनिधान किया गया है।

विवरण

व्यापक संभावी अनुप्रयोगों के लिए, इनमें वे भी शामिल हैं जिनके लिए इस समय पेट्रोल इस्तेमाल किया जा रहा है सौर ऊर्जा को इस्तेमाल करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियों के विकास को सरकार द्वारा उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है। इनमें से अधिकांश कार्यक्रम अभी अनुसंधान, विकास और प्रदर्शन की अवस्थाओं पर है। इनके किसी उल्लेखनीय पैमाने पर इस्तेमाल किए जाने से पूर्व अभी और अनुसंधान और विकास कार्य आवश्यक होगा।

परिवहन के क्षेत्र में पेट्रोलियम का प्रमुख उपयोग डीजल से चलने वाले इंजन के लिए और पेट्रोल और डीजल के रूप में सड़क परिवहन गाड़ियों के लिए होता है। इस क्षेत्र में सौर ऊर्जा के लिए प्रमुख प्रत्यक्ष योगदान कर पाना कठिन होगा। परिवर्तन रेलरोड प्रणाली के विद्युतीकरण, सड़क द्वारा लम्बे रास्ते पर ढुलाई की बजाए रेल द्वारा उसकी ढुलाई, छोटे-छोटे फासलों के लिए बैटरी चालित गाड़ियों का उपयोग और ईंधन के रूप में अल्कोहल के इस्तेमाल की संभावना। जीव भार के रूपांतरण से अल्कोहल पैदा किया जा सकता है जिसे सौर ऊर्जा के आधार पर प्रकाश संश्लेषण द्वारा पैदा किया जा सकता है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने एक राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया है ताकि जीवभार के उत्पादन और जीवभार के ईंधन के रूप में रूपांतरण से संबंधित अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों का परीक्षण, अभिनिर्धारण और निर्माण किया जा सके। दो परियोजनाओं को कार्यान्वयन के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टैक्नोलोजी, दिल्ली में हाथ में लिया गया है। इनमें से मीथेन से मीथानोल के जीव रूपांतर और दूसरी सैल्यूलोजी सामग्री के ईथानोल में परिवर्तन का अध्ययन करने से संबंधित है। साथ ही इंडियन इंस्टीट्यूट आफ पेट्रोलियम के साथ संयुक्त रूप से नेशनल वोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ में विज्ञान और प्रोद्यौगिकी विभाग द्वारा संभावी पेट्रो फसलों (लेटैक्स पैदा करने वाले पादपों) के श्री गणेश, संवीक्षा और कृषि के लिए और इस लेटैक्स को पेट्रोलियम हाइड्रो कार्बनों के रूप में परिवर्तित करने की एक परियोजना का आरंभ किया गया है।

बैटरी चालित गाड़ियों के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को हाथ में लिया गया है। अन्ततः व्यापक रूप से पेट्रोल/डीजल से चलने वाली गाड़ियों का स्थान ले सकें। वेहीकल्ज रिसर्च एंड डिवेल्पमेंट इस्टैब्लिशमेंट, भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्ज लिमिटेड, रिसर्च, डिज़ाइन एंड स्टैन्डर्ड आर्गनाइजेशन, सैन्ट्रल इलैक्ट्रो कैमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, आदि संस्थाएं इस कार्यक्रम में शामिल रो रही हैं।

एक और दीर्घकालीन संभावना यह है कि हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाए जिसे परिवहन क्षेत्र में पेट्रोलियम के प्रतिस्थापन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने एक हाइड्रोजन ऊर्जा कार्यबल का संगठन किया है ताकि हाइड्रोजन के उत्पादन, भण्डार (संचयन) और उपयोगीकरण से संबधित अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों का अभिनिर्धारण किया जा सके। इस क्षेत्र में कार्य अभी प्रयोगशाला स्तर पर है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने सौर सैलों और माड्यूलों के विकास के कार्य को हाथ में लिया है जो कि सौर ऊर्जा को सीधे ही बिजली में परिवर्तित करते हैं। इस बिजली को डीजल के स्थान पर कृषि पम्पों को चलाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस कार्यक्रम में सैन्ट्रल इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, कई प्रोद्योगिकी संस्थान और अन्य संस्थाएं भाग ले रही हैं।

लोकप्रिय ब्रांड की सिगरेटों की कमी

3506. **श्री एन० ई० होरो** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 जून, 1980 के "स्टेटसमैन" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि राजधानी में लोकप्रिय ब्रांड की सिगरेटों की कमी के कारण धूम्रपान करने वालों को कठिनाई हो रही है और जो कुछेक ब्रांड उपलब्ध हैं वे बहुत अधिक कीमत पर बिक रहे हैं; और

(ख) यदि हां तो क्या सरकार ने उपर्युक्त ब्रांडों के मूल्य में वृद्धि और काले बाजार में उनके उपलब्ध होने के कारणों की जांच की है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणीत चानना) : (क) जी हाँ ।

(ख) एक प्रमुख निर्माता के एकक में श्रमिक समस्याओं के कारण सिगरेटों के उत्पादन में गिरावट आयी है और इसके परिणामस्वरूप बाजार में सिगरेटों की उपलब्धी में गिरावट हुई है। संबधित राज्य सरकार से श्रमिक विवाद का समाधान करने हेतु प्रयत्न करने का अनुरोध कर दिया गया है ।

पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में डानटन में परमाणु बिजलीघर

3507. **श्री नारायण चौबे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में डानटन में एक परमाणु बिजली संयंत्र अथवा कोई अन्य बिजली संयंत्र आरंभ करने के बारे में सरकार के पास कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से 1970-80 दशक के आरम्भ के वर्षों में ऐसा प्रस्ताव प्राप्त हुआ था ; और

(ग) यदि हाँ, तो उक्त प्रस्ताव का क्या हुआ ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी नहीं । सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) जी हां । जुलाई, 1973 में पश्चिम बंगाल की सरकार ने उस राज्य में एक परमाणु बिजली घर स्थापित करने का प्रस्ताव भेजा था ।

(ग) नवम्बर, 1974 में पश्चिम बंगाल राज्य योजना बोर्ड के साथ हुई बातचीत के दौरान बोर्ड को यह सुझाव दिया गया था कि वह यह पता लगाने के लिए विस्तार से अध्ययन करें कि उर्जा संबंधी समग्र क्षेत्रीय और राष्ट्रीय नीति के संदर्भ में उस क्षेत्र की बिजली संबन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ताप-बिजली, पानी-बिजली तथा परमाणु बिजली, तीनों के ही उपयोग की कौन सी व्यवस्था सबसे उपयुक्त तथा सर्वोत्तम रहेगी ।

उड़ीसा राज्य को सीमेंट का आबंटन

3508. **श्री ए० सी० दास** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1977-78, 1978-79 और 1979-80 के दौरान उड़ीसा राज्य को सीमेंट का कितना आबंटन किया गया था;

(ख) क्या उड़ीसा में सीमेंट कारखानों का पूरा उत्पादन बनाए रखने के लिए इस आशय के अनुदेश जारी किए गए थे कि 75% उत्पादन क्षमता के हो जाने के बाद स्टाक का तदर्थ रिलीज राज्य सरकार को किया जाएगा ;

(ग) यदि हां, तो क्या इस आदेश को वापस ले लिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क)वर्ष 1977-78,1978-79 तथा 1979-80 में उड़ीसा राज्य को किया गया सीमेंट आबंटन निम्न प्रकार है—

वर्ष	(मी० टनों में)
1977-78	3,34,450
1978-79	3,55,500
1979-80	4,28,960

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) प्रत्येक सीमेंट कारखाने की पूर्ण प्रत्याशित उत्पादन क्षमता को ध्यान में रखकर पर्याप्त आबंटन बनाई जाती है की योजना अत: उनकी 75% उत्पादन क्षमता पूरी हो जाने के बाद उत्पादन बनाए रखने के लिए तदर्थ आधार पर सीमेंट दिए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

पंजीकृत गृह निर्माताओं को सीमेंट जारी करने का काम स्थगित किया जाना

3509. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजधानी के पंजीकृत गृह निर्माताओं को 16 जून, 1980 से सीमेंट देने का काम स्थगित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) संघ शासित क्षेत्र दिल्ली सहित देश में सीमेंट की सामान्य रूप से कमी है । देश में समग्र रूप से उपलब्ध सीमेंट की मात्रा मांग की तुलना में कम है । दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल के कारण दिल्ली में सीमेंट न पहुंच पाने से स्थिति और गम्भीर हो गई है । अतएव, दिल्ली प्रशासन ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग,

दिल्ली प्रशासन के अन्तर्गत पहले से पंजीकृत गृह निर्माताओं को सीमेंट जारी करना निलम्बित कर दिया है। संघ शासित क्षेत्र दिल्ली नए भवनों के निर्माण के लिए स्वीकृत योजनाओं के पंजीकरण को भी अस्थायी रूप से निलम्बित कर दिया गया है। इन कठिनाइयों को कम करने के लिए दिल्ली प्रशासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण एवं दिल्ली नगर निगम गृह निर्माताओं तथा उनके बारे में जो सीमेंट न मिलने के कारण अपना कार्य पूरा नहीं करा पाए हैं उनसे कोई भी जुर्माना लिए बिना निर्माण की अवधि 6 महीने तक बढ़ा दी जाएगी। दिल्ली प्रशासन कारखानों से सड़क द्वारा सीमेंट मंगाने के हर सम्भव उपाय कर रहा है तथा प्रशासन ने सूचित किया है कि पंजीकृत गृह निर्माताओं को सीमेंट देने का कार्य यथाशीघ्र पुनः आरम्भ कर दिया जाएगा।

होटल उद्योग में विदेशी सहयोग

3510. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या उद्योग मन्त्री 5-स्टार होटलों के सम्बन्ध में विदेशी सहयोग के बारे में 26 मार्च, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1841 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने होटल उद्योग में विदेशी सहयोग के बारे में अपनी नीति बना ली है;

(ख) क्या विदेशी होटलों के साथ सहयोग चाहने वाले आवेदनों पर कोई निर्णय किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्यों द्वारा घाटे से बचने के लिए संसाधनों और व्यय का पुनरीक्षण

3511. **श्री चिरन्जी लाल शर्मा** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने राज्य सरकारों को सम्बोधित करते हुए यह बात कही कि यह सुनिश्चित करने के लिए संसाधनों और व्यय का शीघ्र और व्यापक पुनरीक्षण किया जाना चाहिए कि व्यय को उपलब्ध संसाधनों के साथ उचित प्रकार से समायोजित कर दिया गया है और राज्यों में कोई घाटा नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो राज्यों की (राज्यवार) प्रतिक्रिया क्या है ?

योजना मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) 1980-85 की छठी पंच वर्षीय योजना को तैयार करने के सन्दर्भ में, योजना आयोग ने राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया है कि छठी योजना के लिए ससाधनों का अनुमान लगाते समय योजनेतर व्यय को नियन्त्रित करें, प्राप्तियों में सुधार करें, अधिक आंतरिक संसाधन जुटाएं और घाटे की वित्त व्यवस्था का सहारा न लें।

(ख) राज्यों की प्रतिक्रिया अभी तक मालूम नहीं हुई है।

दीर्घकालीन राष्ट्रीय नीतियां

35।2. **श्री डी० एम० पुत्ते गौडा** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जन-संख्या नियन्त्रण, शिक्षा, स्वास्थ्य और मद्य निषेध के बारे में दीर्घकालीन नीतियां बनाने का है;

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि इन नीतियों के बिना अन्य क्षेत्रों में नियोजन करने के हमारे सभी प्रयास निरर्थक हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या उपाय किए हैं?

योजना मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और जनसंख्या नियन्त्रण जैसे कुछ मूल क्षेत्रों में दीर्घावधि नीतियां शुरू की हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में स्वीकृत की गई थी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, भारत ने अल्मा अता घोषणा के अनुसार "सन् 2000 तक सभी के लिए स्वास्थ्य" का दीर्घावधि लक्ष्य स्वीकार किया है। जहां तक जनसंख्या नीति का सम्बन्ध है, योजना आयोग द्वारा स्थापित किए गए जनसंख्या नीति से सम्बन्धित कार्यकारी दल ने अन्तरिम रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि राष्ट्र को वर्ष 1996 तक औसतन और 2001 तक सभी राज्यों द्वारा एक की निवल जनन दर के दीर्घावधि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वचनबद्ध होना चाहिए। हर हालत में, दीर्घावधि आधार पर जनसंख्या को स्थिर करने की आवश्यकता भारत सरकार द्वारा स्वीकार की गई है और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विशिष्ट कार्यक्रम पंच-वर्षीय योजनाओं में शामिल किए गए हैं।

छठी पंच-वर्षीय योजना का कार्य चल रहा है तथा अर्थ-व्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रकों में दीर्घावधि और मध्यावधि नीतियों की यथा समय समीक्षा की जाएगी।

औद्योगिक विकास के बारे में सेमीनार

35।3. **श्री के० टी० कौसल राम** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिक विकास के सम्बन्ध में बम्बई में आयोजित दो-दिवसीय सेमीनार में क्या-क्या सुझाव दिए गए हैं; और

(ख) यदि उस पर कोई कार्यवाही करने का विचार है तो वह क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) पिछडे क्षेत्रों की विकास सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति की पहल पर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा 16-17 मई, 1980 को एक गोष्ठी का आयोजन किया गया था। गोष्ठी में दिए गए प्रमुख सुझाव निम्नलिखित थे:—

(1) समेलित क्षेत्र का विकास करने के लिये कृषि के विकास के साथ-साथ उद्योगों का निकास करना।

(2) विभिन्न पिछड़े क्षेत्रों को अनेक पिछड़ेपन और क्षमता के स्तर पर आधारित संसाधनों की सम्पन्नता के अनुरूप विकास हेतु विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन देना।

(3) विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहनों की व्यवस्था करने में समन्वय लाना ।

(4) पता लगाये गये सभी पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए समसामयिक दृष्टिकोण अपनाने के बजाय परिणाम सम्बन्धी समर्थन देना ।

(5) आर्थिक और सामाजिक अवस्थापना के विकास की ओर अधिक ध्यान देना ।

(6) पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को ऋण सुविधाएं देने हेतु टण्डन समिति के मानदण्डों में छूट देना ।

(7) औद्योगिकीकरण से पहले अवस्थापना की पर्याप्त व्यवस्था करके सुविचारित विकास केन्द्र का विकास करना ।

(8) सु-निर्मित उद्यमियता विकास कार्यक्रमों के माध्यम से पिछड़े क्षेत्रों में नए उद्यमियों का पता लगाना तथा उनका विकास करना ।

(9) पिछड़े क्षेत्रों में कारीगरों सहित स्थानीय लोगों की कुशलता बढ़ाना ।

(ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक सहित सभी सम्बन्धित अधिकरण पिछड़े क्षेत्रों के विकास सम्बन्धित राष्ट्रीय समिति से प्राप्त तथा सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए उपयुक्त योजनाएं बनायेंगे ।

औद्योगिक अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रमों पर किया गया व्यय

3514. **श्री के० मालन्ना** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान औद्योगिक अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रमों पर किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार ने इस अनुसंधान और विकास व्यय के फलस्वरूप बचाई गई विदेशी मुद्रा का कोई मूल्यांकन अथवा निर्धारण किया है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अनुमति प्राप्त औद्योगिक संस्थांतर्गत अनुसंधान और विकास यूनिटों द्वारा किए गए खर्च के विवरण नीचे दिए गए हैं:—

(करोड़ रुपयों में)

1974-75	1975-76	1976-77	यूनिटों की संख्या
55	68	84	398

(ख) इस अनुसंधान और विकास के व्यय के परिणामस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा बचाई गई इसका ठीक-ठीक मूल्यांकन कर पाना कठिन है । बहरहाल, निजी क्षेत्र में 50 अनुसंधान और विकास यूनिटों के नमूना विश्लेषण के आधार पर यह पता चला है कि विदेशी मुद्रा उतनी ही बचाई गई है जितना कि अनुसंधान और विकास पर खर्च किया गया । यहां इस बात की ओर अवश्य ही संकेत किया जाना चाहिए कि अनुसंधान और विकास का उद्देश्य विदेशी मुद्रा बचाना और आयात प्रतिस्थापन करना है जो कि ऐसा करने का केवल एक लाभ है । अन्य लाभों में

आत्मनिर्भरता, गुणवत्ता सुधार, लागत में कमी, कुशलता में वृद्धि और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप प्रौद्योगिकियों का विकास करना शामिल है ।

वाणिज्यिक वाहनों के चैसिस की लागत

3515. **श्री मोहम्मद असरार अहमद :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में इस लेलैंड/टाटा मर्सडीज और अन्य मेकों के वाणिज्यिक वाहनों (ट्रकों और सवारी वाहनों) के चैसिस की लागत कितनी-कितनी है;

(ख) इन वाहनों के चैसिस के मूल्यों में गत पांच वर्षों के दौरान (वर्षवार) कितनी वृद्धि हुई;

(ग) क्या ये वाहन कुछ अतिरिक्त लाभ का भुगतान किए बिना आसानी से उपलब्ध नहीं हैं; और

(घ) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने और मूल्य कम करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) विवरण-I संलग्न है ।

(ख) विवरण-II संलग्न है ।

(ग) मुख्यतः टैल्को लेलैंड गाड़ियों की एक प्रतीक्षा सूची है, ये ऐसे मेक हैं जो ग्राहकों द्वारा अधिक पसन्द किए जाते हैं । निर्माताओं ने बताया है कि उनके डीलरों द्वारा गाड़ियां प्राधिकृत मूल्यों पर ही ग्राहकों को बेची जाती हैं ।

(घ) सरकार द्वारा अन्तरवस्तुएं देकर तकनीकी सहायता तथा अतिरिक्त क्षमता उत्पन्न करके उत्पादन बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए हैं ।

विवरण-I

कम्पनी का नाम तथा वाहन की किस्म	निर्माताओं द्वारा बताया गया 1-7-1980 को कारखाने से निकलते समय का शुद्ध डीलर मूल्य
	(रुपये)
1. मैं० टाटा इन्जी० एण्ड लोको० कं० लि०	
(1) ट्रक	1,13,197.00
(2) बस	1,08,824.00
2. मैं० अशोक लेलैंड लि०	
(1) कोमेट ट्रक	1,17,832.00
(2) विकिंग/चीता बस	1,18,420.00

1 2	3
3. मैं० हिन्दुस्तान मोटर लि०	
(1) ट्रक	93,140.00
(2) बस	86,673.00
4. मैं० प्रीमियर आटोमोबाइल्स लि०	
(1) एक टन ट्रक	63,792.00
(2) 7.1/2 टन ट्रक	1,07,595.00
(3) एक टन बस	66,237.00
(4) बड़ी बस	1,04,958.00
5. मैं० बजाज टैम्पो लि०	
(1) पिक-अप वैन	44 490.00
(2) मिनी बस	54,290 00
6. मैं० महिंद्रा एण्ड महिंद्रा लि०	
(1) लाइट ट्रक (1.5 टन)	56.400.00
7. मैं० स्टैण्डर्ड मोटर प्रोडक्ट्स आफ इण्डिया लि०	
(1) कैब सहित लाइट चैसिस	43,688.00
(2) मिनी बस	53,328.00

विवरण-II

कम्पनी का नाम तथा वाहनकी किस्म	निर्माताओं द्वारा बतायी गयी प्रति यूनिट मूल्य वृद्धि (रुपये में)				
	1976	1977	1978	1979	1980 (अद्यतन)
1. मैं० टाटा इन्जी० एन्ड लोको० कं० लि०					
(1) ट्रक	शून्य	शून्य	6,606.00	14,008.00	10,500.00
(2) बस	शून्य	शून्य	6,606.00	13,503.00	10,500.00
2. मैं० अशोक लेलैंड लि०					
(1) ट्रक और बस	शून्य	2,000.00	6,175.00	27,025.00	3,587.00
3. मैं० हिन्दुस्तान मोटर्स लि०					
(1) ट्रक	शून्य	3,500.00	6,500.00	17,500.00	शून्य
(2) बस	शून्य	शून्य	4,500.00	17,500.00	शून्य
4. मैं० प्रीमियर आटोमोबाईल लि०					
(1) एक टन ट्रक		पांच वर्षों में कुल वृद्धि			17,411.00
(2) 7.1/2 टन ट्रक		" " " " "			33,194.00
(3) एक टन बस		" " " " "			19,308 00
(4) बड़ी बस		" " " " "			33,157.00
5. मैं० बजाज टैम्पो लि०					
(1) पिक-अप वैन (—)	1,350.00	2,767.00	2,600.00	5,780.00	1,600.00
(2) मिनी बस (—)	1,350.00	3,423.00	2,600.00	7,666.00	2,000.00
6. महिंद्रा एण्ड महिंद्रा लि०					
लाइट ट्रक					
(1 5 टन)	शून्य	1,136.00	शून्य	3,988.00	6,460.00
7. मैं० स्टैंडर्ड मोटर प्रोडक्ट्स आफ इण्डिया लि०					
केब सहित लाइट चैसिस					
तथा मिनी बस	शून्य	शून्य	2,750.00	5,600.00	2,000.00

बीड़ी श्रमिकों के लिए आवास योजनायें

3516. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में लगभग 10 लाख बीड़ी श्रमिक हैं;

(ख) क्या सरकार छठी पंचवर्षीय योजना में उन बीड़ी श्रमिकों के लिए, जिनके पास भूमि और मकान नहीं हैं आवास योजनाओं को शामिल करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है ?

योजना मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) लगभग 6 लाख व्यक्ति बीड़ी के पत्तों को एकत्र करने के काम पर (6 से 8 सप्ताह तक के लिए) लगे हुए हैं और अन्य 1.8 लाख व्यक्ति बीड़ी बनाने के काम पर लगे हुए हैं। ये आंकड़े कारखाना क्षेत्रक से सम्बन्धित हैं। उनके अलावा कारखाने से इतर क्षेत्रक में काफी रोजगार है (लगभग 17 लाख श्रमिक)।

(ख) और (ग) 1980-85 की पंचवर्षीय योजना का प्रारूप योजना आयोग में तैयार किया जा रहा है। सरकारी क्षेत्रक में मौजूदा सामाजिक आवास स्कीमें राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं और वे व्यापार और व्यवसाय पर आधारित न होकर मापदण्ड के रूप में आय पर आधारित हैं। औद्योगिक श्रमिकों और समुदाय के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए एकीकृत आर्थिक सहायता प्राप्त आवास स्कीम 500 रु० प्रति मास से कम आय वाले सभी औद्योगिक श्रमिकों और समुदाय के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए लागू है, जिसमें यह परन्तुक है कि 350 रु० तक की मासिक आय वाले लोगों की धनराशि की आवश्यकता पहले पूरी की जानी चाहिए। इस स्कीम में पूंजी और किराया इन दोनों की ही आर्थिक सहायता के लिए व्यवस्था है। कम आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग की आवास स्कीमों में ब्याज की रियायती दरों पर, उन लोगों के लिए ऋणों की व्यवस्था करने की परिकल्पना है जिनकी मासिक आय क्रमशः 351 रु० से 600 रु० तक और 601 रु० से 1500 रु० तक है।

ग्रामीण क्षेत्रों में जिस ग्रामीण आवास स्थल और आवास निर्माण स्कीम को परिशोधित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य क्षेत्रक में कार्यान्वित की जा रही है उसमें जिन ग्रामीण श्रमिकों के पास अपना प्लाट या मकान नहीं है, उनको मुफ्त में आवास स्थल और निर्माण के लिए प्रति परिवार 500 रु० की परिकल्पना है। इसके अलावा, ग्राम आवास परियोजना स्कीम में गांवों में मकानों के निर्माण और सुधार के लिए राज्य सरकारों से ऋण सहायता की व्यवस्था है। यह ऋण की राशि निर्माण की लागत के 80% तक सीमित है जो प्रति आवास अधिकतम 5,000 रु० हो सकती है।

पिछड़े जिलों का, विशेषकर उड़ीसा में औद्योगिक विकास के लिए सवक्षण

3517. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विशेष रूप से उड़ीसा राज्य के पिछड़े जिलों का औद्योगिक विकास की सम्भावनाओं की दृष्टि से सर्वेक्षण करने का कोई नया प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं, जहां पर सर्वेक्षण किया जा रहा है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) तथा (ख) भारत सरकार जिलों का तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण नहीं कर रही है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक जैसे वित्तीय संस्थानों ने जिन जिलों का औद्योगिक रूप से पिछड़े होने का पता लगाया है, उनमें से कुछ चुने हुए जिलों का ही सर्वेक्षण किया है।

सेना में भर्ती

3518. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेना में भर्ती के इच्छुक उम्मीदवारों को यह कहा जाता है कि वे जिस क्षेत्र के हैं भर्ती के लिए वहीं जाएं;

(ख) क्या यह भी सच है कि पहले ऐसे उम्मीदवारों को किसी भी भर्ती कार्यालय द्वारा भर्ती किया जा सकता था;

(ग) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में फतेहगढ़ में एक बहुत पुराना प्रशिक्षण केन्द्र (राजपूत) है लेकिन इस जिले के उम्मीदवारों को भर्ती के लिए आगरा जाने को कहा जाता है;

(घ) कौन-कौन से जिले उक्त भर्ती केन्द्र से सम्बद्ध हैं;

(ङ) क्या उपर्युक्त (घ) भाग में उल्लिखित जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आगरा में भर्ती की तारीख की जानकारी देने के लिए कोई व्यवस्था की गई है; और

(च) क्या सरकार का विचार फतेहगढ़, उत्तर प्रदेश में एक भर्ती केन्द्र खोलने का है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) से (च) स्वतन्त्रता से पूर्व उम्मीदवारों की भर्ती कार्यालय में कर ली जाती थी। 1953 में सरकार ने यह निर्णय लिया कि भारत के अनेक जोनों से "सभी वर्ग" रेजिमेंटों में भर्ती, उन जोनों की भर्ती योग्य पुरुष जनसंख्या से सम्बन्धित होनी चाहिए। इस निर्णय को ध्यान में रखते हुए "सभी वर्ग" रेजिमेंटों में भर्ती, 17 से 25 वर्ष की आयु वाले भर्ती पुरुष जनसंख्या के आधार पर की जाती है और राज्य की पुरुष जनसंख्या के अनुपात के आधार पर उस राज्य के हिस्से के अनुसार ही भर्ती के लिए मांग भेजी जाती है। यही कारण है कि मैट्रिक पास और अधिक आयु वालों को छोड़कर शेष उम्मीदवार जिस राज्य विशेष के हैं उन्हें उसी राज्य के भर्ती कार्यालय से भर्ती होना जरूरी होता है।

2. जहां तक आगरा के शाखा भर्ती कार्यालय का सम्बन्ध है इसके अन्तर्गत में 10 जिले आते हैं आगरा, अलीगढ़, मैनपुरी, मथुरा, एटा, इटावा, जालौन, झांसी, फर्रुखाबाद और ललितपुर।

3. फतेगढ़ में एक पुराना प्रशिक्षण केन्द्र (राजपूत) है लेकिन इस केन्द्र में भर्ती रेजिमेंट/कोर विशेष के भूतपूर्व सैनिकों तक ही सीमित है। अन्यों की भर्ती, आगरा के भर्ती केन्द्र में की जाती है।

4. सभी भर्ती कार्यालय रेडियो, प्रैस और अन्य एजेंसियों के माध्यम से अपने भर्ती दौरों का प्रचार करते हैं।

5. फतेहगढ़ में भर्ती कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

सीमेंट के निर्माण के लिए निर्धारित स्टेंडर्ड तथा 'स्ट्रेंथ'

3519. **श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न प्रकार के सीमेंट के निर्माण के लिए उसके 'स्टेंडर्ड' और 'स्ट्रेंथ' के सम्बन्ध में क्या विशिष्टियां निर्धारित की गई हैं;

(ख) क्या सीमेंट उन विशिष्टियों के अनुसार अनुपलब्ध है;

(ग) इसकी जांच के लिए सरकार ने क्या प्रतिक्रिया अपनाई है; और

(घ) इस सम्बन्ध में सही विशिष्टियों का पता लगाने में इससे सरकार को कितनी सहायता मिलती है और उसका पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (घ) तीनों प्रमुख वर्गों की सीमेंट अर्थात साधारण पोर्टलैंड सीमेंट (ओ० पी० सी०), पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट (पी० सी० एस०) तथा पोर्टलैंड सीमेंट (पी० पी० सी०) की विशिष्टताएं क्रमशः भारतीय मानक संख्या के 269-1967 आई० एस०, 455-1976-आई० एस० व 1489-1976 के अन्तर्गत आ जाती हैं। इन विशिष्टताओं के अनुसार ओ० पी० सी० तथा पी० एस० एस० की दबाव स्ट्रेंथ (शक्ति) कम से कम 3 दिनों की अवधि के लिए 160 किलोग्राम फोस प्रतिवर्ग सेंटीमीटर की तथा कम से कम सात दिनों की अवधि के लिये 220 किलोग्रामफोर्स प्रतिवर्ग सेंटीमीटर की होती है; जबकि पी० पी० सी० की दबाव की स्ट्रेंथ (शक्ति) सात दिनों के लिए 220 किलोग्राम फोर्स प्रतिवर्ग सेंटीमीटर तथा 28 दिनों के लिये 310 किलोग्राम फोर्स की होती है। किस्म नियन्त्रण आदेश, 1962 के उपबन्धों के अन्तर्गत सीमेंट उत्पादकों को अनुरूप सीमेंट का उत्पादन करना होता है।

कारखानों द्वारा तैयार की गई सीमेंट की जांच उसकी गुणवत्ता का सुनिश्चय करने की दृष्टि से सीमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट की सहायता से की जा रही है।

हरियाणा में मारे गए हरिजन

3520. **श्री सूरज भान** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा में चालू वर्ष के दौरान जिलावार अलग-अलग कितने हरिजन मारे गये व आहत हुए;

(ख) कितने हरिजन चालू वर्ष में यातनाओं और गोली चलाए जाने के परिणामस्वरूप हरियाणा तथा दिल्ली पुलिस द्वारा अलग-अलग मारे गए; और

(ग) प्रत्येक मामले में दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई और भविष्य में इस प्रकार की अमानवीय घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेंद्र मकवाना) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उत्तरी बिहार को औद्योगिक मानचित्र पर लाना

3521. **श्री भोगेंद्र झा** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तरी बिहार को भारत के मानचित्र पर लाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाए जा रहे हैं; और

(ख) बिहार के जिला मधुबनी में पैंडोल में औद्योगिक एस्टेट स्थापित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) छठी पंचवर्षीय योजनावधि में निम्नलिखित परियोजनाएं शुरू करने का विचार है—

1. उत्तरी बिहार चीनी मिल्स बत्रहा द्वारा कागज एकक ।
2. जूट टर्बाइन, किशनगंज परियोजना ।
3. सल्फरिक एसिड परियोजना, बरौनी ।
4. राइस बारन ऑयल फोरबेसगंज ।
5. स्ट्रा एण्ड कार्ड बोर्ड इण्डस्ट्रीज बेलवा, गोपालगंज ।
6. एम० जी० काफ्ट पेपर मिल्स, पुरणिया ।
7. कटिहार पेपर मिल्स, राजेन्द्राग्राम कटिहार ।
8. बूलेन यार्न मिल, हाजीपुर ।
9. मलाथियन प्रोजेक्ट, पुरणिया ।
10. लिखाई व छपाई कागज परियोजना, सहरसा ।
11. पेराक्वेट तकनीकी परियोजना मुजफ्फरपुर ।
12. बुटाचलोर टैक्नीकल परियोजना मुजफ्फरपुर ।
13. काटन यार्न मिल, सिवान ।
14. काटन यार्न मिल, मधुबनी ।

इसके अलावा दरभंगा, मधुबनी, समस्ती पुर, पूर्वी चम्पारन, पश्चिमी चम्पारन, सहरसा मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीमागढ़ी, बेगुसराय, सारन, सिवान, गोपालगंज, पुर्णिया, कटिहार जिलों में उद्यमियों को 15% राजसहायता प्रोत्साहन दिया जाता है ।

विद्यमान औद्योगिक बस्तियों को अवस्थापना सम्बन्धी तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना तथा पहले से लगाए गए एककों के चालू होने तथा नए एककों के निर्माण को स्थगित रखना ही तात्कालिक कार्य है ।

असम आन्दोलन के साथ सहानुभूति प्रकट करने के लिए ताम्रपत्रों का वापस किया जाना

3522. **श्री हरिकेश बहादुर** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे स्वतन्त्रता सेनानियों की संख्या कितनी है, जिन्होंने असम आंदोलन के साथ सहानुभूति प्रकट करने के लिए अपने ताम्रपत्रों को सरकार को वापस दिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : असम सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार असम आंदोलन के साथ सहानुभूति प्रकट करने के लिए 126 स्वतन्त्रता सैनानियों ने अपने ताम्रपत्र लौटा दिए हैं । आंध्र प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र,

उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्य सरकारों से सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है। अन्य राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों ने सूचित किया है कि किसी ने भी अपना ताम्रपत्र वापस नहीं किया।

देश के अविकसित क्षेत्रों की समस्या का अध्ययन

3523. **श्री बृजमोहन महन्ती** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनता शासन के दौरान पिछड़े क्षेत्रों के विकास के बारे में राष्ट्रीय समिति गठित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है; और

(ग) यदि हां, तो समिति की प्रमुख सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ?

योजना मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

स्टेनोग्राफरों को दक्षता वेतन वृद्धि दिया जाना

3524. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में काम करने वाले स्टेनोग्राफरों को 100 और 120 शब्द प्रति मिनट की गति से स्टेनोग्राफी में अर्हता परीक्षाएं पास करने पर दक्षता वेतन वृद्धियां नहीं मिलती;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) ऐसे हिन्दी स्टेनोग्राफरों की संख्या कितनी है जिनको इस प्रकार की गति परीक्षा पास करने पर दक्षता वेतन वृद्धियां मिल रही हैं; और

(घ) उन मन्त्रालयों और अधीनस्थ कार्यालयों के नाम क्या हैं जिनमें ऐसी परीक्षाएं ली जाती हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) तृतीय वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसरण में, जिसे सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया था, अधीनस्थ कार्यालयों (जो केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा में भाग नहीं ले रहे) में कार्य कर रहे आशुलिपिकों (साधारण ग्रेड) को दक्षता वेतन वृद्धियां स्वीकृत की गई हैं। केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा में भाग ले रहे मन्त्रालयों/विभागों में कार्यरत आशुलिपिकों के सम्बन्ध में आयोग द्वारा ऐसी कोई सिफारिश नहीं की गई थी। इस प्रकार उन्हें दक्षता वेतन-वृद्धियां नहीं दी जाती।

(ग) और (घ) सभी मंत्रालयों/विभागों से अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय सदन के पटल पर इसका विवरण रखा जाएगा।

सिक्किम में केन्द्रीय अधिनियमों को लागू किया जाना

3525. **श्री निहाल सिंह** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिक्किम के भारत संघ में विलय के बाद वहां लागू 75 केन्द्रीय अधिनियमों का ब्यौरा क्या है और वहां मार्च, 1979 से कोई अन्य अधिनियम भी लागू किए गए हैं और यदि हां, तो इन केन्द्रीय अधिनियमों के नाम क्या हैं; और

(ज) क्या सरकार का ध्यान सिक्किम में लागू कानूनों की ओर दिलाया गया है जो भारत के संविधान, न्यायपालिका और भारतीय कानूनों का उल्लंघन करते हैं परन्तु वहां अभी तक लागू हैं और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और सरकार ने उन्हें समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार सिक्किम में अब तक 74 केन्द्रीय अधिनियम लागू किये गये हैं। इनमें से 6 मार्च, 1979 के बाद लागू किये गये थे। 74 केन्द्रीय अधिनियमों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान।

विवरण

सिक्किम में लागू केन्द्रीय कानूनों के नामों की सूची

क्रम संख्या	अधिनियमों के नाम
1.	न्यायिक अधिकारी संरक्षण अधिनियम 1850 (1850 की अधिनियम सं० 18)
2.	भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 (1885 की अधिनियम सं० 13)
3.	सामान्य खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का अधिनियम सं० 10)
4.	भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 (1898 का अधिनियम सं० 6)
5.	भारतीय महसूल (सेना और वायुसेना) अधिनियम, 1901 (1901 का अधिनियम सं० 2)
6.	भारतीय रक्षा कार्य अधिनियम, 1903 (1903 का अधिनियम सं० 7)
7.	भारतीय मुद्रा अधिनियम, 1906 (1906 का अधिनियम सं० 3)
8.	भारतीय विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 (1908 का अधिनियम सं० 6)
9.	पारपत्र (भारत में प्रवेश) अधिनियम 1920 (1920 का अधिनियम सं० 34)
10.	प्रवास अधिनियम, 1922 (1922 का अधिनियम सं० 7)
11.	भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम, 1933 (1933 का अधिनियम सं० 17)
12.	रिजर्व बैंक आफ इंडिया अधिनियम, 1934 (1934 का अधिनियम सं० 2)
13.	बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का अधिनियम सं० 4)
14.	विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम, 1939 (1939 का अधिनियम सं० 16)

क्रम संख्या	अधिनियमों के नाम
15.	दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 (1946 का अधिनियम सं० 25)
16.	विदेशी नागरिक अधिनियम, 1946 (1946 का अधिनियम सं० 36)
17.	भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम, 1947 (1947 का अधिनियम सं० 2)
18.	सशस्त्र सेना (आपातकालीन कर्तव्य) अधिनियम, 1947 (1947 का अधिनियम सं० 15)
19.	संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा) अधिनियम, 1947 (1947 का अधिनियम सं० 46)
20.	राष्ट्रीय केडेट कोर अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम सं० 31)
21.	जनगणना अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम सं० 37)
22.	प्रादेशिक सेना अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम सं० 56)
23.	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 (1949 का अधिनियम सं० 66)
24.	उच्च न्यायालय (मुहरें) अधिनियम, 1950 (1950 का अधिनियम सं० 7)
25.	प्रतीक तथा नाम (दुरुपयोग की रोक) अधिनियम, 1950 (1950 का अधिनियम सं० 12)
26.	सेना तथा वायुसेना (सम्पत्ति का निपटान) अधिनियम, 1950 (1950 का अधिनियम सं० 40)
27.	वायुसेना अधिनियम 1950 (1950 का अधिनियम सं० 45
28.	सेना अधिनियम, 1950 (1950 का अधिनियम सं० 46)
29.	टेलीग्राफ तार (अवैध कब्जा) अधिनियम, 1950 (1950 का अधिनियम सं० 74)
30.	अधिग्रहण और अर्जित अचल सम्पत्ति अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं० 30)
31.	नोटीज अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं० 53)
32.	रिजर्व और सहायक वायु सेना अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं० 62)
33.	नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम सं० 57)
34.	संसदीय कार्रवाई (प्रकाशन का संरक्षण) अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं० 24)
35.	राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का अधिनियम सं० 48)
36.	शस्त्र अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम सं० 54)
37.	अपराधी कानून (संशोधन) अधिनियम, 1963 (1963 का अधिनियम सं० 23)
38.	प्रत्यार्पण अधिनियम, 1962 (1962 का अधिनियम सं० 34)
39.	राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का अधिनियम सं० 19)

क्रम संख्या	अधिनियमों के नाम
40.	विधिमान्य टेंडर (लिखित नोट) अधिनियम 1964 (1964 का अधिनियम सं० 28)
41.	पूलिस बल (अधिकारों पर प्रतिबन्ध) अधिनियम, 1966 (1966 का अधिनियम सं० 33)
42.	पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का अधिनियम सं० 15)
43.	अवैध गतिविधियां (निरोधक) अधिनियम, 1967 (1967 का अधिनियम सं० 37)
44.	नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968 (1968 का अधिनियम सं० 27)
45.	सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का अधिनियम सं० 47)
46.	न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 (1968 का अधिनियम सं० 51)
47.	जन्म और मरण पंजीकरण अधिनियम 1969 (1969 का अधिनियम सं० 18)
48.	आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम (मीसा), 1971 (1971 का अधिनियम सं० 26)
49.	भारत रक्षा अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम सं० 42)
50.	छोटी मुद्रा (अपराध) अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम सं० 52)
51.	राष्ट्रीय सम्मान का अपमान निरोधक अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम सं० 68)
52.	न्यायालय अवज्ञा अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम सं० 70)
53.	औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम सं० 15)
54.	अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं० 61)
55.	राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं० 63)
56.	आवश्यक वस्तुएं अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम सं० 10)
57.	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम, 1962 (1962 का अधिनियम सं० 26)
58.	कृषि पुनर्वित्त व्यवस्था निगम अधिनियम, 1963 (1963 का अधिनियम सं० 10)
59.	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई०डी०बी०आई० (अधिनियम, 1964 (1964 का अधिनियम सं० 18)
60.	भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम सं० 23)
61.	भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (1894 का अधिनियम सं० 1)
62.	पुलिस अधिनियम, 1861 (1861 का अधिनियम सं० 5)
63.	जांच आयोग अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं० 60)
64.	वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972
65.	राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं० 37)
66.	लोक अधिनियम का प्रतिनिधित्व, 1950 (1951 का अधिनियम सं० 43)

क्रम संख्या	अधिनियमों के नाम
67.	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं० 43)
68.	उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954
	मार्च, 1979 के बाद लागू अधिनियम/कानून 1
69.	खाद्यान्न मिलावट निवारक अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम सं० 37)
70.	कापी राइट अधिनियम, 1957 (1957 का अधिनियम सं० 14)
71.	पुरातत्व तथा कला संग्रह अधिनियम, 1972 (1972 का अधिनियम सं० 52)
72.	आयातकार अधिनियम, 1962 (1962 का अधिनियम सं० 62)
73.	विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी गतिविधियां निवारक अधिनियम, 1974 (1974 का अधिनियम सं० 52)
74.	खान और धातु (नियंत्रण और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का अधिनियम संख्या 57)

बिजली की कमी के कारण सीमेंट का उत्पादन कम होना

3526. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिजली की कटौती के कारण गत 6 महीनों में सीमेंठ के उत्पादन में, राज्यवार, कुल कितनी मात्रा की कमी हुई है; और

(ख) क्या भारत सरकार का विचार राज्य सरकारों को ऐसे आदेश जारी करने का है कि पूरे राष्ट्र के हित में सीमेंट उद्योग के लिये बिजली की कटौती नहीं की जानी चाहिये ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) सीमेंटे के उत्पादन में केवल बिजली की कमी के कारण ही हुई हानि का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है। किन्तु, कारख़ानों ने, जैसाकि संलग्न विवरण में दिया गया है, बिजली की कमी के कारण सीमेंट के उत्पादन में हानि होने की सूचना दी है।

(ख) राष्ट्र के सम्पूर्ण हित में सीमेंट उद्योग को बिजली की कटौती से छूट देने के लिए राज्य सरकारों से समय-समय पर अनुरोध किया गया है।

विवरण

(आंकड़े मी० टन में)

क्र० सं०	राज्य का नाम	बिजली की कमी/कटौती के कारण सीमेंट के उत्पाद में कमी						बिजली के कारण सीमेंट के उत्पादन में कुल कमी
		दिसम्बर 1979	जनवरी 1980	फरवरी 1980	मार्च 1980	अप्रैल 1980	मई 1980	
1.	हरियाणा	12266	4000	9700	—	—	371	26337
2.	उत्तर प्रदेश	36508	27744	29507	40074	24358	42526	2000717
3.	राजस्थान	57495	41324	121374	125877	30112	85453	461635
	उत्तर का योग	106269	73068	160581	165951	54470	128350	688689
4.	आसाम	—	7600	3125	987	1500	3836	17048
5.	बिहार	33453	70314	49040	27645	88268	91923	360643
6.	उड़ीसा	—	—	—	438	17304	—	17742
7.	पश्चिम बंगाल	18606	13850	20968	20856	21236	26875	122391
	पूर्व का योग	52059	91764	73133	49926	128308	122634	517824

1 2	3	4	5	6	7	8	9
8. गुजरात	5000	—	—	18041	623	5843	29507
9. महाराष्ट्र	—	—	—	—	2470	2278	4748
10. मध्यप्रदेश	11793	6453	29857	13340	39643	23350	124436
पश्चिम का योग	16793	6453	29857	31381	42736	31471	158691
11. आन्ध्र प्रदेश	46149	40749	46489	36025	49178	80186	288776
12. तमिलनाडु	23674	23117	89136	8195	7815	1089	153026
13. कर्नाटक	51286	25564	24605	49771	72434	88943	312603
दक्षिण का योग	121109	89430	160230	93991	129427	170218	764405
कुल योग	296230	260715	423801	341249	354941	452673	2129609

स्वतन्त्रता सेनानियों की विधवाओं को पेंशन

3527. **श्री त्रिदिव चौधरी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वतन्त्रता सेनानियों की विधवाओं को उनके पतियों की मृत्यु के पश्चात, जो स्वतन्त्रता सेनानी के रूप में पेंशन पर रहे थे मंजूर की गई पेंशन अनेक मामलों में बन्द कर दी गई है जिससे ऐसी विधवाओं को भारी आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार के इस निर्णय के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इन विधवाओं के मामलों पर पुनर्विचार और पुनर्विलोकन करने का कोई प्रस्ताव है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) विधवाओं द्वारा उनके पतियों की मृत्यु पर आश्रित पेंशन दिए जाने के अनुरोधों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाती है। जहां तथ्य पूरे नहीं होते हैं तथा उन्हें संस्थापित करना पड़ता है, तो विधवाओं को और/या राज्य सरकारों को लिखना आवश्यक हो जाता है। उनसे उत्तर प्राप्त होने में विलम्ब हुए हैं परन्तु जैसे ही अपेक्षित सूचना प्राप्त हो जाती है, पेंशन तुरन्त मंजूर कर दी गई है। पात्र मामलों में विधवाओं को पेंशन के लिए मना नहीं किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विशाखापत्तनम में भारी इंजीनियरिंग संयंत्र की स्थापना

3528. **श्री वी० किशोरचन्द्र एस० देव** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम में एक भारी इंजीनियरिंग संयंत्र की स्थापना का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी नहीं। विशाखापत्तनम में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र में भारी इंजीनियरी संयंत्र स्थापित करने का कोई विचार नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मनीपुर के क्रान्तिकारियों द्वारा हथियार सौंप दिया जाना

3529. **श्री के० पी० सिंह देव** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर के युवा क्रान्तिकारियों को मनीपुर प्राधिकारियों को हथियार सौंप देने को कहा गया था;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों ने हथियार सौंप दिये और उनकी मात्रा कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे हथियारों के स्रोत के स्थान का पता लगा लिया है; और

(घ) क्या उस क्षेत्र में शेष हथियारों का पता लगाने के लिए कोई छानबीन पद्धति अपनायी गयी थी और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान । मनीपुर सरकार ने मैतेई युवा उग्रवादियों से आत्मसमर्पण के लिए अपील की थी ।

(ख) और (ग) मणिपुर सरकार के अनुसार अभी तक 4 उग्रवादियों ने दो देशी छोटे शस्त्रों सहित आत्मसमर्पण किया है।

(घ) जी हां श्रीमान । सुरक्षा बलों द्वारा छानबीन कार्य शुरू किये गये हैं और इनके परिणामस्वरूप अभी तक सोलह ·303 राइफल्स, एक स्टेनगन और विस्फोटकों तथा गोला बारूद की कुछ मात्रा सहित 44 हथियार बरामद हुए हैं ।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग एवं अल्पसंख्यक आयोग में चेयरमैन और सदस्यों की सावधि पदों पर नियुक्ति

3530. **श्री चिन्तामणि पाणिगृही** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग एवं अल्पसंख्यक आयोग में चेयरमैन और सदस्य सावधि पदों पर नियुक्त किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि कितने वर्ष की है और वह अवधि कब समाप्त होगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल साधारणतः 3 साल से अधिक नहीं होगा । प्रत्येक आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल निम्नलिखित तारीखों को समाप्त होगा :

नाम	पद	पद के कार्यकाल की समाप्ति की तारीख
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग		
1. श्री भोला पासवान शास्त्री सांसद,	अध्यक्ष	14-8-1981
2. श्री शिशिर कुमार, भूतपूर्व सांसद और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त	सदस्य	14-8-1981
3. श्री एस०के० मलिक, आई०सी० एस० (सेवा निवृत्त)	सदस्य	6-8-1981
4. श्री ए० जयरामन, भूतपूर्व सांसद	सदस्य	9 जून, 1980 को मृत्यु हो गई ।
5. श्री ठाकुर सेन नेगी, विधानसभा सदस्य और हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष	सदस्य	31 जुलाई, 1981

1	2	8
अल्पसंख्यक आयोग		
1. न्यायमूर्ति श्री एम० आर० ए० अंसारी	अध्यक्ष	27 जुलाई, 1981
2. डा० (कुमारी) ए० जे० दस्तूर	सदस्य	21 अप्रैल, 1980 (अपराह्न) से त्यागपत्र स्वीकृत किया गया।
3. श्री कुशक जी० बाकुला	सदस्य	27 जुलाई, 1981
4. प्रोफेसर वी० वी० जोन	सदस्य	21 अप्रैल, 1980 (अपराह्न) से त्यागपत्र स्वीकृत किया गया।
5. एयर चीफ मार्शल (सेवानिवृत्त) अर्जन सिंह	सदस्य	27 जुलाई, 1981

राजस्थान परमाणु बिजली परियोजना द्वारा बिजली का उत्पादन

3531. **श्री वृद्धि चन्द जैन** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान परमाणु बिजली परियोजना, कोटा के यूनिट-1 ने राज्य को बिजली की सप्लाई कब आरम्भ की और इस यूनिट में वर्षवार कितना बिजली उत्पादन हुआ;

(ख) उक्त परमाणु बिजली केन्द्र विभिन्न वर्षों में किस अवधि में बन्द रहा, और उसके बन्द होने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार उसकी यांत्रिक त्रुटियों को दूर करके एक स्थायी हल निकालने के लिए कोई ठोस कार्यवाही करने का है और यदि हां, तो कब तक तथा यह कैसे किया जायेगा ?

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) राजस्थान परमाणु बिजलीघर का पहला यूनिट 16-12-1973 से व्यावसायिक स्तर पर बिजली पैदा करता रहा है। हर वर्ष हुए बिजली के उत्पादन की मात्रा नीचे दी जा रही है :

कैलेंडर वर्ष	सकल उत्पादन (दस लाख यूनिट)	शुद्ध उत्पादन (दस लाख यूनिट)
1974	727.8548	667.6910
1975	653.7960	599.5700
1976	900.5230	801.9293
1977	529.9550	476.8247
1978	176 5990	153.2590
1979	1251.5460	1147.4564

(ख) टर्बाइन के ब्लेडों में खराबी आ जाने के कारण सन् 1974 और सन् 1975 में बिजलीघर को वार्षिक अनुरक्षण के लिए क्रमशः 103 दिन (4 जुलाई, 1974 से 14 अक्तूबर, 1974 तक) और 158 दिन (22 जुलाई, 1975 से 26 दिसम्बर, 1975 तक) बन्द रखा गया। बिजलीघर को वार्षिक अनुरक्षण के लिए जब 3 जुलाई, 1977 को बन्द किया गया तब इसे बन्द रखे जाने की अवधि को क्रमिक अशांति तथा पड़ताल के कारण 20 सितम्बर, 1978 तक बढ़ाना पड़ा। उसके बाद बिजलीघर लगातार काम करता रहा है, सिवाय इसके कि मॉडरेटर हीट एक्सचेंजर की कुछ ट्यूबों के मामूली सा लीक कर जाने के कारण सन् 1980 की प्रथम तिमाही में एक बार 20 दिन (27 जनवरी, 1980 से 15 फरवरी, 1980 तक) और दूसरी बार 27 दिन (22 फरवरी, 1980 से 20 मार्च, 1980 तक) के लिए बन्द रखना पड़ा। इसके अलावा, और छोटी-छोटी अवधियों के लिए भी इस यूनिट को संयंत्र तथा ग्रिड से संबंधित विभिन्न कारणों से बन्द रखा गया।

(ग) बिजलीघर के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन निरन्तर किया जाता है और पहले हुई खराबियों को दोबारा ना होने देने के उद्देश्य से डिजाइन में सुधार करने, प्रचालन एवं अनुरक्षण के तरीकों में परिवर्तन करने और बिजलीघर के चालू रहने की स्थिति में ही उसका निरीक्षण करने जैसे उपाय किए जा रहे हैं। कभी-कभी ग्रिड की वोल्टेज और आवृत्ति के उतार-चढ़ाव का दुष्प्रभाव यूनिट के कार्य-निष्पादन पर पड़ता है और इसके कारण यूनिट बन्द भी हो जाता है। इन समस्याओं का स्थायी समाधान खोजने के लिए, विद्युत बोर्डों और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से निरन्तर विचार-विमर्श किया जाता रहा है। यह समस्याएं इस किस्म की हैं कि इनके बारे में यह बताना सम्भव नहीं होगा कि इनके समाधान में कितना समय लगेगा।

लघु उद्योगों को कच्ची सामग्री

3532. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि लघु उद्योगों को उन दरों पर कच्ची सामग्री प्राप्त करने में प्रायः कठिनाइयां होती हैं जिन पर बड़े अथवा मध्यम उद्योगों को प्राप्त हो जाती है।

(ख) यदि हां, तो लघु उद्योगों को सरकारी एजेन्सियों अथवा सीधे ही उत्पादकों को नियंत्रित दरों पर सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर और उनके लिए कोटा सुरक्षित करके उक्त कच्ची सामग्री देने की कोई सरकारी नीति है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी क्रियान्वित के बारे में ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) नियंत्रित अथवा विनियमित स्रोतों के माध्यम से संभरण की जाने वाली आधारभूत कच्ची सामग्री की कीमतें वास्तविक उपभोक्ताओं, बड़े मझौले और छोटे उपभोक्ताओं के लिए बराबर हैं। किन्तु कुछ किस्म की सामग्री में, जिन पर कोई वितरण नियन्त्रण नहीं है, उनमें कभी-कभी लघु उद्योगों को उस मूल्य पर सामग्री प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जिस मूल्य पर इसे बड़े/थोक उपभोक्ताओं द्वारा खरीदा जाता है।

(ख) जी, हां। सरकार की नीति सरकारी अभिकरणों के माध्यम से प्राथमिक उत्पादकों सहित केन्द्र व राज्य दोनों स्तरों पर मूलभूत कच्ची सामग्री के संभरण के सम्बन्ध में लघु क्षेत्र को प्राथमिकता देने की है।

(ग) आवश्यक सामग्री जैसे लोहा और इस्पात तथा अलौह धातुएं जैसे तांबा, जस्ता, टीन, अल्युमिनियम, निकल, सीसा और रसायन जैसे पैराफिन, मोम, सोडा ऐश, कास्टिक सोडा, सूअर की चर्बी इत्यादि को पहले ही वितरण और मूल्य नियन्त्रण के अन्तर्गत रखा गया है। ये वस्तुएं अधिकतर राज्य व्यापार निगम, खनिज एवं धातु व्यापार निगम, भारतीय इस्पात निगम लि०, तथा सी० पी० सी० आदि जैसे सरकारी अभिकरणों के माध्यम से वितरित की जाती हैं।

इस समय राज्य में लघु एककों को लोहा और इस्पात का वितरण करने का कार्य राज्य लघु उद्योग निगमों को सौंप दिया गया है। इन राज्य अभिकरणों से राज्यों में लघु क्षेत्र के लिए सभी प्रकार की कच्ची सामग्री का वितरण करने की जिम्मेदारी धीरे-धीरे अपने हाथ में लेने के लिए अनुरोध किया जा रहा है।

प्रसाधन सामग्री क्षेत्र में अधिक पूंजी निवेश

3533. **श्री चित्त बसु** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हाल में रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा किए गए अध्ययन से प्राप्त इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि प्रसाधन सामग्री क्षेत्र में पूंजी निवेश अधिक किया जा रहा है और उत्पादकता वस्तु उद्योगों में इसकी वृद्धि दर कम रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का विचार क्या विशेष उपचारात्मक कार्यवाही करने का है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (**श्री चरणजीत चानना**) : (क) संभवतः संदर्भ रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया को जनवरी, 1980 में प्रकाशित बुलेटिन में बताई गई ह्रास को औद्योगिक उत्पादन सम्बन्धी प्रवृत्तियों के अध्ययन से हैं। उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में किये गये निवेश को इस अध्ययन के अन्तर्गत नहीं लिया गया है। जहां तक उपभोक्ता वस्तु उद्योग में हुई वृद्धि दर का सम्बन्ध है, अध्ययन से किसी भी निष्कर्ष विशेष पर नहीं पहुंचा जा सकता है। दूसरी ओर यह देखा गया है कि अनेक वर्षों की अवधि में भी किसी भी एक उपभोक्ता वस्तु उद्योग में कोई संभव प्रकृति नहीं बनी रह सकी है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

तमिलनाडु के कतिपय क्षेत्रों को पिछड़े क्षेत्र घोषित करना

3534. **श्री दोराई सेबस्तियन** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को तमिलनाडु की मानाप्पराई, मसंगपुरी, नायमपट्टी, अरवा कुरीची तथा कडावुर पंचायत यूनियनों को पिछड़े क्षेत्र घोषित करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

योजना मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार, केवल औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ेपन से सम्बन्धित वर्गीकरण को छोड़कर क्षेत्रों को पिछड़े या अन्यथा वर्गीकृत नहीं करती। प्रश्नाधीन पंचायत यूनियनें तिरुचिरापल्ली जिले का एक भाग है जिसको आवधिक ऋण देने वाली संस्थाओं से रियायती वित्त के प्रयोजन के लिए औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा घोषित किया गया है।

तमिलनाडु सरकार ने निवेश आर्थिक सहायता के प्रावधान के लिए भी इस स्कीम के विषय-क्षेत्र का विस्तार करने के लिए अभ्यावेदन भेजे थे। इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सका क्योंकि यह राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा अनुमोदित स्कीम के विषय-क्षेत्र से बाहर है।

राउरकेला, उड़ीसा में सीमेंट संयन्त्र की स्थापना

3535. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत राउरकेला (उड़ीसा) में एक सीमेंट संयंत्र की स्थापना करने के एक प्रस्ताव पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह प्रस्ताव कार्यान्वित करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (ग) मैसर्स हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को चिलहेटी, जिला बिलासपुर (मध्य प्रदेश) में क्लिंकर संयन्त्र और राउरकेला, जिला सुरेन्द्रगढ़ (उड़ीसा) में पिसाई संयन्त्र लगाकर स्पिलिट लोकेशन के आधार पर 11.55 लाख प्रतिवर्ष मी० टन पोर्टलेण्ड ब्लास्ट फर्नेस स्लेग सीमेंट। पोर्टलेण्ड पोजोलावा सीमेंट का उत्पादन करने लिये एक आशय-पत्र मन्जूर किया गया था। प्रस्ताव स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया द्वारा भेजा गया था तथा इसमें क्षमता को 21.4 लाख मी० टन तक बढ़ाने का अनुरोध किया गया है। इस समय स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया स्लैग की उपलब्धता व इसके निपटान से संबंधित मामलों पर रेल मन्त्रालय से विचार-विमर्श कर रहा है और इस बारे में विनियोग संबंधी निर्णय ले लिये जाने के पश्चात अथॉरिटी अग्रेतर कार्रवाई करेगी।

राज्यों में स्वायत्तशासी योजना बोर्ड

3536. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वायत्तशासी योजना बोर्ड न होने के कारण प्रत्येक राज्य में योजना संबंधी कार्य पीछे पड़ा हुआ है; और

(ख) इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है अथवा करने का विचार है ?

योजना मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, नहीं। सभी राज्यों ने विकास योजनाए तैयार करने के लिए राज्य स्तर पर उपयुक्त व्यवस्थाएं की हैं, यद्यपि अनेक राज्यों में योजना तंत्र को और अधिक बढ़ाने के लिये काफी गुंजाइश है।

(ख) राज्य स्तर पर शिखर योजना निकाय अलग-अलग राज्य योजना बोर्ड/आयोग/सलाहकार समितियां कहलाते हैं; ये योजना आयोग की सिफारिशों पर हरेक राज्य में योजना

प्रक्रिया में सहायता करने के लिए स्थापित किये गये हैं। इन निकायों के काम विभिन्न समयावधियों में राज्यों के लिये विकास योजनाओं के सामान्य उद्देश्य तैयार करना और राज्य के प्राकृतिक, सामग्रीगत और मानवीय संसाधनों के मूल्यांकन के बाद विकास की क्षेत्रीय और क्षेत्रकीय कार्यनीतियां और प्राथमिकताएं तैयार करना है। इन्हें योजना कार्यक्रमों की निरन्तर समीक्षा और मूल्यांकन करने का काम भी सौंपा गया है। विभिन्न राज्यों में योजना तंत्र को और अधिक बढ़ाने का काम राज्य सरकारों का है। योजना आयोग, अपनी ओर से, जिन राज्यों में योजना तंत्र को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है, वहां पूर्णकालिक योजना बोर्डों की स्थापना का स्वागत करेगा।

इन योजना निकायों के ब्यौरों का एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

राज्य स्तर पर शिखर योजना निकायों की सूची

क्रम सं०	राज्य	योजना स्तर पर शिखर योजना निकाय का नाम	गठन
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	राज्य योजना बोर्ड	1. मुख्य मंत्री - अध्यक्ष 2. वित्त मंत्री - उपाध्यक्ष 3. सदस्य - पदेन सदस्य 5 अंशकालिक सदस्य 4 (2 गैर-सरकारी) 4. सरकार के सचिव, वित्त और योजना विभाग सदस्य-सचिव
2.	असम	राज्य योजना बोर्ड	1. मुख्य मंत्री - अध्यक्ष 2. योजना मंत्री - उपाध्यक्ष 3. सदस्य गैर-सरकारी 4 (अंशकालिक) 4. विकास आयुक्त - सदस्य-सचिव
3.	बिहार	राज्य योजना बोर्ड	1. मुख्य मंत्री - अध्यक्ष 2. योजना मंत्री - उपाध्यक्ष

1	2	3	4
			3. गैर-सरकारी - उपाध्यक्ष **गैर-सरकारी सदस्य** 2 सदस्य (पूर्णकालिक) **सरकारी** 2 सदस्य (अंशकालिक)
4.	गुजरात	राज्य योजना बोर्ड	1. वित्त और योजना मंत्री - अध्यक्ष 2. गैर-सरकारी - उपाध्यक्ष (अंशकालिक) 3. गैर-सरकारी - 10 सदस्य (अंशकालिक) 4. संयुक्त सचिव/उप सचिव, योजना (सामान्य प्रशासन)-सदस्य-सचिव
5.	हरियाणा	राज्य योजना बोर्ड	1. मुख्य मंत्री - अध्यक्ष 2. उपाध्यक्ष (पूर्णकालिक, केबिनेट स्तर के मंत्री को स्वीकार्य वेतन और अधिकारों के साथ) 3. **सदस्य** गैर-सरकारी - 5 (अंशकालिक) सरकारी - 1 संसद-सदस्य - 3 (अंशकालिक) 4. मुख्य मन्त्री के प्रधान सचिव सदस्य-सचिव
6.	हिमाचल प्रदेश	राज्य योजना बोर्ड	1. मुख्य मंत्री - अध्यक्ष 2. वित्त मंत्री/योजना मंत्री - उपाध्यक्ष 3. केबिनेट स्तर के मंत्री (सभी) - सदस्य

1	2	3	4
			4. सरकारी - 8 सदस्य 5. गैर-सरकारी - 2 सदस्य 6. सचिव, योजना - सदस्य सचिव
7.	जम्मू और कश्मीर	राज्य योजना बोर्ड	1. मुख्य मंत्री - अध्यक्ष 2. कृषि और उद्योग मंत्री - उपाध्यक्ष 3. गैर-सरकारी सदस्य - 14 सदस्य 4. सरकारी - 1 सदस्य 5. योजना आयुक्त - सदस्य-सचिव **राज्य सरकार के अधिकारी** 6. मुख्य सचिव - सदस्य
8.	कर्नाटन	राज्य योजना बोर्ड	1. मुख्य मंत्री - अध्यक्ष 2. वित्त मंत्री - उपाध्यक्ष 3. **सदस्य** **सदस्य** मन्त्री - 2 राज्य के अधिकारी - 2 गैर-सरकारी - 2 विशेष सचिव (योजना) - सदस्य-सचिव
9.	केरल	राज्य योजना बोर्ड	1. मुख्य मंत्री - अध्यक्ष 2. गैर-सरकारी - उपाध्यक्ष - उद्योग, विद्युत, परिवहन और संचार तथा प्रशासनिक सुधार 3. वित्त मंत्री - सदस्य - वित्तीय संसाधन और आर्थिक नीतियां 4. योजना और आर्थिक कार्य विभाग के प्रभारी सरकार के अपर मुख्य सचिव - सदस्य - योजना समन्वय, प्रबोधन और योजना कार्यान्वयन 5. वदेन सचिव, योजना - सदस्य - विज्ञान और शिल्प-विज्ञान, वन और मीन उद्योग

1	2	3	4
		6. गैर-सरकारी	- सदस्य - प्राकृतिक संसाधन और खनिज विकास
		7. सचिव, योजना	- सदस्य-सचिव - कृषि, सांख्यिकी, आंकड़ा बैंक और सामान्य प्रशासन, योजना प्रचार, सामाजिक सेवाएं, जनशक्ति, योजना और मूल्यांकन
10. मध्य प्रदेश	राज्य योजना बोर्ड	1. मुख्य मंत्री	- अध्यक्ष
		2. योजना मंत्री	- उपाध्यक्ष
		3. गैर-सरकारी	- सदस्य 2 सदस्य (पूर्णकालिक)
		4. सरकारी	- 2 सदस्य (पूर्णकालिक)
		5. सरकारी	- 1 सदस्य (अंशकालिक)
		6. सरकारी	- सदस्य-सचिव
11. महाराष्ट्र	राज्य योजना और विकास परिषद्	1. मुख्य मंत्री	- अध्यक्ष
		2. मंत्री	- 6 सदस्य
		3. गैर-सरकारी	- 24 सदस्य
		4. सरकारी	- 1 सदस्य
		5. विशेष सचिव (योजना)	- सदस्य-सचिव
12. मणिपुर	राज्य योजना सलाहकार समिति	1. मुख्य मंत्री	- अध्यक्ष
		2. एक विधान सभा सदस्य जिन्हें नामित किया जाएगा	} उपाध्यक्ष
		3. सदस्य	
		गैर-सरकारी	- 4 सदस्य
		सरकारी	- 3 सदस्य
		4. सचिव, योजना	- सदस्य-सचिव
13. मेघालय	राज्य योजना बोर्ड	1. मुख्य मंत्री	- अध्यक्ष
		2. योजना मंत्री	- उपाध्यक्ष

1	2	3	4
			3. सदस्य - सदस्य विधान सभा सदस्य 6 सदस्य सरकारी 2 सदस्य 4. संयुक्त सचिव (योजना) - बोर्ड के सचिव
14.	नागालैंड	राज्य योजना बोर्ड	1. मुख्य मंत्री - अध्यक्ष 2. सरकारी सदस्य - 4 सदस्य 3. उप सचिव, योजना - पदेन सचिव
15.	उड़ीसा	राज्य योजना बोर्ड	1. मुख्य मंत्री - अध्यक्ष सदस्य सदस्य 2. मंत्री - 2 3. संसद सदस्य - 1 4. गैर-सरकारी - 4 5. सरकारी - 5 6. सचिव, योजना - सदस्य-सचिव
16.	पंजाब	राज्य योजना बोर्ड	1. मुख्य मंत्री - अध्यक्ष 2. वित्त और योजना मंत्री - उपाध्यक्ष सदस्य सदस्य 3. गैर-सरकारी - 7 (अंशकालिक) 4. सरकारी - 10 5. सचिव, योजना - सदस्य-सचिव
17.	राजस्थान	राज्य योजना बोर्ड	1. मुख्य मंत्री - अध्यक्ष 2. योजना मत्री उपाध्यक्ष सदस्य सदस्य 3. संसद सदस्य और विधान सभा सदस्य } 2 4. गैर-सरकारी - 3 5. सरकारी - 4 6. विशेष सचिव (योजना) - सदस्य-सचिव
18.	तमिलनाडु	राज्य विकास समिति	1. मुख्य मंत्री - अध्यक्ष 2. राज्य के अधिकारी - उपाध्यक्ष

1	2	3	4
			सदस्य **सदस्य**
			3. सरकारी - 3
			4. गैर-सरकारी - 1
19.	त्रिपुरा	राज्य योजना बोर्ड	1. मुख्य मंत्री - अध्यक्ष
			सदस्य **सदस्य**
			2. मंत्री - 2
			3. विधान सभा सदस्य - 5
			4. गैर-सरकारी - 3
			5. सरकारी - 3
20.	उत्तर प्रदेश	राज्य योजना आयोग	1. मुख्य मंत्री (पदेन) - अध्यक्ष
			2. वित्त मंत्री (पदेन) - उपाध्यक्ष
			सदस्य **सदस्य**
			3. मंत्री - 1
			4. गैर-सरकारी - 5 (एक अंश-कालिक सदस्य सहित)
			5. सरकारी - 4
			6. सचिव, योजना - सदस्य-सचिव
21.	पश्चिम बंगाल	राज्य योजना सलाहकार समिति	1. मुख्य मंत्री - अध्यक्ष (पदेत)
			2. विकास और योजना विभाग के प्रभारी मंत्री } उपाध्यक्ष (पदेन)
			सदस्य **सदस्य**
			3. मंत्री - 2 (पूर्णकालिक)
			4. संसद सदस्य - 1 (अंशकालिक)
			5. गैर-सरकारी - 5 (पूर्णकालिक)
			6. [गैर-सरकारी - 5 (अंशकालिक)
			7. सरकारी - 2 (पूर्णकालिक)

सुन्दरवन विकास परियोजना के लिए केन्द्रीय सहायता

3537. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार की सुन्दरवन विकास परियोजना के लिए छठी पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत कुछ केन्द्रीय सहायता की व्यवस्था की जा रही है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त परियोजना के लिए विश्व बैंक की सहायता मांगी थी और क्या कुछ विश्व बैंक सहायता प्राप्त भी हुई है; और

(ग) परियोजना के मुख्य उद्देश्य और लक्ष्य क्या हैं ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि से सहायता मांगी है। अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि सहायता के लिए इस परियोजना की जांच कर रही है।

(ग) इस परियोजना के उद्देश्य इस प्रकार हैं :— (1) उन्नत जल निकासी और जल नियन्त्रण के जरिये कृषि उत्पादन की क्षमता में सुधार करना, (2) सिंचाई की सुविधायें स्थापित करके फसल की गहनता में वृद्धि करना, (3) खारे जल, जल-कृषि और वन उद्योग के व्यवस्थित विकास के लिए स्कीमें तैयार करना, और (4) परिवहन सुविधाओं और विपणन आधारिक संरचना में सुधार करना।

पश्चिम बंगाल में उत्तराखण्ड आंदोलन

3538. **श्री ए० टी० पाटिल** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर बंगाल में हाल ही में 'उत्तराखण्ड' आंदोलन तेज कर दिया गया है;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस मामले में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेंद्र मकवाना) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार उत्तराखण्ड दल नाम की एक संस्था ने उत्तर बंगाल के 5 जिलों को मिलाकर अलग उत्तराखण्ड की मांग की है। बताया जाता है कि उत्तराखण्ड के नेताओं ने सरकार पर क्षेत्र के लोगों के प्रति भेदभाव बरतने और पर्याप्त विकास कार्यों के अभाव के कथित आरोपों पर अधिक प्रकाश डाला है।

(ग) सरकार का विचार है कि किसी एक विशेष राज्य में आर्थिक विकास में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने का कार्य योजना माध्यम से अनिवार्य रूप से राज्य सरकार का है और नये राज्य का सृजन समस्या का कोई निदान नहीं होगा।

जे० पी० अस्पताल, दिल्ली में महिला रोगी के साथ बलात्कार

3539. **श्री मनफूलसिंह चौधरी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 11 जून, 1980 की रात्रि को दिल्ली के जे० पी० अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस कांस्टेबल द्वारा एक महिला रोगी के साथ बलात्कार किया गया था;

(ख) क्या कांस्टेबल के इस घृणित कार्य ने राजधानी में सनसनी फैला दी है;

(ग) इस दोषी पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) श्रीमती अंजली पत्नी श्री अमरजीत, 10/23, गीता कालोनी, दिल्ली के निवासी ने शिकायत की कि 11/12 जून, 1980 के मध्य की रात्रि को, जब वह जयप्रकाश अस्पताल के लान में सो रही थी, तो उसे एक खाकी पैंट और सफेद कमीज पहने व्यक्ति द्वारा वहां से ले जाया गया और अपराधिक रूप से उस पर आक्रमण किया गया। उसने यह भी शिकायत की है कि सम्भवतः वह व्यक्ति पुलिस कांस्टेबल था। इस शिकायत के आधार पर दरियागंज थाने में एक बलात्कार का मामला दर्ज किया गया। कांस्टेबल बलबीर सिंह, सं० 956–ग को, जो 11/12 जून, 1980 की बीच की रात्रि को जयप्रकाश अस्पताल में ड्यूटी पर था 12 जून, 1980 को गिरफ्तार किया गया और वह न्यायिक हिरासत में हैं। उसे निलम्बित भी कर दिया गया है।

दिल्ली टावर्स दैट केन टर्न इन्टू इनफरनोस शीर्षकान्तर्गत छपा समाचार

3540. श्री एस० एम० कृष्ण : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 जून, 1980 के "टाइम्स आफ इण्डिया" नई दिल्ली संस्करण में "दिल्ली टावर्स दैट केन टर्न इन्टू इनफरनोस" शीर्षक से छपे समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) राजधानी में ऊंची-ऊंची इमारतों में इस प्रकार की अक्सर लगने वाली आग को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) भविष्य में निर्माण की जाने वाली ऊंची-ऊंची इमारतों की योजना निर्माण में ऐसे खतरों को रोकने के लिए क्या सावधानियां बरती ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) से (घ) समाचारों में 5 जून, 1980 की जिस आग की घटना का उल्लेख किया गया था, वह एक मामूली आग थी। आग लगने के बारे में सूचना दिल्ली अग्नि शमन सेवा को 11.14 बजे प्राप्त हुई। इस पर 11.35 बजे काबू कर लिया गया था।

दिल्ली नगर निगम को अपने भवन उप नियमों में संशोधन करने की सलाह दी गई थी। इस कार्य में भारत के राष्ट्रीय भवन संहिता के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक पेनल और दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका और दिल्ली विकास प्राधिकरण के प्रतिनिधियों द्वारा उनकी सहायता की गई थी। संशोधित भवन उप नियम, जिनमें ऊंचे भवनों के लिए विस्तृत अग्नि संरक्षण उपाय शामिल हैं ताकि भवनों को ऐसे अग्निकाण्ड से बचाया जा सके, विचाराधीन हैं। तथापि दिल्ली अग्निशमन सेवा ने, भवन योजनाएं जैसी ही उनको भेजी जाती हैं, संवीक्षा करते समय संशोधित भवन उपनियमों के उपबन्धों का पहले ही अनुपालन करना शुरू कर दिया है।

दिल्ली अग्निशमन सेवा के अग्नि निरोध विंग द्वारा ऊंचे भवनों में सद्भाव अग्नि निरोध निरीक्षण भी किए जा रहे हैं और ऐसे भवनों के मालिकों को आवश्यक एहतियाती उपाय करने की सलाह दी जा रही है।

भारत सरकार ने ऊंचे भवनों में आग बुझाने के लिए दिल्ली अग्निशमन सेवा को दो हाईड्रोलिक प्लेटफार्म दिए हैं।

भारत में गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोतों का विकास

3541. **डा० वसन्तकुमार पंडित :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन ने भारत में गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोतों के विकास की परियोजनाएं आरम्भ करने की सहमति व्यक्त की है, यदि हां, तो इन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोतों के क्षेत्र में भारतीय इन्जीनियरों तथा अनुसंधान संस्थानों द्वारा किए गए मूल्यवान कार्य का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्लोराइड इण्डिया लि०, सैंट्रल इलैक्ट्रोनिक्स लि०, ज्योति लि०, हिन्दुस्तान ब्राऊन बोवरी लि०, इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ टैक्नोलोजी, किर्लोस्कर आयल इंजिन्स लि० तथा अन्यों द्वारा विकसित गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोतों के बारे में अनुसंधान को प्रोत्साहन देने तथा उनका वाणिज्यिक दृष्टि से विदोहन करने के लिए क्या योजना तैयार की गई है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी हां। यूनिडों के अधिकारियों ने यू० एन० डी० पी० की सहायता के लिए ऊर्जा के परम्परागत स्रोतों के क्षेत्र में विकास परियोजनाओं का प्रायोजन करने की सम्भावना की ओर संकेत दिया है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में 1979-80 के समग्र भारत-यू० एन० डी० पी० देश कार्यक्रम के अन्तर्गत दो विशिष्ठ परियोजनाओं को शामिल किया गया था। सविस्तार परियोजना प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) नव ऊर्जा स्रोतों के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में एक अलग प्रभाग है और इस क्षेत्र के लिए बजट प्रावधान को योजना आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाता है। यह प्रभाग विशेष रूप से ऐसी परियोजनाओं का निधीयन करके, जिनके शीघ्र वाणिज्यिकरण की सम्भावना है, अनुसंधान, विकास और प्रदर्शन सम्बन्धी कार्यकलापों का सम्बर्द्धन करता है। यह एक जैसे काम करने वाले विभिन्न वर्गों को एक दूसरे के निकट लाता है ताकि समन्वय सुनिश्चित किया जा सके और वाणिज्यिकरण की सम्भावनाओं को बढ़ाया जा सके। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में प्रौद्योगिकरण से सम्बद्ध एक प्रभाग भी है जो नव ऊर्जा स्रोतों सहित विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास और उसके वाणिज्यिकरण का सम्बर्द्धन करने के लिए विभिन्न योजनाओं के लिए उत्तरदायी है। इन योजनाओं का सम्बन्ध निजी क्षेत्र के उद्यमों में संस्थानगत अनुसंधान और विकास यूनिटों की स्थापना करने के लिए प्रोत्साहन, अनुसंधान और विकास का प्रायोजन करने के लिए कर उन्मुक्ति आदि से है। नेशनल रिसर्च एण्ड डिवेलपमेंट

कार्पोरेशन आफ इण्डिया की भी विकसित प्रौद्योगिकियों के वाणियिक दोहन का प्रोत्सहान करने के लिए योजनाएं हैं।

विवरण

सौर ऊर्जा का उपयोगीकरण

मानव जाति के लिए ऊर्जा का सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्रोत है सूर्य, विशेषकर भारत के लिए जहां धूप प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। अतः भारत सरकार का, विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में विकेन्द्रीकृत आधार पर इसके उपयोग पर विशेष बल देते हुए इसके कई प्रकार के अनुप्रयोगों के लिए सौर ऊर्जा के उपयोगीकरण के लिए प्रौद्योगिकियों के विकास को उच्चतम प्राथमिकता प्रदान करने का प्रस्ताव है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डी० एस० टी०) ने देश की विभिन्न संस्थाओं, यथा प्रौद्योगिकी संस्थाओं, सी० एस० आई० आर० की प्रयोगशालाओं, बी० एच० ई० एल० का अनुसंधान और विकास प्रभाग, सैन्ट्रल इलैक्ट्रानिक्स लि० और अन्य संस्थाओं में विद्यमान अवसंरचनात्मक सुविधाओं और विशेष ज्ञान का उपयोग करते हुए सौर ऊर्जा के व्यवस्थाबद्ध अनसंधान और विकास के समन्वित कार्यक्रम को हाथ में लिया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ऐसे अनुसंधान और विकास की व्यवस्था करना है जिससे इसे तीव्रता से व्यावहारिक रूप प्रदान किया जा सके। अधिकांश मामलों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग स्वयं प्रत्यक्ष रूप से इन परियोजनाओं का निधीयन करता है, अन्य मामलों में कई संस्थाएं ऐसी संगत गतिविधियों में लगी हुई हैं और वे इन्हें अपनी निधियों के आधार पर चला रही हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग उन्हें एक बहुसंस्थागत समन्वित कार्यक्रम के अन्तर्गत ले आता है।

विभाग की वर्तमान गतिविधियों का उद्देश्य और प्रौद्योगिकी के निम्नलिखित तीन मुख्य क्षेत्रों पर विशेष बल देते हुए इस कार्यक्रम का विस्तार करना है—

(क) सौर विकिरणन के तापीय प्रभावों के आधार पर सौर तापीय युक्तियों और प्रणालियों का विकास;

(ख) सौर ऊर्जा के सीधे बिजली में रूपान्तरित करने के लिए प्रकाश वोल्टीय युक्तियों और प्रणालियों का विकास; और

(ग) जीव भार और जीव रूपान्तर प्रौद्योगिकी।

सौर तापीय युक्तियां :

सौर तापीय युक्तियों के क्षेत्र में संग्राहक प्रौद्योगिकी के विकास को सक्रिय रूप से और समन्वित ढंग से आगे बढ़ाया जा रहा है; इस क्षेत्र में भाग लेने वाली मुख्य संस्थाएं हैं :—राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्ज लिमिटेड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलोजी (दिल्ली) और इंडियन इंस्टीट्यूट आफ साइंस बंगलौर। इसके विभिन्न विशिष्ट अनुप्रयोगों के लिए इसकी कुशलता और लागत प्रभाविता को उच्चतम प्राथमिकता प्रदान की गई है। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत अवशोषक प्लेटों के लिए संक्षारण प्रतिरोधी सामग्रियों का विकास, सिलेक्टिव कोटिंगों और रोगनों का उपयोग, जिनसे संग्राहकों की कुशलता में सुधार लाया जा सके, और परवलयिक पृष्ठ और परवलयिक तश्तरियों और ट्रैकिंग प्रणालियों का विकास करना है। व्यापारिक पैमाने

पर इनके उपयोग को दृष्टि में रखते हुए फ्लैट प्लेट कलैक्टरों के लिए बुनियादी प्रौद्योगिकी का विकास किया गया है।

विभिन्न क्षमताओं के अनाज शुष्ककों के आदि प्रारूपों का पहले से ही विकास किया जा चुका है और इस समय उनके क्षेत्रीय परीक्षण किए जा रहे हैं। प्रतिदिन 10 टन की क्षमता का अनाज शुष्कक एन०आई०डी०सी० द्वारा लुधियाना के पास सैन्ट्रल स्टेट फार्म में डी०एस०टी० के तत्वावधान में प्रतिष्ठापित किया गया है। 500 किलोग्राम प्रतिदिन का कम क्षमता वाला एक सौर शुष्कक गोहाटी में लगाया गया है जिसे अदरक, सुपारी, हल्दी, आदि जैसी रोकड़ फसलों को सुखाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा। तम्बाकू सुखाने के लिये भी सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए एक परियोजना का आंध्र प्रदेश में श्रीगणेश किया गया है। सौर शुष्ककों के व्यापक उपयोग के साथ-साथ कृषि और खाद्य उत्पादों के लिए इनके विकास की और अधिक अपेक्षा की जा सकती है। इस कार्य से सम्बन्धित संस्थाओं में आई० सी० ए० आर०, सी० एम० ई० आर० आई०, आई० आई० टी० (खड़गपुर) और अन्नमलाई विश्वविद्यालय शामिल हैं।

कई प्रकार की सौर जल तापन प्रणालियों का विकास किया जा रहा है। दिल्ली में कुतुब होटल और हरिद्वार में एक अतिथिगृह में बी० एच० ई० एल० द्वारा लगाई गई प्रयोगात्मक सौर जल तापन प्रणालियों का निष्पादन मूल्यांकन किया जा रहा है। इस बीच अब तक प्राप्त किए गए अनुभव के आधार पर पुणे में कुष्ट रोग चिकित्सालय में एक सौर जल तापन संयंत्र लगाया जा रहा है और वारंगल में आंध्र प्रदेश डेरी डिवेलपमेन्ट कार्पोरेशन के लिए एक और यूनिट की योजना तैयार की जा रही है। अब घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक स्थापनाओं में व्यापक उपयोग के लिए और जल तापन प्रणालियों के संवर्द्धन करने का प्रस्ताव है।

अवशोषण प्रशीतन प्रणालियों सहित एक सौर शक्ति चालित कोल्ड स्टोरेज संयंत्र, आई० आई० टी०, बम्बई में पूरा कर लिया गया है और उसका कार्य निष्पादन मूल्यांकन किया जा रहा है। इंजीनियरी प्राचलों के इष्टतमीकरण के लिए डी० एस० टी० के कार्यक्रम के अधीन कुछ और सौर शक्ति चालित प्रशीतन संयंत्रों के डिजाइन, विकास और संविरचना करने की योजना तैयार की जा रही है। इसके लिए इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टैक्नोलोजी (मद्रास, बम्बई और दिल्ली) सी० एम० ई० आर० आई०, दुर्गापुर और सी० एस० एम० सी० आर० आई०, भावनगर में उपलब्ध विशेष योग्यता और जानकारी का उपयोग किया जा रहा है।

बी० एच० ई० एल० के साथ संयुक्त रूप से आई० आई० टी०, मद्रास में पहले से लगाये गए 10 किलोवाट के सौर तापीय विद्युत संयंत्र का अल्पकालीन और दीर्घकालीन परीक्षण कार्यक्रम हाथ में लिया गया है। विभिन्न प्रणाली विन्यासों और संग्राहकों के आधार पर सौर तापीय शक्ति संयंत्रों की योजना तैयार की जा रही है। विकेन्द्रीकृत अनुप्रयोगों के लिए प्रदर्शन शक्ति संयंत्रों के अगले तीन वर्षों में प्रतिष्ठापित किए जाने का प्रस्ताव है।

सौर तापीय प्रौद्योगिकी को बड़े पैमाने और व्यापारिक अनुप्रयोगों की दिशा में गतिशील प्रभाव प्रदान करने के लिए विभाग ने सौर तापीय युक्तियों/प्रणालियों के ग्रामीण क्षेत्र में क्षेत्रीय परीक्षण और प्रदर्शन सहित आदि प्रारूप और उत्पादन विकास केन्द्र की स्थापना करने

के लिये एक मुख्य और विशद परियोजना का प्रणयन किया है। इस परियोजना पर पांच वर्षों में लगभग 6 करोड़ रुपये खर्च आने का अनुमान है।

इस प्रतिष्ठापना तथा अन्य प्रतिष्ठापनाओं के माध्यम से सौर तापीय उपकरणों के बड़े पैमाने के प्रदर्शन एवं अनुप्रयोग के क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रस्ताव है। ये उपकरण, भविष्य में, ऐसी ऊर्जा सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने में योगदान दे सकेंगे जिन्हे फिलहाल पैट्रोलियम के उत्पादों से पूरा किया जाता है, उदाहरणतया जल तापन और प्रशीतन के लिए प्रयोग में आने वाले तैल ज्वलित बायलरों के प्रतिस्थापन के लिए और डीजल या तैल ज्वलित बायलरों आदि पर आधारित छोटे साइज की शक्ति यूनिटों के लिये प्रतिस्थापन।

प्रकाश वोल्टीय युक्तियां और प्रणालियां :

प्रकाश वोल्टीय सैलों से सौर ऊर्जा के बिजली में सीधे रूपान्तरण के लिये बुनियादी प्रौद्योगिकी का पहले ही विकास किया जा चुका है। अब मुख्य समस्या है इस तरीके से बिजली के परम वाट की लागत को न्यायोचित स्तर पर लाकर कम करना, और इस क्षेत्र में वर्तमान डी० एस० टी० के कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य यही है। इसे निम्नलिखित से प्राप्त किया जा सकता है : (क) कम लागत की सौर ग्रेड सिलिकन सामग्री और संविरचना की कम लागत की तकनीकी का विकास करके, और (ख) सौर सैलों और पैनलों की कुशलता में सुधार करके। इस क्षेत्र में इस कार्यक्रम के परिणामस्वरूप सी० ई० एल० द्वारा प्रयोगशाला स्तर पर सिंगल क्रिस्टल सिलिकान सैलों की संविरचना की गई है—सी० ई० एल० डी० एस० टी० के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। इस कार्य में आई० आई० टी०, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और विश्वविद्यालयों के अनुसंधान वर्गों का भी सहयोग है। सी० ई० एल० में तैयार किये गये सौर प्रकाश वोल्टीय माड्यूलों को इस समय जहाज चालन के लिए द्वारिका पत्तन पर प्रकाश स्तम्भ बीकन में इस्तेमाल में लाया जा रहा है। इसे गुजरात के अवानिया गांव में सौर आसवन संयंत्र में जल पम्पन कार्य के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसे राजस्थान में तजेरा गांव में पेय जल की आपूर्ति के लिए इस्तेमाल में लाया जा रहा है और साथ ही कुछ प्रदर्शन पम्पन प्रणालियों में इस्तेमाल किया जा रहा है। भावी कार्यक्रम में सिलिकान सौर सैलों और पैनलों के लिए संविरचना तकनीकों को ऊपर उठाना, पेय जल के पम्पन, लघु सिंचाई, सामुदायिक प्रकाश व्यवस्था, शिक्षा सम्बन्धी रेडियो कार्यक्रमों और दूरदर्शन सैटों के लिए, तेल की पाइप लाइनों के धनाग्र बचाव के लिए और दूर दराज के क्षेत्रों में संचार उपकरणों में इस्तेमाल के लिए माड्यूलों का विकास करना शामिल है। 5 वर्षों में 9.5 करोड़ रुपये की लागत की एक मुख्य परियोजना, जिसमें कई प्रकार के अनुप्रयोगों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में प्रकाश वोल्टीय प्रणालियों के बड़े पैमाने पर उपयोग के लिये (इसमें पीने और लघु सिंचाई के लिये जल पम्पन पर अधिक बल दिया गया है) तैयार की गई है। इस बीच, कुल 25 किलोवाट क्षमता के सौर प्रकाश वोल्टीय पम्प सैटों की संविरचना और क्षेत्रीय परीक्षण के लिए 1981 तक पूरे किए जाने वाले एक अल्पकालीन कार्यक्रम को अन्तिम रूप प्रदान किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में इन पम्प सैटों के प्रदर्शन के लिए स्थान का अभिनिर्धारण भी कर लिया गया है। इसके साथ-साथ पोली क्रिस्टालीन सिलिकान सैलों, एम० ओ० एस० सैलों, कैडियम सल्फाइड सैलों, आदि जैसे विभिन्न प्रकार के सौर

सैलों के विकास के लिए अनुसंधान और विकास कार्य को हाथ में लिया गया है और साथ ही सौर पैनलों के लिए संकेन्द्रक प्रणाली का विकास भी किया गया है ताकि इसकी लागत प्रभाविता और कुशलता में सुधार किया जा सके। प्रस्ताव है कि इस वर्ष से आरम्भ करके पेय जल, सिंचाई, आदि के लिए प्रकाश वोल्टीय प्रणालियों के अनुप्रयोग का विस्तार किया जाये। इन अनुप्रयोगों से कुछ ऐसी आवश्यकताओं को पूरा करने में सीधी मदद मिल सकती है जिन्हें फिलहाल पैट्रोलियम उत्पादों से पूरा किया जाता है। उदाहरणतया : पेय जल, सिंचाई, गांवों में बिजली देने इत्यादि के लिये पम्प। इस स्रोत से उत्पन्न बिजली पर परम्परागत विकल्पों की तुलना में प्रति यूनिट अधिक लागत आती है। यह लागत प्रति शिखर वाट 80-120 रुपये है। बहरहाल, प्रौद्योगिकी में सुधार और विकास एवं संविरचना की मात्रा से इस लागत में महत्वपूर्ण कमी आने की आशा है।

जीव भार का ऊर्जा में परिवर्तन :

जीव गैस प्रणालियों के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के महत्व को स्वीकार करते हुए, कुछ वर्ष पूर्व विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा एक अखिल भारतीय समन्वित कार्यक्रम आरम्भ किया गया था जिसमें लखनऊ स्थित उत्तर प्रदेश शासन के योजना अनुसंधान और कार्य प्रभाग, खादी ग्रामोद्योग आयोग, रुड़की स्थित स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सैन्टर और सैन्ट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट और अन्य संगठनों जैसे कई अंतः विषयशास्त्रीय अनुसंधान केन्द्रों को शामिल किया गया था। इस कार्यक्रम के पहले चरण में प्राथमिक रूप से पशुओं की विष्टा सहित जैव अपशिष्टों के उपयोग में पर्याप्त सफलता प्राप्त की गई है और परिवार स्तर के जैव गैस संयंत्रों, जनता 'ड्रमरहित' संयंत्रों और लोह-सीमेंट के गैस होल्डरों का विकास किया गया है और सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक पक्षों में अनुसंधान के आशावान परिणाम देखने को मिले हैं।

अब डी० एस० टी० का मुख्य और गतिशील बल इस बात पर है कि ग्रामीण ऊर्जा आधात्री में महत्वपूर्ण तत्व के रूप में एक पारिवारिक और सामुदायिक आकार के जैव गैस संयंत्रों का विकास किया जाए। इस कार्यक्रम के भावी चरण में, जिसका श्रीगणेश इस वर्ष हुआ है, अधिक बल इस बात पर दिया जा रहा है कि सामुदायिक आकार और परिवार टाइप के जैव गैस संयंत्र की प्रतिष्ठापना का विस्तार किया जाये और शाक भाजी अपशिष्टों और कृषि अपशिष्टों जैसे धन अपशिष्टों/सामग्रियों के अन्य प्रयोगों का विस्तार किया जाए। कुछ चुने हुए गांवों में पी० आर० ए० डी०, लखनऊ और खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा 6 सामुदायिक जैव गैस संयंत्र तैयार किए जाएंगे। सामुदायिक आकार के जैव गैस संयंत्रों के प्रदर्शन के लिये एक अल्पकालीन कार्यक्रम तैयार किया गया है और स्थल के चयन का कार्य चल रहा है। इस समन्वित परियोजना के समर्थन में सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक पक्षों, किण्वन प्रौद्योगिकी, कम लागत के मकान बनाने के तरीकों और जैव गैस उपयोगोकरण के लिए कम लागत की युक्तियों और इंजनों से संबंधित अन्य तकनीकी समस्याओं का समाधान करने के लिए कार्य चल रहा है।

अल्कोहल जिसे ईंधन या फीड स्टाक के रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है, की व्यवस्था करने के लिये, कृषि अवशिष्टों या जीव भार के उपयोगोकरण के अन्वेषण के लिए कई कार्यक्रमों पर कार्य किया जा रहा है। यहां सौर ऊर्जा का उपयोग प्रकाश संश्लेषण और जीव-वैज्ञानिक

शृंखला के माध्यम से किया जाता है। डी० एस० टी० ने सौर ऊर्जा के प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने के कारण जीव भार के उत्पादन और जीव भार के ईंधन/फीड स्टाक (पशु आहार) के रूप में रूपान्तरण से संबंधित अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों का परीक्षण, अभिनिर्धारण और निर्माण करने के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति का संगठन किया है। आई० आई० टी०, दिल्ली में दो परियोजनाओं को हाथ में लिया गया है। इसमें से एक मीथेन के मीथानोल में जैव परिवर्तन से संबंधित है और दूसरी का संबंध सैल्यूलोसी सामग्री के ईथानोल में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए है। साथ ही डी० एस० टी० द्वारा इंस्टीट्यूट आफ पैट्रोलियम, देहरादून के सहयोग से नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में संभावी पैट्रो फसलों के समावेश, संवीक्षा और कृषि और उनके पैट्रोलियम हाइड्रोकार्बनों में रूपान्तरण के लिए एक परियोजना का समारम्भ किया गया है। क्योंकि इस क्षेत्र में समस्त अनुसंधान और विकास का गर्भादान समय बहुत लम्बा होगा, फिर भी इस बात के प्रयास किये जा रहे हैं कि प्रौद्योगिकी को तर्कसंगत कालक्रम में तुरन्त उपलब्ध कराया जाए। जीव वैज्ञानिक प्रणालितों द्वारा सौर ऊर्जा को इस प्रकार से उपयोग में लाना पर्यावरणीय प्रदूषण, संसाधन अपघटन और विकेन्द्रीकृत ऊर्जा आपूर्ति का संवर्द्धन करने के लिये अत्यधिक प्रभावी और उपयोगी माध्यम होगा। जैव भार तकनीकों से ऐसे प्रयोगों के लिए अनुकल्प प्राप्त होने की भी अपेक्षा की जाती है जिनकी पूर्ति फिलहाल पैट्रोलियम उत्पादों से की जा रही है। उदाहरणतया, रसोई के लिये जैव-गैस के इस्तेमाल से मिट्टी के तेल या रसोई प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले तेलों की मांग को कम कर सकती है। इसी प्रकार, जैव गैस इंजनों का इस्तेमाल करके पम्पन के लिए डीजल की मांग को कम किया जा सकता है। लागत को कम करने तथा सामाजिक आर्थिक पहलुओं पर अन्वेषण कार्य चल रहे हैं।

सामान्य रूप से अब यह प्रस्ताव किया जाता है कि नवीकरणीय ऊर्जाओं को विकसित करने और उनके व्यापक पैमाने पर उपयोग करने के लिए इन कार्यक्रमों को नया प्रोत्साहन और नई प्राथमिकता प्रदान की जाए।

बसों के निर्माण के लिए प्रस्ताव

3542. **श्री निहाल सिंह** : क्या उद्योग मंत्री बसें चलाने के कारण फेफड़े के रोगों के बारे में 26 अप्रैल, 1979 के तारांकित प्रश्न संख्या 893 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन फर्मों अथवा कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने पिछले भाग पर लगे अथवा अन्डर-फ्रेम लगे इंजिनों के समेकित डिजाइन वाली बसों का निर्माण करने के तीन प्रस्ताव सरकार को भेजे थे और इन फर्मों के नाम क्या हैं जिन्हें आशय पत्र जारी किए हैं; और

(ख) क्या सरकार ने शेष दो प्रस्तावों पर विचार कर लिया है; और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) निम्नलिखित तीन कम्पनियों को समेकित डिजाइन पर आधारित बसों के निर्माण के लिए सम्बद्ध मंजूरी देने का प्रस्ताव है और सम्बद्ध मंजूरी दी गई है जैसा कि बताया गया है: —

(1) **मैं० हैदराबाद आल्विन मेटल वर्क्स लिमिटेड, सनत नगर, हैदराबाद**
2000 समेकित बसों के निर्माण के लिए फर्म को 30 मई, 1978 को एक आशय पत्र जारी किया गया था ।

(2) **मैं० अशोक लैलैंड लिमिटेड, इन्नोर, मद्रास**
कंपनी की वाणिज्यिक गाड़ियों के निर्माण के लिए उनकी विद्यमान क्षमता के अन्दर समेकित बसों के निर्माण के लिए 3 मई, 1979 को मैं० लैलैंड व्हीकल्स लिमिटेड, यू० के० के साथ विदेशी सहयोग करने की अनुमति दी गई है ।

(3) **मैं० किर्लोस्कर कुमिन्स लिमिटेड, कोठरुद, पुणे**
मैं० गोटलोब औवर्टर जी० एम० बी० एच० एण्ड कम्पनी, जर्मनी के संघीय गणराज्य के सहयोग से दो वर्षों की अवधि में 500 समेकित बसों के निर्माण के लिए कम्पनी को 26 नवम्बर, 1979 को एक लाइसेंस दिया गया है ।

पावर जेनरेटरों के आयात के लिए विश्व-व्यापी निविदाएं

3543. **श्री नवीन रवाणी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1978-79 से चल रही आयात नीति में पावर जेनरेटर संयंत्रों का आयात करने के लिये विश्वव्यापी निविदाओं को आमंत्रित करने का प्रावधान है;

(ख) इस समय ऐसी कितनी विश्व-व्यापी निविदाएं स्वीकृति पाने हेतु सक्षम समिति के विचाराधीन हैं, और उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा पावर जेनरेटर सैटों के बहुतायत में बनाये जाने को देखते हुए सरकार का इस प्रकार के आयात को बन्द कर देने का विचार है; और

(घ) हमारा देश इस क्षेत्र में आत्म-निर्भर कब तक हो जायेगा ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, हां ।

(ख) इस समय तीन आवेदन पत्र सक्षम समिति के विचाराधीन हैं जिनका ब्यौरा नीचे दिया जाता है:—

क्रमांक	आवेदक का नाम	वस्तु	कहां से खरीदने का प्रस्ताव है	लागत, बीमा, भाड़ा मूल्य (रुपये)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश बिजली बोर्ड	जनरेटर/ ट्रांसफार्मर	निशो-इवाई, जापान	47.850 लाख
2.	आसाम राज्य बिजली बोर्ड	स्टीम टर्बाइन जनरेटिंग प्लांट	बी० एच० ई० एल० मित्सु-बिशी, जापान	954.240 लाख
3.	गुजरात बिजली बोर्ड, बड़ौदा	विद्युत जनित्रण पारेषण और वितरण	सुमिटोमो कारपोरेशन, जापान	4326.450 लाख

(ग) सरकार स्थिति पर निरन्तर निगरानी रख रही है जिससे आयात किए जाने के स्वदेशी क्षमता का कम उपयोग न होने पाये। जब भी आवश्यक हो, आयात कम करने के लिए उपयुक्त उपायों पर विचार किया जा सकता है।

(घ) हमारी स्वदेशी क्षमता अधिकांश मांग को पूरा करने की स्थिति में है, सिवाय इसके कि जहां विशेष उपकरणों की आवश्यकता है, वहां बहुत कम डिलीवरियों और/या विशेष प्रौद्योगिकीय या ऋण संबंधी बातों के कारण आयात करना आवश्यक हो सकता है।

सरकारी क्षेत्र के एक एकक को विदेशी सहयोग के लिए अनुमति

3544. **श्री एन० ई० होरो :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक सरकारी एकक को रेजर ब्लेडो का निर्माण करने के लिए यू० के० के बिल किनसन के साथ तकनीकी सहयोग करने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो सहयोग की शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार इसी प्रकार के ब्लेडों के लिए जिन्हें सरकारी क्षेत्र में बनाये जाने का विचार है; वित्तीय सहयोग की अनुमति देने हेतु एक प्राइवेट पार्टी के एक अन्य प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या एक प्राइवेट पार्टी को पूंजी लगाने की अनुमति देने से सरकारी क्षेत्र के एकक के हित को आघात पहुंचेगा क्योंकि यह केवल तकनीकी जानकारी पर आधारित है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकारी एकक के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) मैसर्स कर्नाटक स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन (कर्नाटक राज्य सरकार के एक उद्यम) द्वारा प्रवर्तित संयुक्त क्षेत्र की एक परियोजना मैसर्स कर्नाटक ब्लेड्स लिमिटेड, बंगलौर को दोहरी धार वाले सेफ्टी रेजर ब्लेडों, ट्विन ब्लेड यूनिटों तथा निपटान योग्य इकाइयों व सेफ्टी रेजरों जैसे ऐविंग सेस्टमों का उत्पादन करने के लिए पांच वर्ष की अवधि के लिए रायल्टी व एकमुश्त फीस का भुगतान करने के आधार पर मैसर्स विलकिन्सन स्वोर्ड लिमिटेड, ग्रेट ब्रिटेन के साथ सहयोग करने की अनुमति दे दी गई है।

(ग) एक विदेशी कम्पनी के वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग से स्टेनलेस स्टील के सेफ्टी रेजरों का उत्पादन करने के लिए एक निजी कम्पनी से आवेदन प्राप्त हुआ है। इस आवेदन पर अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(घ) (ग) को ध्यान में रखते प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

योजनाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर व्यय

3545. **श्री भीखा भाई :** क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में संविधान के लागू होने के समय से 31 मार्च 1980 तक केन्द्रीय सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत अनुसुचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर अलग-अलग रूप से कितना खर्च किया गया है और क्या इस बारे में अलग-अलग आंकड़े सभा पटल पर रखे जायेंगे; और

(ख) इन समुदायों पर अलग-अलग प्रति व्यक्ति के हिसाब से कितना खर्च किया गया है ?

योजना मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) केन्द्रीय सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए किया गया कुल व्यय अलग-अलग पहली योजना से चौथी पंच वर्षीय योजना तक उपलब्ध नहीं है क्योंकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास के सामान्य क्षेत्रकों में किए गए निवेश का प्रबोधन करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। तथापि पिछड़े वर्गों के विशेष क्षेत्रक के अंतर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित व्यय चौथी पंचवर्षीय योजना तक की अवधि के लिए उपलब्ध है। पांचवीं पंच वर्षीय योजना में, जनजातीय उप-योजनाओं के शुरू किए जाने के साथ, अनुसूचित जातियों के विकास के लिए सामान्य क्षेत्रकों का अंशदान निर्धारित किया जा सका था। तथापि, अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना केवल 1979-80 में शुरू की गई; इसलिए अनुसूचित जातियों के लिए सामान्य क्षेत्रकों का अंशदान केवल 1979-80 के लिए ही निर्धारित किया जा सका। विवरण-1 में पहली पंच वर्षीय योजना के आरम्भ से लेकर 31 मार्च, 1980 तक की अवधि में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों द्वारा किया गया व्यय बताया गया है। इसमें मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, दादरा और नगर हवेली, लक्षद्वीप तथा मिजोरम के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, जो जनजातीय बहुसंख्या वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र हैं, द्वारा किया गया व्यय शामिल नहीं है। विभिन्न योजनाओं की अवधियों में इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में किया गया व्यय विवरण-2 में दिया गया है।

(ख) इन समुदायों के लिए अलग से किया गया प्रति व्यक्ति व्यय विवरण 3-क और 3-ख में दिया गया है।

विवरण-1

विभिन्न योजनाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यय

(करोड़ रु०)

	अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति		
	राज्य	केन्द्र	जोड़	राज्य	केन्द्र	जोड़
पहली योजना**	6.13*	—	6.13	19.93	—	19.93
दूसरी योजना**	22.31	6.25	28.56	23.86	19 06	42.92
तीसरी योजना**	26.36	14.46	40.82	29.64	20.89	50.53

1	2	3	4	5	6	7
1966-69**	13.95	20.50	34.45	9.57	22.75	32.32
चौथी योजना	44.59	27.60	72.19	33.60	46.25	79.85
पांचवी योजना	100.66@	58.01@	158.67	555 67	108.26	663.93
1978-79 (वास्तविक)	22.20@	24.03@	46.23	344.12	149.62	493.74
1979-80 (प्रत्याशित व्यय)	271.93	28.44	300.37	392.68	150.60	543.28
जोड़	508.13	179 29	687 42	1409.07	513.43	1926.50

* राज्यों और केन्द्रीय क्षेत्रकों के अंतर्गत धनराशि की व्यवस्थाओं में पहली योजना में अन्तर नहीं किया गया था ।

** यह व्यय केवल 'पिछड़े वर्ग' के विशेष क्षेत्रक से सम्बन्धित है । इसमें अन्य क्षेत्रकों से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यय शामिल नहीं है ।

@ पांचवीं पंच वर्षीय योजना और 1978-79 की वार्षिक योजना के लिए अनुसूचित जातियों के लिए आंकड़े केवल पिछड़े वर्गों के विशेष क्षेत्रक के अन्तर्गत किए गए व्यय के निदर्शक हैं । अन्य क्षेत्रकों से व्यय का निर्धारण नहीं किया जा सका ।

विवरण-2

जनजातीय बहुसंख्या वाले राज्यों में किया गया व्यय

(करोड़ रु०)

योजना की अवधि	मेघालय	नागालैंड	अरुणाचल प्रदेश	दादरा और नगर हवेली	लक्षद्वीप	मिजोरम	जोड़
पहली योजना	*	*	2.31	**	**	*	2.31
दूसरी योजना	*	*	3.74	**	0.42	*	4.16
तीसरी योजना	*	10 79	7.32	0.25	0.99	*	19.35
1968-69	*	15.98	7.79	0.71	0.95	*	25.43
चौथी योजना	36.24	38 52	21.12	2.33	1.90	9.30	109.41
पांचवी योजना (1974-78)	71.33	70.15	42.34	5.72	3.81	34.11	227.46
वार्षिक योजना (1978-79)	27.74	26.10	22.49	3.14	1.33	14.62	95.42
वार्षिक योजना (1979-80) प्रत्याशित व्यय	34.08	29.66	23.41	4.11	2.60	16.61	110.47
जोड़	169.39	191 20	130.52	16.26	12.00	74.64	594.01

* असम में शामिल है ।

** अन्य बड़े राज्यों में शामिल है ।

विवरण 3-क

पिछड़े वर्ग क्षेत्रक, जनजातीय उपयोजनाओं और विशेष संघटक योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न योजना की अवधियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए किया गया प्रति व्यक्ति व्यय

(प्रति व्यक्ति रु०)

योजना अवधि	अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति		
	राज्य	केन्द्र	जोड़	राज्य	केन्द्र	जोड़
पहली योजना**	1.17	—	1.17	10.43	—	10.43
दूसरी योजना**	4.27	1.19	5.47	12.49	9.98	22.47
तीसरी योजना**	4.09	2.24	6.33	9.95	7.01	16.96
1966-69**	2.16	3.18	5.34	3.21	7.63	10.84
चौथी योजना**	7.57	3.45	9.02	8.84	12.17	21.01
पांचवीं योजना (1974-78)	12.58@	7.25@	19.83	146.23	28.49	174.72
1978-79	2.77@	3.00@	5.77	90.55	39.37	129.92
1979-80 (प्रत्याशित व्यय)	33.99	3.55	37.54	103.34	39.63	142.97

** प्रति व्यक्ति आंकड़े 'पिछड़े वर्ग' के विशेष क्षेत्रक के अन्तर्गत किए गए व्यय से सम्बन्धित हैं। इसमें अन्य क्षेत्रकों से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए किया गया व्यय शामिल नहीं है।

@ पांचवी योजना और 1978-79 की वार्षिक योजना के लिए अनुसूचित जातियों के लिए प्रति व्यक्ति आंकड़े केवल पिछड़े वर्गों के विशेष क्षेत्रक के अन्तर्गत किए गए व्यय के निदर्शक हैं। अन्य क्षेत्रकों से व्यय का निर्धारण नहीं किया जा सका।

विवरण 3-ख

पहली योजना से लेकर 1979-80 की वार्षिक योजना तक जनजातीय बहुसंख्या वाले राज्यों में किया गया प्रति व्यक्ति व्यय

(प्रति व्यक्ति रु०)

योजना अवधि	मेघालय	नागालैंड	अरुणाचल प्रदेश	दादरा और नगर हवेली	लक्षद्वीप	मिजोरम
पहली योजना	*	*	75	**	**	*
दूसरी योजना	*	*	114	*	183	*
तीसरी योजना	*	280	224	46	430	*
1966-69	*	400	207	104	352	*

1	2	3	4	5	6	7
चौथी योजना	358	947	452	315	594	280
पांचवी योजना (1974-78)	705	1359	907	773	1191	1027
वार्षिक योजना (1978-79)	27.19	5.06	4.82	4.24	4.29	4.40
वार्षिक योजना (1979-80)	33.41	5.75	5.01	5.55	8.38	5.00

* असम में शामिल हैं।

** बड़े राज्यों के भाग थे।

युद्ध में मारे गये सैनिकों की विधवाओं का पुनर्वास

3546. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने युद्ध में मारे गये सैनिकों की विधवाओं के पुनर्वास के लिए उन्हें प्लाट अनुग्रहपूर्वक अनुदान, मकान बनाने के लिये ऋण या बच्चों की शिक्षा के लिये छात्रवृत्तियां जैसी सुविधाएं/रियायतें देने के रूप में, क्या कदम उठाये हैं;

(ख) क्या सरकार ने युद्ध में मारे गये सैनिकों की विधवाओं को पहुंचने वाले इस प्रकार के लाभ के बारे में कोई जाइजा लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, इस प्रकार का मूल्यांकन कब तक किया जाएगा; और

(ङ) राज्यवार ऐसी विधवाओं की संख्या क्या है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) से (ङ) युद्ध में वीरगति प्राप्त जवानों की विधवाओं के पुनर्वास की व्यवस्था और भूमि के प्लाट मंजूर करना, अनुग्रह-पूर्वक अनुदान, मकान बनाने के लिए ऋण और बच्चों की शिक्षा के लिए उन्हें छात्रवृति जैसी सुविधाएं/रियायतें देने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। जहां तक जानकारी है सभी राज्य सरकारों ने, युद्ध में वीरगति प्राप्त जवानों की विधवाओं को ये रियायतें दी हैं लेकिन इन रियायतों की सीमा और उनकी मात्रा अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है। राज्य सरकारों द्वारा युद्ध में वीरगति प्राप्त जवानों की विधवाओं को दी गई रियायतों के अलावा केन्द्र सरकार इन विधवाओं को मकान बनाने अथवा मरम्मत के लिए बैंकों से लिए गए ऋण की ब्याज पर आर्थिक सहायता देती है। प्रत्येक मामले के औचित्य के आधार पर इन विधवाओं के बच्चों को शिक्षा के लिए छात्रवृतियां मंजूर की जाती हैं। कुछ स्वेच्छिक संगठनों ने प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र भी खोल दिए है जहां पर इन विधवाओं को सिलाई/कढाई आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है। इन केन्द्रों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही ऐसी विधवाओं को प्रशिक्षण के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है।

2. राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार द्वारा दी गई सुविधाएं/रियायतें इन विधवाओं के पुनर्वास सम्बन्धी जरूरतें हर दृष्टि से पूरी करती प्रतीत होती हैं। लेकिन इसका कोई औपचारिक मूल्यांकन नहीं किया गया है।

1962, 1965 और 1971 के युद्ध में वीरगति प्राप्त जवानों की विधवाओं के बारे में आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

युद्ध में वीरगति प्राप्त जवानों की विधवाओं के सम्बन्ध में आंकड़े

चीनी आक्रमण 1962, भारत-पाक संघर्ष 1965 और भारत-पाक युद्ध 1971

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	युद्ध में वीरगति प्राप्त जवानों की विधवाओं की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	70
2.	असाम	23
3.	बिहार	150
4.	गुजरात	7
5.	हरियाणा	707
6.	हिमाचल प्रदेश	456
7.	जम्मू तथा कश्मीर	357
8.	केरल	117
9.	मध्य प्रदेश	82
10.	महाराष्ट्र	361
11.	मणिपुर	2
12.	मेघालय	2
13.	मिजोरम	5
14.	कर्नाटक	41
15.	नागालैंड	—
16.	उड़ीसा	25
17.	पंजाब	972
18.	राजस्थान	459
19.	तमिलनाडु	130
20.	त्रिपुरा	1
21.	उत्तर प्रदेश	1113
22.	पश्चिम बंगाल	65
23.	चंडीगढ़	2
24.	दिल्ली	60
25.	गोवा	1
26.	अरुणाचल प्रदेश	—
27.	सिक्किम	1
	कुल	5210

दूसरा विवाह करने पर विधवाओं को पेन्शन

3547. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सेवा के दौरान लड़ाई में अथवा अन्य प्रकार से मारे गये जवानों की विधवाओं को उसके द्वारा दूसरा विवाह कर लिये जाने के बाद भी पेंशन का कुछ भाग देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या पेंशन का शेष भाग मृतक जवान के माता-पिता को अदा किया जाता है।

(ग) उक्त निर्णय किस तारीख से लिया गया है; और

(घ) पेंशन किस ठीक अनुपात में विभाजित की जाती है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) यदि सैनिक की मृत्यु सैनिक सेवा के कारण हुई हो और उनकी पत्नी उनके सगे भाई के साथ विवाह कर लेती है तो पत्नी परिवार पेंशन पाने की हकदार है। लेकिन यदि वह मृतक के सगे भाई के साथ विवाह न करके किसी दूसरे व्यक्ति के साथ विवाह करती है तो उसे परिवार पेंशन मिलनी बन्द हो जाती है। लेकिन युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की विधवाएं मृतक पति के सगे भाई के साथ विवाह न करके किसी दूसरे व्यक्ति के साथ विवाह कर लेने के बाद भी परिवार पेंशन पाने की हकदार हैं। परन्तु जिन मामलों में सैनिक की मृत्यु मिलिटरी सेवा के कारण न हुई हो उनमें पुनर्विवाह करने पर विधवा का पेंशन का हक समाप्त हो जाता है।

(ख) और (घ) कुछ मामलों में पेंशन का कुछ हिस्सा मृतक के माता-पिता को दिया जाता है। इस बारे में एक विवरण संलग्न है।

(ग) मिलिटरी सेवा में किसी अन्य कारण से मृत्यु होने पर परिवार पेंशन देने की व्यवस्था पेंशन नियमों में पहले से ही विद्यमान है। युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों के मामलों में जहां उदार दरों पर पेंशन दी जाती है, यह व्यवस्था 1 फरवरी, 1972 से लागू की गई है।

विवरण

युद्ध में वीरगति प्राप्त या मिलटरी सेवा में किसी अन्य कारण से मृत सैनिक

(1) यदि विधवा अपने वीरगति प्राप्त पति के सगे भाई से विवाह करती है और उसके साथ रहती हुई सामाजिक जीवन व्यतीत करती है और/अथवा माता-पिता सहित अन्य पात्र उत्तराधिकारियों के भरण-पोषण में सहायता करती है तो उसे विशेष पारिवारिक पेंशन मूल रूप से मिलती रहेगी। यदि माता-पिता यह शिकायत करते हैं कि विधवा उनके भरण-पोषण के खर्चे में सहायता नहीं कर रही है तो सही मामलों में पेंशन को प्रत्येक मामले के औचित्य के आधार पर बांटा जा सकता है। फिर भी ऐसे किसी बंटवारे में विधवा का हिस्सा, साधारण पारिवारिक पेंशन की दर से कम नहीं होगा जो कि उसे तब मिलती जब उसके पति की मृत्यु सैनिक सेवा के कारण न हुई होती।

(II) यदि विधवा किसी दूसरे से विवाह कर लेती है तो उसे विवाह की तिथि से उतनी साधारण पारिवारिक पेंशन के बराबर राशि मिलेगी जितनी कि उसे तब मिलती जब सैनिक की मृत्यु साधारण स्थिति में हुई होती। जहां तक माता-पिता का सम्बन्ध है उन्हें सैनिक की मृत्यु की तारीख से 7 वर्षों की बकाया अवधि के लिए उसी तारीख से विधवा की पेंशन की मूल दर से पेंशन मिलेगी। इसके बाद जे०सी०ओ० (और वायु सेना और नौ सेना में उनके समक्ष अफसरों) के मामले में समेकित दर से 125 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलेगी और अन्य रैंकों के जवानों के माता-पिता को 90.00 रुपये प्रतिमाह की दर से पेंशन मिलेगी परन्तु यदि विधवा को मिलने वाली मूल पेंशन इन दरों से कम थी तो उन्हें विधवा को मिलने वाली मूल दर पर ही पेंशन मिलेगी।

(III) दूसरे मामलों में, विधवा की पेंशन उसके पुनर्विवाह की तारीख से बन्द कर दी जाती है और माता-पिता को दूसरी बार आजीवन परिवार पेंशन मंजूर की जाती है। वर्तमान आदेशों के अनुसार ऐसे मामलों में जे०सी०ओ० (वायु सेना और नौ सेना में उनके समकक्ष अफसरों) के माता-पिता को अधिक से अधिक 50 रुपये प्रतिमाह और अन्य रैंकों के माता-माता को 35 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जा सकती है। इन राशियों के अलावा तदर्थ/समय-समय पर मिलने वाली सहायता भी दी जाती है।

लड़ाई में मारे गये जवानों के माता-पिता को पेन्शन का कुछ भाग दिया जाना

3548. श्री नारायण चन्द पराशर : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को लड़ाई में अथवा अन्यथा मारे गये जवानों के माता-पिता से कोई ऐसी शिकायत प्राप्त हुई है कि मृतक जवानों के अलग रहने वाले वृद्ध माता-पिताओं को वे लाभ नहीं मिलते हैं, जो मृतकों के परिवार के सदस्यों को मिलते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सुनिश्चित करने के लिये कि जवानों की पेन्शन का कुछ भाग उनके माता/पिता को मिल जाय और विशेष रूप से जबकि उनके पास जीवन बसर का कोई दूसरा साधन नहीं, कोई निर्णय लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो निर्णय को किस तिथि से लागू किया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या इस प्रकार के किसी निर्णय के लिए जाने का विचार है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) से (घ) इस सम्बन्ध में समय-समय पर कुछ आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनकी पूरी तरह जांच की गई है और उपयुक्त मामलों में जवानों की विधवा और उनके माता-पिता में पेंशन सम्बन्धी विभिन्न लाभों को बांटने की कार्रवाई की गई है। इस तरह की पेंशन में माता-पिता के हक के बारे में स्थिति नीचे दी गई है।

(1) युद्ध में वीरगति प्राप्त जवानों की विधवाओं को पेंशन उदारीकृत नियमों के अनुसार दी जाती है जो मृत्यु के समय उनके पति को मिल रहे वेतन के बराबर होती है।

युद्ध में वीरगति प्राप्त जवानों की विधवाओं को उदारीकृत दरों पर मिलने वाली पेंशन का एक अंश जवान के माता-पिता को भी दिया जा सकता है। यह अंश ऐसे उपयुक्त मामलों में सरकारी आदेश के अन्तर्गत दिया जाता है जहां विधवा उनका भरण-पोषण न कर रही हो। यह व्यवस्था 1 फरवरी 1972 से लागू है।

(2) सैनिक सेवा के कारण जवान की मृत्यु होने के मामले में उसकी विधवा को विशेष परिवार पेंशन दी जाती है। पेंशन विनियमों के अनुसार, यदि विधवा मृत जवान के माता-पिता सहित परिवार के सम्बन्धित सदस्यों की आर्थिक सहायता करने से इंकार करती है तो विशेष परिवार पेंशन भी बांट दी जा सकती है।

(3) विमान दुर्घटना में जवान की मृत्यु होने पर उसकी विधवा/परिवार को एक लाख रुपये की राशि अनुग्रहपूर्वक अदायगी के रूप में दी जाती है और इसमें से 75,000 रुपये विधवा को और 25,000 रुपये माता-पिता को देय होते हैं। इसके अतिरिक्त पेंशन सम्बन्धी अन्य लाभ भी दिये जाते हैं। यह व्यवस्था 21 मार्च, 1979 से लागू हुई है।

त्रिनगर में उद्योग

3549. **प्रोफेसर मधु दंडवते** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली की त्रिनगर कालोनी में कितने अधिकृत और कितने अनधिकृत उद्योग चल रहे हैं;

(ख) क्या कुछ व्यक्तियों द्वारा कुटीर उद्योगों के लिए प्राप्त किए गए लाइसेंस अन्य ऐसे उद्योगों के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं, जिससे स्थानीय निवासियों को परेशानी उठानी पड़ती है; और

(ग) यदि हां, तो इन कदाचारों को समाप्त करने के लिये क्या किए गए हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणीत चानना) : (क) त्रिनगर कालोनी में 625 लाइसेंस शुदा तथा लगभग 237 गैस लाइसेंसशुदा उद्योग चल रहे हैं।

(ख) और (ग) नगर निगम को जब कभी फैक्टरी लाइसेंस के ऐसे उल्लंघनों का पता चलता है या इस बारे में शिकायत मिलती हैं तो एककों के विरुद्ध कार्यवाई की जाती है।

आदिवासी उप-योजना के बारे में केन्द्रीय मन्त्रालयों द्वारा अपनाई गई उप-योजना नीति

3550. **श्री गिरधर गोमांगो** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन मंत्रालयों ने अब तक उप-योजना नीति अपनाई है तथा मन्त्रालय से उप-योजना क्षेत्रों के लिये धनराशि निर्धारित की है;

(ख) उनके मन्त्रालय द्वारा ध्यान दिये गये आदिवासी क्षेत्रों के लिये केन्द्रीय मन्त्रालयों द्वारा धनराशि निर्धारित किये जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं तथा ऐसा विलम्ब टालने के लिये कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि किसी कठिनाई का पता लगा है तो वह क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) निम्नलिखित मन्त्रालयों/विभागों ने उप-योजना क्षेत्रों के लिए धनराशियां निर्धारित की हैं :

1. कृषि
2. ग्रामीण पुनर्निर्माण ।
3. शिक्षा और समाज कल्याण ।
4. नौवहन और परिवहन ।
5. डाक और तार महा-निदेशक ।
6. ऊर्जा ।
7. नागरिक आपूर्ति और सहकारिता ।
8. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण ।

(ख) और (ग) विलम्ब और रुकावटें आरंभिक कार्यविधि सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण हुई है। यह मन्त्रालय इन कठिनाई को दूर करने के लिए सम्बन्धित मन्त्रालयों के साथ बैठकें, विचार-विमर्श और लिखित पत्राचार करता रहा है।

उड़ीसा में जनजातीय उप-योजना के लिए उपबन्ध किये गये संसधान

3551. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा की जन-जातीय उप-योजना को अन्तिम रूप दिये जाने से लेकर चालू वित्त वर्ष तक राज्य क्षेत्र, केन्द्रीय मन्त्रालयों, विशेष केन्द्रीय सहायता और संस्थागत वित्त से कितने संसाधन उपलब्ध कराये गये हैं;

(ख) राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक परियोजना के लिए कितना धन दिया गया है तथा वर्ष 1977 से वार्षिक योजनाओं में कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है; और

(ग) जन जातियों का शोषण होने से रोकने के लिए जनजातीय उप-योजना क्षेत्र में प्रशासकीय तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिये राज्य सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) सूचना विवरण 1, 2 तथा 3 में दी गई हैं ।

(ग) राज्य द्वारा किए गए उपायों में, एकीकृत जनजाति विकास परियोजनाओं के लिए परियोजना प्रशासकों के पदों का सृजन, इंजीनियरों, पशु-चिकित्सा तकनीशियनों तथा कल्याण प्रसार अधिकारियों सहित अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति शामिल हैं । जनजातीय भूमि के हस्तान्तरण तथ. सूदखोरों के ब्याज की अधिक दर से रुपया उधार देने को रोकने के लिए संरक्षक विधान का तेजी से कार्यान्वयन किया जा रहा है। उड़ीसा के जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन के स्तर को ऊंचा करने के लिए 1979-84 की पांच वर्ष की अवधि के लिए सातवें वित्त आयोग द्वारा किए गए 7.87 करोड़ रुपए के आवंटन का रिहायशी भवनों के निर्माण तथा जनजातीय क्षेत्रों में स्थानान्तरित सरकारी कर्मचारियों को प्रतिपूरक भत्ता देने के लिए प्रयोग किया जा रहा है।

विवरण-1

1974-75 से 1980-81 तक उड़ीसा के लिए जनजातीय उप-योजना के लिए उपलब्ध किए गए साधन

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	राज्य योजना	केन्द्रीय/केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम	विशेष केन्द्रीय सहायता **
1974-75	17.61	2.13	0.86
1975-76	19.71	4.58	2.92
1976-77	20.62	7.96	5.87
1977-78	32.71	8.50	7.7015
1978-79	61.02	10.77	10.33
1979-80	64.75	11.09	9.9110
1980-81	76.97	11.88	9.31*
जोड़	283.39	56.91	46.9025

* अन्तरिम

** आदिम जातियों और जनजातियों क्षेत्रों के लिए आवंटन सहित।

नोट : उप-योजना क्षेत्रों को दिए जाने वाले संस्थागत वित्त की मात्रा का अनुमान नहीं लगाया गया है।

विवरण-2

वर्ष 1977-78, 1978-79 तथा 1979-80 के लिए राज्य योजना के अधीन निधियों का परियोजना के अनुसार अलग-अलग विवरण

(लाख रुपयों में)

परियोजना का नाम	1977-78	1978-79	1979-80
1. कोरापुट	160.20	152.942	158.91
2. नवरंगपुर	149.03	98.771	79.69
3. जैपोर	333.24	68.630	90.30
4. मतकांगिरि	72.23	63.804	257.81
5. रायगढ़	95.23	89.306	141.17
6. बारीपाड़ा	155.56	157.878	159.00
7. कराजिया	73.71	76.507	70.11
8. कपटीपाड़ा	232.37	39.023	52.20
9. रेरंगपुर	240.49	58.262	85.80

1	2	3	4
10. सुन्दरगढ़	184.20	137.387	148.01
11. पम्पोश	79.47	70.594	107.76
12. बोनई	60.94	51.954	56.57
13. क्योंझार	46.38	96.855	220.74
14. चम्पुआ	49.86	52.746	150.46
15 कुचिंडा	45.22	76.873	87.86
16. नीलगिरी	27.31	19.878	45.74
17. युआमल रामपुर	140.72	35.40	45.24
18. फूलबनी	108.18	75.196	67.23
19. जी० उदयगिरि	69.05	67.083	82.20
20. बल्लीगुड्डा	47.73	58.53	175.72 / 93.52
21. पार्लाखमुण्डी	47.32	58.065	141.70
22. गूनुपुर	89.87	83.844	92.48
23. मुईयांपरिह तथा जुआंगपिरह	223.31	31.473	—
	2731.62	1721.001	2434.50
एकीकृत की गई राशि	539.38	3380.999	4040.50
	3271.00	5102.00	6475.00

टिप्पणी : वर्ष 1980-81 के लिए परियोजना वार व्यवस्था का निर्णय नहीं किया गया है।

विवरण-3

1977-78 में दी गई विशेष केन्द्रीय सहायता

वर्ष	राशि (आदिम जातिय और जनजातिय स्थलों के लिए आवंटन सहित)
1977-78	7.7015 करोड़ रुपए
1978-79	10.33 करोड़ रुपए
1979-80	9.9110 करोड़ रुपए
1980-81	9.31 करोड़ रुपए

* अन्तरिम

भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारियों का स्थाईकरण

3552. **श्री राम विलास पासवान** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती के द्वारा नियुक्त किये गये श्रेणी-एक राजपत्रित कर्मचारियों (केन्द्रीय सेवा) को 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूरी होने के बाद उनके ग्रेड में स्थाई कर दिया जाता है यदि उनकी परिवीक्षा अवधि को अन्यथा आगे न बढ़ाया गया हो;

(ख) यदि हां, तो इसके क्यों कारण हैं कि भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारियों को उनकी परिवीक्षा अवधि समाप्त होने पर आठ वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद भी स्थाई नहीं किया जाता है; और

(ग) क्या उपर्युक्त सन्दर्भ में 16 मार्च, 1979 की अधिसूचना को रद्द कर दिया जायेगा और भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारियों को उनकी परिवीक्षा अवधि पूरी होने के तत्काल बाद स्थाई कर दिया जायेगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) केन्द्रीय सेवाओं के कनिष्ठ समूह "क" (श्रेणी-1) ग्रेड में सीधी भर्ती स्थायी तथा अस्थाई दोनों ही प्रकार की रिक्तियों पर की जाती है। स्थायी रिक्तियों पर सीधी भर्ती वाले अधिकारियों को अपनी परिवीक्षा अवधि को संतोषजनक ढंग से पूरा करते ही ग्रेड में स्थायी कर दिया जाता है। आरम्भिक रूप में अस्थायी रिक्तियों पर भर्ती किये गये अधिकारियों को जब भी स्थायी रिक्तियां उपलब्ध हो जाती हैं उस ग्रेड में स्थायी कर दिया जाता है बशर्ते कि वे ऐसे स्थायीकरण के लिए उपयुक्त पाए जाएं।

(ख) चूंकि भारतीय आर्थिक सेवा के विभिन्न ग्रेडों में शुरू में नियुक्तियां अस्थाई रिक्तियों पर की जाती हैं इसलिये स्थायीकरण केवल तभी किया जाता है जब स्थायी रिक्तियां उपलब्ध होती हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय सीमेंट निगम के परिसर में आग

3553. **श्री महमूद हसन खां** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सीमेंट निगम के वर्तमान परिसर में मई, 1979 को आग लग गयी थी;

(ख) यदि हां, तो आग लगने के क्या कारण थे;

(ग) क्या निगम ने नई इमारत के पूरा होने और रहने योग्य तैयार होने से पहले ही अपने कार्यालय को उसमें लाने के निर्णय लेने में जल्दबाजी की थी; और

(घ) निगम ने अपने कार्यालय को नई इमारत में लाने के लिए जल्दबाजी क्यों की थी ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, हां।

(ख) आग लगने के कारणों का पता नहीं लगाया जा सका है।

(ग) निगम के कार्यालयों को नये परिसर में आवश्यकतानुसार परिवर्तन करने के पश्चात स्थानान्तरित कर दिया गया है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय सीमेंट निगम के संस्थापना व्यय में वृद्धि

3554. **श्री महमूद हसन खां** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सीमेंट निगम के संस्थापन-व्यय (एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेन्सिज) में अक्तूबर, 1979 के पश्चात् अत्यधिक वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) पिछले वर्षों की अपेक्षा वर्ष 1978-79 तथा 1979-80 में अवस्थापना सम्बन्धी व्ययों में वृद्धि हुई है।

(ख) निगम द्वारा और अच्छे ढंग से कार्य करके उसके संचालन तथा प्रबन्ध में दक्षता प्राप्त करने के लिए संगठनात्मक ढांचे का पुनर्निर्माण करने तथा अपनी कुछ परियोजनाओं के लिए डिजाइन तथा इंजीनियरी कार्यों को जिन्हें अब तक अन्य संगठनों को दिया जाता रहा है अपने हाथ में लिये जाने आदि जैसे प्रमुख कारणों से इसके स्थापना व्यय में वृद्धि हुई है।

गुजरात में परमाणु बिजलीघर की स्थापना करना

3555. **श्री रामजीभाई मवाणी** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में परमाणु बिजलीघर की स्थापना के प्रश्न पर विचार करने के लिये 1970 से 1975; 1975 से 1977 और 1977 से 31 मार्च, 1980 तक की अवधि के दौरान गठित विभिन्न समितियों, विशेषज्ञों तथा आयोगों के नाम तथा संख्या क्या हैं ;

(ख) उनमें से प्रत्येक के प्रतिवेदन एवं सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उनको कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने हैं;

(घ) उपरोक्त प्रत्येक समिति आदि द्वारा किन-किन स्थानों का दौरा किया गया है और उस पर कितना व्यय हुआ; और

(ङ) उसके क्या परिणाम निकले ?

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ङ) सरकार ने सन् 1970 में 'स्थल चयन समिति' नामक एक समिति का गठन यह पता लगाने के लिए किया था कि कौन-कौन से स्थल नए परमाणु बिजलीघर लगाने के लिए उपयुक्त हैं। समिति ने पश्चिमी क्षेत्र, जिसमें गुजरात भी शामिल है, के अनेक स्थलों का दौरा किया और कुछ स्थलों के नामों की सिफारिश की। एक संभाव्यता प्रतिवेदन तैयार किया गया है, जो अन्य बातों के साथ-साथ, स्थल चयन समिति के प्रतिवेदन पर भी आधारित है। संभाव्यता प्रतिवेदन को सरकार से अनुमोदित कराने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

गुजरात में स्थित स्थानों के दौरों पर समिति ने कितना व्यय किया था यह बता सकना इसलिए संभव नहीं है कि ऐसे व्यय का हिसाब अलग से नहीं रखा गया है। तथापि, स्थल चयन

समिति पर वर्ष 1970-71 से वर्ष 1974-75 तक की अवधि में कुल मिलाकर 5.86 लाख रुपये व्यय हुए थे।

भारत और सोवियत संघ के बीच लुगदी-कागज उद्योग के बारे में समझौता

3556. **श्री अरविन्द नेताम :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और सोवियत संघ ने लुगदी और कागज उद्योग के बारे में समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) भारत और सोवियत रूस के बीच लुगदी और कागज उद्योग के क्षेत्र मे सहयोग करने के एक कार्यकारी कार्यक्रम पर 2 जून, 1980 को हस्ताक्षर किये गये थे। कार्यक्रम में निम्नलिखित कार्यों में सहयोग करने की परिकल्पना की गई है :—

(1) वन बहुल क्षेत्रों का विकास करने के साथ-साथ भारत में लुगदी, कागज मिलों का निर्माण, पुनर्निर्माण व आधुनिकीकरण करना;

(2) विद्युतीय इन्सुलेशन कागज की उत्पादन प्रौद्योगिकी, पर्यावरण संरक्षण प्रणालियों के डिजाइन लुगदी व कागज उद्योग में ऊर्जा व पानी के उपभोग को कम करने के क्षेत्र में वैज्ञानिक व अनुसंधान कार्य तथा रसायन प्राप्त करने की प्रक्रिया का विकास करना;

(3) अन्य तीसरे देशों में लुगदी व कागज उद्योगों के लिए संयंत्रों के डिजाइन बनाने व उनका निर्माण करने के कार्य में भारत और सोवियत संगठनों की संयुक्त सहभागिता की संभावना।

(4) आपसी सहमति के आधार पर लुगदी व कागज उत्पादों तथा अन्य वस्तुओं के आपसी विनिमय की संभावनाओं का पता लगाना।

बड़े व्यापार-गृह सम्बन्धी सरकार आयोग को भंग करना

3557. **श्री नवीन रवाणी :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बड़े व्यापार-गृहों तथा बिड़ला बन्धुओं सम्बन्धी "सरकार आयोग" को भंग करने के पूर्ववर्ती सरकार के निर्णय को बदल देने का है;

(ख) यदि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है तो उक्त आयोग द्वारा एक दशक में किये गये इतने कार्य का उपयोग करने हेतु सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है;

(ग) क्या सरकार उक्त आयोग द्वारा तैयार किये गये प्रतिवेदन तथा एकत्रित की गई सामग्री को प्रकाशित करेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) सरकार आयोग 18 फरवरी, 1970 को नियुक्त किया गया था। इससे अपनी रिपोर्ट सरकार को एक वर्ष में प्रस्तुत कर देने की आशा की गई थी। किन्तु इसके विचारार्थ विषयों के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियों, अधिकांशतः बिरला ग्रुप की कम्पनियों को बड़ी संख्या में रिट याचिकाएं दायर की जाने और न्यायालयों द्वारा जारी किये गये अन्तरिम आदेशों तथा निषेधाज्ञाओं के कारण इसे अपने कार्य में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। आयोग का कार्यकाल एक-एक वर्ष के आधार पर बढ़ाया गया था तथा यह अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं था।

अगस्त 1978 में, सरकार ने आयोग के कार्य की संवीक्षा की तथा यह पाया कि एक अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने में ही 19 महीने से लेकर 2 वर्षों का और समय लग जायेगा।

आयोग को अन्ततोगत्वा 18 अप्रैल, 1979 को समाप्त कर दिया गया था। उपर्युक्त परिस्थितियों में, आयोग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर सका।

फिर भी, इसकी जांचों तथा निष्कर्ष सम्बन्धी इसके सभी रिकार्डों को उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए उन्हें सम्बन्धित मंत्रालयों को भेजा जा रहा है।

हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और जम्मू और कश्मीर से भर्ती का कोटा कम करने का विरोध

3558. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और जम्मू तथा कश्मीर की जनता ने इन राज्यों से भारतीय सेना के लिए भर्ती के कोटे में की जाने वाली कमी पर जो इन राज्यों की जनसंख्या के अनुसार नई भर्ती पर आधारित है, विरोध प्रकट किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में कोई निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय लिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और यह निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है और कोटे में, राज्यवार, वास्तव में कितनी कटौती की गई है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) से (घ) भारतीय भूतपूर्व सैनिक लीग, पंजाब के अध्यक्ष से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था जिसमें कहा गया था कि रक्षा सेवाओं में उत्तरी जोन के लोगों का प्रतिनिधित्व घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया गया है।

भारतीय सेना में भर्ती का आधार व्यापक बनाने की दृष्टि से सरकार की यह नीति रही है कि "सभी वर्गों की रेजिमेंटों में भर्ती, राज्य की भर्ती योग्य पुरुष जनसंख्या से संबंधित होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और जम्मू-कश्मीर में भर्ती-योग्य पुरुष जनसंख्या के आधार पर, भारत में भर्ती योग्य कुल पुरुष जनसंख्या के अनुपात में पंजाब में भर्ती योग्य पुरुष जनसंख्या 2.5 है, हरियाणा में 1.8 है, हिमाचल प्रदेश में 0.7 है और जम्मू-कश्मीर में 0.9 है। लेकिन इन आंकड़ों की तुलना में कुल भर्ती का औसत प्रतिशत पंजाब के मामले में 11.72 है, हरियाणा में 7.62, हिमाचल प्रदेश में 4.20 और जम्मू- कश्मीर में 3.48 है। अतः आप देखेंगे कि भारतीय सेना में इन राज्यों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है।

औद्योगिक विकास की वृद्धि के लिये निर्धारित क्षमता का अधिकतम उपयोग

3559. **श्री गुलाम रसूल कोचक** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि यदि निर्धारित क्षमता का अधिकतम उपयोग किया जाये तो औद्योगिक विकास में वृद्धि हो सकती है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि अधिकांश उद्योग अपनी निर्धारित क्षमता का उपयोग नहीं करते हैं;

(ग) यदि हां, तो इसका मुख्य कारण क्या है;

(घ) क्या सरकार उद्योगों के आधुनिकीकरण के किसी प्रस्ताव पर भी तत्काल विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि उत्पादन लागत को कम करने और वस्तुओं की किस्म में सुधार के लिए चाहे अद्यतन प्रौद्योगिकी का आयात ही क्यों न करना पड़े सरकार उद्योगों का आधुनिकीकरण करेगी ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, हां। यह अनुमान लगाया गया है कि यदि अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग भरपूर किया जाता है तो 1980-81 में उत्पादन 1979-80 के उत्पादन से 10 प्रतिशत अधिक हो सकेगा।

(ख) और (ग) अपर्याप्त अवस्थापना सुविधाओं कच्चे माल की कमी, दोषपूर्ण औद्योगिक सम्बन्ध जैसे कारणों से अधिष्ठापित क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो सका है।

(घ) और (ङ) उद्योगों का आधुनिकीकरण करने से सहायता करने तथा जहां कहीं आवश्यक है विभिन्न निविष्टियों जैसे प्रौद्योगिकी के आयात, के लिये सहायता देने की सरकार की घोषित नीति रही है।

नमक के लिए राज्य डिपो

3560. **श्री अजय विश्वास** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा राज्य में धर्मनगर में नमक के लिए राज्य डिपो का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य में कितनी प्रगति हुई है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, हां।

(ख) नमक डिपो के निर्माण के लिए आवश्यक भूमि त्रिपुरा सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जानी है। राज्य सरकार से इस सम्बन्ध में बात की जा रही है।

दिल्ली में अपमिश्रित सीमेंट की सप्लाई

3561. **श्रीमती प्रमिला दंडवते** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में अपमिश्रित सीमेंट की सप्लाई के बारे में सरकार को कोई जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बिना मिलावट वाले तथा पर्याप्त मात्रा के सीमेंट की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि मैसर्स एस० एन० सुन्दरसेन एण्ड सन्स तथा मैसर्स जगदीश ब्रदर्स स्टाकिस्टों के भण्डार में ऐसी सीमेंट पाई गई जो निर्धारित भारतीय मानक संस्थान (आई० एस० आई०) के मानक के अनुरूप नहीं थी तथा पुलिस में उनके विरुद्ध मामले दर्ज किये गये थे।

(ग) दिल्ली प्रशासन ने संघशासित क्षेत्र दिल्ली में मिलावटी सीमेंट की बिक्री की जांच करने के लिए अपने प्रवर्त्तन तंत्र को तेज कर दिया है। दिल्ली में सीमेंट सप्लाई में सुधार लाने के लिए अप्रैल-जून, 1980 की तिमाही में 13,000 मी० टन सीमेंट का अतिरिक्त आवंटन किया गया था।

लघु उद्योगों के लिए नया कानून

3562. **श्री निहाल सिंह** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके छोटे उद्योगों के लिए नया व्यापक कानून लाने का है;

(ख) यदि हां, तो उसके परिणामस्वरूप उद्योगों को क्या राहत दी जायेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इस प्रकार का कानून पास न करने के क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (ग) समस्त विषय ही सरकार के विचाराधीन है।

बंगलौर में ईरानी और भारतीय छात्रों के बीच झगड़ा

3563. **श्री पी० एम० सईद**
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 14 जून, 1980 को बंगलौर में ईरानी और भारतीय छात्रों के बीच झगड़ा हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इस झगड़े का मुख्य कारण क्या है;

(ग) क्या इस बारे में कोई जांच कराई गई थी;

(घ) इसके लिये जिम्मेदार पाये गए व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) इस दुर्घटना में कितने भारतीय तथा ईरानी छात्र घायल हुए थे ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) राज्य सरकार के अनुसार इस झगड़े की पृष्ठ-भूमि एक ईरानी छात्र द्वारा एक भारतीय छात्र को थप्पड़ मारा जाना था, जब भारतीय छात्र ने परीक्षा में नकल करने के लिए उत्तर पत्र देने से इंकार कर दिया।

(ग) जी हां, श्रीमान।

(घ) कानून की संबद्ध धाराओं के अधीन पुलिस द्वारा मामले दर्ज किए गए थे। निवारक कार्रवाई भी की गई थी और दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 के अधीन भारतीय छात्रों के रिंग नेताओं के विरुद्ध सुरक्षा कार्रवाईयां प्रारम्भ की गई हैं। 46 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और जाँच की जा रही है।

(ङ) 8 ईरानी छात्र घायल हुए थे।

जम्मू और काश्मीर में सीमेंट के उद्योग स्थापित करना

3564. **श्री गुलाम रसूल कोचक** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और काश्मीर राज्य ने राज्य में सीमेंट उद्योग स्थापित करने के बारे में केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या जम्मू और काश्मीर राज्य ने यह भी कहा है कि वहां एसे उद्योगों की स्थापना के लिए अनेक सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार इन उद्योगों की स्थापना के लिए सहमत हो गयी है;

(घ) क्या केन्द्र से कोई विशेषज्ञ दल स्थल अध्ययन के लिए उस राज्य में गया है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या उसके द्वारा कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (ग) जे० एण्ड के मिनरल्स लिमिटेड (जम्मू और काश्मीर सरकार का एक उपक्रम) ने दो सीमेंट कारखाने, एक जम्मू और काश्मीर राज्य के बशौली में तथा दूसरा शिव नामक स्थान पर स्थापित करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस की मंजूरी हेतु आवेदन दिया था। आवेदक को क्रमशः 21.4.77 तथा 16.12.72 को 2-2 लाख मी० टन की क्षमता वाली इन परियोजनाओं की स्थापना के लिए आशयपत्र मंजूर किए गए थे। शिव सीमेंट फैक्टरी के किए स्वीकृत आशय-पत्र औद्योगिक लाइसेंस में परिवर्तित कर दिया गया है जबकि बशौली स्थित सीमेंट कारखाने के लिए स्वीकृत किया गया दूसरा आशय-पत्र अब व्यपगत हो गया है।

(ग) और (ङ) भारतीय सीमेंट निगम ने बशौली स्थित सीमेंट संयंत्र के प्रस्तावित स्थापना-स्थल का दौरा करने के लिए अधिकारियों का एक दल नियुक्त किया था तथा निगम के निष्कर्ष सरकार को पेश कर दिए गए थे।

आई० एन० एस० विक्रान्त का आधुनिकीकरण

3565. **श्री गुलाम रसूल कोचक**
श्री एम० वी० चन्द्रमूर्ति शेखर } : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौसेना के फ्लेग-शिप विक्रांत को अद्यतन विमान वाहक मानक के अनुसार आधुनिकीकृत किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इस जहाज की प्रत्येक प्रणाली को बदला जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके प्रमुख कारण क्या हैं; और

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने यह भी निर्णय किया है कि इस जहाज का आधुनिकीकरण कुछ चरणों में किया जाए ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) से (घ) भारतीय नौसेना पोत विक्रांत को आधुनिक बनाने की दृष्टि से उसमें आवश्यक फेर बदल किया जा रहा है। पुरानी प्रणालियां बदली जा रही हैं और शेष मशीनों, उपकरणों का नवीकरण किया जा रहा है ताकि ये मशीनें और अधिक समय तक काम में लाई जा सकें। यह सारा काम एक ही किश्त में किया जा रहा है।

नई दिल्ली के ताल कटोरा बाग क्षेत्र में डकैती

3566. **श्री गुलाम रसूल कोचक**
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति
श्री जी० वाई० कृष्णन } : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली के तालकटोरा बाग क्षेत्र में 12 जून, 1980 को सशस्त्र डाकुओं के एक दल ने आतंक फैला दिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने घर में घुसकर लूट खसौट की थी और घर वालों तथा पड़ोसियों की पिटाई की थी;

(ग) यदि हां, तो क्या इस मामले में पुलिस की अकर्मण्यता साफ जाहिर होती है;

(घ) क्या राजधानी में इस प्रकार की घटनाओं का होना एक आम बात हो गई है; और

(ङ) यदि हां, तो बड़े पैमाने पर की जा रही हत्याओं तथा सम्पत्ति को लूट को देखते हुए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) चार व्यक्तियों के एक गिरोह ने बंगला नं० 6, पार्क स्ट्रीट, नई दिल्ली में तोड़कर प्रवेश किया। जब वे मकान को लूट रहे थे, तो मकान के निवासी जाग गए और उन्हें ललकारा। उन्होंने मकान के निवासियों को जख्मी किया और तालकटोरा गार्डन की ओर भागे। कुछ पड़ोसियों ने उनका पीछा किया और बदमाशों ने देशी पिस्तौल से एक गोली चलाकर प्रतिकार किया। फिर वे पीछे की ओर मुड़ कर मन्दिर लेन पर आ गए जहां कुछ निवासियों ने उनका पीछा करने का प्रयास किया परन्तु उन पर लाठियों और लोहे की छड़ों से प्रहार किया।

(ग) तीन कांस्टेबल जो घटनास्थल के निकट पहरे/गश्ती ड्यूटी पर थे, मुअत्तल कर दिए गए हैं और दोषियों को पकड़ने के लिए उनके कोई सार्थक प्रयास न करने के कारण उनके विरुद्ध विभागीय जांच शुरू कर दी गई है।

(घ) पिछले वर्ष पांच महीनों और चालू वर्ष के तुलनात्मक आंकड़ों से प्रतीत होता है कि सेंधमारी के मामलों में कमी हुई है।

(ङ) अपराधों को रोकने और नियंत्रित करने के लिए पुलिस द्वारा किए गए कुछ उपाय निम्नलिखित हैं :—

(1) शस्त्र तथा गहन पैदल और चलती फिरती, गश्त वाकी-टाकी-सेट और वायर लेस युक्त मोटर साईकल गश्त आरम्भ की गई है। रात्रि गश्त के लिए जिलों को दिल्ली शस्त्र पुलिस/केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 10 अतिरिक्त कम्पनियां दी गई हैं और इस उद्देश्य के लिए भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की अतिरिक्त बटालियन भी उपलब्ध कराई गई हैं। गश्त की वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा स्वयं जांच और निरीक्षण किया जा रहा है।

(2) रात्रि और प्रातः लड़के गश्त के लिए स्थानीय पुलिस के साथ लगभग 2000 होम गार्ड सम्मिलित करना, पार्कों और अति-संवेदनशील रिहायशी वस्तियों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता साधारण निवारक धाराओं के अधीन बदमाशों और अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई।

(4) अपराध करने में ग्रस्त व्यक्तियों का पता लगाने के लिए वाहनों की आकस्मिक जांच।

(5) ठीकरी पहरा और स्थानीय निवासियों और निजी चौकीदारों द्वारा पुलिस गश्ती दल और टुकड़ियों के सहयोग से गश्त लगाना।

(6) निष्कासन कार्यवाहियों को तेज करना, 1.1.1980 से 31.5.1980 तक 177 अपराधियों तथा बदमाशों को दिल्ली से निष्कासित किया गया है।

(7) 6 और थानों और एक पुलिस चोकी स्थापित करने के लिए स्वीकृति हाल ही जारी की गई है।

(8) कुछ संवेदनशील स्थानों में रोकथाम के उपायों के रूप में सशस्त्र टुकड़ियां तैनात करना।

(9) आसूचना एकत्र करके डाकुओं, आटोवाहन चोरों, लूटपाट करने वालों, छीना-झपटी करने वालों, जेब काटने वालों, महिलाओं के साथ छेड़खानी करने वालों तथा अन्य बदमाशों का पता लगाने के लिए जिलों के विशेष कर्मचारियों द्वारा निरन्तर अभियान चलाना।

(10) पुलिस उपायुक्तों/सहायक आयुक्तों की वस्तियों के निवासियों के साथ बैठकें करना और उन्हें यह बताना कि क्या उपाय किए गए हैं और उनसे सुझाव लेना।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों का रिक्त पड़ रहना

3567. **श्री के० प्रधानी** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योग्य अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए आरक्षित अनेक पद रिक्त पड़े हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अनसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण देने के लिए नई पद्धति तैयार करने का है ताकि वे इन पदों के लिए पात्र बन सकें ?

योजना मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां। योजना आयोग में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कुछ पद ऐसे उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण खाली पड़े हुए हैं।

(ख) भारत सरकार ने एक केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम के अन्तर्गत देश के विभिन्न भागों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को अनुशिक्षण की सुविधाएं देने के लिए परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र तथा अनुशिक्षण और संदर्शन केन्द्र स्थापित किए हैं जिससे कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार सरकारी सेवाओं में अपना प्रतिनिधित्व बढ़ा सकें।

लघु उद्योगों का विकास

3568. **श्री छीतूभाई गामित** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1979-80 में लघु उद्योग विकास आयुक्त द्वारा लघु उद्योगों के विकास के लिए क्या ठोस कार्य किया गया;

(ख) क्या लघु उद्योग क्षेत्र अखिल भारतीय संगठन तथा अन्य अनुभवी छोटे उद्यम कर्ताओं के प्रतिनिधियों का कोई सलाहकार निकाय अथवा समिति है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार ऐसी निरीक्षण समिति बनाने का है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) लघु उद्योग विकास संगठन लघु उद्योगों के विकास को बढ़ावा देने वाले अभिकरण के रूप में कार्य करता है। यह केन्द्रीय मन्त्रालयों, राज्य सरकारों, वित्तीय संस्थानों तथा लघु क्षेत्र के विकास से सम्बन्धित अन्य संगठनों के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध बनाए रखता है। वर्ष 1979-80 के दौरान इसने अपने लघु उद्योग सेवा संस्थानों, परीक्षण केन्द्रों, औजार कक्षों आदि के माध्यम से तकनीकी आर्थिक प्रबंधकीय और सामान्य मामलों पर 2,34,300 उद्यमियों की सहायता की। लगभग 51,000 एककों को तत्काल मार्गदर्शन प्रदान किया, लघु उद्योग सेवा संस्थानों की कार्यशालाओं द्वारा 22,000 कार्य पूरे किए तथा 19,000 से अधिक उद्यमियों को ड्राइंग, ब्लू प्रिंट आदि सप्लाई किए।

कलकत्ता, बम्बई, मद्रास तथा दिल्ली स्थित चार क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्रों ने लगभग 1900 एककों को परीक्षण सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान कीं। सरकारी भंडारण खरीद कार्यक्रम के अन्तर्गत 16 नई वस्तुओं को समूह 4 सूची में सम्मिलित कर लिया गया है, अब केवल लघु क्षेत्र से खरीदी जाने वाली वस्तुओं की कुल संख्या 257 हो गई है। 1979-80 में लघु क्षेत्र से खरीदी जाने वाली वस्तुओं की कुल राशि लगभग 125 करोड़ रु० होने का अनुमान है। केवल लघ क्षेत्र में उत्पादन हेतु 27 नई वस्तुओं को आरक्षित कर दिया गया है, इसे मिलाकर इस प्रकार की वस्तुओं की कुल संख्या 634 हो गई है। उद्यमियों की सहायता के लिए 807 वस्तुओं के सम्बन्ध में परियोजना रिपोर्ट के तीन खण्ड भी प्रकाशित किए गए हैं।

इसके अलावा, विकास आयुक्त, लघु उद्योग जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय समन्वयकारी अभिकरण के रूप में कार्य करता है तथा वह लघु क्षेत्र के विकास से संबंधित लघु उद्योग विस्तार तथा प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद, इन्स्टीट्यूट फार डिजाइन एण्ड इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इन्स्ट्रूमेंट्स, बम्बई, सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट आफ टूल डिजाइन, हैदराबाद तथा कलकत्ता और लुधियाना स्थित औजार कक्षों जैसे अनेक सम्बद्ध संस्थानों एवं संगठनों का अध्यक्ष भी है।

(ख) जी हां। एक लघ उद्योग बोर्ड भी है जो देश में लघु उद्योगों के विकास से संबंधित नीति-विषयक सभी मामलों पर सरकार को सलाह देने के लिए उद्योग मंत्रालय द्वारा गठित उच्चस्तरीय सलाहकारी निकाय है। सितम्बर, 1978 में गठित किए गए विद्यमान बोर्ड में 55 सदस्य हैं। इसके सदस्यों में राज्य सरकारों के उद्योग विभागों के प्रभारी मंत्री तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों और कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं से सम्बद्ध अन्य मंत्रालयों के सदस्य सम्मिलित हैं। लघु उद्योग बोर्ड की सहायता के लिए विकास, विपणन, ऋण व वित्त, किस्म नियंत्रण, जिला उद्योग केन्द्रों तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र सम्बन्धी 6 स्थायी समितियां हैं। इन स्थायी समितियों के सदस्यों में सरकारी अधिकारी तथा अलग-अलग लघु क्षेत्र के संगठनों के अनेक व्यक्ति भी सम्मिलित हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

गुजरात के लघु उद्योगों में कच्चे माल की कमी

3569. **श्री छोटूभाई गामित** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में अनेक लघ उद्योगों को उत्पादन के लिये कच्चे माल की कमी का सामना करना पड़ रहा है और इस कमी के कारण कुछ उद्योग बन्द भी कर दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस स्थिति को दूर करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) सरकार को देश भर में (जिसमें गुजरात भी शामिल है) लोह और इस्पात, कच्चा लोहा, अल्युमिनियम तथा रसायन जैसे कुछ आधारभूत कच्चे माल की कमी के कारण लघु उद्योगों को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है उनके बारे में पता है। किन्तु, केवल कच्चे माल की कमी के कारण एककों के बन्द होने के बारे में सरकार को पता नहीं है।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) गत वर्ष की तुलना में उत्पादन का स्तर ऊंचा करने के लिए देश में आधारभूत कच्चे माल का उत्पादन बढ़ाने के अलावा सरकार ने मांग के अनुरूप उत्पादन अधिक करने के लिए कच्चे माल की सप्लाई में वृद्धि करने हेतु निम्नलिखित कदम भी उठाए हैं :—

(1) लघू उद्योगों द्वारा अधिकांश रूप से उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल अर्थात् पीतल की छीजन, अल्युमिनियम की छीजन, तांबे की छीजन, जस्ता और जस्ता मिश्रित छीजन, कास्टिक सोडा, सोडाएश, विस्कोज फिलामेंट यार्न, नेप्थालिन आदि को खुले सामान्य लाइसेंस अन्तर्गत रखकर उनके आयात को उदार बनाना, जिससे वास्तविक उपभोक्ता इनका सीधे-सीधे ही आयात कर सके ।

(2) औद्योगिक उपभोक्ताओं को आगे वितरित करने के लिए प्रणालीकरण करने वाले अभिकरण के माध्यम से लौह, अलौह तथा रसायन श्रेणी के आधारभूत कच्चे माल का आयात बढ़ाना । गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष और अधिक लोह, अलौह वस्तुओं का आयात किये जाने का विचार है ।

1956 के औद्योगिक नीति संकल्प में परिवर्तन

3571. **श्री डी० पी० जदेजा**
श्री एस० एम० कृष्ण
श्री रामावतार शास्त्री } : क्या उत्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प में कोई परिवर्तन करने के प्रश्न पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) किये जाने वाले परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (ग) जी हां। सरकार इस समूचे विषय पर विचार कर रही है ।

आसाम में पाकिस्तानी घुसपैठिये

3572. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन्** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम में 1961 तक आये हुए पाकिस्तानी घुसपैठियों की संख्या कितनी है;

(ख) इनमें से कितने घुसपैठियों का पता लगाकर उन्हें वापस भेज दिया गया है;

(ग) क्या इस बारे में कोई विरोध किया गया था कि कुछ भारतीय नागरिकों को भी पाकिस्तानी घुसपैठियों के रूप में वापस भेज दिया गया था;

(घ) यदि हां, तो भारतीय नागरिकों को इस प्रकार की परेशानी से बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए थे;

(ङ) इनको पता लगाने का आधार क्या था और इन्हें किस प्रकार वापस भेजा गया था;

(च) क्या 1961-71 की दशाब्दी में विस्थापितों के रूप में वर्गीकृत किए गए व्यक्तियों को छोड़कर भूतपूर्व पूर्वी-पाकिस्तान से कोई और घुसपैठ हुई थी; और

(छ) यदि हां, तो कितने लोगों ने घुसपैठ की थी ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) असम में घुसपैठियों का पता लगाने और निष्कासन की कार्रवाई 1952 से जारी है। असम सरकार के अनुसार 1961 के अन्त तक 26869 घुसपैठियों का पता लगाया गया था, जिनमें से 19745 को निष्कासित कर दिया गया।

(ग) जब 1962 के मध्य में असम सरकार ने घुसपैठियों का पता लगाने और उनको निकालने की कार्रवाई तेज की, तो सम्पूर्ण भारत में कुछ संगठनों द्वारा उस समय ये आरोप लगाए गए थे कि भारतीय नागरिकों को पाकिस्तानी घुसपैठियों का नाम देकर निकाला जा रहा है।

(घ) इन शिकायतों के बाद सरकार ने घुसपैठियों को निकालने की क्रियाविधि में एक न्यायिक तत्व जोड़ने का निर्णय किया। तदनुसार 23 सितम्बर, 1964 को विदेशी नागरिक (न्यायाधिकरण) आदेश, 1964 नामक एक सांविधिक आदेश जारी किया गया था। असम सरकार द्वारा अक्तूबर, 1964 में ऐसे चार न्यायाधिकरण, अप्रैल, 1965 में एक और नवम्बर, 1965 में चार न्यायाधिकरण स्थापित किये गए थे। बाद में न्यायाधिकरणों की संख्या बढ़कर 10 हो गई। इस समय, असम सरकार द्वारा गठित पीठासीन अधिकारियों के रूप में सहायक जिला तथा सत्र न्यायाधीशों के विदेशी नागरिकों के 16 न्यायाधिकरण हैं।

(ङ) न्यायाधिकरणों की स्थापना से पहले घुसपैठियों को निकालने के लिए जो क्रियाविधि अपनाई जा रही थी, वह यह थी कि यह निर्धारित करने के लिए कि क्या संबंधित व्यक्ति घुसपैठिया है, विभिन्न स्तरों पर स्वतंत्र रूप से व्यापक जांच पड़ताल की जाती थी। जब यह सबूत मिल जाता था कि संदिग्ध व्यक्ति घुसपैठिया है, तो आगे खुली जांच की जाती थी और संदिग्ध व्यक्ति से बारीकी से पूछताछ की जाती थी। विदेशी नागरिकों के न्यायाधिकरणों की स्थापना के बाद क्रियाविधि यह है कि किसी पुलिस अधीक्षक के किसी व्यक्ति के विदेशी होने के बारे में संतुष्ट होने के बाद उसे 'भारत छोड़ो' नोटिस दिया जाता है। उसे यह भी सूचित किया जाता है कि यदि वह कोई अभ्यावेदन देना चाहे तो वह ऐसा कर सकता है। अभ्यावेदन, यदि कोई हों, पूरे सबूत के साथ न्यायाधिकरण को उसकी राय प्राप्त करने के लिए भेजे जाते हैं। अन्त में, यदि वह व्यक्ति विदेशी पाया जाता है, तो 'भारत छोड़ो' नोटिस लागू किया जाता हैं। परन्तु निम्नलिखित मामले न्यायाधिकरण को नहीं भेजे जाते :—(क) पुनः घुसपैठियों के मामले, (ख) ऐसे नये घुसपैठियों के मामले, जिनका पता सीमा पर या आन्तरिक स्थानों में उनकी यात्रा के दौरान लग जाए, और (ग) उन विदेशी नागरिकों के मामले जिन्होंने वैध दस्तावेजों के आधार पर प्रवेश किया था और गैर कानूनी रूप से ठहरे हैं।

(च) जी हां, श्रीमान।

(छ) राज्य सरकार के अनुसार 1961 से 1971 तक 240318 घुसपैठियों का पता लगाया गया था।

प्रिया और चेतक स्कूटरों के लिए पंजीकरण

3573. श्री अमर सिंह वी० राठवा : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1979 तक बजाज के पास 'चेतक' तथा 'प्रिया' स्कूटरों के लिए

कितने व्यक्तियों ने पंजीकरण कराया था;

(ख) चेतक और प्रिया स्कूटरों का वार्षिक कितना निर्माण होता है;

(ग) क्या बजाज उत्पादों की देश में तथा विदेशों में बड़ी मांग है; और

(घ) उक्त ब्रान्डों के कितने स्कूटरों का प्रतिवर्ष निर्यात किया जाता है और किस देश को ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) निर्माताओं ने बताया है कि पंजीकरण इस प्रकार है :—

"चेतक — 1,18,001

"प्रिया" — 5,26,278

(ख) यह बताया गया है कि जुलाई 1979 से जून 1980 की अवधि में 50,562 "चेतक" स्कूटर तथा 15,001 "प्रिया" स्कूटर निर्मित किये गये।

(ग) देश में बजाज स्कूटरों की काफी बड़ी प्रतीक्षा सूची है। निर्माताओं ने बताया है कि विदेशों में इन स्कूटरों की मांग बढ़ रही है।

(घ) अप्रैल 1979 से मार्च 1980 की अवधि में "चेतक" और "बजाज सुपर" मेक 33,020 स्कूटर मुख्यतः इंडोनेशिया, ताइवान, श्रीलंका, सिंगापुर, तथा ग्रीस को निर्यात किये जाते थे।

योजना आयोग द्वारा छठी योजना का प्रारूप मुद्रित किया जाना

3574. **डा० यसन्त कुमार पंडित** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग द्वारा तैयार किया गया छठी योजना का प्रारूप मुद्रित किया गया था; यदि हां, तो कितनी प्रतियां मुद्रित की गई थीं और इसकी कुल लागत कितनी है;

(ख) क्या वर्ष 1978-83 की छठी योजना का संशोधित दस्तावेज अगस्त, 1979 में सरकार को प्रस्तुत किया गया था; और

(ग) क्या उपरोक्त योजना की मुद्रित प्रतियां उपलब्ध हैं; यदि हां, तो कहां और किस मूल्य पर ?

योजना मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) 1978-83 की योजना का प्रारूप 2.25 लाख रु० की कुल लागत से छपाया गया था जिसमें अंग्रेजी रूपांतर की 15,000 प्रतियां और हिन्दी रूपांतर की 2000 प्रतियां थीं। 1978-83 की परिशोधित छठी योजना की 5,000 प्रतियां केवल अंग्रेजी में 1.42 लाख रु० की कुल लागत से छपाई गई थीं।

(ख) जी, नहीं। 1978-83 की परिशोधित छठी योजना का प्रारूप भारत सरकार को प्रस्तुत नहीं किया गया था।

(ग) 1978-83 की योजना के प्रारूप की छपी हुई प्रतियां बिक्री के लिए भारत सरकार के प्रकाशन नियंत्रक के माध्यम से जारी की गई थीं, जिनके सरकारी प्रकाशनों को बेचने के लिए देश भर में अभिकर्ता हैं। इस दस्तावेज की एक प्रति की कीमत 12 रु० रखी गई थी। यद्यपि 1978-83 की परिशोधित छठी योजना का प्रारूप छपा था, परन्तु उसे बिक्री के लिए समूल्य प्रकाशन के रूप में जारी नहीं किया गया है। तथापि केन्द्रीय मन्त्रालयों, राज्य सरकारों और

संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों को तथा कई विश्वविद्यालयों, संस्थाओं और रुचि रखने वाले व्यक्तियों को ये प्रतियां भेजी गई थीं ।

राष्ट्रीय परिवहन नीति सम्बन्धी समिति और विभिन्न ग्रुपों की रिपोर्ट

3575. **डा० वसंत कुमार पंडित :** क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग द्वारा गठित राष्ट्रीय परिवहन नीति संबंधी समिति की सरकार को भेजी गई रिपोर्ट जनता के लिए तथा अध्ययन प्रयोजन के लिए उपलब्ध है; और

(ख) क्या योजना आयोग द्वारा नियुक्त विभिन्न कार्यकारी दलों ने अपनी रिपोर्टें सरकार को भेज दी हैं, यदि हां तो क्या इन्हें जनता के लिए जारी कर दिया गया है ?

योजना मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, अभी तक नहीं । रिपोर्ट की छपी हुई प्रतियों के जल्दी तैयार हो जाने की आशा है और जनता के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। परन्तु स्वयं यह रिपोर्ट समाचार पत्रों को दि० 7-6-1980 को जारी की गई थी ।

(ख) संभवत: माननीय सदस्य राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति द्वारा नियुक्त किये गये कार्यकारी दलों का उल्लेख कर रहे हैं । ऐसे छः कार्यकारी दल इस समिति द्वारा नियुक्त किये गये थे और उन्होंने अपनी रिपोर्टें इस समिति को इसके उपयोग के लिए प्रस्तुत की थीं । समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करने से पहले उन पर विचार किया था ।

अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों से सम्बन्धित निदेशों का पालन न किया जाना

3576. **श्री भीखाभाई :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त ने अपनी पच्चीसवीं रिपोर्ट (1977-78) में, अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित संविधान में उल्लिखित निदेशों को कार्यान्वित न करने तथा उनका पालन न करने के बारे में गम्भीर टिप्पणी की हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों तथा राज्यपालों को ये निदेश दे दिए गए हैं कि वे वार्षिक रिपोर्टें भेजें तथा विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का गठन करें;

(ग) यदि हां, तो कब ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त ने अपने 25वें प्रतिवेदन (1977-78) में सिफारिश की है कि राज्यपालों द्वारा अपनी रिपोर्टों में विभिन्न राज्यों में सामान्य जनजातीय विकास कार्यक्रमों की वार्षिक समीक्षा की जानी चाहिए जिसकी इस समय पांचवीं अनुसूची की धारा (3) में विशिष्ट रूप से व्यवस्था नहीं है यद्यपि व्यवहारिक रूप में यह रिपोर्ट इन पहलुओं से अधिकतर संबंधित हैं । इसके अतिरिक्त आयुक्त ने राज्यपालों द्वारा रिपोर्टों के प्रस्तुत करने में विलम्ब का उल्लेख किया है ।

(ख) से (घ) मामले पर राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ गत वर्ष और इस वर्ष योजना संबंधी विचार विमर्शों के दौरान चर्चा की गई थी । उनसे राज्यपालों की रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण में शीघ्रता करने के लिये निवेदन किया गया है । संबद्ध राज्यों में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का गठन किया गया है ।

न्यूक्लीयर फ्यूल कम्पलेक्स, हैदराबाद में हड़ताल

3577. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 12 जून, 1980 को न्यूक्लीयर फ्यूल कम्पलेक्स, हैदराबाद के कर्मचारियों ने हड़ताल की थी; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी हाँ ।

(ख) उस दिन की सांकेतिक हड़ताल नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र के कर्मचारियों के संघ द्वारा माँग-पत्र के बारे में शुरू किए गए आन्दोलन का एक हिस्सा था । माँग-पत्र में दी गई मुख्य मांगें निम्नलिखित हैं :—

(1) बोनस का भुगतान 8.33% की दर से किया जाए ।

(2) कैन्टीन को विभागीय स्तर पर चलाया जाए ।

(3) गैर-औद्योगिक कर्मचारियों को दी जाने वाली छुट्टियों के बराबर छुट्टियां दी जाएं ।

उपर्युक्त मांगों के बारे में स्थिति नीचे दी गई है :—

नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, हैदराबाद में लागू बोनस योजना उत्पादन के आधार पर प्रोत्साहन देने की योजना है और इस योजना के अन्तर्गत दिए जाने वाले बोनस का संबंध उत्पादन से है । वर्ष 1979-80 में कर्मचारी वास्तव में प्रोत्साहन बोनस पाने के हकदार नहीं थे क्योंकि उस वर्ष हुआ वास्तविक उत्पादन निर्धारित न्यूनतम लक्ष्य से कम था । तथापि, यह निर्णय लिया गया कि 12 महीने से अल्प अवधियों के लिए भी बोनस उत्पादन-लक्ष्य के अनुपात में दिया जाए । ऐसा किया जाना अपने आप में एक बड़ी छूट थी । इस तरीके से निर्धारित बोनस वार्षिक वेतन के $\frac{1}{2}$% से 4% तक था ।

विभागीय कैन्टीन के बारे में विस्तार से विचार किया गया है और सब पहलुओं पर गौर करने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र की आवश्कताओं की पूर्ति एक सहकारी कैंटीन सबसे अच्छे ढंग से कर सकेगी ।

जहाँ तक छुट्टियों का प्रश्न है, इस मामले पर संयुक्त सलाहकार तंत्र की राष्ट्रीय समिति द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर विचार किया जा रहा है । राष्ट्रीय स्तर पर लिए जाने वाले निर्णय की प्रतीक्षा है ।

क्षेत्रीय श्रम आयुक्त, हैदराबाद ने समझौता कराने के लिए कार्रवाई भी आरम्भ की है ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं को एक जैसा ही मानना

3578. **श्री भीखाभाई** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं

को सरकारी रिकार्ड में जातियों तथा जनजातियों शब्दों का एक साथ प्रयोग करके एक जैसा ही मानकर विचार किया गया है; और

(ख) क्या सरकार ने इन दो समुदायों के बीच अन्तर पर ध्यान दिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) जी हां, श्रीमान् । अनुसूचित जातियों की सूची में किसी समुदाय को शामिल करने का मापदण्ड यह है कि समुदाय अस्पृश्यता की पारम्परिक प्रथा से उत्पन्न अत्यन्त सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन से पीड़ित होना चाहिए और अनुसूचित जनजातियों के लिए माप-दण्ड यह है कि समुदाय में आदिकालीन लक्षणों के संकेत, विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक अलगाव, समुदाय से सम्पर्क में अधिकतर संकोच और पिछड़ापन होना चाहिए ।

जवानों और प्रारक्षित सैनिकों (रिजर्विस्ट्स) को पेंशन

3579. **श्री भीखाभाई** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 15 वर्ष की सेवा करने के पश्चात् सेवानिवृत्त होने वाले जवान को कितनी मासिक पेंशन दी जाती है और ऐसे जवान को कितनी मासिक पेंशन दी जाती है जिसे 7 या 11 वर्ष की सेवा के बाद रिजर्व सैनिक घोषित किया जाता है;

(ख) क्या इन दो श्रेणियों के जवानों को दी जाने वाली मासिक पेंशन में बहुत अधिक अन्तर है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) 15 वर्ष तक सक्रिय सेवा करने के बाद सेवा निवृत्त होने वाले जवानों के लिए पेंशन की वर्तमान दर 120 रुपये से 151 रुपये प्रतिमाह है । 7 साल तक सक्रिय सेवा करने के बाद जो जवान रिजर्व स्थापना में स्थानांतरित कर दिया जाता है वह रिजर्व अवधि पूरी कर लेने के बाद रिजर्व सैनिक के रूप में 50 रुपये प्रति माह पेंशन पाने का हकदार है । नियुक्ति की शर्तों के अनुसार किसी भी जवान को 11 वर्ष तक सक्रिय सेवा कर लेने के बाद रिजर्व स्थापना में स्थानांतरित नहीं किया जाता ।

(ख) और (ग) रिजर्व सेवा, पूर्णकालिक सरकारी सेवा नहीं है और इसलिए पेंशन संबंधी लाभ देने के लिए इसे सक्रिय सेवा के समान नहीं माना जा सकता । इसके अलावा रिजर्व सैनिक नियमित सैनिक की तुलना में कम वर्षों तक सक्रिय सेवा में रहता है ।

जनता के विभिन्न आय और व्यय वर्गों के वर्गकार आंकड़े और प्रतिशतता

3580. **श्री राम विलास पासवान** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1976-79 के वर्षों में जनता के विभिन्न आय और व्यय वर्गों के वर्गकार आंकड़े और प्रतिशतता क्यान्क्या थी ?

(ख) क्या 1977-1979 के वर्षों के दौरान वितरण में कोई परिवर्तन दर्ज किए गए थे ;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई प्रगति नहीं की ; और

(घ) इस बात को देखने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है कि भविष्य में इस प्रकार के आँकड़े प्रति वर्ष एकत्रित किए जाएं ?

योजना मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) अभी तक आय के संबंध में सूचना एकत्र नहीं की गई है। उपभोक्ता व्यय के आँकड़े राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा वर्ष 1977-78 के लिए एकत्र किए गए थे और परिणामों का सारणीयन कार्य पूरा किया जा रहा है।

(ख) से (घ) परिवर्तन का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता क्योंकि व्यय के आंकड़े केवल एक वर्ष अर्थात् 1977-79 की अवधि के दौरान 1977-78 में एकत्र किए गए थे। इस समय इन आंकड़ों को प्रतिवर्ष एकत्र करने की कोई योजना नहीं है।

राजभाषा अधिनियम का उल्लंघन

3581. **श्री राम विलास पासवान** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजभाषा अधिनियम का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(1) में यह प्रावधान किया गया है कि संविधान में विनिर्दिष्ट 15 वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद भी, अर्थात् 26 जनवरी, 1965 के बाद भी, संघ के सरकारी प्रयोजनों तथा संसद के कार्य संचालन के लिए, हिन्दी के साथ-साथ अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी रखा जा सकेगा।

राजभाषा अधिनियम में की गई व्यवस्थाओं के अनुसार संकल्पों, सामान्य आदेशों, नियमों, अधिसूचनाओं, प्रेस-विज्ञप्तियों, आदि कुछ प्रयोजनों के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग अनिवार्य हैं। कुछ मामलों में हिन्दी पत्रादि के साथ अंग्रेजी भाषा में उनके अनुवाद भेजे जाना और कुछ कामों के लिए केवल अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाना अनिवार्य है।

राजभाषा अधिनियम के किसी प्रकार के दण्ड की व्यवस्था नहीं की गयी है। सरकार की यह सुविचारित नीति है कि संघ के सरकारी कामकाज में हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग को बढ़ावा दिया जाए और इसे सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। तथापि, राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए सरकार दण्ड का सहारा लेने के बजाय अनुनय-विनय और प्रोत्साहन का मार्ग अपनाना अधिक उपयुक्त समझती है।

राजभाषा अधिनियम के उल्लंघन के जो भी मामले दृष्टि में आते हैं उनकी ओर संबंधित मंत्रालयों/विभागों, आदि का ध्यान आकृष्ट करते हुए उनसे संबंधित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है।

भारतीय महिलाओं के संगठन द्वारा प्रदर्शन

3582. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय महिला संगठन के तत्वाधान में महिलाओं ने दिनांक 10 जून, 1980 को इन्द्रप्रस्थ मार्ग, दिल्ली स्थित पुलिस मुख्यालय पर एक प्रदर्शन किया था;

(ख) यदि हां तो उनकी मांगें क्या थीं ; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां श्रीमान् ।

(ख) प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि मृतक श्रीमती जसवन्ती की हत्या उसके पति तथा ससुरालवालों द्वारा की गई है और मांग की थी कि उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाय ।

(ग) नांगलोई थाने में भा०द०सं० की धारा 306/34 के अधीन एक मामला दर्ज किया गया है और मृतक के पति को 10-6-1980 गिरफ्तार किया गया था ।

दहेज के कारण होने वाली मौतों को रोकने के उपाय

3583. **श्री तारिक अनवर**
श्री अरविन्द नेताम } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दहेज के कारण होने वाली मौतों को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाने का है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि हां, तो कब और इस बारे में रूपरेखा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) किए गए उपाय इस प्रकार हैं :—

दहेज निषेध अधिनियम, 1961 को संशोधित करने और कथित अधिनियम को और प्रभावशाली तथा कड़ा करने के प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के सक्रिय रूप से विचाराधीन हैं। अपेक्षित कानूनी उपाय जैसे ही पूरे कर लिए जाएंगे उनको सदन के समक्ष लाया जाएगा । समस्या को सामाजिक दबाव के जरिए भी सुलझाना पड़ेगा । राज्य सरकारें संघ शासित क्षेत्र और केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन न लाने के लिए प्रयत्नशील हैं ताकि दहेज की बुराई की निन्दा कारगर और व्यापक रूप से की जाय । आकाशवाणी और दूरदर्शन इस अभियान में सहायता करते हैं । केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड इस संबंध में विभिन्न राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्डों से सम्पर्क कर रहा है ।

राष्ट्रीय एकता परिषद्

3584. **श्री तारिक अनवर**
श्री अरविन्द नेताम } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय एकता परिषद् गठित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक और इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) मामला सरकार के विचाराधीन है और शीघ्र निर्णय लिए जाने की संभावना है।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और साइमन्स के बीच सहयोग

3585. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या **उद्योग** मंत्री भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड और साइमन्स के बीच सहयोग के बारे में 19 मार्च, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1069 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड और साइमन्स के बीच सहयोग सम्बन्धी समिति प्रतिवेदन की इस बीच जांच कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर लिए गए निर्णय का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) रिपोर्ट सहित प्रस्ताव पर सरकार अभी विचार कर रही है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारी जल संबंधी नई प्रक्रिया

3586. **श्री चिरंजीलाल शर्मा**
श्री शान्ताराम पोटदुखे } : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में भारी जल संबंधी नई प्रक्रिया की दिशा में कुछ सफलता प्राप्त हुई है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या संयंत्र को इस बीच पूरा कर लिया गया है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) अगले तीन वर्षों के दौरान देश में ही बनाये जाने वाले भारी पानी का संभावित उत्पादन कितना होगा ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) और (ख) तूतीकोरिन और बड़ौदा स्थित भारी पानी संयंत्रों में प्रयोग में लाई गई प्रक्रिया प्रोद्योगिकी, अर्थात् अमोनिया-हाइड्रोजन विनिमय विधि (मोनो-थर्मल) सफल रही है। ऐसा इस कारण कहा जा सकता है कि इन संयंत्रों में भारी पानी का उत्पादन आरम्भ हो चुका है। यह आशा है कि अमोनिया-हाइड्रोजन विनिमय विधि (डाई-थर्मल) पर आधारित तलचर भारी पानी संयंत्र को कुछ समय में ही भारतीय उर्वरक निगम, तलचर से सिंथेसिस गैस उपलब्ध होने पर चालू कर दिया जाएगा। कोटा संयंत्र हाइड्रोजन सल्फाइड-हाइड्रोजन आक्साइड के विनिमय की प्रक्रिया पर आधारित है। यह प्रक्रिया विश्व के अन्य संयंत्रों में सफल सिद्ध हो चुकी है। इस संयंत्र के नवम्बर, 1981 तक चालू हो जाने की आशा है ;

(ग) निर्मित/निर्माणाधीन चार भारी पानी संयंत्रों की अभिकल्पित वार्षिक क्षमता 300 मीटर टन भारी पानी तैयार करने की है। यह बताना देश के हित में नहीं होगा कि इन संयंत्रों में वास्तव में कितना भारी पानी तैयार हुआ है या कितना भारी पानी तैयार होने की संभावना है।

अल्प संख्यक आयोग का क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए प्रस्ताव

3587. **श्री जी० एस० बनातवाला** : क्या गृह मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्पसंख्यक आयोग ने सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है जिसमें देश के विभिन्न भागों में क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने की सिफारिश की गई है ;

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था; और

(ग) प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और सरकार ने उस पर क्या निर्णय किया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) से (ग) अल्पसंख्यक आयोग ने कलकत्ता, हैदराबाद, मद्रास, बम्बई और लखनऊ में अपने क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने का मूल प्रस्ताव तारीख 2-12-1978 को भेजा था। प्रस्ताव पर आयोग से सलाह करके विचार किया गया। तारीख 28-2-1980 को आयोग ने अपने प्रस्ताव को संशोधित किया और प्रथम चरण में अपने क्षेत्रीय कार्यालय कलकत्ता, बम्बई, हैदराबाद और लखनऊ में स्थापित करने का सुझाव दिया है और यह सूचित किया है कि मद्रास के लिए उनके प्रस्ताव पर बाद में विचार किया जा सकता है। आयोग से अनुरोध किया गया है कि वह अपने संशोधित प्रस्ताव के समर्थन में और अधिक औचित्य प्रस्तुत करें। उनके उत्तर की अभी तक प्रतीक्षा की जा रही है।

छुट्टी पर जाने वाले कमीशन प्राप्त सेना अधिकारियों को रेल के वारन्ट

3588. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वार्षिक छुट्टी पर जाने वाले कमीशन प्राप्त सेना अधिकारियों को दो वर्ष में एक बार पोस्टिंग स्थल से होम टाउन की दूरी पर ध्यान दिये बिना लगभग 900 किलोमीटर दूरी तक के लिए निःशुल्क रेलवे वारन्ट दिया जाता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सेना के अन्य रैंकों को दूरी की कोई सीमा निर्धारित किये बिना वर्ष में एक बार पोस्टिंग स्थल से होम टाउन तक के लिए रेलवे वारन्ट दिया जाता है ;

(ग) यदि हां, तो अधिकारियों तथा अन्य रैंकों के लिए अलग-अलग नियम बनाने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या सरकार ने कमीशन प्राप्त अधिकारियों को दूरी पर प्रतिबन्ध लगाये बिना प्रतिवर्ष एक रेलवे वारन्ट देने संबंधी प्रस्ताव पर कभी विचार किया ; और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले से क्या निर्णय लिया गया है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) (1) केवल सैनिक अफसरों और उनकी पत्नियों को उनके साथ रहने वाले उन पर आश्रित उनके बच्चों, माता-पिता, नाबालिग भाइयों और बहनों को नहीं प्रत्येक कलैण्डर वर्ष में एक बार जिस स्थान पर वे अपनी वार्षिक/आकस्मिक छुट्टी बिताना चाहते हों यहां तक आने-जाने के लिए निशुल्क सवारी दी जाती है बशर्ते कि प्रत्येक दिशा की यात्रा 965 किलोमीटर से अधिक न हो। 965 किलोमीटर से ऊपर की यात्रा के लिए अफसर 60% किराया देकर फार्म 'डी' का उपयोग कर सकते हैं।

(2) अफसर और उसका परिवार (पत्नी, आश्रित बच्चे, माता-पिता, बहनें और नाबालिग भाई जो अफसर के साथ रहते हैं) 2 वर्ष की एक खण्ड अवधि में एक बार रेलवे वारण्ट पर अपने मूल निवास स्थान तक यात्रा करने के हकदार हैं। यहां यात्रा की दूरी संबंधी सीमा लागू नहीं होती।

(3) ऊपर (2) में दी गई रियायत का लाभ उठाने के बाद ऊपर (1) में दी गई रियायत नहीं दी जाती।

(ख) जी हां।

(ग) अफसरों और जे. सी. ओ./अन्य रैंकों की यात्राएं अलग-अलग हैं और उन पर सेना के नियम लागू होते हैं।

(घ) और (ङ) जी नहीं प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में टायर और ट्यूब परियोजना की स्थापना

3589 : **श्री ए० सी० दास** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के अनुरोध पर, आई. पी. आई. सी. ओ. एल. द्वारा उड़ीसा में संयुक्त क्षेत्र में प्रारम्भ की गई एक टायर और ट्यूब परियोजना को पूरा किये जाने में विलम्ब हुआ है हालांकि परियोजना के लिए सारी तैयारियाँ 1974 में ही कर दी गई थी और इसे कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है ; और

(ख) परियोजना के कार्यान्वयन में विलम्ब क्यों किया गया है और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्वीकृति इसे कब तक मिलने की संभावना है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) उड़ीसा टायर्स लिमिटेड जो एक संयुक्त क्षेत्र की कंपनी है और जिनका संवर्धन इन्डस्ट्रियल प्रोमोशन एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ उड़ीसा द्वारा किया गया था, को भुवनेश्वर में एक आटोमोबाइल टायर तथा ट्यूब परियोजना की स्थापना करने के लिये जून 1975 में वित्तीय सहायता की स्वीकृति प्रदान की गई थी। टायर उद्योग की अनिश्चित संभावनाओं, बाजार की मंदी जिसके कारण परियोजना का पुनर्मूल्यांकन करना पड़ा था, कंपनी को पहले स्वीकार की गई वित्तीय सहायता को फरवरी 1978 में व्ययगत मान लिया गया था। आई. डी. बी. आई. ने बाजार में व्याप्त गिरावट को देखते हुए टायर उद्योग का एक अध्ययन किया था। अध्ययन से यह पता चला कि यद्यपि अतिरिक्त क्षमता

स्थापित करने की गुंजायश तो मौजूद है किन्तु ऊंची पूंजीगत लागत को देखते हुए नई परियोजनाओं की स्थापना करने की अपेक्षा क्षमता का शीघ्र सृजन करने के लिए विद्यमान एककों में विस्तार करना ही अधिक लाभप्रद होगा। तदनुसार ही आई. डी. बी. आई. ने यह परामर्श दिया था कि फिलहाल नई परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता का दिया जाना उचित नहीं होगा।

हरिजनों पर अत्याचार

3590. **श्री ए० नीलालो हिथादसन नाडार :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र में वर्तमान सरकार के शासन में आने के बाद भारत के विभिन्न भागों में हरिजनों पर अत्याचार की कितनी घटनाओं की रिपोर्ट हुई है;

(ख) उनमें से कितनी घटनाओं के बारे में अब तक मुकदमें दर्ज किए गए हैं, और

(ग) जिन मामलों में दो विषयों का पता लग गया था उनके संबंध में भारत सरकार द्वारा क्या कठोर कार्रवाई की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

जनगणना में समुदायवार आंकड़े एकत्र करने की मांग

3591. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आने वाली जनगणना में समुदायवार आंकड़े एकत्र करने की कोई मांग भारत सरकार को पेश की गई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उस मांग पर क्या कार्रवाई की गई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) मामला सरकार के विचाराधीन है।

राजभाषा विभाग का गठन

3592. **श्री ए० नीलालो हिथादसन नाडार :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजभाषा विभाग की स्थापना कब की गई थी;

(ख) इस समय इस विभाग में कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं और उनका ब्यौरा क्या है,

(ग) इस विभाग को चलाने के लिए भारत सरकार प्रत्येक वर्ग कितनी राशि खर्च करती है;

(घ) क्या इस विभाग को, जहां तक राजभाषा के प्रयोग का संबंध है, सभी मंत्रालयों के मामलों में हस्तक्षेप करने की कोई सांविधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं;

(ङ) क्या भारत सरकार की दृष्टि से इस विभाग के गठन के बाद हिन्दी को राजभाषा के रूप में प्रयोग किए जाने की दिशा में कोई प्रगति हुई है;

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) गृह मंत्रालय के अधीन इसी मंत्रालय में एक पृथक राजभाषा विभाग 26 जून, 1975 को स्थापित किया गया था। 31 मार्च, 1980 की स्थिति के अनुसार इस विभाग में 60 अधिकारी 23 राजपत्रित तथा 37 अराजपत्रित हैं ।

(ग) राजभाषा विभाग के संचालन पर वर्ष 1979-80 में हुआ व्यय 11,39,000.00 रुपए था ।

(घ) जी नहीं, इस विभाग का कार्य नीति विषयक मामलों में सलाह देने तथा समन्वय करने से संबंधित है । इस विभाग को सौंपे गए कार्यों में संघ की राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रग्रामी प्रयोग से संबंधित सभी मामलों में आवश्यक समन्वय और विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में गठित हिन्दी सलाहकार समितियों से संबंधित कार्य का समन्वय शामिल है । इस विभाग को संघ की राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रग्रामी प्रयोग से संबंधित सभी मामलों के लिए नोडीय उत्तरदायित्व भी सौंपा गया है ।

(ङ) और (च) जी हां । राजभाषा विभाग के गठन के बाद संघ के सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रग्रामी प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं जिनमें प्रमुख इस प्रकार हैं —

1. राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 जारी किया जाना ।
2. केन्द्रीय सरकार के 41 मंत्रालयों/विभागों और 924 कार्यालयों को राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अधीन राजपत्र में अधिसूचित किया जाना ।
3. केन्द्रीय सरकार के 20 विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में हिन्दी सलाहकार समितियों का गठन ।
4. हिन्दी भाषी क्षेत्रों में 39 प्रमुख नगरों में, जहां 10 या उससे अधिक केन्द्रीय सरकार के कार्यालय स्थित हैं; नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन ।
5. राजभाषा विभाग के गठन के समय से; हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन, केन्द्रीय सरकार के लगभग 95,000 कर्मचारियों को हिन्दी और लगभग 11,000 कर्मचारियों को हिन्दी टाइपिंग/आशुलिपि का प्रशिक्षण दिया जा चुका है ।
6. राजभाषा विभाग के कार्यान्वयन कक्ष को सुदृढ़ किया जाना और देश भर में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग की समीक्षा करना ।
7. विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों में चैक प्वाइंट स्थापित करना । और
8. हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए एक वार्षिक शील्ड योजना आरम्भ करना ।

उपर्युक्त उपायों के फलस्वरूप केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों में हिन्दी के प्रयोग के बारे में मनोवैज्ञानिक गतिरोध दूर हुआ है और दिन-प्रतिदिन के सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग काफी बढ़ा है।

शादीशुदा युवा महिलाओं की मृत्यु की जांच

3593. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते**
श्रीमती गीता मुखर्जी } क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शादीशुदा युवा महिलाओं की बहुत बड़ी संख्या में मौतों की सचमुच जांच नहीं हुई है; और

(ख) क्या सरकार का युवा शादीशुदा महिला की मृत्यु के प्रत्येक मामले को हत्या का मामला मानने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) सरकार द्वारा अपनी उत्सुकता यह सुनिश्चित करने के लिए पहले ही जाहिर की जा चुकी है कि महिलाओं के प्रति सभी अपराधों के विरुद्ध प्रभावशाली और समुचित ढंग से कार्रवाई की जाए। संघ सरकार के पास ऐसा विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि शादीशुदा युवा महिलाओं की बहुत बड़ी संख्या में मौतों की समुचित जाँच नहीं हुई है।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

सौलिड स्टेट फिजिक्स लेबोरेटरी के प्रिंसिपल साइन्टिफिक आफीसर द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट को प्रकाशित करने की अनुमति

3594. **श्री पी० एस० सईद** : क्या रक्षा मंत्री प्राथमिकता वाली वैज्ञानिक परियोजनाओं के सम्बन्ध में रिपोर्ट के बारे में 11 जून, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 407 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सौलिड स्टेट फिज़िक्स लेबोरेटरी (एस० पी० एल०) के प्रिन्सिपल साइन्टिफिक आफीसर द्वारा स्वत: तैयार की गई और निदेशक (एस० पी० एल०) को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट उनके द्वारा अथवा निदेशक (एस० पी० एल०) द्वारा प्रेस को उपलब्ध करायी गयी थी;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने उसे समाचारपत्रों को देने से पहले अनुमति मांगी थी ; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या अनुमति दी गई थी।

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी०पी०एन० सिंह) : (क) सौलिड स्टेट भौतिकी प्रयोगशाला (एस० पी० एल०) के निदेशक ने यह रिपोर्ट प्रेस को उपलब्ध नहीं कराई। यह काम स्वयं लेखक ने किया था या नहीं इस बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(ख) किसी ने रिपोर्ट को समाचारपत्रों को देने की अनुमति नहीं मांगी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पुलिस उपायुक्त द्वारा स्टोव द्वारा होने वाली मौतों के बारे में वक्तव्य

3595. श्रीमती प्रमिला दण्डवते
श्री अरविन्द नेताम } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुलिस उपायुक्त (पश्चिम जोन), दिल्ली द्वारा हाल ही में दिये गये इस वक्तव्य की सरकार को जानकारी है कि स्टोव से होने वाले बहुत-सी मौतों के पीछे दहेज कारण नहीं होता;

(ख) क्या गत एक वर्ष में स्टोव से जलकर मरने वाली महिलाओं के सभी मामलों की जांच सरकार द्वारा कर ली गई है; और

(ग) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले हैं और कितने मामलों में मौत पति के माता-पिता द्वारा अथवा स्वयं पति द्वारा दहेज मांगे जाने के कारण सताये जाने के कारण हुई ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) जी हां, श्रीमान । ऐसे सभी मामलों में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 के अधीन जांच कार्रवाईयां की जाती हैं ।

(ग) पश्चिमी दिल्ली जिले में 1979 में एक मामला और 1980 में (15-6-1980 तक) 4 मामले दर्ज किये गये हैं जिनमें यह बताया गया है कि महिलाओं ने दहेज की मांग के कारण तंग किये जाने पर आत्महत्या की है । इन मामलों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

विवरण

पश्चिमी दिल्ली के जिले के मामलों का ब्यौरा, जिनमें बताया गया है कि महिलाओं ने दहेज की मांग के कारण आत्महत्याएं की हैं:—

1. **भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302/34 के अन्तर्गत तारीख 3-4-1979 की प्रथम रिपोर्ट संख्या 326, थाना राजौरी गार्डन**

3-4-1979 को कंचनमाला पत्नी सुनील कुमार, सी-ए-37 टैगोर गार्डन नई दिल्ली को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में जलने के जख्मों के कारण भर्ती किया गया । वह अपने जख्मों के कारण मर गई और उसके बाद उपर्युक्त मामले को श्रीमती कान्ता (कंचनमाला की मां) निवासी 5274, भरत नगर दिल्ली की शिकायत पर दर्ज किया गया । जांच-पड़ताल के दौरान शिकायतकर्ता ने महसूस किया कि उसकी लड़की को उसके पति और सास ने मारा है क्योंकि उसकी लड़की पर्याप्त दहेज नहीं लायी थी । इस मामले में अभियुक्त सुनील कुमार और उसकी मां को गिरफ्तार किया गया और मामले का भारतीय दण्ड संहिता की धारा 306 के अधीन 30-11-1979 को चालान किया गया । मामले को 9-6-1980 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है ।

2. **भारतीय दण्ड संहिता की धारा 306 और दहेज निवारक अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत 1-5 80 को प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 346, थाना तिलक नगर, नई दिल्ली ।**

रतन लाल पुत्र श्री गुरदित्ता मल, 739 रघुवीर नगर निवासी ने सूचित किया कि उसकी लड़की (सुनीता) का विवाह 9-5-1979 को श्री अशोक कुमार पुत्र श्री रोशन लाल 5-बी/8

विष्णु गार्डन, नई दिल्ली निवासी के साथ हुआ था और शादी में उसने अपनी शक्ति से अधिक दहेज दिया था। शादी के बाद उसकी लड़की को अधिक दहेज लाने के लिये तंग किया जाता रहा। और अक्सर वह उसके (शिकायत कर्ता) के घर आती थी और उससे इस विषय में शिकायत करती थी। 20-4-1980 को सुनीता उसके घर आई और बताया कि उसका पति (अशोक कुमार) इस बात पर जोर दे रहा है कि वह शादी में सोने की चूड़ियां नहीं लायी और उसको अपने पिताजी पर चार सोने की चूड़ियाँ देने पर जोर देना चाहिये। उसने आगे बताया कि उसका पति मांस खाने के लिये दबाव डाल रहा है। उसकी लड़की रूढ़िवादी विचार की थी और मांस से घृणा करती थी उसके पति ने उसे तंग करने के लिये एक या दूसरा तरीका अपनाया। 26-4-1980 को रात 10-30 बजे अशोक कुमार घर वापिस लौटा और उसकी लड़की और अशोक कुमार के बीच गरमा-गर्मी हुई। वह अन्दर कमरे में गई और कमरे को अन्दर से चिटकनी लगा दी। मकान मालिक और अशोक कुमार घर के बाहर खड़े थे। लड़की ने अपने आप को आग लगा ली। मकान मालिक ने आग बुझाई और उसकी लड़की को विलिंग्डन अस्पताल ले गया, जहाँ जख्मों के कारण 27-4-1980 की रात्रि को उसकी मृत्यु हो गई। उसे इस बात का पक्का विश्वास है कि उसकी लड़की (सुनीता) ने अपने पति के व्यवहार के कारण आत्महत्या की जो उसे हमेशा अधिक दहेज लाने की माँग के कारण तंग करता रहता था। जाँच-पड़ताल प्रगति पर है। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गयी है।

3. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 306 के अधीन 13-5-1980 के प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 364 थाना मोती नगर, नई दिल्ली

श्री वी० डी० खन्ना मृतक श्रीमती प्रेम पत्नी श्री लाजपत राय सहगल के पिता ने शिकायत की है कि उसकी लड़की ने अपर्याप्त दहेज के कारण 9-5-1980 को आत्महत्या कर ली। उसने मौत की उद्घोषणा की है कि उसके कपड़ों पर, स्टोव से चाय बनाते समय आग लग गई मौत की की उद्घोषणा को दो चिकित्सकों द्वारा प्रमाणित किया गया है। दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और मामला जांच पड़ताल के लिये लम्बित पड़ा है।

3. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 306/34 के अन्तर्गत 2-6-1980 का प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 515 थाना नांगलोई, दिल्ली।

किशन सिंह पुत्र शिवचरण, 417 गांव शाहपुर जाट दिल्ली निवासी ने सूचित किया है कि उसने अपनी सबसे बड़ी लड़की (कान्ता) की शादी भगवान सिंह पुत्र श्री राम मेहर गली भुटटन वाली नांगलोई, दिल्ली के साथ की थी। लगभग 7-8 साल पहले श्री राम मेहर, के जोर देने पर उसने अपनी दूसरी लड़की जसवन्ती की शादी अपनी बड़ी लड़की के ससुराल के एक रविन्दर सिंह पुत्र श्री हुशियार सिंह, भुटटन वाली गली नांगलोई दिल्ली, के साथ जून, 1976 में कर दी। उसके लड़के (नरेश कुमार) की शादी के 10 दिन के बाद उसकी लड़की (जसवन्ती) अपने घर वापस आई जैसा कि पारिवारिक प्रथा है। उसकी लड़की ने उसे बताया कि उसका ससुर (हुशियार सिंह) सास (जीतकौर) पति (रविन्दर सिंह) उसके द्वारा दिये गए दहेज से संतुष्ट नहीं हैं। और उन्होंने

व्यंग कसा। लगभग 1-1/2 महीने बाद जब रविन्द्र सिंह, उसका दामाद जसवन्ती को लेने उसके घर आया तो उसने उसे अपने ससुराल भेजने से इंकार कर दिया और अपने दामाद को कहा कि वह अपनी लड़की को हुशियार सिंह और जीतकौर से बात करने के बाद ही भेजेगा। 3-4 महीने बाद हुशियार सिंह, जीतकौर, रविन्द्र सिंह लड़की को लेने उसके घर आये और उसने स्कूल से उसका नाम काटने के बाद अपनी लड़की (जसवन्ती) को भेज दिया। उन्होंने उसे नवमी कक्षा में नांगलोई स्कूल में दाखिल करा दिया और 10-12 दिन बाद स्कूल से उसका नाम कटवा दिया। और उसे घर में रखा। वह उसे अक्सर तंग करते थे और मारा करते थे। वह स्वरूप सिंह सुपुत्र श्री बनवारी लाल डब्लू जेड 213, शाद नगर, पालम कालोनी, नई दिल्ली निवासी के साथ हुशियार सिंह के घर गया और वहां अपनी लड़की (जसवन्ती) से मिला। उसकी लड़की ने शिकायत की कि उसे तंग किया जा रहा है और पीटा जा रहा है क्योंकि वह पर्याप्त दहेज नहीं लायी है। वह अपनी लड़की को वापस घर ले आया और उसे पुनः स्कूल में दाखिल करा दिया। उसकी लड़की उसके साथ लगभग एक साल तक रही। उसने सुना कि हुशियार सिंह रविन्द्र सिंह की दूसरी शादी का प्रबंध कर रहा है। वह अपने रिश्तेदारों के साथ हुशियार सिंह के घर गया, जहां एक समझौता हुआ और उसने अपनी लड़की को उसके ससुराल भेज दिया। उसकी लड़की अपने ससुराल में दो दिन ठहरने के बाद सर छोटू राम अस्पताल सोनीपत गई, जहाँ उसने गृह विज्ञान पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया। गर्मियों की छुट्टियों में उसकी लड़की अपने घर रहने के लिए आई लगभग 15 दिन पहले हुशियार सिंह और उसकी पत्नी (जीतकौर) ग्रेटर कैलाश दिल्ली स्थित उसके कार्यालय में आए और जसवन्ती को भेजने पर जोर दिया। उसने 27-5-1980 को अपने दामाद (रविन्द्र सिंह) के साथ अपनी लड़की (जसवन्ती) को अपने ससुराल भेज दिया। 2-6-1980 को 11.30 बजे राम मेहर (उसकी बड़ी लड़की का ससुर) ग्रेटर कैलाश में उसके कार्यालय में आया और उसे बताया कि जसवंती के साथ कुछ अशुभ घटना हो गई है। वह अपने छोटे भाई (रामचन्द्र) और अपने कार्यालय के साथी स्वरूप सिंह के साथ तुरन्त नांगलोई में हुशियार सिंह के घर गये और उन्होंने पाया कि उसकी लड़की (जसवंती) किरनी (हुशियार सिंह की लड़की) के घर में जलने के जख्मों के कारण मृत पड़ी है। उसके पास यह विश्वाश करने का पर्याप्त कारण है कि उसकी लड़की (जसवंती) ने शादी में अधिक दहेज नहीं लाने के कारण हुशियार सिंह, जीतकौर और रविन्द्र सिंह के दुर्व्यवहार के कारण आत्महत्या की। मामले को दर्ज किया गया और आगे जाँच-पड़ताल प्रगति पर है। अभियुक्त रविन्द्र सिंह को 10-6-1980 को गिरफ्तार कर लिया गया है।

5. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 306 के अधीन 13-6-1980 का प्र० सू० रि० संख्या 437, थाना मोती नगर, नई दिल्ली।

जयचन्द पुत्र श्री विशनदास ई-195 कर्मपुरा नई दिल्ली निवासी ने सूचित किया कि मकान संख्या ई-200 कर्मपुरा दिल्ली के ऊपरी मंजिल में खान चन्द नामक एक व्यक्ति उसके परिवार के साथ रह रहा है। लगभग 3 साल पहले उसने अपने बड़े लड़के (देवदत्त) का विवाह

मथुरा की ओमवती के साथ किया। ओमवती के साथ उसके विवाह के बाद देवदत्त उससे दुर्व्यवहार करता रहा। 13-6-1980 को 9-40 बजे रात देवदत्त अपने मकान में अपनी औरत ओमवती को पीट रहा था। उसके पड़ोसी हरदीप सिंह ने उससे अपने साथ वहाँ जाने के लिये कहा। जब वह देवदत्त के क्वाटर में पहुंचा तो उसने देखा कि ओमवती रसोई के फर्श पर लेटी हुई है और जल रही है। उसने अन्य व्यक्तियों के साथ आग बुझाई। ओमवती ने अपने पति देवदत्त के बुरे व्यवहार के कारण आत्महत्या की। मामला दर्ज किया गया और जाँच-पड़ताल प्रगति पर है।

वर्ष 1979 से दण्डित पुलिस कर्मचारियों की बहाली

3596. श्री ज्योतिर्मय बसु
श्री ए० सी० दास } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या

सरकार का विचार 1979 में विभिन्न राज्यों में हुई हड़ताल में भाग लेने के कारण दंडित किये गये केन्द्रीय तथा राज्यों के सभी पुलिस कर्मचारियों के मुकदमों को वापस लेने और सभी लाभों आदि सहित उनकी बहाली करने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

"क्रीम वोव्ड" कागज के मूल्य में वृद्धि

3597. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले एक महीने के दौरान कलकत्ता के स्थानीय बाज़ार में "क्रीम वोव्ड" कागज के मूल्यों में प्रति मी० टन 500 रु० तक की वृद्धि हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) तथा (ख) सूखे की स्थिति बिजली की अपर्याप्त सप्लाई तथा कोयले की कमी कारण पिछले कुछ महीनों में लिखाई तथा छपाई के कागज के उत्पादन में गिरावट आई है। कागज की उपलब्धता के कमी के परिणाम स्वरूप लिखाई तथा छपाई के कागज की विभिन्न किस्मों, जिसमें क्रीम वोव्ड पेपर भी शामिल हैं, के मूल्यों में वृद्धि हुई है। किन्तु, समय-समय पर कागज की उपलब्धता के अनुसार कागज के बाजार मूल्यों में उतार-चढ़ाव आया है जो विभिन्न मूल्यों के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न है तथा कीमतों की वृद्धि को ठीक-ठीक राशि के बारे में कोई प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। उपभोक्ताओं की लिखाई और छपाई के कागज की आवश्यकताएं पूरी करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि मांग और पूर्ति के बीच मामूली असन्तुलन से कीमतों में वृद्धि न होने पाये सरकार ने इनका आयात करने की व्यवस्था की है। फिर भी, जब कभी कागज की अत्यधिक आवश्यकता होगी तो कम से कम मात्रा में काफी किफायती मूल्यों पर कागज का आयात करने का आयोजन किया जा रहा है। देश की कागज की माँग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता की स्थापना की जा रही है और बिजली तथा कोयले की प्राप्ति में आशा के अनुरूप सुधार हो जाने से क्षमता का और अधिक उपयोग किया जाना संभव हो सकेगा जिसके फलस्वरूप उत्पादन में वृद्धि होगी।

हरिजनों और आदिवासियों पर अत्याचार

3598. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरवरी से मई, 1980 के दौरान, महीनेवार; हरिजनों और आदिवासियों पर, राज्यवार, अत्याचार की कितनी घटनाएं हुईं;

(ख) राज्यवार कितने मामलों में पुलिस कर्मचारी सम्बद्ध थे, और

(ग) इन अत्याचारों को बंद न कर सकने के क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

विकास आयुक्त संगठन को लघु व्यपार विकास प्रधिकरण में बदला जाना

3599. **श्री एन० ई० होरो : क्या उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल अलायन्स आफ यंग एन्टरप्रन्योर्स ने सरकार को प्रस्तुत एक ज्ञापन में सुझाव दिया है कि वर्तमान लघु उद्योग विकास आयुक्त संगठन को लघु व्यापार विकास प्राधिकरण अथवा लघु व्यापार विभाग में बदला दिया जाए और नए संगठन को प्रधान मंत्री के सचिवालय के साथ समबद्ध कर दिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानन।) : (क) तथा (ख) सरकार को नेशनल एलायन्स आफ यंग एन्टरप्रेन्योर्स से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ वर्तमान विकास आयुक्त (लघु उद्योग) के संगठन के स्थान पर एक स्वतंत्र कानूनी व्यवस्था, लघु व्यापार प्राधिकरण की स्थापना करने तथा एक अलग लघु व्यापार विभाग बनाए जाने का सुझाव दिया गया था। इस सुझाव की विस्तार से जांच की गई थी और सरकार ने इसे स्वीकार नहीं पाया था।

शशस्त्र सेना मुख्यालय में सहायक तथा ए० सी० एस० ओ०

3600. **श्री दयाराम शाक्य :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सशस्त्र सेना मुख्यालय में कार्यरत सहायकों और ए० सी० एस० ओ० की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) सहायकों से ए० सी० एस० ओ० के पद पर पदोन्नति का अनुपात क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि सीधी भर्ती से आये सहायकों की पदोन्नति के बारे में उनकी दो वर्ष की सेवा पूरी होने पर विचार किया जाता है और उच्च श्रेणी लिपिकों से पदोन्नति किए गए सहायकों के मामले में 5 वर्ष के बाद उनकी पदोन्नति के लिए विचार किया जाता है ;

(घ) यदि हां, तो इस असामनता/पक्षपात के क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या सरकार इस प्रस्ताव पर विचार करेगी कि सशस्त्र सेना मुख्यालय में सहायकों से ए० सी० एस० ओ० के पद पर पदोन्नति हेतु विचार करने के लिए दोनों तरह के सहायकों के ममले में समय सीमा एक ही होनी चाहिए और यदि यह प्रस्ताव विचारधीन हैं, तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) सहायक 1464 और सहायक सिविलियन स्टाफ अफसर पद पर पदोन्नति के लिए कोई अनुपात निश्चित नहीं किया गया है। इस ग्रेड में पदोन्नति, रिक्त स्थान उपलब्ध होने पर और उच्च ग्रेडों में पदोन्नति होने के परिणामस्वरूप इस ग्रेड में रिक्त होने वाले स्थानों पर की जाती है।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

शादियों का पंजीकरण

3601. **श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शादियों को कानूनी रूप देने के विचार से जन्म और मृत्यु की तरह शादियों के पंजीकरण के महत्व की सरकार ने जांच की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : मामले की बहुत विस्तार से जांच की गई है और यह सोचा गया है कि विवाहों के अनिवार्य पंजीकरण के संबंध में कानून बनाना फिलहाल आवश्यक नहीं है।

वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का तबादला

3602. **श्री एन० ई० होरो** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्तमान सरकार द्वारा तबदीली किये जाने के बाद सेवा संवर्ग के विशेषकर पुलिस के अनेक वरिष्ठ अधिकारी नये पदों पर अपनी तैनाती के लिये कई महीनों से दिल्ली में प्रतीक्षा कर रहे हैं; और

(ख) यदि हाँ तो ऐसे अधिकारियों के नाम क्या हैं और उनके तबादले संबंधी ब्यौरा क्या है और वे अपनी तैनाती के लिये कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं और उन्हें उपयुक्त पद सौंपने में कितना समय लगेगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) केवल एक पुलिस अधिकारी श्री एच० डी० पिल्ले, आई पी० एस० (उ० प्र०-1960) प्रतिनियुक्ति के पद से मुक्त होने के बाद तैनाती के लिये प्रतीक्षा कर रहे हैं।

"भोली की कहानी" शीर्षक पर सम्पादकीय

3603. **श्री सूरजभान** : क्या गृह मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 11 जून, 1980 के "दैनिक इंडियन ऐक्सप्रेस" में 13 इयर ओण्ड इन दी क्लचेज ऑफ द रेपिस्ट्" शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार तथा दिनांक 12 जून 1980 के दैनिक "इंडियन एक्सप्रेस" में "भोलीज स्टोरी" नामक शीर्षक पर सम्पादकीय लेख की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) चण्डीगढ़ के सेक्टर 11 तथा 17 केउन पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है जो मामले को दर्ज करने तथा उस पर तुरन्त कार्यवाही करने में असफल रहे हैं; और

(ग) क्या तीनों बलात्कारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और यदि नहीं, तो मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई है,।

गृह मंत्रायल में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) चंडीगढ़ प्रशासन की रिपोर्ट के अनुसार पश्चिमी सेक्टर 2 थाने के सहायक उप निरीक्षक श्री तेज सिंह और एम० एच० सी० करणसिंह, जिन्होंने तारीख 4-6-1980 नीलम उर्फ भोली के पिता श्री मामचन्द की उनकी लापता लड़की के विषय में रिपोर्ट दर्ज नहीं की थी को इस लापरवाही के कारण निलम्बित कर दिये गये हैं, और उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जा रही है। उनका तबादला भी पुलिस लाईन में कर दिया गया है। थाना पश्चिम के एस० एच० ओ० के विरूद्ध भी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर निगरानी और प्रभावकारी नियंत्रण न रखने के कारण निन्दा की कार्यवाही शुरु की गई है। 4-6-1980 को सेक्टर 17 के थाने में ड्यूटी अधिकारी होने पर दैनिक डायरी में रिपोर्ट दर्ज न करने के कारण हैड कांस्टेबल कश्मीरा सिंह के विरुद्ध भी अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई है।

(ग) तीनों बलात्कारियों की बात अभी तक प्रमाणित नहीं हुई है। चिकित्सा जाँच करने वाली महिला चिकित्सक ने रिपोर्ट दी है कि नीलम उर्फ भोली के शरीर पर बलात्कार और जख्म के कोई ताजे निशान नहीं थे। विस्तृत जाँच पड़ताल के दौरान, कोई भी सार्थक बात सामने नहीं आई। दुर्भाग्यवश नीलम उर्फ भोली के पिता श्री मामचन्द, और उसके परिवार के सभी सदस्य और रिश्तेदार जांच पड़ताल करने में सहयोग नहीं दे रहे हैं। श्री मामचन्द मामले को दर्ज कराने के पक्ष नहीं हैं। चिकित्सा रिपोर्ट के अनुसार नीलम उर्फ भोली जो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, उन व्यक्तियों और उस स्थान का जहाँ उसे ले जाया गया और जहाँ वह दो दिन तक रही, के विषय में कुछ नहीं बता सकती है। तथा पित शहर के पुलिस अधीक्षक और पुलिस उप-अधीक्षक की कड़ी निगरानी में जाँच-पड़ताल की जा रही है और मामले में अपराधियों का पता लगाने के लिये हर सम्भव प्रयत्न किए जा रहे हैं।

आर्थिक अपराधियों का नजरबन्द किया जाना

3604. **श्री ब्रजमोहन महन्ती** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 में देश में, राज्यवार कथित रूप में आर्थिक अपराधों में अन्तर्गस्त कितने व्यक्तियों की नजरबन्द किया गया है; और

(ख) क्या यह सच है कि कुछ राज्य सरकारों ने चोरबाजारी तथा अन्य आर्थिक अपराधों को रोकने हेतु निवारक निरोध अधिनियम लागू करने के बारे में अपनी अनिछा व्यक्त की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) वर्ष 1980 में आर्थिक अपराधों में अन्तर्गस्त तथा चोरबाजारी निरोधक तथा आवश्यक वस्तुएंआ पूर्ति अनुरक्षण अधिनियम 1980 और कोफेपोसा अधनियम 1974 के आधीन नजरबन्द किये गये व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है :—

क्रम संख्य	राज्य/ संघ शासित क्षेत्र	उन व्यक्तियों की संख्या जिन्हें चोरबाजारी निरोधक तथा आवश्यक आपूर्ति अनुरक्षण अधिनियम 1980 के अधीन नजरबन्द करने का आदेश दिये गये (27-6-1980 तक)	उन व्यक्तियों की संख्या जिन्हें कोफेपोसा अधिनियम 1974 के अधीन नजरबन्द करने के आदेश दिये गये (21-6-1980 तक)	टिप्पणी
1.	बिहार	16	—	—
2.	गुजरात	11	23	—
3.	कर्नाटक	15+1	01	* 1979 में एक व्यक्ति को नजरबन्द करने का आदेश दिये गये किन्तु वह फरार हो गया तथा 1980 में उसने आत्मसमर्पण किया।
4.	केरल	—	03	—
5.	मध्यप्रदेश	14	—	—
6.	महाराष्ट्र	21	78	—
7.	उड़ीसा	05	—	—
8.	पंजाब	06	09+1@	@नजरबन्दी के आदेश केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए।
9.	राजस्थान		02	—
10.	उत्तर प्रदेश	17£	10	£दो व्यक्ति शामिल हैं जो वास्तव में नजरबन्द नहीं किए गए थे और बाद में उनके नजरबन्दी के आदेश रद्द कर दिए गए।
11.	तामिलनाडु	—	07†	†नजरबन्दी के आदेश केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए।
12.	पश्चिम बंगाल	—	01††	††नजरबन्दी के आदेश केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए।
13.	दिल्ली	07	03	—
14.	गोवा, दमन और दीव	—	19	—
	जोड़	113	157	

(ख) केरल, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा सरकारों ने चोरबाजारी निरोधक तथा आवश्यक वस्तुए आपूर्ति अनुरक्षण अधिनियम, 1980 के उपबन्धों को लागू न करने का अपना निर्णय व्यक्त किया है। पश्चिमी बंगाल और तामिलनाडु सरकारों ने निर्णय किया है कि वे कोफेपोसा अधिनियम 1974 के अन्तर्गत नजरबन्दी के कोई आदेश जारी नहीं करेंगे।

उड़ीसा में पंजीकृत छोटे सीमेंट संयंत्र

3605 : **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में स्थापित किये जाने वाले कितने छोटे सीमेंट संयंत्र पंजीकृत किये गये हैं ; और

(ख) इन पर कितना पुंजी निवेश किया जायेगा ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) उड़ीसा राज्य के सुरेन्द्रगढ़ जिले में एक लघु सीमेंट संयत्र की स्थापना के लिये औद्योगिक विकास निगम उड़ीसा को एक आशय पत्र दिया गया है।

(ख) इस परियोजना के लिये भूमि, भवन तथा मशीनरी हेतु 365 लाख रु० का निवेश किए जाने का प्रस्ताव है।

उड़ीसा में प्रौद्योगिकी संस्थान

3606 : **श्री बृजमोहन महन्ती** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लि० की उच्च शिक्षा के लिये आवंटित धन राशि में से उड़ीसा में सुनावेडा में प्रौद्योगिक संस्थान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) क्या यह सच है कि उड़ीसा के छात्रों की 40 प्रतिशत संख्या के आधार पर राज्य सरकार के साथ बातचीत की गई है और उक्त प्रस्ताव के बारे में केवल हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लि० के बोर्ड आफ गवर्नर्स को औपचारिक स्वीकृती की प्रतीक्षा है ; और

(ग) यदि हाँ तो परियोजना के क्रियान्वयन में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) इस प्रकार का कोई मामला सरकार के विचाराधीन नहीं है। बहरामपुर विश्वविद्यालय, उड़ीसा के प्रस्ताव पर विचार करने के बाद हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लि० ने संस्थान को स्थापित करने के लिए पुंजीगत लागत में कुछ मदद करने और उत्पादन कार्य देखने की अनुमति देने की पेशकश की है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

इनसोव आटो कलकत्ता द्वारा हल्की वाणिज्यिक गाड़ियों का निर्माण

3605. **श्री आर०के० महालगी** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इनसोव आटो, कलकत्ता को एक रूसी कम्पनी के सहयोग से हल्की वाणिज्यिक गाड़ियों (एक टन से तीन टन) के निर्माण के लिए 1970 में एक आशय पत्र जारी किया गया था;

(ख) क्या सहयोग करार में आरम्भ में प्रति वर्ष 400 गाड़ियों की सफाई की व्यवस्था थी ;

(ग) इस उपबन्ध के अनुसार कितनी गाड़ियों की सप्लाई की गई है ; और

(घ) इतने लम्बे समय तक परियोजना को क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं और जबकि देश में ऐसी गाड़ियों की कमी है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) हल्की वाणिज्यिक गाड़ियां बनाने के लिए मैं० इनसोव आटो लिमिटेड, कलकत्ता को 2.11.70 को एक आशय पत्र जारी किया गया था। मैं० प्रोमाश एक्स्पोर्ट; मास्को के साथ 17.6.72 को विदेशी सहयोग की अनुमति भी उन्हें दी गई थी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) वी० आर० डी० आई० द्वारा आद्यरूप गाड़ी का सड़क पर चलने योग्य संतोषजनक परीक्षण पूरा करने में कम्पनी अभी तक समर्थ नहीं हुई है। परियोजना को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी मुख्यतः कम्पनी पर ही है।

अखिल भारतीय सेवाओं में राज्य संवर्गों का प्रतिनिधित्व

3608. **श्री आर०के० महालगी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम के उपबन्धों के अनुरूप है कि सभी राज्य संवर्गों को जहां तक इन सेवाओं का संबंध है, केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत सभी पदों पर नियुक्तियों में प्रतिनिधित्व दिया जाए ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि किन्हीं राज्यों ने अपने केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति कोटे का कम उपयोग किया है जो कि अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम की भावना के अनुरूप नहीं है ;

(ग) उन राज्यों के नाम क्या है जिन्होंने 1 मई, 1980 के दिन भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा में अपने कोटे का पूरा उपयोग नहीं किया ; और

(घ) उनके कोटे को अपेक्षित स्तर तक पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां; श्रीमान्।

(ख) और (ग) विभिन्न राज्य संवर्गों के भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा में प्रतिनियुक्ति रिजर्व के उपयोग को निर्दिष्ट करने वाला एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

(घ) राज्य सरकारों द्वारा अपने अधीन पदों पर नियुक्ति की आवश्यकताओं के अधीन केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए विशेषकर ऐसे राज्यों से, जिन्हें पूरा प्रतिनिधित्व न मिला हो, काफी संख्या में अधिकारियों की सेवाएं प्राप्त करने के सदैव प्रयत्न किए जाते हैं।

विवरण

1-5-1980 को भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व का उपयोग

1. भारतीय प्रशासनिक सेवा

क्रम संख्या	राज्य	कुल प्राधिकृत पद संख्या	प्राधिकृत पद संख्या पर केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व	1-1-70 को वास्तविक पद संख्या	आनुपातिक केन्द्रीय प्रति नियुक्ति रिजर्व (वास्तविक पद संख्या के अनुपात में)	केन्द्र में सेवा कर रहे अधिकारियों की संख्या	अनुपातिक के०प्र० रि० का अधिक उपयोग (+) कम उपयोग (−)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	305	56	267	49	42	—7
2.	असम और मेघालय	170	34	152	30	29	—1
3.	बिहार	358	67	300	56	52	—4
4.	गुजरात	202	36	175	31	27	—4
5.	हरियाणा	147	26	138	24	16	—8
6.	हिमाचल प्रदेश	102	19	88	16	18	+2
7.	जम्मू और काश्मीर	107	23	91	20	17	—3
8.	कर्नाटक	227	41	202	36	26	—10
9.	केरल	159	29	133	24	23	—1
10.	मध्य प्रदेश	331	65	311	61	49	—12
11.	महाराष्ट्र	291	54	289	14	48	—6
12.	मणिपुर और त्रिपुरा	120	24	85	7b	20	+3
13.	नागालैण्ड	48	10	38	8	3	—5
14.	उड़ीसा	192	38	187	37	35	—2
15.	पंजाब	160	28	154	27	25	—2
16.	राजस्थान	245	46	187	35	30	—5
17.	सिक्कम	41	9	26	6	1	—5
18.	तमिलनाडु	278	51	257	47	51	+4
19.	संघ राज्य क्षेत्र	172	34	156	31	36	+5
20.	उत्तर प्रदेश	503	92	421	77	58	—19
21.	पश्चिम बंगाल	268	49	241	44	44	—

ii. भारतीय पुलिस सेवा

क्रम संख्या	राज्य	कुल प्राधिकृत पद संख्या	प्राधिकृत पद संख्या पर केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व	1-1-79 को वास्तविक पद संख्या	आनुपातिक केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व (वास्तविक पद संख्या के अनुपात में)	केन्द्र में सेवा कर रहे अधिकारियों की संख्या	अनुपातिक के०प्र० रि० का अधिक उपयोग (+) कम उपयोग (−)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	136	30	123	27	29	+2
2.	असम और मेघालय	98	20	78	16	16	—
3.	बिहार	176	35	153	30	19	−11
4.	गुजरात	102	20	89	17	16	−1
5.	हरियाणा	70	14	64	13	14	+1
6.	हिमाचल प्रदेश	54	11	48	10	9	−1
7.	जम्मू व कश्मीर	49	11	45	10	8	−2
8.	कर्नाटक	101	20	88	17	21	+4
9.	केरल	78	16	68	14	8	−6
10.	मध्य प्रदेश	219	44	212	43	63	+20
11.	महाराष्ट्र	164	36	154	34	36	+2
12.	मणिपुर और त्रिपुरा	58	12	40	8	9	+1
13.	उड़ीसा	104	21	100	20	24	+4
14.	पंजाब	94	19	90	18	16	−2
15.	राजस्थान	107	21	102	20	24	+4
16.	सिक्किम	14	3	—	—	—	—
17.	तमिलनाडु	114	26	105	24	15	−9
18.	संघ राज्य क्षेत्र	85	17	75	15	24	+9
19.	उत्तर प्रदेश	333	67	302	61	72	+11
20.	पश्चिम बंगाल	204	41	183	37	40	+3

उप-सचिव और उससे बड़े दर्जे वाले अधिकारियों का स्थानान्तरण

3609. **श्री आर० के० महालगी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले कुछ महीनों में भारत सरकार के अधीन उप-सचिवों तथा उससे बड़े दर्जे के अनेक अधिकारियों का स्थानान्तरण किया गया है अथवा उन्हें नये पदों पर नियुक्ति तक छुट्टी पर जाने के लिये कहा गया है और अब वे विवश होकर प्रतीक्षा कर रहे हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो उपरोक्त दर्जे के ऐसे अधिकारियों की 31 मई, 1980 तक कुल संख्या कितनी थी जो विवश होकर प्रतीक्षा कर रहे थे ; और

(ग) 31 मई, 1980 को अखिल भारतीय सेवाओं के ऐसे अधिकारियों की कुल संख्या कितनी है जो अपने-अपने राज्यों में विवश होकर प्रतीक्षा कर रहे थे ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) केन्द्र में अवर सचिव तथा उससे ऊपर के स्तर के पदों पर अखिल भारतीय तथा अन्य संगठित केन्द्रीय समूह "क" सेवाओं के अधिकारियों को कार्यकाल की निर्दिष्ट अवधियों के लिए नियुक्त किया जाता है जिसकी समाप्ति पर वे सामान्यतया अपने-अपने राज्यों/संवर्गों को प्रत्यावर्तित हो जाते हैं। किन्तु, उनके कार्यकाल को सरकारी कार्य की अत्यावश्यकताओं और प्रशासनिक दृष्टि से घटाया अथवा बढ़ाया जा सकता है। उप सचिव तथा उससे ऊपर के स्तर के 48 अधिकारियों को दिनांक 15-1-1980 से 31-5-1980 की अवधि के दौरान उनके अपने-अपने राज्यों /संवर्गों को प्रत्यावर्तित किया गया था। तथा उनमें से अधिकांश ने भारत सरकार में अपना कार्यकाल पूरा कर लिया था। ऐसे प्रत्यावर्तन सामान्य और स्वाभाविक हैं।

(ग) अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को उनके अलग-अलग राज्य संवर्गों में तैनाती/ स्थानांतरण का उत्तरदायित्व सम्बन्धित राज्य सरकारों का है।

औद्योगिक उत्पादन के लिये बिजली की कमी

3610 : **श्री आर० के० महालगी :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही की बिजली की कमी का औद्योगिक उत्पादन विशेष रूप से मशीनों के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो विगत 6 मास से उसका कितना उत्पादन हुआ है ; और

(ग) क्या सरकार ने उनका उत्पादन बढ़ाने के लिये कोई कदम उठाये हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) यह उद्योग, जिसमें इन्जीनियरिंग उद्योग भी शामिल है, सामान्य रूप से बिजली तथा कोयले, कच्चे माल की कमी, परिवहन सम्बन्धी समस्याओं आदि से सम्बन्धित अवस्थापना सम्बन्धी अड़चनों के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहा है।

(ख) वर्ष 1980 की प्रथम तिमाही में और पिछले वर्ष की इसी तिमाही में चुने हुये उद्योगों के उत्पादन का एक तुलनात्मक विवरण संलग्न है ।

(ग) सरकार द्वारा किए गए उपायों में से ये उपाय शामिल हैं;—लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये गहराई से मॉनीटरिंग करना, जहां कहीं जरूरी हो कच्चे माल का आयात करके अपेक्षित निवेशों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करना, विद्युत जनित्रण तथा वितरण पर जोर देना और विविधीकरण सहित निर्यात शुरू करने आदि की परियोजनाओं को शीघ्रता से कार्यान्वित करना ।

विवरण

डी० जी० टी० डी० के चुने हुए उद्योगों का उत्पादन

क्र० सं०	उद्योग	गणना की इकाई	जनवरी से मार्च 1980 का उत्पादन	जनवरी से मार्च 1979 का उत्पादन		प्रतिशत
1	2	3	4	5		6
1.	बायलर	करोड़ रु० में	86.26	75.19	+	14.7
2.	डीजल इंजन (अचल)	हजार संख्या	43.11	39.30	+	9.7
3.	चीनी मशीनें	करोड़ रु० में	8.16	8.05	+	1.4
4.	खनन मशीनें	,,	6.30	6.72	—	6.3
5.	धातुकर्मी मशीनें जिसमें इस्पात संयंत्र के उपकरण भी शामिल हैं	,,	11.78	13.78	—	14.5
6.	रसायन तथा मेपजीय मशीनें	,,	20.25	20.73	—	2.3
7.	कागज तथा लुगदी मशीनें	,,	7.32	5.77	+	26.9
8.	सीमेंट मशीनें	,,	5.32	10.43	—	49.0
9.	छपाई मशीनें	,,	2.46	2 10	+	17.1
10.	रबड़ मशीनें	,,	1.50	0.94	+	59.6
11.	मिट्टी हटाने के उपकरण (डम्पर्स, स्क्रेपर्स, लोडर्स, क्रालर-ट्रैक्टर्स, मोटर-ग्रैडर, शोल्वेल्स, एक्सकेवेटर्स)	संख्या	414	520	—	24.0

1	2	3	4	5		6
12.	क्रेनें	हजार मी० टन	4.2	3.4	+	23.5
13.	लिफ्टें	संख्या	22.8	221	+	3.2
14.	बिजली से चलने वाले पम्प	हजार सं०	97.91	109.62	—	6.8
15.	एयर तथा गैस कम्प्रैसर	हजार सं०	3.92	2.89	+	35.6
16.	बाल तथा रोलर बियरिंग	दसलाख सं०	7.80	6.32	+	23.4
17.	मशीन टूल्स	करोड़ रु०	45.39	45.64	—	0.6
18.	कृषि के ट्रक्टर	हजार सं०	16.60	14.21	+	16.8
19.	सड़क कूटने के इंजन	संख्या	253	240	+	5.4
20.	बिजली के ट्रांसफार्मर्स	दस लाख के. बी. ए.	5.55	6.82	—	18.6
21.	बिकली की मोटरें	दस लाख एच. पी	0 97	0.98	—	1.0

व्यावहारिक विज्ञान में अनुसंधान

3611. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आधुनिक प्रवृत्ति के अनुरूप सरकार का विचार व्यावहारिक विज्ञान में अनुसंधान के साथ-साथ मूल अनुसंधान पर पर्याप्त बल देने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या ठोस कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) और (ख) मूल और अनुप्रयुक्त अनुसंधान के उपयुक्त समर्थन सहित देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संतुलित विकास के लिये प्रावधान करना सरकार का उद्देश्य है। इस बारे में 1980-85 वर्षों के लिये नई पंचवर्षीय योजना के निर्माण से संबंधित ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इस बारे में एक विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत किया जायेगा।

भारत हैवी प्लेट्स एण्ड वैसल्स में तालाबन्दी

3612. **श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष के दौरान भारत हैवी प्लेट्स एण्ड वैसल्स, विसाखापटनम में तालाबन्दी की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) स्थिति को सामान्य बनाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी हां।

(ख) श्रमिकों के उच्छृंखल व्यवहार और अनुशासनहीनता के कार्यों और इनके साथ ही औजार-छोड़ो-बैठे रहो-हड़ताल (टूल-डाउन-स्टे-इन-स्ट्राइक) से कम्पनी का उत्पादन कार्य रूप हो गया और कम्पनी की सम्पति को और इसके पर्यवेक्षी तथा कार्यकारी कार्मिकों की सुरक्षा को खतरा हो गया था जिससे तालाबन्दी घोषित करने के अलावा और कोई चारा नहीं रह गया था;

(ग) तालाबन्दी जो 26 मई, 1980 को घोषित की गई थी, 16 जून, 1980 से हटाली गई है जब श्रमिकों ने यह वचन दिया कि वे अपने कर्तव्यों का पालन सही ढंग से करेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से काम करेंगे।

गृह मंत्री का त्रिपुरा का दौरा

3613. **श्री के० पी० सिंह देव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने हाल ही में त्रिपुरा में बड़े पैमाने पर हत्याकांड के सिलसिले में वहाँ का दौरा किया था,

(ख) यदि हां, तो मारे गये व्यक्तियों की संख्या, नष्ट हुई सम्पत्ति के मूल्य और मृतकों के परिवारों को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ख) राज्य में शान्ति बनाये रखने के लिये राज्य सरकार को क्या सशस्त्र सहायता दी गई है और उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) त्रिपुरा राज्य में हिंसा के बढ़ने के परिणामस्वरूप गृह मंत्री ने 11 जून, 1980 को राज्य का दौरा किया था।

राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 6 जुलाई, 1980 तक 538 व्यक्तियों के मारे जाने का समाचार है। नष्ट सम्पति का अंतिम मूल्यांकन अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है। राज्य सरकार ने उपद्रवों में मरने वाले व्यक्तियों के निकटतम सम्बन्धियों को पांच हजार रुपये का अनुग्रह-पूर्वक भुगतान देने का निर्णय किया है। केन्द्रीय सरकार ने स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार को सभी प्रकार की सहायता और सहयोग देने का आश्वासन दिया है। सेना तथा केन्द्रीय पुलिस बलों को राज्य सरकार के अनुरोध पर वहां शांति बनाए रखने के लिए तुरन्त हवाई मार्ग द्वारा त्रिपुरा भेजा गया।

25 वर्ष पूर्व सेवा निवृत्त हुए और इस समय सेवानिवृत्ति हुए सैनिक कार्मिकों की पेंशनों के बीच अन्तर

3614. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्य 25 वर्ष पूर्व सेवा-निवृत्ति हुए और इस समय सेवा निवृत्त हुए एक ही पद के सैनिक कार्मिकी की पेंशनों के बीच कोई अन्तर है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए पहले सेवा निवृत्त हुए भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन में वृद्धि करने का है, कि बढ़ते हुए मूल्यों का प्रभाव पहले सेवा-निवृत्त हुए भूतपूर्व सैनिकों तथा हाल ही में सेवानिवृत्त हुए सैनिकों पर सामान रूप से पड़ा है और यदि हां, तो कब तक किया जायेगा ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) और (ख) सेवानिवृत्त होने वाले सैनिक कार्मिकों की पेंशन की दरें अन्य बातों के साथ-साथ उनके वेतन पर आधारित होती हैं और इस तरह जब कभी वेतन मानों में वृद्धि होती है तो पेंशन की दरों में भी समुचित वृद्धि की जाती है। लेकिन पेंशन की नई दरें, पिछली तारीख से लागू करने की सामान्यतः नीति नहीं है। वर्तमान वेतनमान 25 वर्ष पुराने वेतनमानों से अधिक है और इसलिए वर्तमान पेंशन दरें भी अधिक हैं।

(ग) पहले सेवा निवृत्त हुए भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन की दरों में वृद्धि करने का कोई मामला सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि मूल्य वृद्धि के कारण बढ़ते हुए निर्वाह-खर्च की प्रतिपूर्ति करने के लिए उन्हें समय-समय पर तदर्थ वृद्धि पेंशन पर तदर्थ व आवधिक राहत मंजूर की जाती है।

सौर अनुसंधान केन्द्र की स्थापना

3615. **श्री नवीन रवाणी : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय वर्तमान और अनुसंधान केन्द्रों की संख्या कितनी है तथा वे कहां-कहां स्थित हैं; और

(ख) क्या और सौर अनुसंधान केन्द्रों को स्थापित किए जाने का कोई प्रस्ताव है और क्या भाव नगर, गुजरात में वहां पर उपलब्ध असीम संसाधनों को देखते हुए इस प्रकार का एक अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने के लिए कोई अध्ययन किया गया है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) देश में कई मौजूदा संस्थाएं पहले से ही सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के कार्य में लगी हुई हैं। इनमें प्रमुख हैं : इन्स्टीट्यूट्स आफ टैक्नोलोजी, इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ साइंस, बंगलौर, सी. एस. आई. आर. की प्रयोगशालाएं, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की प्रयोगशालाएं, कई विश्वविद्यालय, बी. एच. ई. एल. का अनुसंधान और विकास प्रभाग, सैन्ट्रल इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, टाटा एनर्जी रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पांडिचेरी, ज्योति लिमिटेड बड़ौदा, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना, केन्द्रीय शुल्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर और अन्य संस्थाएं। ऐसी संस्थाओं की सूची वितरण के रूप में संलग्न है जहां विज्ञान और प्रोद्योगिकी विभाग ने इस क्षेत्र में अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के लिए निधीयन किया है।

(ख) विज्ञान और प्रोद्योगिकी विभाग ने देश में मौजूदा संस्थाओं (सी. एस. आई. आर. के सैन्ट्रल साल्ट एण्ड मेरीन कैमिकल्ज रिसर्च इंस्टीट्यूट, भाव नगर सहित) की विशेष योग्यता और

अवसंरचना का उपयोग करके सौर ऊर्जा पर एक समन्वित राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास कार्यक्रम का निर्माण किया है । भाव नगर सहित अतिरिक्त केन्द्रों की स्थापना करने के लिए किसी विशेष अध्ययन को हाथ में नहीं लिया गया है ।

विवरण

चल रही परियोजनाओं की सूची

क्र० सं०	शीर्षक	संख्या
1	2	3
	1. सौर ऊर्जा	
1.	सौर ऊर्जा संग्राहक यूनिट	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना
2.	कम लागत के सौर सेल (द्वितीय चरण)	सैंट्रल इलैक्ट्रानिक्स लि. साहिबाबाद
3.	सौर जल तापन परियोजनाएं	बी. एच. ई. एल.
4.	सौर जल पम्प (टरबाईन)	बी. एल. ई. एल.
5.	सौर अनाज शुष्कक	एन. आई. डी. सी., नई दिल्ली
6.	एम. ओ. एस. सिलिकोन सौर सेल (द्वितीय चरण)	आई. आई. टी., कानपुर
7.	फ्लैट प्लेट क्लेक्टर	बी. एच. ई. एल. एन. पी. एल., नई दिल्ली
8.	10 कि. वा. विद्युत शक्ति उत्पादन प्रदर्शन यूनिट	बी. एच. ई. एल.
9.	सौर सेलों के लिए चावल की भूसी से सौर ग्रेड सिलिकोन का निष्कर्षण एवं शुद्धिकरण	आई. आई. टी., खड़गपुर
10.	सौर क्लेक्टर कोटिंग	इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ साईंस, बंगलौर
11.	थिन फिल्म और सेल (द्वितीय चरण)	आई. आई. टी. नई दिल्ली
12.	नए प्रकार के सौर प्रकाश-वोल्टीय परिवर्तक एवं तापीय उपकरण	भारतीय विज्ञान संवर्धन संस्थान, कलकत्ता
13.	प्लाईवुड कारखानों के लिए सौर ऊर्जा निर्वातक तथा भाप से चलने वाले वेनियर शुष्कक का अभिकल्पन एवं विकास ।	इण्डियन प्लाईवुड इन्डस्ट्रीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, बंगलौर
14.	प्रकाश वोल्टीय सौर ऊर्जा रुपान्तरण के लिए बहु क्रिस्टलीय सिलिकोन	एन. पी. एल., नई दिल्ली

1	2	3
15.	सौर ऊर्जा के इस्तेमाल से कम तापमान के रैंकिन चक्र के लिए स्माल टरबाईन प्राइम मूवर का विकास ।	आई. आई. टी., बम्बई
16.	सौर अभिवर्धित ताप पम्प प्रणालियां	आई. आई. टी., मद्रास
17.	फ्रेनल मास्टर का अभिकल्पन, विकास एवं अवसंरचना	इन्डियन इंस्टीट्यूट आफ साईंस, बंगलौर
18.	7.5 कि. वा. ओम्नीअम-जी. तापीय शक्ति संयंत्र ।	बी. एच. ई. एल.
19.	प्रकाश-तापीय रुपान्तरण के लिए सिलैक्टिव कोटिंग्स	आई. आई. टी., नई दिल्ली
20.	रेशम की कताई/अटेरन करने के लिए सौर ऊर्जा तापन उपस्कर	करनाटक स्टेट कौंसिल फार एस. एंड टी.
21.	पुणे जिला कुष्ठ रोग हस्पताल में एक प्रदर्शन व प्रयोगात्मक सौर ऊर्जा जल तापन प्रणाली की स्थापना करना ।	बी. एच. ई. एल.
22.	डोरनियर सिस्टम्ज (एफ. आर. जी.) के सहयोग से ग्रामीण अनुप्रयोग के लिए सौर जल पम्प का विकास	बी. एच. ई. एल.
23.	कम लागत का सौर ग्रेड सिलिकोन	आई. आई. टी., मद्रास
24.	फार्म स्तर के सौर व भूसी से चलने वाले अनाज शुष्कक	आई. आई. टी., खड़गपुर
25.	1 कि. वा. फ्रि पिस्टन स्टर्लिंग इंजन सिस्टम (प्रथम चरण)	आई. आई. टी., बम्बई
26.	शुष्कन कार्यों के लिए कारखानों की वर्तमान छतों का सौर वायु तापकों के रूप में परिवर्तन ।	अन्नामलाई विश्वविद्यालय, अन्नामलाई नगर
27.	तम्बाकू संसाधन के लिए सौर ऊर्जा प्रणाली	नागार्जुन विश्वविद्यालय इन्डियन इंस्टीट्यूट आफ साइंस, बंगलौर
28.	उन्नत फ्लैट प्लेट कलेक्टर का अभिकल्पन और विकास	आई. आई. टी., दिल्ली
29.	भारत में सौर ऊर्जा उपयोक्ताओं के लिए सौर विकिरण आंकड़े तैयार करना तथा उन्हें प्रकाशित करना ।	आई. आई. टी., पुणे आर. आर. आई. बंगलौर
30.	चावल-भूसी सिलिकोन को उन्नत करने के लिए सी. जैड. एफ. जैड. और ब्रिजमान तकनीकों का मूल्यांकन	आई. आई. टी., खड़गपुर

31. ग्रामीण विकास के लिए प्रकाश वोल्टीय सौर विद्युत शक्ति प्रणाली	कल्याणी विश्वविद्यालय, कल्याणी
32. सूर्य के सांद्रित प्रकाश से उच्च दक्षता वाले सौर सेलों के प्रयोग से सौर पैनलों का विकास ।	सी. ई. ई. आर. आई., पिलानी
33. ताप विद्युत और संपूर्ण ऊर्जा प्रणाली के लिए उपयुक्त तापीय संचयन प्रणाली का विकास	बी. एच. ई. एल. निगमित आर. एंड डी. हैदराबाद
34. सौर कलेक्टरों तथा सौर सेलों के लिए परीक्षण सुविधाएं	एन. पी. एल., नई दिल्ली
35. ग्रामीण भारत में डेरियों के लिए एक एकीकृत ऊर्जा प्रणाली का विकास-संकल्पनात्मक अभि-कल्पन एवं साध्यता अध्ययन ।	आई. आई. टी., मद्रास
36. कुशल सौर तापीय अनुप्रयोगों के लिए सिलैक्टिव सतहों का विकास ।	आंध्र विश्वविद्यालय, वाल्टेयर
37. अवशोषण प्रशीतन और सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करने वाली शीत संचयन यूनिट	आई. आई. टी., बम्बई
जैव भार	
1. जैव गैस प्रौद्योगिकों और उपयोगीकरण पर अखिल भारतीय समन्वित परियोजना (द्वितीय चरण)	के. वी. आई. सी., बम्बई पी. आर. ए. डी., लखनऊ एस. ई. आर. सी., रुड़की सी. बी. आर. आई., रुड़की
2. जल हायसिंथ से जैव गैस	एन. एस इंजीनियरिंग कालेज, हैदराबाद ।
3. गोबर गैस संयंत्र के सूक्ष्म जैविक तथा अन्य पहलू और इसका उपयोग ।	एम. ए. सी. एस., पुणे ।
4. जैव गैस उत्पादन के लिए कचरा गैस संयंत्र ।	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना ।
5. गैस टरबाइन इंजनों को चलाने के लिए आपक्षं गैस का उपयोग ।	एन. ए. एल., बंगलौर ।
6. संभावी पैट्रो-फसलों के श्रीगणेश, संवीक्षा और खेती तथा ऐसी फसलों का पैट्रोल में रूपांतरण ।	आई. आई. पी., देहरादून एन. बी. आर. आई, लखनऊ ।
7. (1) मेथैन से मेथैनोल का सूक्ष्मजैविक उत्पादन	आई. आई. टी., नई दिल्ली
(2) सेलूलोसिक/स्टार्ची अवशिष्टों का इथैनोल में जैव रूपान्तरण	आई. आई. टी, नई दिल्ली

8. जल हायसिंथ का कृषि समुदायों आदि के लिए लाभप्रद उत्पादों में रूपान्तरण ।	कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता ।
3. हाइड्रोजन ऊर्जा	
1. हाइड्रोजन के उत्पादन एवं संचयन के लिए सालिड मैटिरियल्ज का विकास ।	आई. आई. टी. मद्रास
2. राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का अंतरांशखास्थि गणितीय प्रोग्रामन माडल ।	आई. आई. टी., नई दिल्ली
3. भारत के लिए हाइड्रोजन ऊर्जा प्रणाली प्रौद्योगिकी ।	आई. आई. टी. मद्रास
4. पवन ऊर्जा	
1. ऊर्ध्वाधर अक्ष पवन उत्पादक	बी. एच. ई. एल, दिल्ली आई. आई. टी. मद्रास
2. किफायती जल पम्पन चक्कियों का अभिकल्पन एवं विकास	एन. ए. एल. बंगलौर
3. एक नए प्रकार की पवन चक्की का विकास	आई. आई. एस. बंगलौर
4. कृषि प्रयोजनों के लिए जल पम्पन हेतु एक ऐसी पवन चक्की का अभिकल्पन एवं विकास जिसमें बहुत से ब्लेड हो और जो कम वायु में भी कार्य कर सके	आई. आई. टीं., बम्बई
5. भू-तापीय ऊर्जा	
1. भू-तापीय ऊर्जा के इस्तेमाल से मणिकरन, हिमाचल प्रदेश में कोल्ड-स्टोरेज संयंत्र	जी. एस. आई, लखनऊ आई. आई. टी., दिल्ली
6. विद्युत रासायनिक संचयन	
1, निकैल फेरस तथा मेटल-एयर बैटरियों का अनुसंधान और विकास	आई. आई. एस., बंगलौर
7. बैटरी चलित वाणिज्य वाहन	
1. बैटरी चालित वाणिज्य वाहन	वी. आर. डी. ई., अहमदनगर आर. डी. एस. ओ., लखनऊ सी. ई. सी. आर. आई., कराईकुडी बी. एच. ई. एल., भोपाल

विज्ञान और प्रौध्योगिकी विभाग
(नव ऊर्जा स्रोत कार्यक्रम)

1	2	3
	1. सौर ऊर्जा	
1.	एक टन प्रतिदिन की क्षतया वाला सौर धान शुष्कक	अन्नामलाई विश्वविद्यालय अन्नामलाई नगर
2.	3 टन सौर वातानुकलक	आई. आई. टी., मद्रास
3.	सौर कलेक्टर और पम्प	बी. आई टी. एस. पिलानी
4.	दूध सुखाने हेतु सौर पूर्व-तापक	अमूल, आनन्द
5.	लकड़ी सुखाने हेतु सौर भट्टे	एफ. आर. आई. सी. देहरादून
6.	कम लागत के सौर सैल (प्रथम चरण)	सी. ई. एल. बी. आई. टी. एस., पिलानी ई. सी. आई. एल. हैदराबाद सी. ई. ई. आर. आई. पिलानी आई. आई. टी., नई दिल्ली
7.	फ्रेनल कन्डेंसर (लैन्स)	इंडियन इंस्टीट्यूट आफ़ साइंस, बंगलौर
8.	एम. ओ. एस. सिलिकोन सौर सैल	आई आई. टी., कानपुर
9.	फोटोगैल्वैनी सैल	आई. आई. टी., मद्रास
10.	फ्लैट प्लेट कलेक्टरों के तापीय एवं हाइड्रोलिक्स अभिकल्प	आई. आई. टी. कानपुर
	2. जैव भार	
1.	जैव गैस प्रौद्योगिकी सौर उपयोगीकरण पर अखिल भारतीय समन्वित परियोजना [प्रथम चरण]	के. वी. आई. सी., बम्बई एन. ई. ई. आर. आई., नागपुर आई. ए. आर. आई, नई दिल्ली आई. आई. एम., अहमदाबाद एस. ई. आर. सी., रुड़की पी. आर. ए. डी., लखनऊ लखनऊ विश्वविद्यालय एन. एस. आई., कानपुर

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा जिला मिदनापुर

3616. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पश्चिम बंगाल का मिदनापुर जिला औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों में से एक है,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस जिले में सरकारी क्षेत्र में नए उद्योग स्थापित करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) मैसर्स हिन्दुस्तान उर्वरक निगम हल्दिया में एक उर्वरक तथा रसायन संयंत्र स्थापित कर रहा है जो यूरिया एन० पी० के०, मैकानोल तथा सोडा ऐश बनाएगा ।

पश्चिम बंगाल सरकार का भी हल्दिया में एक पैट्रो-रसायन काम्पलेक्स स्थापित करने का प्रस्ताव है । पश्चिम बंगाल राज्य औद्योगिक विकास निगम भी मिदनापुर जिले के खड़गपुर में संयुक्त क्षेत्र के आधार पर एक मलेइक एन्डाइड संयंत्र स्थापित कर रहा है ।

उपर्युक्त के साथ-साथ मैसर्स बंगाल औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड कलकत्ता को स्लरी विस्फोटक सामग्री बनाने के लिए मिदनापुर में उनके एकक की स्थापना के लिए वर्ष 1979 में एक आशयपत्र जारी किया गया था ।

दिल्ली में सड़क दुर्घटनायें

3617. **श्री जी. वाई. कृष्णन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह कहना कहां तक सही है कि जहां तक घातक सड़क दुर्घटनाओं के प्रश्न का संबंध है देश में दिल्ली का स्थान प्रथम है;

(ख) इस संबंध में 1979-80 के आँकड़ों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सड़क दुर्घटनाओं की संख्या कम करने के विचार से सड़क सुरक्षा हेतु क्या उपाय किये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) 1978 के उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि इस वर्ष के दौरान दिल्ली में हुई 686 सड़क दुर्घटनाओं की तुलना में बम्बई में 736 घातक सड़क दुर्घटनाएं हुईं ।

(ख) 1.4.1979 से 31.3.1980 की अवधि के दौरान दिल्ली में 690 घातक सड़क दुर्घटनायें हुईं ।

(ग) निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

1. विभिन्न प्रकार के वाहनों के लिए अधिकतम गति सीमा निर्दिष्ट कर दी गई है और मिनी बसों सहित यात्री ले जाने वाले भारी वाहनों में गति नियंत्रक लगाए जाने हैं ।

2. कई उपाय किए गए हैं, जैसे भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में एक तरफा यातायात नियमन, भारी तथा मध्यम गति वाले माल वाहनों, हलके चलने वाले वाहनों के आने जाने पर रोक, और वाहन खड़े करने पर रोक आदि ताकि यातायात का स्वतंत्र प्रवाह सुविधाजनक हो सके और दुर्घटना का खतरा कम हो सके ।

3. प्रदर्शनी झंडियों, भाषणों, साहित्य आदि बांटने के माध्यम से चालकों, स्कूल के बच्चों पद, यात्रियों आदि को आपात सुरक्षा शिक्षा दी जाती है ।

4. समय-समय पर सड़क दशा के सुधार, चौराहों के डिजाइन और सड़कों आदि की मरम्मत आदि के प्रस्ताव किए जाते हैं ।

5. 30-5-80 से 4 चलते-फिरते न्यायालयों ने कार्य करना शुरू कर दिया है और उन व्यक्तियों पर जो खतरनाक, अन्धाधुन्ध और लापरवाही से बाहन चलाते हैं, खिलाफ मौके पर कार्यवाही की जाती है । इसका हितकारी प्रभाव हुआ ।

6: मई, 1978 में सड़क सुरक्षा पर एक संगोष्ठी भी की गई । मई, 1979 में नियोजन और वास्तुकला स्कूल में यातायात प्रबंध पर संबंधित समस्याओं पर विचार विमर्श करने के लिए एक कार्यशाला भी चलाई गई । इसका उद्देश्य समस्याओं से अवगत होना और विभिन्न संगठनों जैसे अभियंताओं, शहर नियोजक, चिकित्सा विशेषज्ञों, सड़क प्रयोक्ताओं, संचालकों तथा अन्य को इसमें शामिल करना था ।

7. वाणिज्यिक संचालक/चालक नियमित रूप से दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा शिक्षा की तकनीकी में प्रशिक्षित किए जा रहे हैं । यातायात अधिकारी दि. प. नि. के वजीरपुर डिपो प्रशिक्षण केन्द्र में दि. प. नि. के चालकों को प्रशिक्षण देने में नियमित रूप से शामिल हो रहे हैं ।

सीमेंट उद्योग की दशा

3618. **श्री चित्त बसु** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सीमेंट उद्योग बुरी दशा में है,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अब तक इस बात का पता लगा लिया है कि इस उद्योग के किन क्षेत्रों में कमियां हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो इस बीच क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) वर्ष 1979-80 में सीमेंट के उत्पादन में गिरावट का रुख दिखाई दिया है । इसका प्रमुख कारण सीमेंट उद्योग को पर्याप्त कोयला तथा बिजली की आपूर्ति से सन्बन्धित बाहरी अड़चनें रही हैं ।

(ग) सीमेंट उद्योग को पर्याप्त कोयला तथा बिजली उपलब्ध कराने के लिए सभी प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

भाषाई अल्प संख्यकों के आयुक्त की रिपोर्ट

3619. **श्री जी. एम. बनातवाला** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाषाई अल्प संख्यकों के आयुक्त ने अपनी वर्ष 1975-76 और उसके पश्चात् के वर्षों की रिपोर्टें राष्ट्रपति को प्रस्तुत कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो कब;

(ग) इन रिपोर्टों के अभी तक सभा पटल पर न रखे जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) यदि रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है तो क्या मामले को आयुक्त के साथ उठाया गया था, और यदि हां, तो आयुक्त ने रिपोर्ट प्रस्तुत न करने के लिए क्या कारण बताये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) भाषाई अल्प संख्यकों के आयुक्त का पद मई, 1977 से रिक्त पड़ा है। फिर भी भाषाई अल्प संख्यकों के उपायुक्त ने क्रमश: 1975-76 और 1976-78 की अवधियों के लिए दो रिपोर्टें तैयार की हैं और प्रस्तुत कर दी हैं। अब इन रिपोर्टों को संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखने का प्रस्ताव है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सांसदों के पत्रों के उत्तर

3620 **श्री निहाल सिंह** . क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के सभी अधिकारियों को सांसदों द्वारा लिखे गए पत्रों के उत्तर देने के निदेश जारी करने का विचार है ;

(ख) क्या यह सच है कि सांसदों द्वारा लिखे गए पत्रों के उत्तर नहीं दिये जा रहे हैं और उन्हें उन पत्रों पर की गई कार्यवाही से अवगत नहीं कराया जा रहा है तथा कुछ सांसदों ने इस सम्बन्ध में प्रधान मंत्री को भी शिकायतें भेजी हैं ; और

(ग) फरवरी, 1980 से आज तक की अवधि के दौरान केन्द्रीय मंत्रियों को पृथक-पृथक कितने पत्र लिखे गए हैं और उनमें से कितने पत्रों के जवाब दिए गए तथा कितने पत्रों के जवाब नहीं दिये गए ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों पर तत्काल ध्यान देने के सम्बन्ध में केन्द्र में निम्नलिखित स्थायी अनुदेश (और जिन्हें कि केन्द्रीय सचिवालय कार्यालय पद्धति नियम पुस्तिका के पैरा 43 (1) तथा 43 (2) में शामिल किया गया है, (नीचे उद्धृत) पहले से ही विद्यमान है :—

"संसद सदस्यों के साथ पत्र-व्यवहार :

(1) संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों की ओर तत्काल ध्यान दिया जाना चाहिए।

(2) यदि पत्र किसी मंत्री के नाम भेजा गया हो तो उसका उत्तर यथा सम्भव स्वय मंत्री द्वारा दिया जाना चाहिये। अन्य मामलों में पत्रों का उत्तर सामान्यत: संयुक्त के स्तर के अधिकारी के हस्ताक्षरों से जाना चाहिए।"

इसके अलावा इस प्रकार के पत्रों के निपटान और उनके उत्तर भेजने पर विशेष निगरानी रखने के लिए विशेष प्रकार के रजिस्टर रखे जाने को अनुदेश भी मौजूद है। प्रधान मंत्री के संसद सदस्यों से ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है कि उनके पत्रों के उत्तर नहीं दिए गए। जहां तक राज्य सरकारों का सम्बन्ध है अधिकारियों को अनुदेश जारी करना और इस बात की जांच करना कि इन अनुदेशों का पालन किया जा रहा है या नहीं उन्हीं पर निर्भर करता है।

(ग) अपेक्षित सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

विकास-दर

3621. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य और उद्योग मण्डल संघ ने वर्ष 1980 के दौरान कम से कम 7 प्रतिशत विकास दर प्राप्त करने के तरीकों की रूपरेखा बताते हुए पृष्ठाधार लेख तैयार कर लिये हैं और भेज दिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल संघ ने 1980 के दशक में 7 प्रतिशत की संवृद्धि दर प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव किए हैं। इनका सारांश अनुलग्नक में दिया गया है।

अनुलग्नक

1. सरकार और व्यापारी वर्ग का एक उच्च स्तरीय संयुक्त मंच स्थापित किया जाना चाहिए जो ऐसे उपायों पर विचार-विमर्श करे और निर्णय करें जिनके प्रति ये दोनों वचनबद्ध होने चाहिए।

2. जिन अनेक कानूनों, नियंत्रणों और विनियमों की पिछले वर्षों में संवृद्धि हुई है, उन्हें बिल्कुल कम कर दिया जाना चाहिए।

3. मुद्रास्फीति के कारण परियोजनाओं की लागत काफी बढ़ गई है। इससे नए निवेश में दिलचस्पी नहीं रही है। इसकी प्रतिपूर्ति करने के लिए वित्तीय नीति को परिशोधित किया जाना चाहिए।

4. कर के प्रयोजनों के लिए मूल्य-ह्रास को मशीन कीमत सूचकांक से संबद्ध किया जाना चाहिए।

5. सभी उत्पादक बचतों को कराधान से छूट देकर के कर प्रणाली की बचतों को प्रोत्साहन देने के लिए उन्मुख किया जाना चाहिए।

6. आवधिक ऋण देने वाली संस्थाएं जिन शर्तों पर उद्योग को वित्त देती हैं उन्हें परिमित किया जाना चाहिए।

7. शिल्पविज्ञान के आयात को उदार बनाया जाना चाहिए।

पेट्रोल के स्थान पर सौर ऊर्जा का उपयोग

3622. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने देश में पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए उसके स्थान पर सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है, और

(ख) इस संबंध में क्या प्रगति हुई है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : **(क) और (ख)** व्यापक संभावी अनुप्रयोगों के लिए, इनमें वे भी शामिल है जिनके लिए इस समय पैट्रोल इस्तेमाल किया जा रहा है सौर ऊर्जा को इस्तेमाल करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगीकियों के विकास की सरकार द्वारा उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है। इनमें से अधिकांश कार्यक्रम अभी अनुसंधान; विकास और प्रदर्शन अवस्थाओं पर हैं। इनके किसी उल्लेखनीय पैमाने पर इस्तेमाल किए जाने से पूर्व अभी और अनुसंधान और विकास कार्य आवश्यक होगा।

परिवहन के क्षेत्र में पेट्रोलियम का प्रमुख उपयोग डीजल से चलने वाले इंजनों के लिए और पैट्रोल और डीजल के रूप में सड़क परिवहन गाड़ियों के लिए होता है। इस क्षेत्र में सौर ऊर्जा के लिए प्रमुख प्रत्यक्ष योगदान कर पाना कठिन होगा। परिवर्तन रेल रोड प्रणाली के विद्युतीकरण, सड़क द्वारा लम्बे रास्ते पर ढुलाई की बजाए रेल द्वारा उसकी ढुलाई, छोटे-छोटे फासलों के लिए बैटरी चालित गाड़ियों का उपयोग और ईंधन के रूप में अल्कोहल के इस्तेमाल की संभावना। जीवभार के रूपांतरण से अल्कोहल पैदा किया जा सकता है जिसे सौर ऊर्जा के आधार पर प्रकाश संश्लेषण द्वारा पैदा किया जा सकता है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने एक राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया है ताकि जीव भार के उत्पादन और जीव भार के ईंधन के रूप में रूपांतरण से संबंधित अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों का परीक्षण, अभिनिर्धारण और निर्माण किया जा सके। दो परियोजनाओं को कार्यान्वयन के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टैक्नालोजी दिल्ली में हाथ में लिया गया है। इनमें से मीथेन से मीथानोल के जीव रूपांतरण और दूसरी सैल्यूलोजी सामग्री के ईथानोल में परिवर्तन का अध्ययन करने से संबंधित है। साथ ही इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ पेट्रोलियम के साथ संयुक्त रूप से नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, लखनऊ में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संभावी पैट्रो-फसलों (लेटेक्स पैदा करने वाले पादपों) के श्रीगणेश, संवीक्षा और कृषि के लिए और इस लेटेक्स को पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बनों के रूप में परिवर्तित करने की एक परियोजना को आरम्भ किया गया है।

बैटरी चालित गाड़ियों के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को हाथ में लिया गया है। अन्ततः व्यापक रूप से पैट्रोल/डीजल से चलने वाली गाड़ियों का स्थान ले सके। व्हीक्ल्ज रिसर्च एण्ड डिवेल्पमेन्ट इस्टैबलिशमेन्ट, भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्ज लिमिटेड, रिसर्च डिजाइन एण्ड

स्टैन्डर्ड आर्गनाइजेशन, सेण्ट्रल इलेक्ट्रो कैमिकल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, आदि संस्थायें इस कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं।

एक और दीर्घकालीन संभावना यह है कि हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाए जिसे परिवहन क्षेत्र में पैट्रोलियम के प्रतिस्थापन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने एक हाइड्रोजन ऊर्जा कार्य बल का संघटन किया है ताकि हाइड्रोजन के उत्पादन, भण्डार (संचयन) और उपयोगीकरण से संबंधित अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों का अभिनिर्धारण किया जा सके। इस क्षेत्र में कार्य अभी प्रयोगशाला स्तर पर है।

एक और क्षेत्र जिससे पैट्रोलियम उत्पादों को व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है घरेलू खाना पकाने और रोशनी (जिसके लिए मिट्टी का तेल इस्तेमाल किया जाता है) करने और सिंचाई और पेयजल के लिए कृषि पम्पों को चलाने (जहां डीजल का इस्तेमाल किया जाता है) से सम्बद्ध है। ये लोगों की, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जिन्दगी के बुनियादी तत्वों को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं।

विज्ञान और प्रोद्यौगिकी विभाग के तत्वावधान में एक अखिल भारतीय समन्वित जैव गैस परियोजना को अमल में लाया जा रहा है ताकि जैव गैस पैदा करने के लिए पशु और अन्य कृषि अवशेषों का इस्तेमाल किया जा सके जिससे इन सभी अनुप्रयोगों के लिए पैट्रोलियम उत्पादों के स्थान पर ऊर्जा की व्यवस्था की जा सके। पारिवारिक आकार के जैव गैस संयंत्रों के सम्बन्ध में पहले से ही काफी कार्य किया जा चुका है। कई प्रदर्शन सामुदायिक जैव गैस संयंत्रों की स्थापना करने की योजना है ताकि उनके तकनीकी और सामाजिक आर्थिक पक्षों का अध्ययन किया जा सके। खादी ग्रामोद्योग आयोग, उ० प्र० का योजना अनुसंधान और कार्य प्रभाग; स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सन्टर सैन्ट्रल बिल्डिंग रिसर्च इन्स्टीट्यूट, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, आदि संस्थायें इस कार्यक्रम में भाग ले रही हैं। जैव गैस को खाना पकाने, प्रकाश की व्यवस्था करने, गरम करने, लघु उद्योग चलाने और कृषि पम्प सैटों आदि को चलाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

विज्ञान और प्रोद्योगिकी विभाग ने सौर सैलों और मौड्यूलों के विकास के कार्य को हाथ में लिया है जो कि सौर ऊर्जा को सीधे ही बिजली में परिवर्तित करते हैं। इस बिजली को डीजल के स्थान पर कृषि पम्पों को चलाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस कार्यक्रम में सैन्ट्रल इलैक्ट्रानिक्स लि०, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, कई प्रोद्यौगिकी संस्थान और अन्य संस्थायें भाग ले रही हैं।

व्यापारिक और औद्योगिक स्थापनाओं में इस्तेमाल के लिए सौर तापन प्रणालियों पर अनुसंधान और विकास कार्य को हाथ में लिया गया है ताकि वे पैट्रोलियम ईंधनों का स्थान ले

सकें जिन्हें अन्यथा गर्म पानी की आपूर्ति, प्रक्रिया तापन उद्योग आदि के प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्ज, इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ टैक्नोलोजी, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला और अन्य संगठन इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं।

परिवहन, खाना पकाने, प्रकाश व्यवस्था करने, तापन करने, विभिन्न यंत्रों के लिए शक्ति की व्यवस्था करने आदि में ऊर्जा के स्रोतों में प्रत्यक्ष उपयोग के अलावा पैट्रोलियम उत्पाद रासायनिक उद्योग के लिए भी एक महत्वपूर्ण उत्पाद हैं। जीवभार से अल्कोहल के उत्पादन से इसे रासायनिक उद्योग में फीड स्टाक के रूप में काफी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। भारतीय सन्दर्भ में यह प्रयोग परिवहन क्षेत्र में अल्कोहल के इस्तेमाल की अपेक्षा कहीं अधिक महत्वपूर्ण होगा।

ईंधनों और फीड स्टाक के रूप में पैट्रोलियम उत्पादों के लिए मांगों पर दबाव को कम करने की आवश्यकता बहुत स्पष्ट है और प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सौर ऊर्जा को उपयोग में लाने के लिए सभी सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं। परोक्ष उपयोगों में पवन शक्ति, लघु जल संयंत्र, समुद्रीय तापीय ऊर्जा प्रणालियों जैसे पक्ष भी शामिल हैं ताकि यथासंभव शीघ्र वैकल्पिक ऊर्जा की व्यवस्था की जा सके।

दिल्ली में सीमेंट की कमी

3623. **श्री नवीन रवाणी :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में तीन महीनों से सीमेंट की अत्यधिक कमी के कारण लगभग 50,000 इमारत श्रमिक बेरोजगार हो गये हैं;

(ख) क्या दिल्ली प्रशासन ने मध्य प्रदेश से दिल्ली में भेजे गये 30,000 मीट्रिक टन सीमेंट आने की आशा में उपभोक्ताओं को परमिट जारी किए थे लेकिन बाद में यह कोटा अन्य राज्यों को भेज दिया गया था, और

(ग) यदि हां, तो सीमेंट के इस भारी संकट को हल करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) देश में सीमेंट की सामान्य कमी है जिसमें केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली भी शामिल है। यद्यपि इससे कुछ निर्माण कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा होगा।

लेकिन दिल्ली प्रशासन द्वारा ऐसी स्थिति में सूचना नहीं दी गई है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

द्वितीय एस० एल० वी० के बारे में संदेह

3624. **श्री बृजमोहन महन्ती :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत 10 अगस्त को प्रथम (एस. एल. वी. 3) उपग्रह के असफल हो जाने के तकनीकी कारणों का उचित प्रकार से मूल्यांकन कर लिया गया है और प्रथम (एस. एल. वी.)

में पाये गये दोषों को जुलाई, 1980 में छोड़े जाने वाले द्वितीय (एस. एल. वी. 3) उपग्रह से समाप्त कर दिया गया है ; और

(ख) क्या यह सच है कि वैज्ञानिक द्वितीय (एस. एल. वी.) उपग्रह को, जो 13 जुलाई, 1980 को, यदि मौसम अनुकूल होगा, छोड़ा जाना है, तब से छोड़े जाने के बारे में संदेह में हैं ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हाँ। इस परीक्षण से जो अनुभव प्राप्त हुआ है, उसका उपयोग दूसरे परीक्षण के संभावित दोषों को दूर करने के लिए किया जा रहा है।

(ख) नहीं श्रीमान्।

उड़ीसा में मिनी सीमेंट संत्रंत्र को स्थापना करना

3625. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में मिनी सीमेंट संयंत्रों की स्थापना का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) तथा (ख) उड़िसा के औद्योगिक विकास निगम को 66,000 मी० टन सीमेंट की वार्षिक क्षमता के लिए सुन्दरगढ़ जिले में एक लघु सिमेंट संयंत्र की स्थापना हेतु एक आशय पत्र स्वीकृत किया गया है।

मंदसौर जिले में सिमेंट उद्योग

3626. **श्री बी० आर० नहाटा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में सीमेंट उद्योग को रेलवे परिवहन सुविधाओं की कमी के कारण विकास में बाधा पहुंच रही है ;

(ख) क्या परिवहन सुविधाओं और वैगनों की कमी के कारण सरकार ने मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में नयागांव में कार्य कर रहे भारतीय सीमेंट निगम के सीमेंट कारखाने पर यह शर्तें लगाई हैं कि वह केवल क्लिकरों की अवस्था तक ही सीमेंट का उत्पादन करें और अन्य स्थानों पर सीमेंट की बजाए क्लिकरों का परिवहन करें; और

(ग) क्या यह सच है कि रेलवे विभाग मध्य प्रदेश मंदसौर जिले में सीमेंट उद्योग के भावी विकास की स्वीकृति नहीं दे रहा है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) मंदसौर जिले में सीमेंट का केवल एक ही कारखाना स्थापित किया जा रहा है जिसमें अभी तक वाणिज्यिक उत्पादन शुरू नही हुआ है। अतः रेल परिवहन सुविधाओं की कमी के कारण इसे बाधा पहुंचने का अभी प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) भारतीय सीमेंट निगम ने स्वयं ही अपने नयागांव स्थित संयंत्र का अलग-अलग स्थानों पर विस्तार करने के लिए आवेदन किया था और तदनुसार आशय पत्र जारी कर दिया गया था।

(ग)इस क्षेत्र में नई सीमेंट परियोजनाओं की माँग को ध्यान में रखते हुए रेल परिवहन की अतिरिक्त सुविधाएं देने की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है और अपेक्षित संभाव्यता तथा आर्थिक अध्ययन प्रारम्भ किए गए हैं।

प्रत्येक राज्य में पुनर्वास के लिए क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने के बारे में अभ्यावेदन

3627. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व सैनिकों का शीघ्र पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक राज्य में पुनर्वास निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई निर्णय किया गया है;

(ग) यदि हां, तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं और किस तारीख तक निर्णय कर लिए जाने की सम्भावना है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

अगस्त, 1977 में इजराइल के विदेश मंत्री के उपयोग के लिए रखा गया भारतीय वायुसेना का विमान

3628. **श्री भगवान देव** : क्या रक्षा मंत्री अगस्त, 1977 में इजराइल के विदेश मंत्री श्री मोशे दयां के बम्बई से भारतीय वायु सेना के एक विमान द्वारा किये गये दौरे के बारे में 12 जून; 1980 के तारांकित प्रश्न संख्या 62 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय को उनके उपयोग के लिए विमान रखे जाने का कोई लिखित या मौखिक अनुरोध प्राप्त हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो यह अनुरोध किससे प्राप्त हुआ था और उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जो उनके दौरे के समय श्री मोशे दयां के साथ थे ;

(ग) क्या मंत्रालय में बाद में भी श्री मोशे दयां के उपयोग के लिए वायु सेना का विमान रखा था ; और

(घ) यदि हां, तो उनके उपयोग के लिए विमान किस-किस तारीख को और किनके आदेशों से रखा गया था ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) (क) और (ख) इजराइल के भूतपूर्व विदेश मंत्री श्री मोशे दयां ने 15 अगस्त, 1977 को बम्बई में दिल्ली और 16 अगस्त, 1977 को दिल्ली से बम्बई की यात्रा भारतीय वायु सेना के विमान में की थी। इस हवाई यात्रा का प्रबंध तत्कालीन वायु सेना अध्यक्ष को तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई से मिले

मौखिक निर्देश पर वायु सेना मुख्यालय द्वारा किया गया था। श्री मोशे दयां के साथ दो विदेशी राष्ट्रिक थे जिनके नाम आदि का पता नहीं है। इनके अलावा आसूचना ब्यूरो के तत्कालीन संयुक्त निदेशक श्री जान लोवो और वायु आसूचना कार्यालय के तत्कालीन निदेशक एयर कमोडोर एन० सी० सूरी भी इस विमान में उनके साथ थे।

(ग) और (घ) उपलब्ध रिकार्डों से यह पता नहीं चलता कि श्री मोशे दयां के लिए बाद में किसी भी समय भारतीय वायु सेना के विमान की व्यवस्था की गई थी।

टर्बो आल्टरनेटर बेस प्लेट बनाने के लिए मैसर्स गैनन एन्ड कम्पनी डंकरली को ठेका दिया जाना

3629. **श्री के० लकप्पा :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एन. आई. डी. सी. द्वारा मशीनरी लगाने के लिए नई एस० डी० आर. परियोजना आई० एन० एस० शिवाजी लोनावाला को परामर्शदात्री सेवा दी गयी थी;

(ख) क्या उपरोक्त परियोजना की मशीनरी लगाते समय उपरोक्त परियोजना के स्थापक मैसर्स गैनन एन्ड डंकरली को एक खुले टेंडर के माध्यम से चार हजार रुपये की लागत पर टर्बो आल्टरनेटर बेस प्लेट बनाने का ठेका दिया गया था;

(ग) क्या वास्तव में यह टर्बो आल्टरनेटर बेस प्लेट मैसर्स रिचर्डसन एण्ड क्रूडास से बनवायी गई थी और उनको इस काम के लिए 12 हजार रुपये दिए थे;

(घ) यदि हां, तो ये काम मैसर्स रिचर्डसन एण्ड क्रूडास को दिए जाने के ठोस कारण क्या थे;

(ङ) सरकार को 8 हजार रुपये का नुकसान पहुंचाने के लिऐ कौन जिम्मेदार है; और

(च) क्या इस मामले पर विचार किया जायेगा और जिम्मेदारी निर्धारित की जायेगी और इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति से राशि वसूल की जायेगी ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी हां। स्टीम डिमोंस्ट्रेशन रूम (एस. डी. आर.) परियोजना, आई. एन. एस. शिवाजी, लोनावाला के लिए परामर्श संबंधी कार्य मैसर्स भारतीय औद्योगिक विकास निगम को दिया गया था।

(ख) नये स्टोम डिमोन्स्ट्रेशन रूम (एस. डी. आर.), आई. एन. एस. शिवाजी, लोनावाला में टर्बो जैनरेटर के लिए पाइप लगाने संबंधी प्रणाली स्थापित करने, उसका परीक्षण करने और उसे चालू करने तथा प्लेटफार्म के निर्माण, पूर्ति और स्थापना के संबंध में मैसर्स गैनन डंकरली एंड कम्पनी लिमिटेड को खुले टेंडर के माध्यम से ठेका दिया गया। टर्बो जैनरेटर बेस प्लेट की सप्लाई के लिए अलग से कोई ठेका नहीं दिया गया।

(ग) और (घ) हालांकि ठेके में दूसरे सभी प्लेटफार्मों, ढांचों, संबल उपकरणों आदि के निर्माण के लिए व्यवस्था की गई थी लेकिन इसमें टर्बो जैनरेटर के लिए 'प्रिसिजन सीटिंग' और सपोर्टिंग मैम्बरों के निर्माण और उनकी मशीनों के लिए व्यवस्था शामिल नहीं थी क्योंकि यह एक बहुत तकनीकी किस्म का कार्य था जिसमें मैसर्स हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड बंगलौर द्वारा, जहां से टर्बो जेनरेटर के संघटक सप्लाई होते हैं, बहुत ही खास किस्म की औजार प्रणाली और बहुत उच्च कोटि की शुद्धता निर्धारित की गई थी। इस लिए इस 'प्रिसिजन सीटिंग, कार्य के

लिए भारत सरकार के एक उपक्रम, मैसर्स रिचर्डसन एण्ड क्रूडास लिमिटेड को 14,095 रुपये की लागत पर अलग से ठेका दिया गया ।

(ङ) और (च) मैसर्स रिचर्डसन एन्ड क्रूडास को 'प्रिसिजन कार्य' का ठेका देने से सरकार को कोई नुकसान हुआ प्रतीत नहीं होता ।

सशस्त्र सेनाओं के मुख्यालय के प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी द्वारा किराये पर लिये गये मकानों के किराये की अदायगी

3630. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी ने रक्षा अधिकारियों को आवास देने हेतु दिल्ली में कई निजी मकानों को किराये पर ले रखा है;

(ख) क्या समझौते के आधार पर इन मकानों के मालिकों को मकान का किराया अग्रिम रुप से प्रत्येक माह की पहली तारीख को देना होता है ;

(ग) क्या किराये के विलम्ब से दिये जाने के सम्बन्ध में कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं क्योंकि किराये जो कि उनकी आय का एक मात्र साधन है के विलम्ब से दिए जाने के कारण कई मालिकों को अत्यधिक आर्थिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है ; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार के विलम्ब के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और मकान मालिकों को किराये की शीघ्र अदायगी करने के लिए क्या प्रक्रिया बनाई गई है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) से (घ) जी हां, मकान निम्नलिखित आधार पर किराये पर दिये गए हैं :

1. वर्ष प्रति वर्ष आधार पर शाश्वत पट्टे पर
2. मकान प्रायोजित करने वाले अफसर के उस मकान में रहने की अवधि के लिए 'लीव और लाइसैंस'' आधार पर; और
3. 33 महीने के लिए 'लीव और लाईसैंस' आधार पर ।

33 माह के लिए किराये पर लिए गए मकानों के मामले में ही किराया अग्रिम दिया जाता है ।

किराये के अदायगी के बारे में बहुत कम शिकायतें हुई हैं । सामान्य तथा मकानों के मालिकों को किराये की समय पर अदायगी करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाते हैं । लेकिन कुछ मामलों में मकान मालिकों द्वारा पूर्व रसीदी बिल गलत या देर से भेजे जाने के कारण विलंब हो जाता है । कुछ मामलों में, किराये की अदायगी कुछ समय के लिए रोक ली जाती क्योंकि करार के अन्तर्गत मकान मालिकों द्वारा कराया जाने वाला अति-आवश्यक मरम्मत तथा रख-रखाव कार्य अभी किया जाना होता है । जब कभी किराये की देर से अदायगी संबन्धी कोई शिकायत मिलती है तो उसकी जाँच की जाती है और मकान मालिक को किराये की अदायगी करने के संबन्ध में तुरन्त कार्रवाई की जाती है ।

जनरल रिजर्व इंजीनियर्स फोर्स के सीमा सड़क कर्मचारी

3631. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनरल रिजर्व इंजिनियर्स फोर्स के गठन के समय से लेकर अब तक इस फोर्स के कितने सीमा सड़क कर्मचारी ड्यूटी पर मारे गए हैं;

(ख) कितने सीमा सड़क कर्मचारी इस समय जेल में बन्द हैं और इसका क्या कारण है;

(ग) क्या भारत सरकार को सीमा सड़क कर्मचारियों के सामने आनेवाली कठिनाइयों और परेशानियों की जानकारी है; और

(घ) क्या भारत सरकार का विचार सीमा सड़क कर्मचारियों की शिकायतों और समस्याओं पर विचार करने के लिए एक समिति नियुक्त करने का है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जनरल रिजर्व इंजिनियर्स फोर्स के सेवारत कर्मिक जो दुर्घटनाओं, भूस्खलन, विद्रोही गतिविधियों आदि के कारण अब तक मारे गए हैं उनकी संख्या 1254 है ।

(ख) 22 व्यक्ति सामूहिक अवज्ञा के अपराध में और 6 हत्या, सेवा से भागने, गबन आदि के अन्य अपराधों के कारण जेल में हैं ।

(ग) और (घ) 18-6-1980 को दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या 1100 के उत्तर में इस बारे में स्थिति स्पष्ट की गई है ।

अतारांकित प्रश्न संख्या 398 दिनांक 11-6-80 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : मंत्रियों और भूतपूर्व मंत्रियों की ओर भारतीय वायुसेना के जहाजों के बकाया किराये के बारे में लोक सभा में 11 जून, 1980 को अतारांकित प्रश्न संख्या 398 के उत्तर में अन्य बातों के साथ-साथ यह बताया गया था कि 'भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई से नवम्बर, 1978 में भारतीय वायुसेना के विमानों के उपयोग के संबंध में 24, 261.60 रुपये की वसूली की जानी है' । प्रधान मंत्री के कार्यालय ने अब सूचित किया है कि 16 नवम्बर, 1978 को की गई उड़ान के बारे में तथ्यों पर पुनः विचार करने के बाद भूतपूर्व प्रधान मंत्री की उक्त यात्रा को सरकारी यात्रा मानने का निर्णय लिया गया है । इसलिए इस बारे में कोई वसूली नहीं की जानी है । अतः वायुसेना मुख्यालय से कह दिया गया है कि उस बिल को रद्द कर दिया जाए । प्रधान मंत्री कार्यालय के उपर्युक्त निर्णय को ध्यान में रखते हुए भारतीय वायुसेना के विमानों का प्रयोग करने की वजह भूतपूर्व प्रधान मंत्री से अब किराये की कोई राशि वसूली के लिए बकाया नहीं है । इसलिए उत्तर के दूसरे वाक्य को निकाल दिया जाए ।

प्रधान मंत्री कार्यालय से संसोधित निर्णय प्राप्त होते ही प्रश्न के उत्तर में गलती का जैसा ही पता चला उसे ठीक करने के लिए कार्रवाई शुरु करदी गई ।

स्थगन प्रस्तावों के बारे में

अध्यक्ष महोदय : मुझे देश के विभिन्न भागों में हरिजनों पर बढ़ते हुए नृशंस आक्रमणों, विभिन्न स्थानों पर हरिजन और आदिवासी महिलाओं पर हो रहे बलात्कार तथा समाज के कमजोर वर्गों की रक्षा करने में सरकार की असफलता के बारे में स्थगन प्रस्तावों को, जिनकी सूचना सर्व श्री मुकन्द मण्डल, अजय विश्वास, वसुदेव आचार्य, रूपचन्द पाल, सत्य साधन चक्रवर्ती, दिनेन भट्टाचार्य, निरेन घोष, हन्नान मोल्लाह, अजित कुमार साहा, रामविलास पासवान और ज्योतिर्मय वसु द्वारा स्थगन प्रस्तावों की अनेक सूचनायें प्राप्त हुई हैं। मैंने इस मामले पर विचार किया है। नियम 58 (छः) में प्रावधान किया गया है :—

> "प्रस्ताव में उस विषय कि पूर्वाशा न की जायगी जो विचार के लिए पहले ही नियत किया जा चुका हो यह निर्धारित करने के लिए कि पूर्वाशा के आधार पर चर्चा नियम बाह्य है या नहीं, अध्यक्ष उचित समय के भीतर पूर्वाशित विषय के सभा में आने की सम्भाव्यता का ध्यान रखेगा।"

जिन कारणों से अध्यक्ष स्थगन प्रस्तावों के संबंध में अपनी सहमति देने से इंकार कर कर सकता, उन्हें भी सदस्यों की निर्देशिका में दिया गया है। सम्बद्ध कारण ये हैं :—

> "इसका सम्बन्ध जिस पर निकट भविष्य में वादविवाद चर्चा किए जाने की सम्भावना है जिसके बारे में पहले ही नियत किया जा चुका है।"
>
> इस मामले को मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों/वित्त विधेयक/राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के सम्बन्ध में चर्चा के दौरान उठाया जा सकता है।" (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया सुनिये। व्यवधान मत डालिए। इस बारे में मैंने पूर्व उदाहरण को भी देखा है और मैं उनमें से कुछ का माननीय सदस्यों की सूचनार्थ उल्लेख करूंगा—

> (1) वे मामले जिन्हें बजट और वित्त विधेयक की चर्चा के दौरान एक स्थगन प्रस्ताव के द्वारा उठाया जा सकता है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : आपको अवश्य ही नियम का उल्लेख करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं नियम का उल्लेख कर रहा हूं, वही तो मैं कर रहा हूं। मैंने इस संबंध में संविधान सभा वादविवाद दिनांक 15-2.1943 तथा लोक सभा वादविवाद दिनांक 20.2.1953 से विनिर्णय प्राप्त किए हैं।

25 मार्च 1969 को कई सदस्यों ने केन्द्रीय आरक्षण पुलिस द्वारा दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के सुरक्षा कर्मचारियों पर गोली चलाये जाने के बारे में स्थगन प्रस्तावों की सूचनाओं के बारे में बातें उठायी थीं। अध्यक्ष ने कहा था कि अगले दिन गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा की जाएगी और कि सरकार को पराजित करने के लिए विरोधी पक्ष के सदस्यों को अवसर प्राप्त है। स्थगन प्रस्तावों को पेश करने की अनुमति नहीं दी गयी थी। मैं विनिर्णय दे रहा हूं :

वे लोक सभा वादविवाद दिनांक 25-3-1969 और 20-2-1973 में दिए गए हैं। वे पृष्ठ 207-222 पर हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर्ड) : मैं आपको पूर्व उदाहरण बता देता हूं।

अध्यक्ष महोदय : जब मैं बोल रहा हूं तो कृपा करके मत बोलिए। 4 मार्च 1974 को अध्यक्ष ने पट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि के बारे में सरकार द्वारा घोषणा किए जाने के संबंध में स्थगन प्रस्तावों को पेश किए जाने की अनुमति यह कह कर नहीं दी थी पूर्व विनिर्णयों को देखते हुए कि जब बजट पर चर्चा होने वाली हो, तो ऐसे मामलों पर चर्चा अनुदानों की मांगों पर चर्चा के दौरान की जा सकती है। यह निर्णय लोक सभा वाद विवाद दिनांक 4.3.1974 में दिया हुआ है।

मैंने यह भी जांच पड़ताल कर ली है कि 1971, 1972, 1974, 1975, 1976, 1977 और 1978 के वर्षों के दौरान अनुदानों की मांगों पर चर्चा किए जाने की अवधि के दौरान स्थगन प्रस्तावों के पेश करने की अनुमति नहीं दी गई थी। जहां मैं इस मामले की गम्भीरता एवं महत्व को पूरी तरह समझता हूं, वहां मैं यह महसूस करता हूं कि सुस्थापित पूर्व परम्परा से हट कर इस विषय के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्तावों को पेश किए जाने की अनुमति देना उचित नहीं होगा। इस मामले पर आज प्रातः मेरी दलों तथा ग्रुपों के कुछ नेताओं के साथ हुयी बैठक में चर्चा भी हुई थी।

परिस्थितियों को देखते हुए इस बात पर सहमति हुयी थी कि कल मध्याह्न पश्चात 4 बजे इस मामले पर चर्चा की जा सकती है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : व्यवस्था का एक प्रश्न है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपा करके बैठ जाइये। मैं एक घोषणा करने जा रहा हूं (व्यवधान) मैं एक घोषणा करना चाहता हूं।

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में अध्यक्ष की घोषणा

अध्यक्ष महोदय : स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) के विरुद्ध सर्वश्री राम विलास पासवान, अटल बिहारी वाजपेयी, ज्योतिर्मय बसु और के० ए० राजन द्वारा विशेषाधिकार के प्रश्न से संबंधित सूचना के बारे में। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपने स्थान पर बैठिये। हम कल इस पर चर्चा करने वाले हैं। कृपा करके बैठ जाइए।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर्ड) : हम नियमों की इस व्याख्या को स्वीकार नहीं करते।

अध्यक्ष महोदय : मैं पसन्द अथवा नापसन्द के अनुसार अपना विवेक नहीं बना सकता। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरा नन्द) के विरुद्ध

दिल्ली के जूनियर डाक्टरों की फैडरेशन द्वारा मंत्री को दिये गये ज्ञापन के बारे में सभा में उनके द्वारा दिए गए कथित भ्रामक वक्तव्य के संबंध में विशेषाधिकार के प्रश्न पर, जिसकी सूचना सर्वश्री रामविलास पासवान, अटल बिहारी वाजपेयी, ज्योतिर्मय बसु और के० ए० राजन ने दी थी, कुछ सदस्यों ने 30 जून, 1980 को यह कहा था कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा भेजी गई तथ्यों संबन्धी टिप्पणी मंत्रालय के किसी अधिकारी के बजाय मंत्री को स्वयं भेजनी चाहिए थी।

लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 222 के अधीन केवल अध्यक्ष की सहमति से ही सभा में विशेषाधिकार के प्रश्न को उठाया जा सकता है। अपनी सहमति देते समय अध्यक्ष को यह निर्णय करना होता कि है क्या मामले को कार्य के पूर्व-सुनियोजित मदों की तुलना में वरीयता दी जाये। इस बारे में निर्धारण करने के लिए कि क्या सभा में विशेषाधिकार के प्रश्न को नियम 222 के अन्तर्गत सहमति दी जानी चाहिए, यह सुप्रचलित प्रथा है कि अध्यक्ष के विचारार्थ संबंधित सदस्य/मंत्री तथा मंत्रालय से तथ्य संबंधी जानकारी अपेक्षित होती है।

मंत्रालयों/मंत्री को प्रसंग के स्वरूप को निम्नलिखित व्यापक शीर्षों के अन्तर्गत विभाजित करना लाभदायक हो सकता है :

(एक) जब तथ्य संबंधी जानकारी अपेक्षित हो और मंत्री का सीधा संबंध न हो ; उदाहरणार्थ, रेडियो/टेलीविजन प्रसारण में किसी सदस्य अथवा उसके दल का उल्लेख न किया जाना अथवा गलत उल्लेख किया जाना।

ऐसे मामलों में पत्र पर मंत्रालय/विभाग के किसी ऐसे अधिकारी द्वारा, जो संयुक्त सचिव के नीचे के पद का न हो हस्ताक्षर किए जायें तथा यह स्पष्ट उल्लेख किया जाये कि पत्र मंत्री के स्पष्ट अनुमोदन से भेजा जा रहा है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : कितने दिनों में ?

अध्यक्ष महोदय : (दो) जब विशेषाधिकार की सूचना या तो मंत्री द्वारा सभा में दिए गए किसी उत्तर अथवा सभा के सदस्य के रूप में उसके आचरण से संबंधित हो। ऐसे मामले में तथ्य विषयक पत्र संबंधित मंत्री के हस्ताक्षर से भेजे जायें।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

कृषि मंत्रालय और ग्रामीण पुनर्निमाण मंत्रालय के अनुदानों की विस्तृत मांगें

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) वर्ष 1980-81 के लिए कृषि मन्त्रालय के अनुदानों की विस्तृत मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। (ग्रंथालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी-1041/80)

(2) वर्ष 1980-81 के लिए ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय के अनुदानों की विस्तृत मांगों

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। (ग्रंथालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी०—1042/80)

केन्द्रीय सरकार कर्मचारी उपभोक्ता समिति लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन आदि

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) केन्द्रीय सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण, की एक प्रति तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षण प्रतिवेदन।

(दो) उपर्युक्त दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। (ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल० टी०—1043/80)

अल्पसंख्यक आयोग का प्रतिवेदन

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) अल्प संख्यक आयोग के 31 दिसम्बर, 1978 को समाप्त हुए वर्ष के पहले वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही संबन्धी ज्ञापन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। (ग्रंथालय में रखी गई देखिए संख्या एल० टी०—1044/80)

उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

उद्योग मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० वेंकट रेड्डी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

उद्योग (विकास तथा विनिमय) अधिनियम, 1951 की धारा 30 की उपधारा (4) के अन्तर्गत औद्योगिक उपक्रम रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन (संशोधन) नियम, 1980 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 9 मई, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० आ० 307 (ङ) में प्रकाशित हुए थे। (ग्रंथालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल० टी० —1045/80)

भारत के नियंत्रक—महालेखा परीक्षक के वर्ष 1979 का प्रतिवेदन, (वाणिज्यिक) भाग चार, राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान आदि नई दिल्ली के बारे में विवरण आदि

वित्त मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री भगन भाई बारोत) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल

पर रखता हूं :

(1) संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत भारत के नियन्त्रक-महालेखा-परीक्षक के प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-संघ सरकार (वाणिज्यक)—भाग चार-कम्पनी के लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों के सारांश तथा सरकारी कम्पनियों के लेखाओं पर टिप्पणियों की एक प्रति। (ग्रंथालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी०—1046/80)।

(2) राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। (ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी०—1047/80)।

(3) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० सं० नि० 385(ई) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 1 जुलाई, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्रा में बदलने सम्बन्धी विनिमय दरों के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। (ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी०—1048/80)।

राज्य सभा का संदेश

सचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देनी है :—

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 उप- नियम (6) के उपबन्धों के अनुसार मैं निदेश के अनुसार मैं विनियोग (रेल) संख्यांक 3 विधेयक 1980 को वापस कर रहा हू, जो लोकसभा द्वारा 3 जुलाई 1980 को पास किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफ रिशों के लिए भेजा गया था और मुझे यह भी बताना है कि उक्त विधेयक के बारे में इस सभा को लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

"कोयले के अन्तर्राज्यीय तस्करों द्वारा किये गये घोटाले का पता लगने का समाचार"

श्री जनार्दन पुजारी (मंगलौर) : मैं उर्जा मन्त्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें :—

कोयले के अन्तराज्यीय तस्करों द्वारा लाखों रुपये के घोटाले का पता चलने का समाचार"

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : जैसाकि माननीय सदस्य जानते ही हैं, रोहतास जिले में कोयले की तस्करी के बारे में एक प्रश्न का उत्तर इसी सदन में कल दिया गया था। कोयला कम्पनियों से प्राप्त सूचना के अनुसार कोलियरियों से कोयले की कोई तस्करी

[श्री विक्रम महाजन]

नहीं हुई। हमने बिहार सरकार से भी अनुरोध किया था कि संबन्धित सूचना हमारे पास भेजी जाए क्योंकि कोयला लाने लेजाने और उसका स्टाक रखने से सम्बन्धित प्रतिबन्ध लागू राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। बिहार सरकार से कोई सूचना नहीं मिली थी, और, इसीलिए यह आश्वासन दे दिया गया था कि इस मामले में आगे जांच करवाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय बिहार सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मिल जाने के बाद लिया जाएगा।

दिनांक 8-7-1980 के "दि इकौनोमिक टाइम्स" में प्रकाशित एक समाचार भी हमारी जानकारी में आया है और हमने बिहार सरकार से फिर अनुरोध किया है कि इस मामले में एक विस्तृत रिपोर्ट हमारे पास भेजी जाए। बिहार सरकार से अभी तक कोई विस्तृत रिपोर्ट पास नहीं हुई है। परन्तु उनसे प्राप्त प्रारम्भिक सूचना के अनुसार लगभग 4,000 टन कोयला ऐसे विभिन्न व्यक्तियों के पास पकड़ा गया है जिसके पास यह कोयला रखने के वैध कानूनी कागजात नहीं थे। माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि जब तक राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट न मिल जाए तब तक मेरे लिए इस मामले में कोई और जानकारी देना संभव नहीं हो सकेगा। फिर भी, इन सब बातों के बावजूद इस मामले में जांच करने का आदेश दे दिया गया है। मैं इस अवसर पर सदन को यह सूचित करना चाहता हूं कि जहां तक कोयला कंपनियों का सवाल है उन्होंने कोयले की चोरी रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

(क) कोयले के हर डिपो पर रात-दिन चौकीदारी करने के लिए सिक्योरिटी गार्ड तैनात किए गए हैं।

(ख) कोयला ढोने वाले ट्रकों की जांच-चौकियों (चेक पोस्ट) पर बाकायदा जाँच की जाती है।

(ग) किसी भी व्यक्ति को सही अनुमति "चालान" के बिना कोयला नहीं ले जाने दिया जाता।

(घ) कोयले के डम्पों के सम्बन्ध में ऐसी कारवाई की गई है कि प्रत्येक कोयला उत्पादक कम्पनी में कोयले के केवल कुछ डम्प रहें ताकि सड़क से कोयला ले जाने में भ्रष्टाचार और गलत कार्रवाईयों की संभावना रोकी जा सके।

(ङ) कोलियरियों में कोयला डिपो के चारों ओर भली भांति कंटीले तार आदि लगाना और रोशनी का उचित प्रबन्ध करना।

विभिन्न कोयला कम्पनियों में सतर्कता संगठनों को और भी मजबूत करने के लिए भी कदम उठाये गए हैं। ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कि गलत कामों की रोकथाम के लिए गहन और प्रभावशाली सतर्कता उपाय लागू हों—यह काम जिन इलाकों में गलत कामों की अधिक संभावना रहती है वहां सतर्कता अधिकारियों द्वारा अकस्मात और अचानक जाँच पड़ताल तथा निरीक्षण करवाके किया जाएगा। यह नीति भी बना ली गई है कि सभी पद जो संवेदनशील हैं अर्थात् जहाँ गलत कामों की अधिक सम्भावना रहती है उन पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों का निश्चित अवधि के बाद एक स्थान से दूसरे स्थान को तबादला कर दिया जाए।

मैं एक बार फिर सदन को यह आश्वासन देता हूं कि राज्य सरकार से विस्तृत सूचना प्राप्त होते ही इस मामले में अगली आवश्यक कार्रवाई तुरन्त की जाएगी।

श्री जनार्दन पुजारी : श्रीमान, राज्य सरकार ने कोयले के तस्करों के घोटाले का पता लगाकर निश्चय ही सराहनीय काम किया है परन्तु दुर्भाग्यवश केन्द्रीय सरकार को इसकी सूचना नहीं दी गई है। 7 जुलाई, 1950 के "दी पेट्रीआट" में प्रकाशित एक समाचार में बताया गया है कि हजारों ट्रक कोयला पाकिस्तान तथा नेपाल को भेजा जाता रहा है। तथ्य तो यह है कि पुलिस तथा बिहार सरकार के केन्द्रीय गुप्तचर विभाग के पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट रूप से बताया है कि 1564 छापे मारे गए थे और उन छापों में 279 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा 403 मुकदमे प्रारम्भ किये गए। 30 लाख रुपये की सम्पत्ति कब्जे में ली गई। लगभग 15 लाख रु० का खाद्यान्न बरामद किया गया। 17 लाख रुपये का कोयला पकड़ा गया 13 लाख रुपए की घास बरामद की गई। परन्तु दुर्भाग्य वश यह सब कुछ केन्द्रीय सरकार की जानकारी में नहीं लाया गया है यद्यपि बिहार सरकार द्वारा अच्छी कार्यवाही की गई है। समाचार में आगे कहा गया है :

> "दिहरी जिले में 2 किलोमीटर की परिधि में ही 200 अनधिकृत कोयला डिपुओं का पता लगाया गया।"

समाचार में आगे बताया गया है कि केवल 8 घन्टे के समय के ही ग्रैंड ट्रंक रोड पर 300 ट्रकों को पकड़ा गया।

मेरा निवेदन यह है कि जनता सरकार के शासन काल के दौरान सभी तस्करों, कालाबाजारी करने वालों तथा जखाराखोरों को खुली छूट थी। उन्हें स्वतन्त्रता के नाम पर यह सब करने का लाईसेंस दिया गया था। कानून का पालन करने वाले नागरिकों को बिना भय के जीवन व्यतीत करने देने की सरकार की नीति को समझा जा सकता है परन्तु तस्करों काला बाजारी करने वालों तथा जखीराखोरी को बिना किसी प्रकार के भय से अपना कार्य करने देने की नीति की बात समझ में नहीं आती है। जनता सरकार के तीन वर्ष के शासनकाल के दौरान ऐसा ही हुआ। कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। दुर्भाग्यवश हमने देखा कि गत तीन वर्षों के दौरान जनता सरकार के शासन काल में तस्कर, काले बाजारी करने वाले तथा जखीराखोरी करने वाले लोग बिना सरकार के भय से अपनी गतिविधियां चलाते रहे। परन्तु हमारी सरकार ने अपने छः महीनों के शासनकाल के दौरान ही 1564 छापे मारे तथा 279 को गिरफ्तार किया गया।

मन्त्री महोदय के अनुसार एक उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि इस उच्च स्तरीय जांच का स्वरूप क्या होगा ? इससे सम्बद्ध अधिकारियों—चाहे वे विपणन क्षेत्र के हों या भण्डारण क्षेत्र के —के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी? इस जांच समिति के कृत्य क्या होंगे ?

श्री विक्रम महाजन : माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त भावनाओं से मैं सहमत हूं। मैं अपने वक्तव्य में पहले ही कह चुका हूं कि कोयला कम्पनियों ने कहा है कि उनकी कोयला की खानों से

[श्री विक्रम महाजन]

कोयले की तस्करी नहीं की गई है; यद्यपि समाचार पत्र में छापे समाचार के आधार पर हमने जांच के आदेश दे दिये हैं। जांच के दौरान माननीय सदस्य द्वारा उठाये गए सभी प्रश्नों पर विचार किया जायेगा। जांच का प्रतिवेदन प्राप्त हो जाने के बाद हम सदन के समक्ष फिर उपस्थित होंगे तथा वह प्रतिवेदन सभा पटल पर रखेंगे।

श्री तारिक अनवर (कटिहार) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी के बयान को देखने के बाद यह जानकारी मिली कि मंत्री महोदय उस पर कड़ी कार्यवाही करने जा रहे हैं। लेकिन इतनी बड़ी बात को सिर्फ बिहार सरकार पर ही छोड़ देना मैं ठीक नहीं समझता इसलिए कि इतने छोटे से क्षेत्र में ही 203 डिपोज का पता चला है। सिर्फ एक शहर के अन्दर 03 डिपो हैं जो गलत ढंग से चलाये जा रहे हैं। यह भी हो सकता है कि यह चीज बड़े पैमाने पर की जा रही हो इसके अलावा छोटे पैमाने पर भी यह चीज हो रही हो इस सब के पीछे जो शक्ति है, जो बड़े अधिकारी लोग काम कर रहे हैं उनका भी पता लगाया जाना चाहिए। इससे इस बात का अन्दाजा लगता है कि देश के अन्दर कुछ लोग इस तरह की हरकत करके, इस तरह से कोयले को स्मलिंग कर के कोयले की कमी पैदा करना चाह रहे हैं, कोयले का अभाव पैदा करना चाह रहे हैं।

हम मंत्री महोदय से यह जरूर कहना चाहेंगे कि जब इतनी बड़ी घटना हुई और इसकी जानकारी मिली तो क्या उन बड़े अधिकारियों जिन पर इस बात की सारी जिम्मेदारी है, उनके खिलाफ कार्यवाही की गई है या नहीं; अगर नहीं की गई है तो वह करनी चाहिए। जहां तक मंत्री महोदय का यह कहना है कि कार्यवाही की जा रही है उसके लिए मैं चाहूंगा कि समय निर्धारित होना चाहिए कि उतने समय के अन्दर कार्यवाही हो जाएगी। कोयले का सम्बन्ध आम जनता से लेकर रेलवे और इंडस्ट्रीज तक से है। इसलिए हम चाहते हैं कोयला सही मायनो. में डिस्ट्रिब्यूट हो और ठीक ढंग से हो। उसके लिए जरूरी है कि उन अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए जो इस सबके पीछे हैं और इस प्रकार का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि ऐसे कितने अकधिारियों के खिलफ कार्यवाही हुई है जो कि इसके पीछे हैं ?

श्री विक्रम महाजन : कोयले के विवरण की व्यवस्था करना सैद्धान्तिक रूप से राज्य सरकार का ही विषय है। कोयला कम्पनियों द्वारा किन पार्टियों या व्यापारियों को कोयला दिया जाना चाहिए इसका निर्णय राज्य सरकारों द्वारा ही किया जाता है। कोयला कम्पनियों द्वारा खानों में से कोयला निकाला जाता है और फिर वह कोयला राज्यों द्वारा अधिकृत व्यापारियों द्वारा उठा लिया जाता है। इसलिए कोयले को लाने ले जाने तथा अपने अधिकार में रखने का अधिकार राज्य सरकार का ही है। परन्तु मैंने अपने वक्तव्य में पहले ही कह दिया है कि हमने जांच का आदेश दे दिया है। यदि कोयला कम्पनी का कोई भी अधिकारी दोषी पाया जाता है तो हम उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

सदस्य महोदय की जानकारी के लिए मैं उल्लेख करता हूं कि इससे पहले भी अनेक अधिकारियों को दण्ड दिया जा चुका है। उदाहरणार्थ जहां तक सी० सी० एल० का सम्बन्ध है उसमें 1979 में 32 मामलों में भारी दण्ड दिया गया था तथा डब्ल्यू०सी०एल० 19 मामलों में तथा बी०

सी० एल० में 17 मामलों तथा इ० सी० एल० में दो ऐसे मामले थे जहां कि भारी दण्ड दिया गया था। इसी प्रकार हल्के दण्ड भी दिए गए हैं। परन्तु जब हमें जांच समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो जाएगा, तो हम किसी भी दोषी अधिकारी को दण्ड से बचने नहीं देंगे और साथ ही जांच समिति के प्रतिवेदन को भी शीघ्र प्रस्तुत करवाने का प्रयास किया जाएगा और शीघ्र ही उसे सदन के समक्ष पेश किया जाएगा।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : मन्त्री महोदय ने उत्तर अभी दिया है वह निश्चित रूप से असन्तोषजनक है। कोयले की देश के औद्योगिक विकास के लिए आवश्यकता निर्विवाद है। राज्यों में जो उद्यमी हैं उनको कोयला नहीं मिलता है। इस कारण से औद्योगिक विकास की गति धीमी हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में कालाबाजारियों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई है। सारे देश में इस प्रकार से कोयले की तस्करी और कालाबाजारी बहुत जोरों से चल पड़ी है। मन्त्री महोदय ने इससे इन्कार किया है और कहा है कि इस तरह से तस्करी का व्यापार नहीं चल रहा है। लेकिन बिहार की जो सी० आई० डी० है और उसका जो एसेंशियल कमोडिटिज सेल है, उसके अन्तर्गत काम कर रहे एस०एम० राय, एस०पी० ने 11 जून से 13 जून तक लगातार जी टी रोड पर छापामारी की है और उस छापामारी के दौरान उन्होंने पांच हजार टन कोयला पकड़ा है। 265 ट्रक सहरसा के लिए जा रहे थे लेकिन वे वहां नहीं पहुंचे दूसरी जगह चले गए। वे डेस्टीनेशन पर नहीं पहुंचे। 395 ट्रक कोयला जो पांच हजार टन था वह जी०टी० रोड से आया और उसकी देहरी में जैसा अभी पूर्व वक्ता ने कहा लाकर डम्प कर दिया गया। उसका भी उन्होंने पता लगाया। बिहार से बाहर वाराणसी, मुगलसराय के आसपास, चन्दौसी, फिरोजाबाद, गाजियाबाद आदि में सैंकड़ों टन कोयला बिना लाइसेन्स के डम्प किया पड़ा है। बी०सी०सी०एल, ई०सी० एल०, सी०सी०एल० सभी जगह इस तरह की गड़बड़ियां चल रही हैं। ई०सी०एल० दुर्गापुर से फेक डाकुमेंट्स के आधार पर कोयला वहां से उठाया जाता है और चन्दौसी के पास फीरोजाबाद, गाजियाबाद आदि सब जगहों पर लाकर उसको डम्प कर दिया जाता है। इसमें मिलियनेयर्ज भी शामिल हैं जैसे सीकरी ब्रदर्ज, कस्तूरी लाल, कर्म चन्द थापर। यह कोयला चार सौ रुपये प्रति टन के हिसाब से कालाबाजारी में बेचकर करोड़ों रुपया कमाया जाता है। एस०एम० राय एस०पी० ने जो एफ०आई०आर० लाज की है उसमें यह बताया है कि 139 आदमियों पर उन्होंने केस किया है और 82 आदमी एरेस्ट हो चुके हैं। यह 11 से 13 जून तक की घटना है। अभी मन्त्री महोदय ने बताया है कि बिहार राज्य सरकार से अभी तक हमें रिपोर्ट नहीं मिली है। लेकिन करोड़ों रुपये के कोयले की लूट हो रही है। कुछ दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस और इकोनोमिक टाइम्स में 22 और 23 मई को यह खबर छपी थी कि ई०सी०एल० में एक फैक आफिस चल रहा है जो दुर्गापुर में है वहां से परमिट इशू होते हैं, डी०ओ० इशू होते हैं, सैल्स टैक्स परमिट इशू होते हैं लेकिन हमारे कोल विभाग को उसकी रिपोर्ट नहीं है।कोयला विभाग के निगरानी विभाग ने भी भ्रष्ट अधिकारियों को पकड़ा है जिसमें ई० सी० एल० के 160 आफिसर्स, बी०सी०सी० एल० के 25 आफिसर्स, सी०सी०एल० के 16 आफिसर्स और डब्लू०सी० एल० के 6 आफिसर्स चार्जशीट हुए हैं। ई०सी०एल० के पिट-हैड से कोयले का 8 लाख टन जो स्मलिंग हुआ है, शार्ट-फाल हुआ है उसके सिलसिले में 200 और अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ

[श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा]

है। कोल इंडिया लिमिटेड में जो इतनी बड़ी गड़बड़ियां हो रही हैं उसके बारे में अगर मन्त्री महोदय यहां गलत ढंग से पर्दा डालेंगे, इस तरह से देश का सत्यानाश हो जाएगा। कोयला कहीं नहीं मिलता है और हार्ड-कोक भी नहीं मिलता है। अगर सदन को इस तरह से गलतफहमी में डाला जायेगा तो कैसे तस्करी को रोका जा सकेगा ?

यह कहते हैं कि स्टेट गवर्नमैंट का विषय है तो सारा कारोबार स्टेटगवर्नमैंट को दे दीजिये। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जो 139 व्यक्तियों की एफ०आई०आर० हुई और जो 82 व्यक्ति एरेस्ट हुए, क्या उनके बारे में मन्त्री जी के पास कोई रिपोर्ट नहीं आई है ? इस तरह का जो स्मगलिंग चल रहा है और जो आपने बताया कि अधिकारी वर्ग रेलवे से माल भेजना नहीं चाहते, जो कोयले की सप्लाई ट्रकों द्वारा प्रेफर करते हैं, क्या उसका कारण यह नहीं है कि ट्रकों द्वारा बीच में गोलमाल करने में सुविधा होती है, जी०टी० रोड से पाकिस्तान, बगलादेश, दिल्ली और अन्य प्रान्तों में स्मगलिंग करने में सुविधा होती है ? जब अन्तर्राज्यीय गिरोह का रहस्योद्घाटन हो चुका है और कहा जाता है कि स्मगलिंग नहीं है, तो फिर देश में कोयले का अभाव और ब्लैककार्केटिंग क्यों होती है ?

श्री विक्रम महाजन : कोयले की कमी के बारे में मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। जहां तक उत्पादन का सम्बन्ध है, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं हुई है। कमी का मुख्य कारण यही है कि रेलवे की कोयला ढोने की क्षमता में कमी आ गई है। वर्ष 1976-77 में रेलवे की क्षमता लगभग 7 करोड़ 70 लाख टन थी। पिछले तीन वर्षों के दौरान वह क्षमता घट कर 6 करोड़ 85 लाख टन रह गई है। गत तीन वर्षों के लिए हम तो जिम्मेदार नहीं हैं। हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि रेलवे कि ढुलाई क्षमता में वृद्धि हो और इसके लिए कार्यक्रम आरम्भ किया गया है। कोयले की कमी का मुख्य कारण यही है। जहां तक उत्पादन का सम्बन्ध है, उसमें कोई कमी नहीं हुई है। जहां तक तस्करों के नामों का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में मैं अपने वक्तव्य में पहले ही उल्लेख कर चुका हूं कि हमें बिहार सरकार से इस संबन्ध कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

जब हम कोयला-खानों के मुहानों पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित व्यक्तियों को कोयले देने के बाद हमारा अधिकार क्षेत्र समाप्त हो जाता है। कुछ और डिपो खोले जाने चाहिये और यह कार्य राज्य सरकार का है। सदस्य महोदय ने जिस प्रतिवेदन का उल्लेख किया है, उसमें सीमा-शुल्क अधिकारी तथा एक अन्य रेलवे अधिकारी का उल्लेख किया गया है। उसमें कोयला-खान के अधिकारी का उल्लेख नहीं किया गया है। जहां तक कोयला खान अधिकारी का सम्बन्ध है, उनके बारे में मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूं कि हमने जांच के आदेश दे दिये हैं और जो भी व्यक्ति दोषी पाया जायेगा, उसे सजा दी जायेगी।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : अभी-अभी हमारे पुराने मित्र, श्री विक्रम महाजन—मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अब वह मन्त्री बन गए हैं, और कभी न बनने से तो देर से बनना ही अच्छा है – ने कहा कि लाइसेंस राज्य सरकार द्वारा दिए जाते हैं, और उन्हीं के द्वारा कोयले का वितरण किया जाता है तथा जो भी दोषी पाया जाएगा, उसे सजा दी जाएगी। मैं

उन्हें एक-एक करके प्रस्तुत करना चाहता हूं।

पहली बात यह है कि कोयले के उत्पादन में कमी नहीं हुई है। उनका यह कहना तो ठीक है परन्तु ठीक स्थान पर अयोग्य तथा भ्रष्ट व्यक्ति कार्यरत हैं। मैं आरोप लगा रहा हूं कि मन्त्री जी का कार्यालय भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। मैं इसका ब्यौरा देता हूं। मैं पहले ही इसके बारे में लिखित सूचना दे चुका हूं। मेरे पास एक नोट है जिसे मैं सदन के सभापटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपको इसका पूर्ण दायित्व लेना पड़ेगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं लूंगा। मेरे पास इन सभी कागजों की फोटोस्टेट कापी है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (वड़ागरा) : आप कौन से मन्त्री की बात कर रहे हैं ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री अब्दुल गनी खान चौधरी, मैं आपको नियमों तथा निर्देश 118 के अन्तर्गत सूचित करना चाहता हूं कि मैं कोयले के वितरण से सम्बद्ध गंभीर कालाबाजारों के मामलों के बारे में प्रमाणित दस्तावेजों की वास्तविक प्रति सभापटल पर रखना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपसे दस्तावेज देने की अपेक्षा की जाती है। हमें उसका अध्ययन करना होता है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने निर्देश 118 के अन्तर्गत अग्रिम प्रति दे दी है। मैंने इसे प्रमाणित कर दिया है। मैं जो कुछ सदन के सभापटल पर रख रहा हूं, उसका पूर्ण दायित्व मैं अपने ऊपर लेता हूं।

पत्र पर लिखा है :

"अति गोपनीय"

कोल इण्डिया लिमिटेड,
आफिस आफ दी सेल्ज,
मैनेजर, सी०सी०एम०ओ०,
(वेस्ट बंगाल सैल)
कलकत्ता

प्रेषक : डी० मल्लिक, रीजनल सैल्ज मैनेजर,

सन्दर्भ : डी० ओ०संख्या/रेलवे/आर०एस०ओ०/आर०एस०/ए०जी०एच०ओ०सी/डी०एम० 1821 दिनांक 7 अप्रैल, 1980।

सेवा में : श्री परासानन, आई०ए०एम०, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मालदा—

वह क्षेत्र जिसका प्रतिनिधित्व मन्त्री महोदय करते हैं; वह उनका चुनाव क्षेत्र है—
"मैं उन पार्टियों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण प्रस्तुत कर रहा हूं जिन्हें कि कोयले/कोक का आबंटन किया गया—

[श्री ज्योतिर्मय बसु]

कोयले का आबंटन कौन करता है ? वही कोयले का आबंटन करते हैं—

"·····अन्य लोगों द्वारा मन्त्री महोदय को दिये गए अभ्यावेदनों के आधार पर, माल्दा जिले से सड़क द्वारा·····"

·····राज्य सरकार को नहीं; लाइसेंस देने का दायित्व राज्य सरकार का ही है; जैसाकि उन्होंने अभी कहा : यह एक सीधा तरीका है—

"·····उर्जा, सिंचाई और कोयले के लिए। यह आपकी जानकारी तथा रिकार्ड के लिए है।"

[ग्रंथालय में रखा गया/देखिये संख्या एल०टी० 1073/80]

अब देखिये नाम कौन-कौन से हैं। मैं नाम पढ़ देता हूं—

"साइफल आलम, माल्दा, सेक्रेटरी कोठा एम०एस० जूनियर मदरसा, सोजुल बिसवास, गांव बालूआजरा, सुजापुर कोक क्रिकेट यूनिट, मोमिदार रहमान मिल्ज मारूआबादी, माल्दा। इसके अतिरिक्त भी बहुत से नाम हैं।"

अध्यक्ष महोदय : यह तो बहुत बड़ी सूची है। आप सभी नामों को मत पढ़िये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इनकी कुल संख्या 133 है और इसकी कुल मात्रा 36,368 टन है जिसे सुनकर आप चौंक जायेंगे। अधिकांश कोयला काले बाजार में बेचा गया है। परमिटों को बेच दिया गया है और कोयला बंगाल, माल्दा के बाहर सभी जगह भेजा गया है। हमें सब कुछ मालूम हो गया है। मैं नियमों के अनुसार इसे सभापटल पर रखता हूं। मैंने नियमों का पालन किया है।

अध्यक्ष महोदय : हम उसकी जांच करेंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : दूसरी बात यह है कि मैं यह सभी आरोप नियम 353 के अन्तर्गत लगा रहा हूं। मैंने पहले ही इसकी सूचना उपयुक्त समय पर मंत्री महोदय को दे दी थी ताकि वह उत्तर देने के लिए चाहें तो इसकी जांच कर लें। वह सदन के समक्ष आये हैं। मेरे मित्र ने बताया है कि वहां कोयला उपलब्ध नहीं है। परन्तु यदि आप 20 रुपये प्रतिटन को दर से अधिक दें तो आप जितना चाहें कोयला प्राप्त कर सकते हैं। मेरे समक्ष यह आरोप लगाया गया है कि निजी सचिव तथा अन्य कर्मचारी, तथा उनके एक विश्वासपात्र, श्री प्रेमकुमार द्वारा 20 रुपये प्रति टन की दर से धन ले कर परमिट जारी किये जा रहे हैं—ऐसा मन्त्री महोदय के कर्मचारियों द्वारा उन्हीं के आदेशानुसार ही किया जा रहा है। यह निश्चय ही बहुत गम्भीर मामला है।

मेरे समक्ष यह आरोप भी लगाया है कि कोल इन्डिया लिमिटेड के महाप्रबन्धक (बिक्री) श्री विजय कानूगो ने उपरोक्त दर अर्थात् 20 रुपये प्रतिटन की दर से 40,000 टन कोयले का परमिट हार्ड कोक मैनूफैक्चरर्ज एसोसिएशन को दिया है। मेरे समक्ष आगे यह आरोप भी लगाया है कि हार्ड कोक मैनूफैक्चरर्ज एसोसियशन धनबाद के प्रजीडेंट पारवसारी बाबू को परमिट दिया है।

आगे यह आरोप भी लगाया गया है कि इन सभी मामलों में मंत्रालय के उच्चतम प्राधिकारी अर्थात् मंत्री श्री अब्दुल गनी खान चौधरी की अनुमति प्राप्त की गई थी।

यह जानकारी विश्वस्त सूत्रों से मेरे ध्यान में लाई गई है और मैं इससे सम्बन्ध दस्तावेज भी प्रस्तुत करूंगा। मैं समझता हूं कि मुझे अभी वह दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने चाहिये। मैं चाहता हूं कि मन्त्री महोदय एक अन्य निकाय के माध्यम से इसकी जांच करवायें और सदन को बतायें कि जो कुछ मुझे बताया गया है, वह वैसा ही है। माल्दा मामले की जांच कम से कम एक संसदीय समिति द्वारा करवाई जानी चाहिये क्योंकि पश्चिम बंगाल के लगभग आधे जिलों को 36 000 टन के लगभग कोयला सड़क मार्ग द्वारा भेजा गया क्योंकि ट्रकों को इधर-उधर कर लेना आसान है; इसे रेल द्वारा इसलिये नहीं भेजा गया क्योंकि रेल द्वारा भेजे गये माल को इधर-उधर करना अधिक कठिन होता है।

इस 36,000 टन के लिए कितनी वसूली की जा चुकी है अथवा क्या यह चुनाव कार्य के लिए 'बकशीस' है क्योंकि तारीख से मालूम होता है कि यह जनवरी में चुनाव होने के तुरन्त बाद दी गई थी। यह अशोभनीय बात है। इस मन्त्री महोदय को यहां ठहरने का कोई अधिकार नहीं है। वे मार्क्सवादी सरकार को बंगाल की खाड़ी में फेंकने के बारे में बात करते हैं। यदि प्रधानमन्त्री महोदय की इस देश में प्रशासन को साफ-सुथरा रखने की भावना है—कोयला हमारी ऊर्जा के लिए एक महत्व की चीज है और हमारे देश में ऊर्जा के मुख्य स्रोत कोयला की कमी के कारण गतिरोध पैदा हो गया है—यह एक ऐसा व्यक्ति है, श्रीमान, जिसे फांसी लगाई जानी चाहिए। (व्यवधान)।

सब ठीक है, कोई फांसी नहीं; कोई फांसी नहीं; कोई फांसी नहीं; मैं यह शब्द वापस लेता हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इस शब्द को वापस ले लिया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्रीमान, मैं मांग करता हूं कि आप इस मामले में एक सर्वदलीय संसदीय जांच करें कि इस माल्दा नगर के इन पतों पर कोयला कैसे दिया गया था और प्रेमकुमार मंत्री महोदय के कार्यालय से इसका कैसे संचालन कर रहे हैं।

श्रीमान आपको धन्यवाद, इसकी अनुमति देने के लिए आपको बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : हां, श्री गनी खान चौधरी।

ऊर्जा तथा कोयला मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : अध्यक्ष महोदय, सारी कठिनाई यह है कि कलकत्ता में कोयला साफ्ट कोक बड़ी ऊंची दरों में बेचा जा रहा है। मैं मुख्यमन्त्री महोदय तथा अन्य मन्त्रियों से मिला और उनसे पूछा कि मूल्यों को कैसे कम किया जाए और ऐसा करने के लिए मैंने उन्हें सुझाव दिया कि क्या हम कुछ कोयला गोदाम खोल सकते हैं या नहीं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवधान न डालें; उसे सुनिये जो वे कहते हैं।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : कलकत्ता में हमने कुछ कोयला गोदाम खोले हैं जहाँ हम कोयले को लगभग 11 रुपये प्रति मन की दर से बेच रहे हैं। पहले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी द्वारा इसे 20 रुपये से 30 रुपये तक की दर से बेचा करती थी। (व्यवधान)

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : श्रीमान यह गलत वक्तव्य है। (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति रखिये। उन्हें अपना वक्तव्य देने दीजिये। उन्हें आप वक्तव्य क्यों नहीं देने देते हैं ?

श्री ए०बी०ए० गनी खान चौधरी : कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का इरादा इस कोयले को ऊंचे मूल्यों पर बिकवाने का है। हम इस पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से वे बहुत क्रोधित हैं।

श्री ए०बी०ए० गनी खान चौधरी : दूसरे, यह सच है—जैसाकि वे सही कहते हैं—कि राज्य प्राधिकार दे रहे हैं परन्तु कभी इस तरह से हो जाता है : उदाहरणार्थ : इसी सुबह कोई व्यक्ति मेरे पास बम्बई से आया। उनका रक्षा उपकरणों का कारखाना है.....

श्री चन्द्र शेखर (बलिया) : हम बम्बई के बारे में नहीं जानना चाहते हैं; हम उस मामले के बारे में जानना चाहते है जो हमारे सामने है।

संचार मंत्री (श्री सी०एम० स्टीफन) : आप उन्हें आदेश नहीं दे सकते, वह वही कहेंगे जो उन्हें कहना है।

श्री चन्द्र शेखर (बलिया) : बम्बई के बारे में बात करने का उनका कोई हक नहीं है।

श्री सी०एम० स्टीफन : उन्हें इसके उत्तर में किसी भी चीज के बारे में बात करने का अधिकार है। वह अपना उत्तर जैसा चाहेंगे दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अपनी बात कहने दीजिये। (व्यवधान) आप निष्कर्ष पर क्यों जाते हैं ?

श्री चन्द्र शेखर : श्रीमान, हम आपके मार्गदर्शन पर चलेंगे।

अध्यक्ष महोदय : आपको सारे उत्तर मिलने चाहिए।

श्री ए०बी०ए० गनी खान चौधरी : इसलिए मैं एक आदेश दे चुका हूं। मैं कह रहा था कि वह व्यक्ति कह रहा था कि उनका कारखाना बन्द होने वाला है और इसलिए कुछ तदर्थ प्रबन्ध किए जाने चाहिए, निसंदेह राज्य सरकार इस बात की आवश्यक जांच करेगी कि क्या मांग वास्तविक है या नहीं परन्तु इस बीच उन्हें कुछ कोयला दिया जाए। उसी प्रकार ऐसे अवसर रहे है जब हमने तदर्थ आधार पर कोयले का आवंटन किया है, भले ही मांग असली है या नहीं। यदि मांग असली है तो बहुत अच्छा है और यदि मांग असली नहीं है तो हम उनके विरुद्ध कार्य-

वाही नहीं करेंगे । यह एक पहलू है । अध्यक्ष महोदय, श्रीमान, प० बंगाल में यदि आप कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य नही हो तो आपको कुछ भी मिलने की उम्मीद नहीं है । यदि आप सहज न्याय चाहते हैं, यदि आप कुछ लेना चाहते हैं, तो आपको कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य होना पड़ेगा । प० बंगाल में कुछ मामले हुये हैं जिनमें तदर्थ परमिट दिया गया है और यह इस शर्त के साथ कि क्या सम्बन्धित पार्टी असली है या नहीं क्योंकि उन्हें केवल इस कारण से कोयला नहीं मिल रहा है कि उनका सम्बन्ध कम्युनिस्ट पार्टी से नहीं है । मैं समझता हूं कि मुझे कोल-इन्डिया नियमों में अपने विवेक का इस्तेमाल करने तथा राज्य सरकार के साथ मिलकर अन्तिम निर्णय लिये जाने तक कुछ तदर्थ प्रबन्ध करने में पर्याप्त शक्तियां दी गई है । यह मेरा उत्तर है । (व्यवधान)

माननीय सदस्य ने प्रेमकुमार पर आरोप लगाया है । अध्यक्ष महोदय, श्रीमान, मैं चुनौती स्वीकार करता हूं । (व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : अब मंत्री महोदय, ने चुनौती स्वीकार कर ली है । श्रीमान, मैं आपसे संसदीय समिति बनाने का निवेदन करूंगा । इन गम्भीर आरोपों की जांच के लिए एक संसदीय समिति होनी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : यह नोटिस दिया गया था...

श्री आरिफ मोहम्मद खां (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय, आन ए प्वाइन्ट आफ सबमिशन । माननीय सदस्य चन्द्रजीत यादव जी ने कहा कि एक पार्लमेंटरी कमेटी फार्म हो जाए .....

माननीय अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको एलाऊ नहीं किया है । यह नोटिस सुबह दिया गया था । मुझे इसकी जांच करनी है; इसकी सच्चाई या अन्यथा की मुझे जाँच करनी है । मैं इसकी जांच करूंगा..... (व्यवधान)

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान माननीय सदस्य ने कुछ आरोप लगाये हैं तथा मन्त्री महोदय ने चुनोती कर ली है..... (व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव : मन्त्री महोदय के विरुद्ध गम्भीर आरोप हैं । यह अच्छी बात है कि मन्त्री महोदय ने चुनोती स्वीकार कर ली है । संसदीय समिति का गठन किया जाए ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : विशिष्ट आरोप लगाये गये हैं; और मन्त्री महोदय ने चुनोती स्वीकार कर ली है । संसदीय समिति को सारे प्रश्न की जांच करनी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे इसकी जांच करनी पड़ेगी । मुझे कार्यवाही वृतान्त को पढ़ना पड़ेगा । यह नोटिस मुझे सुबह दिया गया था । मैं इसकी जांच करूंगा ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) : मन्त्री महोदय ने एक या दो प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है । एक यह है कि एक विशिष्ट आरोप है जो श्री ज्योतिर्मय बसु ने लगाया है कि मालदा जिले के लिये एक महीने में 36 000 टन आबंटन किया गया है । यह एक विशिष्ट आरोप है और मन्त्री महोदय ने उस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है । यह ऐसा मामला है जिसका संबन्ध सारी सभा

[श्री जार्ज फर्नान्डीस]

से है। आप इस मामले को इस तरह से समाप्त नहीं कर सकते हैं। आप मेरी बात सुनिये...... कृपया मेरा निवेदन सुनिये.........मेरा निवेदन यह है कि मन्त्री महोदय ने प० बंगाल सरकार के विरुद्ध बहुत गम्भीर आरोप लगाये हैं। उन्होंने कहा है कि कुछ आबंटन किये थे क्योंकि प० बंगाल सरकार कोयला उपलब्ध नहीं कर रही थी या इसे बहुत उंचे मूल्यों पर बेच रही थी। उस पत्र से मालूम होता है जो अब श्री ज्योतिर्मय बसु ने यहां दिखाया है ......(व्यवधान) श्रीमान, मैं बोल रहा हूं। मन्त्री महोदय इस प्रकार हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं ?

उन्होंने कहा कि केवल माल्दा जिले तथा एक और दो पास के गांवों को उन्होंने 36,000 टन आबंटन किया था। अब केवल माल्दा तथा पास के जिले में कुछ गांव ही प० बंगाल नहीं है। प० बगाल में कई जिले है ..——...

श्रीमान, यह बहुत महत्त्वपूर्ण विषय है.........

श्री सी०एम० स्टीफन : क्या महत्वपूर्ण विषय है ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : महत्ता यह है। श्री स्टीफन आप मेरा प्रश्न समझेंगे। क्या मन्त्री महोदय ने इन 36,000 टन अतिरिक्त माल्दा तथा आस-पास के गांवों के लिए उपलब्ध किया है। ....(व्यवधान)

मैंने अपना भाषण समाप्त नहीं किया है। आपको मेरी बात सुननी चाहिए। यह ऐसा मामला है जिसको आप समाप्त नहीं कर सकते हैं। आप कृपया मेरी बात सुनिये। मुझे अपनी बात को पूरा कर लेने दो। मन्त्री महोदय क्या उत्तर देने वाले हैं ? मेरा प्रश्न है; क्या उन्होंने समस्त प० बंगाल राज्य को वैसे ही आबंटन किये हैं?

अध्यक्ष महोदय : आप इसको बहुत बार कह चुके हो।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : दूसरी बात मन्त्री महोदय ने यह कही है "मैं अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाह रहा हूं। क्या आप तुरन्त संसदीय समिति को नियुक्त करने की कृपा करेंगे ताकि मन्त्री महोदय अपनी स्थिति स्पष्ट कर सकें ?

श्री सी०एम० स्टीफन : अब उन्होंने कहा है, क्या मैं निवेदन कर सकता हूं ? मन्त्री महोदय स्थिति स्पष्ट करेंगे। उससे पूर्व, जो मन्त्री कहता है वह यह है.......(व्यवधान)

कई माननीय सदस्य : खड़े हुये। (व्यवधान)

श्री सी०एम० स्टीफन : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है.........व्यवधान

अध्यक्ष महोदय : शान्ति रखिये, शान्ति रखिये। देखिये, मेरी बात सुनिए, इस तरीके से काम नहीं चलता है। आप कहेंगे मैंने जार्ज फर्नान्डीस की सब्मिशन सुनी और अगर कोई आदमी और सब्मिशन करता है, तो मैं उसको अलाउ करता हूं और मैं उसकों कर भी सकता हूं... यह कोई बात नहीं हुई...इनकी भी सुनुंगा उनकी भी सुनुंगा, सबकी सुनुंगा।

श्री चन्द्र शेखर सिंह (बाँका) : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी के 20 लोगों को बुलाइए, तो मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन जिस मामले में खुद मिनिस्टर के कन्डक्ट का सवाल है और मिनिस्टर खुद यहां पर मौजूद हैं, तो उनको कहने दीजिए··· (व्यवधान)

श्री ए०बी०ए० गनी खान चौधरी : मेरा प्रथम निवेदन है···

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसिरहाट) : यदि उनको कुछ कहना है तो वे एक बार कहें। हर बार वे नहीं बोल सकते हैं।

श्री ए०बी०ए० गनी खान चौधरी : मेरा पहला निवेदन है कि यह आरोप पूर्ण रूप से निराधार है जो उन्होंने लगाया है। यह सच है कि प० बंगाल में न केवल मालदा में, जहां कहीं की भी मांग कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से आई है (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इनको बोलने दीजिये। मैं आपकी भी सुनूंगा, उनकी भी सुनूंगा।

श्री ए०बी०ए० गनी खान चौधरी : उनके उद्योगों के लिए, उनकी मांगों के लिए, हम उन्हें कोयला दे रहे हैं। परन्तु, उसी समय, मैं उनसे आवश्यक पूछताछ करने के लिए कह रहा हूं कि क्या मांग असली है या नहीं। यह मूलभूत प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, श्रीमान, केवल यह कहना कि हमने मालदा को कोयला दिया है बिल्कुल गलत है। हमने यह कहते हुये उन सबको कोयला दिया है जहाँ से भी हमारे पास मांग आयी है कि उन्हें कोयला नहीं मिल रहा है। क्योंकि जो भी कोटा है कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी उसकी तस्करी अन्य राज्यों में कर रही है (व्यवधान) ···और भारी धन कमा रही है। (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीस : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान, मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। आप मन्त्री महोदय को अनुमति नहीं दे सकते हैं···(व्यवधान)। मैं अपना निवेदन कर रहा हूं। कृपया मेरे व्यवस्था के प्रश्न पर ध्यान दें।

श्री सी०एम०स्टीफन : श्रीमान, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीस : पहले मैंने आपसे अनुमति मांगी है। (व्यवधान)

श्री चन्द्र शेखर : खड़े हुए।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : श्रीमान, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है ····· (व्यवधान)

श्री चन्द्रशेखर : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान, मैं आपका मार्गदर्शन चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री सी० एम० स्टीफन : श्रीमान, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है

अध्यक्ष महोदय : अब मुझे एक-एक का निर्णय करना है।

श्री चन्द्र शेखर : क्या आप का व्यवस्था का प्रश्न है?

श्री सी०एम० स्टीफन : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे श्री चन्द्र शेखर के व्यवस्था के प्रश्न की ओर ध्यान देने दो। आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

श्री चन्द्र शेखर : श्रीमान, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि माननीय सदस्य, श्री बसु···

एक माननीय सदस्य : किस नियम के अधीन ?

श्री चन्द्र शेखर : नियम कुछ भी हो, श्री बसु ने इसकी पूरी जिम्मेदारी लेकर कुछ दस्तावेज को सभापटल पर रखने की अनुमति का अनुरोध किया है। परन्तु माननीय मन्त्री महोदय ने दस्तावेज की सच्चाई के बारे में प्रश्न नहीं किया है और मन्त्री महोदय ने कहा है कि उन्होंने इसे देख लिया है। उन्हें 10 बजे नोटिस मिला। (व्यवधान) उन्हें 10 बजे से पहले नोटिस मिला (व्यवधान) फिर भी उन्होंने इसे नहीं देखा था। माननीय सदस्य पूरी जिम्मेदारी लेना है। सभापटल पर कागज रखने के लिए अनुमति देने के सिवाय अध्यक्ष महोदय के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इसका पहला नम्बर है। दूसरा नम्बर है कि उत्तर देने के बावजूद क्या भारत सरकार में मन्त्री महोदय के लिये तस्करी के आरोप के साथ राज्य सरकार पर आरोप लगाना ठीक है (व्यवधान)। मैं आपके माध्यम से प्रधानमन्त्री, श्रीमती इन्दिरा गाँधी या ज्ञानी जैल सिंह से श्री गनी खान चौधरी द्वारा दिये गये वक्तव्य देने का अनुरोध करता हूं। यह व्यवस्था का प्रश्न है जिसे मैं उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी जांच करूंगा।

श्री चन्द्र शेखर : भारत सरकार के एक केन्द्रीय मन्त्री यहां हैं। (व्यवधान) जिन्होंने राज्य सरकार के विरुद्ध आरोप लगाया है। क्या गृह मन्त्री अथवा प्रधानमन्त्री के लिए एक वक्तव्य देना आवश्यक नहीं है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न क्या है ?

श्री सी०एम० स्टीफन : महोदय, इस समय ध्यानाकर्षण नोटिस पर चर्चा की जानी है। सदन के सामने सदस्यों द्वारा अनुज्ञा किए जाने का अधिकार नियम 197 और उसके उपनियमों द्वारा नियन्त्रित होता है और किसी अन्य बात से नहीं। इसमें से कोई बात सामने आ सकती है इसलिए पालन किए जाने के लिए कुछ दूसरी प्रक्रिया है। नियम 197 (2) में कहा गया है—

> "ऐसे वक्तव्य पर, जब वह दिया जाए कोई वाद-विवाद नहीं होगा, किन्तु प्रत्येक सदस्य जिसके नाम में कार्य सूची में वह मद दिखाई गई हो, अध्यक्ष की अनुमति से एक प्रश्न पूछ सकेगा।"

महोदय, एक वक्तव्य दिया गया था। प्रश्न पूछे गए थे। उनके उत्तर दिए गए थे। जब यह सब चल रहा हो तो सदन में किसी को भी किसी तरह की अनुज्ञा करने का कोई अधिकार नहीं है। जो वक्तव्य दिए गए हैं उनके आधार पर एक विशेषाधिकार प्रस्ताव आ सकता है, संसदीय समिति के सम्बन्ध में प्रस्ताव आ सकता है। ये सब एक पृथक प्रक्रिया के रूप में आ सकते हैं। परन्तु जब नियम 197 के अन्तर्गत चर्चा चल रही होती है तो किसी को भी इस तरह का कोई भी वक्तव्य देने का अधिकार नहीं है जिसकी नियम 197 के प्रावधानों के अन्तर्गत अनुमति नहीं है।

अब यहां श्री ए०बी०ए० गनी खान चौधरी ने एक आरोप का खण्डन किया है। उपाय क्या है, प्रश्न यह है ? उनके अनुसार खण्डन—एक आरोप—का अर्थ है कि एक मिथ्या वक्तव्य दिया गया था। यदि एक मिथ्या वक्तव्य दिया जाता है तो वह सदन के विशेषाधिकार भंग का

मामला है । इसके लिए आवश्यक नहीं है कि यह संसदीय समिति ही हो । यह विशेषाधिकार के अन्तर्गत एक प्रस्ताव भी हो सकता है । परन्तु यह सभी पूर्णतया अलग प्रक्रिया है । जब चर्चा चल रही है तो इसे नहीं पूछा जा सकता ।

इसलिए मेरा अनुरोध है कि दिए गए किसी भी वक्तव्य अथवा पूछे गए प्रश्न अथवा की गई अनुज्ञा के संदर्भ में किसी को भी कोई भी अनुज्ञा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए । ये नियम 197 के अन्तर्गत पूर्णतया बाधित हैं । यह मेरा व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं सदन को, ध्यानकर्षण से सम्बन्धित नियम 197 बताना चाहूंगा । जिसमें यह कहा गया है—

> "ऐसे वक्तव्य पर, जब वह दिया जाए, कोई वाद-विवाद नहीं होगा, किन्तु प्रत्येक सदस्य जिसके नाम में कार्य सूची में वह मद दिखाई गई हो, अध्यक्ष की अनुमति से एक प्रश्न पूछ सकेगा ।"

आपकी आपत्ति पर भी ध्यान दिया गया है । मैं जानता हूं, आप इस बारे में उत्तेजित हैं। कार्यविधि को ठीक ढंग से प्रस्तुत कीजिए और नियमों के अनुसार हम इस सम्बन्ध में कार्यवाही करेंगे ।

श्री उन्नीकृष्णन : क्या आप व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न पर बोल रहे हैं ?

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : जी, हां । मैं व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न पर बोल रहा हूं । अध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसा अवसर है जब माननीय संचार मन्त्री बुलन्द आवाज में बोलकर भी अपनी बात समझाने में असफल रहे हैं (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न क्या है ?

श्री सी० एम० स्टीफन : महोदय, यदि वह व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न करना चाहते हैं तो वह कर सकते हैं परन्तु वह 'बुलन्द आवाज में बोलना' कह कर आरोप लगा रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया आरोप न लगायें । (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : वह अपनी रक्षा कर सकते हैं । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : किस नियम के अन्तर्गत ? आप पहले यह बताइए, कि किस नियम के अन्तर्गत ऐसा कर सकते हैं ? (व्यवधान)

श्री के०पी० उन्नीकृष्णन : अध्यक्ष महोदय, चाहे मैंने आपकी बात ठीक ढंग से सुनी है, आपने कहा···(व्यवधान) कि नियम 353 एवं निर्देश 118 । (व्यवधान) मैं नियम के बारे में बाद बोलूंगा ।

अध्यक्ष महोदय, यदि मैंने आपकी बात ठीक ढंग से सुनी है, आपने एक टिप्पणी की थी कि मैं इन सब बातों की जांच करूंगा ।

अब मेरा अनुरोध यह है कि नियम 353 के अन्तर्गत वह स्थिति समाप्त हो जाती है जबकि आप श्री ज्योतिर्मय बसु को किसी तरह का आरोप लगाने से रोक सकते थे । इसमें आपने उस विकल्प का प्रयोग नहीं किया है जो कि एक सभापति—माननीय अध्यक्ष—के रूप में आपके पास था ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं आपको बताऊंगा। कार्यवाही वृत्तांत में आप इसे देखेंगे।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : आपने ये आरोप लगाने के लिए उन्हें ठीक ही अनुमति दी है (व्यवधान) और यहां हमारा उस सारे प्रश्न से सम्बन्धित नहीं हैं—कि क्या कोयले की तस्करी माल्दा से बाहर अथवा माल्दा में की जा रही थी; क्या वह श्री अब्दुल गनी खां चौधरी अथवा ज्योतिर्मय बसु द्वारा कराई जा रही थी। अब हम उससे सम्बन्धित नहीं हैं। हम इस प्रश्न से सम्बन्धित हैं और माननीय मन्त्री, श्री गनी खान चौधरी उस ने चुनौती को स्वीकार कर लिया है। अब हम इस स्थिति में हैं। अब वहां, आपके करने के लिए कुछ नहीं छोड़ा गया है। (व्यवधान)

श्री सी० एम० स्टीफन : नियम के बारे में क्या हुआ ? (व्यवधान) अब मैं इसके बारे में काफी कुछ देख चुका हूं। यह क्या है ? (व्यवधान)

श्री चन्द्र शेखर : ++

अध्यक्ष महोदय : नहीं। दूसरी अनुमति नहीं दी जाएगी। मैंने उनको अनुमति नहीं दी है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम नियमों के अनुसार इस पर विचार करेंगे; आप चिन्ता न कीजिए। (व्यवधान)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : नहीं, नहीं। यह कोई उत्तर नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : श्री धनिक लाल मण्डल।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : यह तरीका नहीं है, आपको मुझे बताना है कि यह कैसे है, आप इसके लिए सदन और सदस्यों के आभारी हैं, कैसे···

अध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण। यह नियमों के अनुसार है। कृपया बैठ जाइए। अब श्री धनिक लाल मण्डल। (व्यवधान)

श्रीमन् हाल्दर, आपका व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न क्या है ?

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या केन्द्रीय मन्त्री के लिए राज्य सरकार पर प्रहार करना अथवा उस पर आरोप लगाना उचित है जबकि वह मन्त्री उन आरोपों से यहां स्वयं की रक्षा नहीं कर सकते ? मैं उनको सिद्ध करने की चुनौती देता हूं···

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : वह इसे सिद्ध नहीं कर सकते। मैं इस बात को जानता हूं कि वह इसे सिद्ध नहीं कर सकते। यदि वह इसे सिद्ध कर देते हैं तो मैं त्यागपत्र दे दूंगा, अन्यथा उन्हें त्याग पत्र दे देना चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : धनिक लाल मण्डल। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाए। क्या कर रहे हैं आप लोग ? (व्यवधान)··· अरे बाबा बोलने दीजिए। (व्यवधान)

श्री सी० एम० स्टीफन : यहां क्या हो रहा है ? (व्यवधान) ++

++कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : जिस बात को पीठ द्वारा प्राधिकृत नहीं किया गया है, उसे कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जायगा ।

श्री धनिक लाल मंडल (झंझारपुर) : ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली और पटना धनबाद को नियंत्रित नहीं करते हैं बल्कि उल्टा धनबाद पटना और दिल्ली को नियंत्रित करता है । आज भी यही बात सामने आयी है । उससे स्पष्ट हो गया है कि धनबाद दिल्ली और पटना का नियन्त्रण करता है, दिल्ली और पटना, धनबाद का नियंत्रण नहीं करते हैं । यह जो कोयला स्मगल होता है इससे अफसर, मसलमैन, ट्रेड यूनीयन लीडर और— कांट्रैक्टर का सम्बन्ध है । धनबाद से करोड़ों करोड़ रुपये का कोयला जो अवैध रूप से बाहर जाता है, इससे इनका सम्बन्ध है । धनबाद में कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण हुआ । उसकी वजह से कोल कम्पनी को तो नुकसान हुआ लेकिन लीडर, काट्रैक्टर, अफसर और मसलमैन का फायदा हुआ । आप धनबाद जाकर देखें । उन लोगों के दो-दो और तीन-तीन मंजिले मकान खड़े हो गए हैं और उनकी सम्पत्ति कितनी हो गई है । यह जो धनबाद में मामला चल रहा है यह किसके संरक्षण में चल रहा है, वहां जा कर आप देखें तो आपको मालूम हो जाएगा । जब तक आप धनबाद को··· नियन्त्रित नहीं करते हैं तब तक आप इस तरह की चीजों को रोक नहीं सकते हैं । जो जवाब दिया गया है उसका एक वाक्य मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं :

> "कोयला कम्पनियों से प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार वहां कोयला खानों से कोयले की कोई तस्करी नहीं हुई है ।"

अब मैं डी० आई० जी० फूड ने जो प्रैस कान्फ्रैंस की उसमें जो कुछ कहा वह थोड़ा-सा बताना चाहता हूं । उन्होंने कहा है :

> "कुछ अन्तर्राज्यीय और अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह राज्य से बाहर कोयले की तस्करी का पाकिस्तान भेजने के लिए बिहार के कोयला क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं ।"

यह बिहार के डी० आई० जी० द्वारा दिया गया वक्तव्य है । (व्यवधान)

क्या आप इसको डिनाई करते हैं या इसको कनफर्म करते हैं ? यह कंट्रैडिक्टरी बयान है ।

जुलाई 8 को डी० आई० जी ने एक प्रेस कान्फ्रैंस की थी और उसकी रिपोर्ट सर्चलाइट में छपी है । उसका एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं । ये कहते हैं इनको पता नहीं है डी० आई० जी० जो फरमाते हैं, उनको मैं पढ़ कर सुना देता हूं :

मैं 7 जुलाई 1980 के 'सर्चलाइट' के अंक में प्रकाशित सम्बद्ध अंश को पढ़ूंगा :

> "जो छापे मारे गए उनसे इस बात का पता लगा कि गिरोह बिक्री कर परमिटों के अलावा, जिला अधिकारियों द्वारा कोयले का आबटन किए जाने के लिए और भारत बुकिंग कोल लि०, तथा सेंट्रल कोलफील्ड लि० द्वारा दिए जाने वाले सुपुर्दगी आदेशों (डिलीवरी आर्डर्स) के लिए जाली हस्ताक्षरों सहित जाली कागजातों की छपाई और उनको जारी करने के लिए समानान्तर कार्यालय चलाता रहा था ।"

यह जो इसमें कहा गया है, इसके बारे में मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री महोदय का क्या कहना है, क्योंकि बिहार सरकार के एक आफीसर डी० आई० जी० रैंक के हैं (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप दोबारा रिपीट कर रहे हैं। आप सवाल कर लीजिए।

श्री धनिक लाल मण्डल : मैं उसको छोड़ देता हूं।

मैं उनसे जानना चाहता हूं कि यह जो कोयले का राष्ट्रीयकरण किया गया है, राष्ट्रीयकरण के बाद से लगातार इसमें घाटा होता आ रहा है, पिछले साल 37 रुपये टन बढ़ा दिया गया, फिर भी उसमें घाटा आ रहा है, (व्यवधान) जब कोयले का मामला है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पांडे जी, आप क्यों बोल रहे हैं बीच में ?

श्री धनिक लाल मण्डल : यह स्टेट गवर्नमेंट··· (व्यवधान) सारे लोगों के कालूजन से सारा काम हो रहा है, इसके सम्बन्ध में उनका क्या कहना है ?

आनन्द महतो, जो वहां के सिन्दरी के एम० एल. ए. हैं, अक्तूबर महीने में बी० सी० सी० एल० के कमर्शियल आफिस में गए अपने सुझाव देने के लिए कि कोल का बंटवारा कैसे होना चाहिए, पंचायत के माध्यम से या कैसे होना चाहिए, लेकिन उनको पीटा गया, यह जो सारे माफिया लोग हैं, इन्क्लूडिंग आफिसर्स, मैं पूछता हूं कि उनको पीटा गया कि नहीं, और उनके बाद उस कंपनी ने उनसे माफी मांगी कि नहीं, क्योंकि पीटा गया ? उसके बाद जो इन्क्वायरी हुई, सी० बी० आई० ने रेड किया, (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : मि० पांडे आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आनरेबल मेम्बर्स, प्लीज वीअर इट···क्या कर रहे हैं ये ?

श्री धनिक लाल मण्डल : मैं यह कह रहा हूं कि सिन्दरी के एम० एल० ए० बी० सी० सी० एल० के कमर्शियल आफिस में मिलने के लिए गए, आफिसरों ने उनको पीटा, उसके बाद इन्क्वायरी हुई, सी० बी० आई० की रैड हुई, डायरेक्टर को हटाया गया और फिर उसको रखा गया, इसके बारे में पूछना चाहता हूं कि इसकी जांच सरकार करेगी या नहीं ?

श्री विक्रम महाजन : महोदय, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में केवल तस्करी का उल्लेख है। परन्तु क्योंकि माननीय सदस्य महोदय ने एक दूसरा प्रश्न उठाया है, मैं पता लगाऊंगा और सारे मामले के बारे में माननीय सदस्य महोदय को सूचित करूंगा।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : ++

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं दी जाती है।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
चौथा प्रतिवेदन

श्री जी० लक्ष्मनन (मद्रास उत्तर) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का चौथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

व्यापार तथा प्रशुल्क संबंधी सामान्य समझौते (गैट) के अन्तर्गत गैर प्रशुल्क उपायों के बारे में किए गए करारों को सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने के बारे में वक्तव्य

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : भारत, टैरिफ तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार का, जो इसके सदस्यों के व्यापार को शासित करने वाली एक बहुपक्षीय सन्धि है, संविदाकारी पक्षकार है। गाट में यह व्यवस्था है कि व्यापार अवरोधों को कम करने के लिए इसके तत्वावधान में आवधिक तौर पर वार्ताएं आयोजित की जायेंगी। टोकियो दौर के नाम से विख्यात बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं का एक प्रमुख दौर 1979 में सम्पन्न हुआ। भारत ने इन वार्ताओं में भाग लिया।

ये वार्ताएं व्यापार की बाधाओं को उत्तरोत्तर दूर करके और विश्व व्यापार के संचालन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय ढांचे में सुधार करके विश्व व्यापार के विस्तार तथा पहले से अधिक उदारीकरण के उद्देश्य की पूर्ति के लिए 1973 में शुरू की गई "विकासशील देशों की विदेशी मुद्रा आय" में भारी वृद्धि करने के उद्देश्य से उनके अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अतिरिक्त लाभ प्राप्त करना भी वार्ताओं का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य था। इन वार्ताओं में भाग लेने वालों द्वारा गैर-टैरिफ उपायों की कमी पर अपेक्षाकृत अधिक जोर दिया गया। इस प्रयोजनार्थ, विभिन्न गैर-टैरिफ उपायों के सम्बन्ध में वार्ताओं के दौरान अनेक करार तैयार किए गए हैं।

गैर-टैरिफ उपायों के सम्बन्ध में करार इन उपायों के व्यापार प्रतिबन्धात्मक प्रभावों को कम करने अथवा खत्म करने और उन्हें अधिक कारगर अन्तर्राष्ट्रीय अनुशासन के अन्तर्गत लाने के उद्देश्य से तैयार किए गए हैं। उनमें अधिकारों तथा दायित्वों की रूपरेखा दी गई है और उनमें गाट उपबन्धों की व्याख्या में एकरूपता तथा सुनिश्चितता लाने के लिए विस्तृत नियम शामिल हैं। करारों को अधिक से अधिक सुस्पष्ट बनाया गया है और गैर-टैरिफ उपायों के प्रयोग पर अधिक कड़ा अनुशासन सुनिश्चित किया गया है, तथा अन्तर्राष्ट्रीय निगरानी और विवाद निपटारे के लिए एक व्यवस्था की गई है। विकासशील देशों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उनके लिए विशेष तथा अलग-अलग व्यवहार की व्यवस्था की गई है। विकासशील देशों का जिनका भारत एक प्रमुख वार्त्ताकार था, विशेष तथा अलग-अलग व्यवहार की व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में पूर्ण सावधान नहीं हो सका। तथापि, कमियों के होते हुए भी हमारा यह अनुमान है कि इन करारों के कार्यान्वयन से विश्व व्यापार का उदारीकरण होगा और विकासशील देशों के लिए लाभकारी भी होगा। तदनुसार, हमने निम्नलिखित चार करारों को स्वीकार करने का निर्णय लिया है :

(1) उपदानों तथा प्रतिकारी उपायों के बारे में करार;

(2) बाजार पाटना विरोधी करार;

(3) सीमा शुल्क मूल्यांकन सम्बन्धी करार; और

(4) आयात लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं के बारे में करार।

सप्ताह के दौरान गाट में हमारा स्थायी प्रतिनिधि जैनेवा में इन करारों पर हस्ताक्षर करेगा। सीमा शुल्क मूल्यांकन सम्बन्धी करार हमारे लिए 1-1-1981 को लागू होगा। अन्य करार हमारे लिए हस्ताक्षर की तारीख के तीसवें दिन से प्रभावी होंगे।

[श्री प्रणव मुखर्जी]

उपदानों तथा प्रतिकारी उपायों के बारे में करार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उपदानों के प्रयोग से अन्य देशों के व्यापारिक हितों को नुकसान न हो और यह कि प्रतिकारी उपायों से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में अनुचित तौर पर बाधा न पड़े। करार के अन्तर्गत यह आवश्यक है कि प्रतिकारी शुल्क लागू करने का प्रस्ताव रखने वाले हस्ताक्षरी के पास इस आशय का प्रमाण होना चाहिए कि उपदान प्राप्त आयात से स्वदेशी उद्योग को क्षति पहुंची है विकासशील देशों को छोड़कर अन्य देशों के लिए इसमें निर्मित माल तथा खनिजों पर निर्यात उपदान के प्रयोग पर रोक लगायी गई है। करार के अन्तर्गत साफ-साफ यह माना गया है कि विकासशील देश विनिर्मित माल के निर्यातों पर उपदान की व्यवस्था कर सकते हैं परन्तु साथ ही उनके लिए यह भी व्यवस्था की गई है कि जब निर्यात उपदानों का प्रयोग उनकी प्रतिस्पर्धा तथा विकास सम्बन्धी जरूरतों के अनुरूप न हो तो वे ऐसे उत्पादन को कम करने अथवा खत्म करने की बचनबद्धता निभाने का प्रयास करे।

बाजार पाटना विरोधी करार में पाटने के निर्धारण तथा पाटना विरोधी शुल्क लगाने हेतु जांच करने के लिए विस्तृत उपबन्ध दिए गए हैं। अन्य बातों के साथ-साथ विकासशील देशों की चिन्ताओं का ध्यान रखने के लिए इस विषय पर पहले किए गए करार में संशोधन किया गया है।

सीमा शुल्क मूल्यांकन सम्बन्धी करार का उद्देश है वस्तुओं के मूल्यांकन के लिए उचित, एक समान तथा तटस्थ प्रणाली की व्यवस्था करना। इस करार से यह व्यवस्था की गई है कि सीमा शुल्क मूल्यांकन के लिए सौदा सम्बन्धी मूल्य को मुख्य मानदण्ड के रूप में माना जाए। तथापि, विकासशील देशों को यह अनुमति दी गई है जो कि वे इस करार से उत्पन्न व्यक्तियों को अपने ऊपर लेने में पांच साल की देरी कर सकते हैं और हमारा यह इरादा है कि इस समर्थकारी उपबन्ध का उपयोग किया जाए।

आयात लाईसेंसिंग क्रियाविधियों से सम्बन्धित करार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ऐसी क्रियाविधियों को तटस्थ रूप में अमल में लाया जाए और उनसे अतिरिक्त प्रतिबंधात्मक परिणाम न निकलें।

हालांकि, विकासशील देशों के साथ विशेष और अलग-अलग व्यवहार से उन देशों के दायित्व कम होते हैं। फिर भी जैसाकि माननीय सदस्य अनुभव करेंगे कि इन करारों की स्वीकृति से हम पर कुछ दायित्व आएंगे। तथापि चूंकि ये करार गाट के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए मुख्यतः विस्तृत नियमों के रूप में है, इसलिए भारत के लिए अतिरिक्त दायित्व भार स्वरूप सिद्ध नहीं होंगे।

मैं यह भी बताना चाहूंगा कि स्वयं इन करारों से गैर-टैरिफ उपायों की समाप्ति नहीं होती अपितु उसके द्वारा एक ऐसे ढांचे की व्यवस्था की गई है जिससे उनमें कमी आ सके। हालांकि विकासशील देशों के लिए यह आवश्यक है कि इस प्रणाली के संचालन में उनकी प्रभावी भूमिका हो ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ये करार उदारीकरण की उसी भावना से कार्यान्वित किए जायें जिस भावना से उनपर वार्ताएं हुई थीं। इन करारों को स्वीकार करने से हम इस प्रणाली

की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और कानून तथा पद्धति के तैयार किए जाने में हम कारगर भूमिका निभा सकेंगे। फिलहाल, इन करारों में, जो पहले ही प्रवृत हो चुके हैं, हस्ताक्षर-कर्त्ताओं की समितियों में विकसित देशों का प्रभुत्व है। ऐसी आशा है कि भारत की स्वीकृति के बाद कुछ और विकासशील देश इन करारों में शामिल हो जायेंगे।

उपदानों तथा प्रतिकारी उपायों, बाजार पाटना विरोधी, सीमा शुल्क मूल्यांकन तथा आयात लाइसेंसिंग क्रियाविधियों सम्बन्धी करार की प्रतियां माननीय सदस्यों द्वारा देखे जाने के लिए संसद पुस्तकालय में रख दी गई हैं।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) सीमा सड़क संगठन के कर्मचारियों की शिकायतें

श्री मुकन्द मण्डल (मथुरापुर) : सीमा सड़क संगठन के कर्मचारी प्राय: केन्द्रीय सिविल सेवा के नियमों से शासित होते हैं। परन्तु साथ ही वे सेना के भी अधिकारी हैं।

सीमा सड़क संगठन के कर्मचारियों के साथ विभिन्न प्रकार से भेदभाव किया जाता है। उदाहरण के लिए जब सेना के कर्मचारी भूटान में काम करते हैं तो उन्हें 'विदेशी भत्ता' दिया जाता है किन्तु इन कर्मचारियों को नहीं दिया जाता है।

सीमा सड़क संगठन के कर्मचारियों के साथ दोहरी बाधाएं हैं। पहले तो उनके साथ सैनिक 'न्याय' नहीं होता है और साथ ही उन्हें ऐसे कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है जो अन्य सैनिक कर्मचारियों को प्राप्त हैं। जब वे अग्रिम क्षेत्र में होते हैं तो वहां सप्लाई का कोई वैकल्पिक साधन न होने के कारण सैनिक अधिकारियों को उन्हें राशन सप्लाई करना पड़ता है। परन्तु इन कर्मचारियों को जो राशन सप्लाई किया जाता है वह सेना के कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले राशन से घटिया किस्म का होता है। तुलना करने से, सैनिक इंजीनियरी सेवा के कर्मचारियों को अग्रिम क्षेत्र में सारी सैनिक सुविधाएं मिलती हैं।

इन कर्मचारियों का वेतन मान केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों के वेतनमान के बराबर है। परन्तु इन कर्मचारियों को अंतिम आयोग के बाद कुछ राशि कम मिल रही है। जब वेतनमान बढ़ाये गए, तब विशेष क्षतिपूर्ति भत्ते की राशि ऊंची पर्वतीय जगहों के लिए 33 प्रतिशत (नागालैंड) और 50 प्रतिशत (लद्दाख) से घटाकर क्रमश: 30 प्रतिशत और 35 प्रतिशत कर दी गई।

वास्तव में सीमा सड़क संगठन नाम भ्रामक है। इस विभाग ने सड़कों का निर्माण किया है जो निश्चित रूप से 'सीमा' सड़क नहीं है, उदाहरण के लिए उड़ीसा में कुद्रेमुख। इस विभाग ने अंदमान और निकोबार द्वीप समूह में भी सड़कें बनाई हैं। सड़कें, जो सीमा सड़कें नहीं हैं, निर्माण के अलावा इस विभाग में भूटान में इंडियन हाउस जैसी इमारत भी बनाई है।

इन कर्मचारियों को बड़ी बुरी दशाओं में काम करना पड़ता है। उन्हें ऊंचे पर्वतीय स्थानों पर खराब मौसम में काम करना पड़ता है। परिणामस्वरूप सीमा सड़क संगठन में दुर्घटनाओं की दर बहुत ऊंची है। जैसाकि उनके एक आवेदन-पत्र में जिसे प्रधानमन्त्री के पास

[श्री मुकुन्द मंडल]

भेजा गया है, कहा गया है कि यदि दुर्घटना में मरे इन कर्मचारियों की स्मृति में उनके द्वारा बनाई गई सड़कों पर पत्थर लगाए जाएं तो प्रत्येक मील का पत्थर उनकी यादगार का पत्थर होगा।

ऐसी विषम परिस्थितियों, सैनिक अनुशासन, और अधिकारों के अभाव के बावजूद इन कर्मचारियों ने अपने आपको अखिल भारतीय सीमा सड़क कर्मचारी संघ के झंडे के नीचे संगठित किया है। परन्तु संघर्ष के हर कदम में उन्हें कड़े दमन का सामना करना पड़ा। दिसम्बर 1979 में जब कर्मचारी तेजपुर में अपनी समस्याओं के बारे में चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए थे तब उनके नेताओं को वहीं गिरफ्तार कर लिया गया था। दूसरे दिन सभी कर्मचारी मुख्य इंजीनियर के कार्यालय के सामने धरना देने के लिए इकट्ठे हुए। उनकी शिकायतों को सुनने के बजाय, मुख्य इंजीनियर ने सैन्य पुलिस बुलाकर 10,000 कर्मचारियों में से करीब 700 लोगों को गिरफ्तार करवाया। उनमें से बहुत से लोगों का अभी अता पता नहीं है। अब तक 23 लोगों का कोर्ट-मार्शल किया गया और उन्हें 6 महीने से लेकर 1 साल की सजा दी गई है। एक आदमी पर अभी भी मुकदमा चल रहा है।

मैं सरकार से इसकी सही जांच कराने एवं कर्मचारियों को न्याय दिलाने के लिए अनुरोध करता हूं और यह चाहता हूं कि इन्हें भी अन्य सरकारी कर्मचारियों की भांति, संघ तैयार करने के अधिकार सहित प्रजातान्त्रिक अधिकार प्रदान करें।

(दो) केरल राज्य में नारियल बोर्ड की स्थापना

श्री स्कारिया थामस (कोट्टायम) : भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने देश में नारियल की खेती के विकास के लिए रबड़ तथा इलायची बोर्ड की तरह नारियल बोर्ड की स्थापना करने का निर्णय किया है। 80 प्रतिशत से भी अधिक नारियल का उत्पादन केरल में होता है। वैधानिक नारियल बोर्ड की स्थापना की मांग करने वाला यह पहला राज्य है। नारियल की खेती के विकास में केरल की रुचि के कई कारण हैं। पहला कारण यह है कि नारियल की उपज छोटी-सी जगह में हो जाती है और नारियल की खेती का केरल के लोगों के जीवन के साथ सीधा सम्बन्ध है। बहुत हद तक केरल की अर्थव्यवस्था नारियल एवं उसके तेल के मूल्य पर निर्भर है।

दूसरे, नारियल का रोग केरल के 11 जिलों में से 8 जिलों में फैला हुआ है। रोगरहित छोटे पौधों का बड़े पैमाने में लगाना बहुत आवश्यक है। केवल सरकार ने 9 जिलों को रोग प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है और गहन रोग-रोधी छिड़काव अभियान शुरू किया है। परन्तु छिड़काव इतना कीमती है कि सारे बोझ को राज्य ही वहन नहीं कर सकता है। केरल सरकार ने रोग-रोधी कार्यों को चलाने के लिए केन्द्र से उदारतापूर्वक अनुदान देने के लिए मांग की है। इस सम्बन्ध में केन्द्र द्वारा लिए गए निर्णय की जानकारी नहीं है।

केरल ने—राज्य में ही कहीं—नारियल बोर्ड की स्थापना करने की मांग की है। केरल में इस बोर्ड का मुख्यालय होने से बोर्ड बहुतायत संख्या में नारियल उत्पादकों की सहायता कर सकेगा।

अभी तक केरल राज्य में बोर्ड का मुख्यालय स्थापना करने के लिए आशावान्वित था। परन्तु हाल में हुई कुछ घटनाओं के कारण आशंका हो गई है कि बहुत-सी दूसरी केन्द्रीय परियोजनाओं जिनके लिए वायदा किया गया था परन्तु वे मन्जूर नहीं की गयी, की तरह केरल में नारियल बोर्ड की स्थापना भी न हो।

इसलिए मैं सरकार से केरल सरकार को उदारतापूर्वक सहायता देकर केरल में प्रस्तावित नारियल बोर्ड का मुख्यालय स्थापित करने के लिए अनुरोध करता हूं।

(तीन) कर्नाटक राज्य के बाढ़पीड़ित लोगों के लिए राहत उपायों की आवश्यकता

श्री आर० बाई० घोरपाड़े (बेल्लारी) : कर्नाटक राज्य के सात जिले बाढ़ की भयंकर चपेट में हैं इन जिलों के नाम हैं दक्षिण कनारा, उत्तर कनारा, शिमोगा, हसन, मैसूर, धारवाड़ और बेलगांव। इस तरह की बड़े पैमाने पर बाढ़ कर्नाटक में इससे पहले कभी नहीं आयी है। राज्य सरकार अपनी सीमित संसाधनों से कार्यवाही कर रही है एवं इसने बाढ़ से घिरे गाँव के सैकड़ों लोगों को बचाने के लिए सेना की मदद ली है। वास्तविक क्षति का मूल्यांकन नहीं किया गया है, क्योंकि बाढ़ अभी भी पूर्णतया खत्म नहीं हुई है और वर्षा भी कम नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त राज्य के 3000 कि० मी० समुद्रतट के साथ सैकड़ों गांव समुद्री बहाव से भी प्रभावित हुए हैं।

अतः मैं कर्नाटक की जनता की ओर से अपील करता हूं कि केन्द्र क्षति का मूल्यांकन करने के लिए अविलंब एक दल भेजे एवं आवश्यक आर्थिक सहायता और मार्गदर्शन के साथ कर्नाटक सरकार कीसहायता करे। मैं चाहता हूं कि भारत सरकार अविलब पर्याप्त राशि स्वीकृत करे; क्योंकि केन्द्रीय दल को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में कुछ समय लगेगा। राहत कार्य आरंभ करने के लिए केन्द्रीय दल के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा नहीं की जा सकती। इस दी हुई राशि का समायोजन बाद में किया जा सकता है।

अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1980-81
विदेश मंत्रालय—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा विदेश मंत्रालय की अनुदानों की मांग पर आगे और चर्चा करेगी। विदेश मन्त्रालय के लिए शेष तीन घंटे का समय बचा है। माननीय मन्त्री लगभग 3.30 बजे म० प० उत्तर देंगे।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : मेरे 377 के बारे में क्या हुआ ? क्या इसे स्वीकार किया गया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : आपका नाम नहीं है। श्री चित्त बसु।

श्री चित्त बसु : (बारसाट) : कल मैंने अपना भाषण शुरू किया और समय समाप्त हो गया। मैं पुनः, सरकार को, कम्पूचिया सरकार को मान्यता प्रदान करने के लिए बधाई देता हूं। विभिन्न दिशाओं से दबाओं के बावजूद भी कम्पूचिया के हेंग सेमरिन सरकार को मान्यता दी गई। अगर हम अपने विदेशी मामलों के लिए नीति का ढांचा सही ढंग से तैयार करना चाहते हैं तो वर्तमान अन्तराष्ट्रीय स्थिति को ध्यान में रखना आवश्यक है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको अपना भाषण पांच मिनट में समाप्त करना है।

श्री चित्त बसु : मैं कल नहीं बोला था।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कल केवल एक मिनट बोले थे। पांच वक्ता हैं और आबंटित समय मात्र 15 मिनट है। अतः मैं प्रत्येक को पांच मिनट दे रहा हूं।

श्री चित्त बसु : मैं संक्षेप में कहूंगा। परन्तु कल प्रत्येक को उनकी इच्छानुसार समय दिया गया। यहां तक कि उन्होंने बोलना बन्द किया तब भी समय था।

उपाध्यक्ष महोदय : बताइए किसको कितना समय दिया गया था पार्टी को जितना समय आंवटित किया गया था उसके अनुसार सदस्यों को समय दिया गया।

श्री चित बसु : जैसा भी हो मैं संक्षेप में कहूंगा। वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में मुख्य प्रवृत्तियां इस प्रकार हैं—

1. तनाव को कम करने की प्रक्रिया को भारी धक्का लगा है और कई विस्फोटक नई बातें सामने आई हैं और आ रही हैं।
2. साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और नव-उपनिवेशवाद का प्रभाव कम हो रहा है किन्तु वे बहुत से क्षेत्रों की सुरक्षा, प्रभुसत्ता और स्वतन्त्रता के लिए खतरे का साधन बने हुए हैं, और मानव जाति की शान्ति स्थायित्व और विकास को गम्भीर खतरा है।
3. राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष एवं जातिवाद और आक्रमणकारी शक्तियों के खिलाफ संघर्ष को और मजबूत किया गया है।
4. तृतीय विश्व आज अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटक के रूप में उभरा है और अधिकांश विकासशील देशों में विकास के लिए स्वतंत्र प्रक्रिया पैदा हो रही है।
5. विश्व पूंजीवाद भारी संकट में है और उसके टूटने के संकेत मिल रहे हैं। पश्चिमी शक्तियां अपने आप में विभक्त हो गई हैं और संयुक्त अमेरिका के नेतृत्व पर विभिन्न दिशाओं से आपत्तियां उठाई जा रही हैं।
6. समाजवादी विश्व ने अपनी शक्ति बढ़ाई है और समाजवादी देश अपनी मूल समस्याओं का समाधान करने में समक्ष रहे हैं।
7. गुट निरपेक्ष आन्दोलन ने भी अपनी शक्ति बहुत हद तक बढ़ायी है और अन्तर-राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी उपस्थिति की जानकारी दी है।
8. एक महत्वपूर्ण बात, जिसकी ओर ध्यान देना चाहिए यह है कि सोवियत संघ और चीन जनवादी गणराज्य के बीच फूट बढ़ रही है जिससे समाजवादी शक्तियों को भारी चिन्ता हो रही है। साम्राज्यवादी शक्तियां इस फूट से लाभ उठा रही है और समाजवादियों के बीच बिखराव हो रहा है।

मूल्यांकन के संदर्भ में हमारी विदेश नीति के उद्देश्यों को तैयार किया जाना है। ये उद्देश्य मेरे अनुसार इस प्रकार होने चाहिए :—

(क) तनावशैथिल्य की प्रक्रिया को पुनः प्रारम्भ करने के लिए प्रयास करना, उसे सार्वभौमिक बनाना एवं जहां कहीं ऐसा तनाव हो उसे कम करना।

(ख) गुट निरपेक्ष आन्दोलन में एकता लाना तथा उसे सुदृढ़ बनाना।

(ग) पड़ोसी देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग तैयार करना ।

(घ) युद्ध, आक्रमण, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद एवं नव-उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष को निरन्तर मजबूत करना शांति स्थायित्व एवं विकास के लिए संघर्ष को मजबूत करना ।

यद्यपि ये सरकार के स्वीकृत सिद्धान्त रहे हैं, किन्तु सरकार के विरुद्ध मेरी यह शिकायत है कि इन मौलिक सिद्धान्तों का हमेशा निष्ठापूर्वक क्रियान्वयन नहीं किया गया है । इसमें हिचकिचाहट, असंतुलन, असंगतियां आई है। आपको यह भी याद रखना चाहिए और इस बात का पता भी सब को होना चाहिए कि किसी देश की विदेश नीति उस देश की आंतरिक नीति से मुक्त नहीं रह सकती । हमारे मामले में भी हमारी विदेश नीति आंतरिक नीति से बहुत अधिक प्रभावित हो रही है। जैसाकि सबको पता है हमारी आंतरिक नीति, विशेष कर आर्थिक नीति पश्चिमी साम्राज्यवाद विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका पर निर्भर है । इसकी हमारे विदेश-नीति के आंदोलन में भी छाप है ।

रिपोर्ट में भी इसकी चर्चा है कि हिन्द महासागर क्षेत्र में महाशक्तियाँ (विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका) की नौसेना काफी मात्रा में उपस्थित है । यह स्पष्ट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने दिएगो गारसिया में नौसेना अड्डा बना लिया है। यह शत्रुतापूर्ण कार्यवाही है, क्योंकि इससे हमारे देश की प्रभुसत्ता, एकता और स्वतन्त्रता को खतरा है । इससे अन्य तटवर्ती देशों को भी खतरा है। परन्तु कहीं भी रिपोर्ट में आपको, शत्रुतापूर्ण कार्यवाही, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने हमारे देश की प्रभुसत्ता, एकता और स्वतन्त्रता के खिलाफ की है, के विरोध में निन्दा का एक शब्द भी नहीं मिलेगा ।

यह इसलिए है, क्योंकि हम अमेरिका के साम्राज्यवाद पर निर्भर हैं । हममें यह कहने का साहस नहीं है कि यह एक शत्रुतापूर्ण कार्य है, और सरकार भी इसकी घोर निन्दा करती है । केवल पवित्र घोषणा से हमारी स्वतन्त्रता एवं एकता की रक्षा नहीं हो सकती है और हम डिएगो गारसिया के खतरे का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। यह आवश्यक है कि भारत सरकार हिन्द महासागर में अमेरिका द्वारा नौसैनिक अड्डा बनाने की नीति के खिलाफ जनमत तैयार करने के लिए तात्कालिक और प्रभावशाली कदम उठाये ।

इसके अलावा प्रतिवेदन में पाकिस्तान में बड़ी मात्रा में हथियार जाने का भी उल्लेख है । यह बात ज्ञात है कि पाकिस्तान में शस्त्र भेजने के लिए अमेरिका और चीन उत्तरदायी हैं जिससे हमारी प्रभुसत्ता, एकता और स्वतन्त्रता को भारी खतरा है । परन्तु अमेरिका की पाकिस्तान को हथियार प्रदान करने, जिसको वह भारत के लिये उपयोग कर सकता है, की नीति के खिलाफ प्रतिवेदन में निन्दा का एक शब्द भी नहीं है ।

यह उल्लेख किया गया है कि गुटनिरपेक्षता को और अधिक न्यायसंगत ठहराया गया है । गुटनिरपेक्षता क्या है ? गुटनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है ? क्या यह तटस्थता है ? क्या यह एक निष्क्रियता है ? क्या यह मात्र किसी का पक्ष लेना नहीं होता है ? गुटनिरपेक्षता, गुटनिरपेक्षता नहीं होगी यदि वह ठोस रूप से साम्राज्यवाद-विरोधी एवं समाजवादी विश्व से दोस्ती के

[श्री चित्त बसु]

सिद्धान्त पर आधारित नहीं है । गुटनिरपेक्षता केवल तभी गुटनिरपेक्षता हो सकती है जब वह साम्राज्यवाद का सभी के साथ विरोध करती है । परन्तु रिपोर्ट में इस गुटनिरपेक्षता के सिद्धान्त का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है ।

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में आज मुख्य विरोध दो विरोधी शक्तियों के बीच है । एक तरफ साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद एवं नव-उपनिवेशवाद की शक्तियां हैं और दूसरी ओर राष्ट्रवाद, स्वतन्त्रता, समाजवाद एवं प्रगतिवादी शक्तियां हैं । एक ओर युद्ध, विनाश एवं दासता की शक्तियां हैं और दूसरी ओर शान्ति, स्थायित्व एवं विकास की शक्तियां हैं । क्या गुटनिरपेक्षता का अर्थ इन विरोधी शक्तियों से समान-दूरी बनाये रखने की नीति है ? मेरे अनुसार यही गुटनिरपेक्षता का उद्देश्य होगा । गुटनिरपेक्षता का अर्थ वास्तव में गुटनिरपेक्षता तभी होगा, बशर्ते कि हम शांति की शक्तियों को मजबूत करें, हम युद्ध के खिलाफ शक्तियों को मजबूत करें, हम स्थायित्व एवं आत्मनिर्भरता के लिये शक्ति को मजबूत करें । यही गुटनिरपेक्षता है । अगर आप इन दो विरोधी शक्तियों के बीच कड़ी तटस्थता को ही गुटनिरपेक्षता समझते हैं तो गुटनिरपेक्षता साम्राज्यवाद और प्रतिक्रियावाद का दिखावा हो जायेगा । मैं समझता हूं कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए ।

गुटनिरपेक्षता को महाशक्तियों में प्रतिस्पर्धा के एक विकल्प के रूप में सन्तुलित करने का प्रयास किया जाता है । प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रीय मामले को भी महाशक्तियों में प्रतिस्पर्धा के सिद्धान्त के अन्तर्गत स्पष्ट करने की कोशिश की गई है । ऐसा करने की बजाय अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के मुख्य विरोधाभास के सिद्धान्त को समझना, शान्ति के लिये शक्तियों को मजबूत करने, युद्ध के खिलाफ शक्तियों को मजबूत बनाने, विकास एवं आत्मनिर्भरता के लिये शक्तियों को मजबूत करने की आवश्यकता है । यह गुटनिरपेक्षता की नीति का वास्तविक सिद्धान्त एवं उसकी सही क्रियान्वयन होगा ।

अफगानिस्तान के सम्बन्ध में, सरकार द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि भारत के प्रयास का प्रथम चरण अर्थात स्थिति को सामान्य बनाना, पूरा हो चुका है । अब दूसरा चरण शुरू होता है । परन्तु मैं बताना चाहूंगा कि दूसरे चरण में अफगान की स्थिति का शांतिपूर्ण राजनैतिक समाधान करने के लिए कोई विशेष पहल नहीं की गयी है । दुनिया के विभिन्न देश हैं, खासकर गुटनिरपेक्ष देश हैं जो अफगानिस्तान के सम्बन्ध में भारत के विचार से सहमत हैं ।

परन्तु प्रश्न तो यह है कि भारत को पहल करनी चाहिये । पहल करने के बजाय भारत पीछे हट रहा है । यह सुनिश्चित करने के लिये एक व्यापक कार्यक्रम बनाना आवश्यक है कि अफगानिस्तान की स्वतन्त्रता, अफगानिस्तान की सार्वभौमिकता, अफगानिस्तान की प्रादेशिक अखण्डता सुरक्षित रहे, बाह्य हस्तक्षेप का मुकाबला किया जा सके और अफगानिस्तान की जनता को अपना स्वयं का व्यक्तित्व विकसित करने का पूरा अवसर दिया जाना चाहिये और जैसी शासन प्रणाली वे चाहते हैं, चलती रहनी चाहिये ।

कुछ लोगों का कहना है कि रूस ने हस्तक्षेप किया है, या आक्रमण किया है अथवा अतिक्रमण किया है । यदि किसी प्रकार अतिक्रमण या हस्तक्षेप हुआ है तो वह अमरिका, पाकिस्तान और चीन की ओर से हुआ है क्योंकि यह उनकी सैनिक सहायता के बाद हुआ । और उनके

प्रादेशिक डिजाइनों के कारण गोरिल्ला अफगानिस्तान में लड़ रहे हैं और नये शासन के लिये समस्याएं खड़ी कर रहे हैं। अतः मेरा यह कहना है कि सरकार को चाहिये कि वह अफगानिस्तान की स्थिति का राजनैतिक, सन्तोषजनक हल ढूंढने के लिए पहल करे।

जहां तक चीन के प्रति हमारी नीति का सम्बन्ध है, बहुत से सदस्यों ने यह कहा है कि हम चीन के विश्व-दृष्टिकोण से सहमत नहीं है। यह सही है कि चीन द्वारा बहुत सी अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति अपनाए गए रवैये से हम सहमत नहीं हैं। उनका दृष्टिकोण भिन्न हो सकता है। हम शान्ति पूर्वक सह- अस्तित्व में विश्वास रखते हैं। क्या शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धांत से यह अनिवार्य हो जाता है कि हमें उस देश के विश्व दृष्टिकोण, दर्शन, विचारधारा, कार्यक्रम और शासन प्रणाली से सहमत होना चाहिए, जिसके साथ हम शान्तिपूर्वक सह अस्तित्व स्थापित करना चाहते हैं ? हम अमरीका के साथ शान्तिपूर्वक रहना चाहते हैं। क्या आपके कहने का तात्पर्य यह है कि अमरीका का विश्व के प्रति दृष्टिकोण हमारा विश्व के प्रति दृष्टिकोण है ? क्या आप यह कहना चाहते हैं कि हम अमरीका या अन्य देश विश्व के प्रति दृष्टिकोण से पूर्णतया सहमत हैं ? अतः यदि आप शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व का सम्बन्ध स्थापित करना चाहते हैं तो यह देखना बेकार है कि वे एक विशेष प्रकार के विश्व-दृष्टिकोण का पालन करते हैं या नहीं।

जहां तक चीन के साथ भारत के सम्बन्ध की बात है, अपने सम्बन्धों को सामान्य करना और उनमें और आगे सुधार लाना दोनों ही देशों के हित में है। यह अच्छी बात है कि चीन सरकार ने पहल की है और भारत सरकार की भी अनुकूल प्रतिक्रिया रही है। मेरे विचार से भारत सरकार को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए और सीमा-विवाद सहित द्विपक्षीय समस्याओं पर बिना शर्त विचार विमर्श जारी रखना चाहिए और सैनिक कार्यवाही का सहारा लिए बिना उनको शान्तिपूर्ण ढंग से हल करना चाहिए। चीन के प्रति हमारी नीति का यह सर्वोत्तम रवैया होना चाहिए।

पाकिस्तान के प्रति हमारी जो नीति है उसमें मैं एक शब्द जोड़ना चाहता हूं। हम एक स्थायी पाकिस्तान चाहते हैं। एक स्थायी पाकिस्तान भारत के लिए उपयोगी है। हम जानते हैं कि पाकिस्तान को प्रतिक्रिया का गढ़ बनाया जा रहा है। परन्तु हमें पाकिस्तान के लोगों से मैत्री रखनी चाहिए।

अतः भारत सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि भारत पाकिस्तान के विरुद्ध कोई सैनिक कार्यवाही नहीं करना चाहता। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान प्रगति करे और स्थायी रहे और हम पाकिस्तान में लोकतन्त्र देखना चाहते हैं। हमारी यही आकांक्षा है। अतः पाकिस्तान की जनता और सरकार को इस प्रकार के किसी भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए कि भारत सरकार पाकिस्तान के विरुद्ध कोई सैनिक कार्यवाही करने की योजना बना रही है। यह बात स्पष्ट कर ही देनी चाहिए। यदि यह बात स्पष्ट कर दी जाती है तो मेरे विचार से पाकिस्तान सरकार को इस विनाशकारी मार्ग से दूर किया जा सकता है जिसे वह अपना रही हैं। अतः पाकिस्तान के

[श्री चित्त बसु]

साथ मित्रता करने का हमें सतत प्रयास करना चाहिए और उसके लिए मेरा सुझाव है कि भारत सरकार को पाकिस्तान के साथ कोई युद्ध-नहीं समझौता करना चाहिए। भारत सरकार को कहना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ कोई-युद्ध-नहीं समझौता करने के लिए हम तैयार हैं जिससे वे यह अनुभव कर सके कि जो कुछ भारत कहता है उसे कार्यरूप भी देता है।

चूंकि आपने घन्टी बजा दी हैं, मैं केवल इतना कहूंगा कि जहां तक नीति के आयामों का सम्बन्ध है, भारत सरकार की नीति प्रगतिशील लगती है, परन्तु इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात तो नीति को लागू करना है। कई बार उत्तेजित किया गया है, कितनी ही गिरावटें आई हैं अमरीका पर हम निर्भर रहे हैं और मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इस सबसे ऊपर उठे और अपनी नीतियों को ईमानदारी से लागू करे।

अन्त में कहूंगा कि किसी राष्ट्र की विदेश नीति पर राष्ट्रीय मतैक्य होना चाहिये और विदेशी सम्बन्धों के मामले में राष्ट्रीय मतैक्य भी सरकार को विकसित करना चाहिये और हमें आशा है कि एक बार राष्ट्रीय मतैक्य विकसित हो जाए तो सरकार को सच्चाई से इसे लागू करना चाहिये जिससे कि राष्ट्रीय मतैक्य द्वारा विकसित राष्ट्रीय नीति को राष्ट्रीय एकता की भावना से पुष्ट करके लागू किया जा सके।

श्री बृजमोहन महन्ती (पुरी) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं भारत की प्रधानमन्त्री, विदेश मन्त्री और सरकार को इसलिए बधाई देता हूं कि उन्होंने हमारी विदेश नीति को एक निश्चित दिशा दी है।

इसका आधार क्या था ? इसका आधार यह था कि भूतपूर्व प्रधान मन्त्री दुनिया भर में घूमकर यह कहते फिरते थे कि क्या युद्ध में सेना का हस्तक्षेप सही है या गलत। उन्होंने सिक्किम का भारत में विलय की बात की थी। यह ठीक नहीं हैं। बात इतनी ही नहीं है, गुटनिरपेक्षता के समग्र दर्शन में ही मतभेद था। और यह चर्चा थी कि गुटनिरपेक्षता को भूतपूर्व सरकार कमजोर करती जा रही थी भूतपूर्व सरकार से मेरा मन्तव्य है, कांग्रेस और जनता सरकार एक 'समुचित' गुटनिरपेक्षता की नीति को लाना चाहती थी। और इन सब बातों से भ्रांति पैदा हो गई तथा देश के भूतपूर्व प्रधानमन्त्री जो कि मानव अधिकारों के सिद्धान्तों के हिमायती रहे हैं, लोकतन्त्र के सिद्धांतों के पालक रहे हैं, पाकिस्तान के सैनिक तानाशाह को श्री भुट्टो को फांसी न देने के लिए प्रेरित न कर सके। इसकी पृष्ठभूमि में यही था।

जब यह सरकार सत्ता में आई तो इसने स्पष्ट दिशा दी और इसलिए मैं सरकार को, प्रधानमन्त्री महोदया को तथा विशेष रूप से विदेशमन्त्री महोदय को बधाई देता हूं।

महोदय, इस बात पर बड़ा मतभेद है कि बड़ी शक्ति कौन सी है, विश्व में सर्वोच्च शक्ति कौन सी है ? श्री चरणजीत यादव का कहना है कि रूस को सर्वोच्च शक्ति नहीं माना जा सकता, कारण मैं नहीं जानता। परन्तु सच्चाई यह है और मैं कहूंगा कि सर्वोच्च शक्तियां वे हैं जिनकी सुरक्षा परिषद में वीटो करने का अधिकार है, जिनके पास परमाणु हथियार बनाने की विधिक अनुमति है। आज की दुनिया में वे ही सर्वोच्च शक्तियां हैं। अतः हमें सर्वोच्च शक्तियों के

बारे में उत्तेजित नहीं होना चाहिए तथा मैं सदन का ध्यान श्री वाई० बी० चव्हाण जी के भाषण की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जो कि उप.प्रधानमन्त्री रहे हैं और एक लम्बे समय तक विदेश मन्त्री भी। उन्होंने अपनाई गयी विदेश नीति के लिए देश को बधाई दी है। इसका कोई देश पात्र नहीं है, सचाई तो यह है कि अपनाई गयी विदेश नीति के लिए जनता को बधाई देनी चाहिए। कुछ विपथगमन भी हुआ है, परन्तु लोगों ने उसे ठीक कर दिया था, परन्तु मैं फिर भी सोचता हूं कि उचित तो यह होता कि वे भारत की प्रधान मन्त्री को बधाई देते, भारत के विदेश मन्त्री को बधाई देते, और भारत सरकार को बधाई देते। मैं नहीं जानता कि उन्होंने केवल देश को बधाई देकर और किसी को बधाई क्यों नहीं दी। क्या ऐसा राजनीतिक उद्देश्य अथवा बेईमानी के कारण किया गया ? मैं इसका कारण जानने का मामला सदन के ऊपर छोड़ता हूं।

गुटनिरपेक्षता के बारे में मैं इसकी पृष्ठभूमि का उल्लेख करना चाहूंगा। उस समय मानव अन्तर्राष्ट्रीय जीवन के लिए एक दर्शन, एक विचारधारा की खोज में था। उस समय श्री विन्सटन चर्चिल इस नीति का अनुसरण कर रहे थे कि केवल युद्ध तैयारी ही युद्ध को रोक सकती है। बड़ी शक्तियां, सर्वोच्च शक्तियां महा-शक्तियां भी इसी दर्शन का पालन कर रही थीं। इसी पृष्ठभूमि में गुटनिरपेक्षता के दर्शन का भारत में जन्म हुआ। आप जानते हैं कि यह मानवता के लिए एक प्रेरणा था, यह केवल राष्ट्रों को सैनिक गुटों या गठजोड़ों से बचाव का ही रास्ता नहीं था। गुटनिरपेक्षता के मूल दर्शन में उस विचारधारा को शामिल करने की कोशिश की गई थी, जिसकी मानव को खोज थी और इसीलिए इसे एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र के राजनीतिक अथवा आर्थिक शोषण के विरुद्ध लाया गया। उन सभी देशों ने जो उपनिवेशवादी शोषण के शिकार रहे थे, उन्होंने गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के झण्डे के तले पनाह ली। मुझे दुख है कि आज अनेक कारणों से उस भावना को मिटा दिया गया है। कौन से देश हैं आज जो इस आन्दोलन से जुड़े हुए हैं ? ईरान और पाकिस्तान, क्योंकि वे 'सेन्टो' से अलग हो गए हैं, कम्बोदिया और वियतनाम। क्या वे गुट-निरपेक्ष-नीति को बढ़ावा देंगे अथवा वे महा-शक्तियों के अभिकर्त्ता के रूप में व्यवहार करेंगे ? अतः गुटनिरपेक्षता का दिन-प्रतिदिन ह्रास हो रहा है और हमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए और भारत सरकार को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि भारत ने अभी भी इस आन्दोलन का नेतृत्व सम्भाला हुआ है। यदि हम सावधानी से काम नहीं लेंगे तो मुझे डर है कि पृष्ठ-भूमि में सक्रिय महा-शक्तियां गुटनिरपेक्ष देशों को एक दूसरे से भिड़ा देंगी। मुझे डर है कि कहीं पांच वर्ष के बाद चीन भी गुटनिरपेक्ष गुट की सदस्यता के लिए आवेदन करे। अत यदि गुटनिरपेक्ष विचारधारा और भावना को जीवित रखना है तो यह देखने के लिए हमें सावधान रहना चाहिए कि केवल वे ही देश इसके सदस्य बनें जो इस आन्दोलन के दर्शन और विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध हों।

चीन के साथ सम्बन्धों को सुधारने की बात चल रही है, जिस पर श्री इन्द्रजीत गुप्त परेशान हैं। पथ में अड़चने हैं। समस्त समस्या के आयाम की जांच करनी पड़ेगी। आज हम माओ के बाद चीन से निपट रहे हैं। माओ की मृत्यु के बाद चीन में सांस्कृतिक क्रांति का पुन-रीक्षण हो रहा है। माओ की सभी नीतियों का पुनरीक्षण किया जा रहा है। उसी पृष्ठभूमि में

[श्री बृजमोहन महन्ती]

हमें इस मामले पर विचार करना होगा। वह वही पुराना चीन नहीं है जिससे आज हम बात चला रहे हैं। इसलिए हमें पूरी समस्या के आयामों की जांच करनी होगी।

सिक्किम के बारे में चीन का रवैया क्या है। क्या वह इस बात को स्वीकार करते हैं कि सिक्कम भारत का अंग है ? भारत में जिस विद्रोह का वह समर्थन और सहायता कर रहे है, वह क्या है ? अब उनका उस सम्बन्ध में रवैया क्या है ? हमें विदेश मन्त्रालय की सलाहकार समिति में यह बताया गया था कि पिछले एक वर्ष में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई कि चीन ने मिजो और नागा विद्रोहियों की सहायता की हो। क्या हम इस बात को मान लें कि ऐसा पुनः नही किया जायेगा ?

जहां तक बर्मा के विद्रोहियों का सम्बन्ध है उसमें चीन की क्या भूमिका है ? जहां तक नेफा के विद्रोहियों का सम्बन्ध है, उसमें उसकी क्या भूमिका है, चीन नेफा में पुष्पा लाल दल की वित्तीय सहायता कर रहा है।

अफगानिस्तान के बारे में हमारा तथा चीन का रवैया एक दूसरे के विपरीत है। आज के समाचार पत्र में यह खबर छपी है कि हमने कम्पूचिया को मान्यता दी है इसलिये चीन हमसे बहुत नराज है।

कश्मीर के बारे में उनका क्या रवैया है ? यह सब देखना होगा। अभी हाल में चीन के प्रधानमन्त्री ने जापान की यात्रा की थी। जापान एक ऐसा देश है जिसने पोलपाट शासन को निरन्तर मान्यता दे रखी है। चीन के प्रधानमन्त्री ने कहा है कि रूस विश्व शान्ति के लिये एक नम्बर का शत्रु है। उन्होंने एशियाई देशों को सतर्क किया है कि रूस का लक्ष्य अफगानिस्तान के पश्चात दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में दाखिल होने का है।

अतः मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन सारी बातों पर चीन से हमारे सम्बन्धों के परिपेक्ष्य में विचार किया जाना चाहिये। क्या वह भारत से मित्रता का बहाना कर रहा है जिसके पीछे उसका वास्तविक उद्देश्य यह होगा कि किसी न किसी प्रकार हमारे रूस से सम्बन्ध अगर तोड़े न जा सकें तो मधुर भी न रहें। किन्तु मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अपने प्रतिवेदन में विदेशमन्त्री ने यह स्पष्ट कहा है कि चीन के साथ हमारी मित्रता किसी अन्य राष्ट्र से हमारे संबंधों के मूल्य पर नहीं हो सकती है। यह बहुत अच्छी बात है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमें इस सम्बन्ध में बड़ा सतर्क होना चाहिये और हमें उसके रवैया का कश्मीर, सिक्कम, बर्मा और भूटान की समस्याओं के परिपेक्ष्य में मूल्यांकन करना होगा।

पिछले शासन के दौरान, जब जनता पार्टी सत्ता में थी तो क्या हो रहा था ? भारत के निकटवर्ती सभी छोटे राज्य रोज ही किसी न किसी रियायत की मांग कर रहे थे और रियायतों की उन मांगों में वृद्धि होती जा रहीं थी। वह 1949 की सन्धि में परिवर्तन की मांग कर रहे थे। सन्धि की धारा 2 के अनुसार भूटान आन्तरिक मामलों में स्वतन्त्र है। किन्तु विदेशी मामलों में उसे भारत का मार्गदर्शन लेना होता है। यह धारा 2 में स्पष्ट बताया गया है किन्तु अब भूटान यह कहता है कि बात ऐसी नहीं है। वह अपनी सीमा के निर्धारण के लिये चीन से सीधे सम्बन्ध

बनाये हुए है। बात यहीं तक नहीं है। गुटनिरपेक्ष देशों के सम्मेलन में भूटान ने भारत की सलाह नहीं ली और उसने कम्पूचिया में पोलपाट सरकार के पत्र में मतदान किया जबकि भारत ने यह यह पक्ष लिया था कि सीट खाली रहनी चाहिये।

बंगला देश के बारे में भी यही बात है, गंगा के जल वितरण के बारे में क्या हुआ ? पाकिस्तान के बारे में क्या हुआ। कोई भी देश कहीं न हो कि जहां तक विदेश मन्त्रालय के प्रतिवेदन का सम्बन्ध है, मैं उसके बारे में यह कहना चाहूंगा कि इस्लामी बम के बारे में कुछ नहीं कहा गया है यह इस्लाम बम हमारे लिए चिन्ता का विषय बना हुआ है। यदि पाकिस्तान परमाणु बम देश बन जाता है, यदि पाकिस्तान परमाणु बम बना लेता है तो एशिया में समूचा शक्ति सन्तुलन भरभरा कर ढह जायेगा। हमें एक नई नीति अपनानी होगी। उस सम्बन्ध में विदेश मन्त्री महोदय को कोई संकेत देना चाहिए।

इस्लामी बम हमारे सिर पर लटक रहा है। इस्लामी बम क्यों बनाया जा रहा है, किसके विरुद्ध बनाया जा रहा है। अमरीका और चीन सहायता के रूप में शस्त्र क्यों दे रहे हैं ? किस उद्देश्य के लिये ऐसा किया जा रहा है। क्या अफगानिस्तान के विरुद्ध किया जा रहा है ? मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त की इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि इन सब के पीछे नीयत और राजनीतिक उद्देश्य भारत का विरोध करना है। अतः हमें चीन के व्यवहार और उसके पाकिस्तान के साथ सम्बन्धों के बारे में भी सतर्क रहना होगा।

चीन का पैकेज डील क्या है ? वह कहते हैं कि पूर्वी क्षेत्र में मेकमोहन रेखा को वह स्वीकार कर लेंगे और दूसरे क्षेत्र में वास्तविक नियन्त्रण रेखा स्वीकार की जायेगी। किन्तु वास्तविक नियन्त्रण रेखा क्या है ? चीन को भारत की 43,000 वर्ग किलोमीटर भूमि, जिसपर उनका कब्जा है, मिल जायेगी और हमें इसे स्वीकार करना होगा। मैं इस बारे में चिन्तित नहीं कि ससद क्या स्वीकार करती है। संसद एक प्रभुसत्ता सम्पन्न निकाय है और कल यह अपना रवैया, अपना निर्णय अथवा संकल्प बदल सकती है। समस्या यह नहीं है। समस्या यह है कि क्या हम 43,000 वर्ग किलोमीटर भूमि पर चीन का आधिपत्य स्वीकार करने को तैयार हैं ? इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है।

इसके अतिरिक्त क्या उन्हें 43,000 वर्ग किलोमीटर भूमि की आवश्यकता है अथवा उन्हें थोड़ी-सी भूमि की आवश्यकता है कि वह भूटान सरकार आदि से सीधा सम्पर्क रख सके ? मेरा निवेदन यह है कि इस समूचे प्रश्न पर गहराई से विचार किया जाये और तभी हमें सामान्य संबन्ध अर्थात राज्य स्तर के सम्बन्ध स्थापित करने चाहिये।

जहां तक मित्रता का तालुक है वह भावी पीढ़ियों का मामला है। यदि चीन सम्बन्ध सुधारना चाहता है तो वह सुधर जायेंगे। किन्तु मेरा निवेदन यह है हमें ऐसा नहीं करना चाहिये। हमें साथ ही चीन को माओ की पृष्ठभूमि में नहीं देखना चाहिये हमें उसे माओ के बाद की पृष्ठभूमि में देखना चाहिये।

[श्री बृज मोहन महन्ती]

श्री भुट्टो राजनीतिक कारणों से विचलित हुए थे। मुझे मालूम है कि 1962 में चीन के कारण हमारे देश में साम्यवादी आन्दोलन विभाजित हो गया था। आज चीन का षडयन्त्र है कि वह साम्यवादी आन्दोलन को विभक्त करना चाहता है। यही वह कर रहा है। मेरा निवेदन यह है कि यह किसी राजनीतिक दल विशेष के हित की बात नहीं है, यह राष्ट्रीय हित की बात है और इसी परिपेक्ष्य में ही हमें इस पर विचार करना चाहिये।

मैं केवल एक बात और कहना चाहता हूं कि पूर्वी भारत में विदेशी धन के उपयोग की स्थिति क्या है। यह आरोप लगाया गया है और यह आरोप निराधार नहीं है। मुख्यमन्त्री ने यह आरोप लगाया है कि पश्चिमी जर्मनी से विदेशी धन आ रहा है और उसे आन्दोलन पर व्यय किया जा रहा है और आन्दोलन का उद्देश्य भारत की अखण्डता को तोड़ना है। इस बात की जांच की जानी चाहिये और विदेश मन्त्री महोदय को सदन को बताना चाहिये कि तथ्य क्या हैं। यह कहा गया है कि यह धन पूर्वी जर्मनी से आ रहा है और यह पश्चिमी जर्मनी से भी आ रहा है। यह भी कहा गया है कि कुछ समाजवादी अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियां भी इसमें अपना योगदान दे रही हैं। राष्ट्र को अन्धेरे में नहीं रखा जाना चाहिए। हमें इस मामले में पूरी जानकारी मिलनी चाहिये।

इसके अतिरिक्त में एक अन्य मामले पर भी अपना निवेदन करना चाहूंगा—वह है विदेशी दूतावासों में नियोजित भारतीयों का मामला' उनके साथ समता का व्यवहार नहीं किया जाता। विदेशियों को अधिक लाभ तथा अधिक अवसर दिये जा रहे हैं जबकि उन्हीं पदों पर कार्यरत भारतीय, जो उसी प्रकार का कार्य करते हैं, के साथ समता का व्यवहार नहीं किया जा रहा है। इस मामले पर भी विचार करने की आवश्यकता है। उस सम्बन्ध में मैं माननीय विदेश मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि वह यह स्पष्ट करें ताकि उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाये। मेरा अनुरोध यह है कि विदेश मन्त्री इस मामले का गहराई से अध्ययन करें। यह स्पष्ट आरोप है कि जापानी तथा अन्य दूतावासों में भारतीयों के साथ उचित और समता का व्यवहार नहीं किया जाता है।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कल सदन में नहीं था। विदेश मन्त्री महोदय को कम्पूचिया की सरकार को मान्यता प्रदान करने के लिए बधाइयों की बौछार मिली है। बरसात के मौसम में बौछार स्वाभाविक है। लेकिन मुझे खेद है कि मैं उसमें शामिल नहीं हो सकता। पार्टी ने अपने चुनाव घोषणापत्र में कम्पूचिया सरकार को मान्यता देने की बात कही थी। लेकिन फिर भी पिछले 6 महीने तक मान्यता नहीं दी गई। मैं ऐसा नहीं समझता कि मान्यता न देने के कारण गंभीर होंगे या महत्त्वपूर्ण नहीं होंगे। कोई सरकार 6 महीने का समय अकारण नहीं बिता सकती। लेकिन अगर कुछ कारण थे तो वे परसों कैसे हट गए ?

किसी सरकार को मान्यता देने की प्रमुख कसौटी यह है कि उस सरकार का देश पर प्रभावी नियन्त्रण होना चाहिए। कम्पूचिया से जो खबरें आ रही हैं उनके अनुसार अभी तक लड़ाई चल रही है। कुछ ही दिन पहले वियतनाम की सेनाएं विद्रोहियों का सामना करती हुई थाईलैंड की सीमा में घुस गई। वियतनाम ने दिसम्बर 1978 में कम्पूचिया में सेनाएं भेजना प्रारम्भ किया था। अगर वह सेनाएं कम्पूचिया पर कब्जा करने के लिए नहीं गई थीं, और उनका उद्देश्य केवल कम्पूचिया की जनता को पोलपाट की अत्याचारी सरकार से मुक्ति दिलाना था तो

वह मुक्ति पर्व अब तक समाप्त हो जाना चाहिए था। लेकिन मुक्ति अभियान चल रहा है। क्या हम सैमरिन की सरकार बिना वियतनामी सेनाओं के कम्पूचिया में टिक सकती है? क्या वह अपने बल पर कम्पूचिया का शासन चला सकती है? अगर वह टिकने में और शासन चलाने में समर्थ है तो वियतनाम की सेनाओं को हट जाना चाहिए। जब हम किसी भी देश में विदेशी सेनाओं की उपस्थिति पर आपत्ति करते हैं तो इसमें कम्पूचिया में विदेशी सेनाओं की उपस्थिति भी आती है।

उपाध्यक्ष महोदय, कम्पूचिया की सरकार को मान्यता मिले या न मिले यह बहस तो चल रही है, मगर कम्पूचिया की जनता क्या चाहती है इसकी बहस दुनिया की किसी राजधानी में नहीं हो रही है। क्या कम्पूचिया की जनता के सामने दो ही विकल्प हैं—पोलपाट का अत्याचारी शासन या विदेशी बलात्कार? क्या कोई तीसरा रास्ता नहीं है? क्या पोल पाट और हेम सैमरिन के अतिरिक्त कोई तीसरा व्यक्ति नहीं है? क्या कम्पूचिया की जनता की नियति यही है कि या तो अपने घर के दुश्शासन से पीड़ित होगी या बाहर की सेना के बल पर कायम होने वाली और चलने वाली सरकार के अधीन होगी? मेरा यह निवेदन है कि एक तीसरा रास्ता है और होना चाहिए। भारतीय नीति मत्ता की कसौटी यह होती कि कम्पूचिया की हेम सैमरिन सरकार को मान्यता देने में जल्दबाजी करने के बजाय हम कोई तीसरा हल निकालने का प्रयत्न करते। मैं जानता हूं यह कठिन है। मगर कठिनाई ही चुनौती है। कम्पूचिया की एक चुनौती भी थी और एक मौका भी। हमने चुनौती स्वीकार नहीं की, हमने एक मौका गंवा दिया। हमने आसान रास्ता चुन लिया। मान्यता देने में कोई बहुत बड़े फैसले की आवश्यकता नहीं थी। यह बात अलग है कि अभी तक कम्पूचिया को जिन देशों ने मान्यता दी है उनकी संख्या 30 या 31 है। यूनाइटेड देशों में 160 सदस्य हैं। गुटनिरपेक्ष आन्दोलन की सदस्य-संख्या भी 90 से ऊपर पहुंच गई। मेरे सामने जो सूची है उसमें मान्यता देने वालों में यूगोस्लाविया नहीं, टीटो का यूगोस्लाविया नहीं, न्येरेरे का तन्जानिया नहीं, नेपाल नहीं। अब कहा जा सकता है कि हम दूसरों के लिए प्रतीक्षा क्यों करें, हमें तो दूसरों को रास्ता दिखाना है। तब फिर मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आपका काम दूसरों को रास्ता दिखाना है तो 6 महीने आप स्वयं रास्ता क्यों देखते रहे?

उपाध्यक्ष महोदय, एक नया तनाव पैदा हो गया है दक्षिण-पूर्व एशिया में अगर हम कम्पूचिया के उदय में सहायता दे सकें—और अभी भी देर नहीं हुई है—जो कम्पूचिया स्वतन्त्र हो, गुटनिरपेक्ष हो, जो वियतनाम के साथ भी मैत्री रखे और थाई देश के साथ भी स्नेह सम्बन्ध बढ़ाए, जो किसी महाशक्ति के हाथ की कटपुतली न बने, तो दक्षिण-पूर्व एशिया में तनाव कम किया जा सकता है और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में आर्थिक सहयोग की सम्भावनाओं को बढ़ाया जा सकता है। दक्षिण-पूर्व एशिया के कुछ देश जो अमरिका के प्रभाव में हैं, उनको अमरिका के प्रभाव से निकाल कर लाना सरल हो सकता है।

मगर हम देख रहे हैं कि कम्पूचिया में वियतनाम के हस्तक्षेप से आशंकायें बढ़ी हैं। आसियान जो आर्थिक विकास का एक मंच होना चाहिए, जिसमें पहले सुरक्षा के मामले जुड़े हुए थे, हो सकता है प्रतिक्रिया-स्वरूप वे फिर किसी महाशक्ति की ओर देखें। इसमें हमारी रचनात्मक कुटनीति ने क्या भूमिका अदा की है? मुझे वियतनाम के लिए अफसोस है। वियतनाम की जनता के बलिदान, उसके साहस, उसकी संघर्ष करने की वृत्ति—उस सब के लिए हमारे हृदय में

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

बड़ा आदर है। एक महाशक्ति को मुंह की खिलाने वाला वियतनाम हमेशा हमें प्रेरणा देता रहेगा। मगर हम आशा करते थे कि एक बार स्वतन्त्रता की लड़ाई जीतने के बाद वियतनाम अपनी सारी शक्ति निर्माण में लगायेगा। लाओस, कम्पूचिया, वियतनाम अलग-अलग देश हैं, उनकी अलग-अलग संस्कृति है, उनके अलग-अलग वंश हैं—इन तीनों देशों के बीच में स्वेच्छा से सहयोग हो, इस पर कोई आपत्ति नहीं करेगा। इसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन अगर जबर्दस्ती वियतनाम, लाओस और कम्पूचिया को एक राजनीतिक सांचे में ढालने की कोशिश की जायेगी तो तनाव पैदा होंगे और वियतनाम के लिए भी कठिनाइयां उत्पन्न होंगी।

मुझे सोवियत संघ के लिए और भी ज्यादा अफसोस है। सोवियत संघ हमारा विश्वस्त मित्र है, कठिनाइयों में हमारे काम आया है, आर्थिक और सुरक्षा के क्षेत्र में उसका योगदान महत्वपूर्ण है। जब कभी हम मुसीबत में फंसे तो हमने सोवियत संघ को अपने निकट खड़ा हुआ पाया। जनता सरकार ने सोवियत संघ के साथ मैत्री सम्बन्धों को नया आयाम देने का प्रयत्न किया था, नया विस्तार देने का प्रतत्न किया था। रूस के साथ हमारे द्विपक्षीय सम्बन्ध मधुर रहे, इस सम्बन्ध में कोई मतभेद नहीं है और न होना चाहिए।

लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, क्या हमारे और सोवियत संघ के मैत्री सम्बन्ध इतने कमजोर हैं, क्या मित्रता का ताना-बाना इतना ढीला है कि अफगानिस्तान के सवाल पर हम खरी बात कहने से भी डर गए ? यूनाइटेड नेशन्स में भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने 12 जनवरी को जो भाषण दिया वह भारतीय कुटनीति के इतिहास में एक लज्जाजनक पृष्ठ के रूप में याद किया जायेगा। अफगानिस्तान में सोवियत सेनाओं का हस्तक्षेप सयुक्त राष्ट्र संघ के सारे सिद्धान्तों गटनिरपेक्ष आन्दोलन के सारे आदर्शों और भारत की विदेश नीति की सारी मान्यताओं के खिलाफ है। अपनी बात दृढ़ता से, मैत्रीपूर्ण ढंग से कहने के बजाय, हमारे स्थायी प्रतिनिधि सोवियय संघ के वकील बनकर खड़े हो गए। हमने सोवियत संघ के प्रवक्ता के रूप में यूनाइटेड नेशन्स में कहा कि सोवियत संघ ने हमें आश्वासन दिया है कि वह अफगानिस्तान से हट जाएगा और उसके आश्वासन पर हमें अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। फिर भी उसके साथ यह भी जोड़ दिया कि वह तब हटेगा जब अफगानिस्तान की सरकार कहेगी। अब स्थिति यह है कि अफगानिस्तान की सरकार सोवियत सेना के बल पर टिकी हुई है। सोवियत सेना के हटते ही सरकार का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा, इसलिए वह सोवियत सेना को हटने के लिए कैसे कहेगी। लेकिन वह जब तक नहीं कहेगी तब तक सोवियत सेना हटेगी नहीं, और अगर सेना नहीं हटेगी तो राजनीतिक हल कैसे होगा ? मैं विदेश मन्त्री से सहमत हूं कि अफगानिस्तान की समस्या का राजनीतिक हल होना चाहिए, सैनिक नहीं। मगर हम एक ऐसे विषम चक्र में फंस गए हैं कि सेना के रहते हुए राजनीतिक हल नहीं हो सकता, और राजनीतिक हल हुए बिना सेना नहीं हटती। अण्डे और मुर्गी वाला किस्सा हो रहा है। हमें अण्डे को स्क्रैम्बल करना पड़ेगा, मगर मुर्गी को भी बचाना पड़ेगा कि आगे भी वह अण्डा दे सके।

हमारे विदेश मन्त्री दावा करते हैं कि हमने सिचुएशन को डिफ्यूज करने में सफलता पाई। अगर उनका अभिप्राय यह है कि उन्होंने अमरीका को अफगानिस्तान में सोवियत सेनाओं का विरोध करने से रोक दिया है, वरना अमरीकी सैनिक काबुल की सड़कों पर उतर जाते और सोवियत सैनिकों से दो-दो हाथ करने के लिए तैयार हो जाते, अगर वह इस बात का श्रेय लेना चाहते हैं तो मै उसमें बाधक नहीं बनूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, अफ़गानिस्तान की समस्या का राजनीतिक हल क्या हो, इसकी चर्चा करते समय अफगानिस्तान की जनता का कोई ख्याल नहीं रख रहा है। अफगानिस्तान की जनता क्या चाहती है ? सोवियत रूस को इस बात की चिन्ता है कि काबुल में मास्को विरोधी सरकार नहीं होनी चाहिए। अमेरिका को अफगानिस्तान की इतनी चिन्ता नहीं है जितनी इस बात की चिन्ता है कि खाड़ी के देशों में उसके प्रभाव का क्या होगा। इस्लामी देशों को यह चिन्ता है कि इस्लाम का परचम फहराता रहना चाहिए। हमें भी इस बात की चिन्ता है कि काबुल में चिनगारी लगी है, वह कहीं भड़क न जाय और हमारा दामन न झुलस जाए, मगर अभागे अफगानिस्तान की आज़ादी का क्या होगा ?

विदेश मन्त्री यह दावा करते हैं। कि तनाव की स्थिति कम हो गई है। मुझे एक कथा याद आती है —एक आदमी बीमार पड़ा, उसका ब्लड-प्रैशर बढ़ गया। दिमाग की नस फट जाएगी, यह खतरा पैदा हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, इन्टैंसिवकेयर-यूनिट में भर्ती किया गया, डाक्टर बुलाए गए, घण्टों तक इलाज करते रहे। घर वाले आपरेशन-थीयेटर के बाहर खड़े थे— डाक्टर महोदय बाहर आए और कहने लगे :

"मैं रक्त चाप को नियंत्रित करने में सफल हुआ हूं। किन्तु खेद है कि रोगी मर गया है।" उसी तरह यह कहा जा सकता है कि

विदेश मन्त्री तनाव की स्थिति को कम करने में सफल हुए हैं किन्तु अफ़गानिस्तान अपनी स्वतन्त्रता खो चुका है।

अफगानिस्तान की आज़ादी यह मध्य बिन्दु है उसके लिये विदेश मन्त्री सोवियत सेनाओं की वापसी का उपदेश किस तरह से प्राप्त करना चाहते हैं, मुझे ज़रा बतायें ?

हमने कौन सी पहल की है ? मैंने आपसे कहा था---सोवियत संघ के लिये मुझे अफसोस है। सोवियत संघ ने अफ़गानिस्तान में हस्तक्षेप करके गलती की है। अभी भी समय है, वह वहां से निकल आये। जो लोग सोवियत संघ के हस्तक्षेप और अफ़गानिस्तान के बागियों को मिलने वाली छुट-पुट सहायता को एक ही धरातल पर रख कर देखते हैं, वे स्थिति के साथ न्याय नहीं करते हैं। हस्तक्षेप बन्द होना चाहिए उसके लिये जो भी अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था आवश्यक हो, आप करें, भारत उसमें पहन करे, मगर सोवियत सेनाओं की अफ़गानिस्तान में उपस्थिति को किसी भी तरह से बरदाश्त नहीं किया जाना चाहिये। मुझे डर है—अगर सोवियत सेनायें अभी नहीं निकलीं, तो रूसी अफ़गानिस्तान में फंसते जायेंगे, और ज्यादा धंसते जायेंगे और यह असम्भव नहीं है कि अफ़गानिस्तान सोवियत संघ के लिये दूसरा वियतनाम बन जाय।

अफ़गान अपनी आज़ादी के साथ कभी भी समझौता नहीं करेंगे। जो अंग्रेजों के सामने नहीं झुके, वे नव-उपनिवेशवाद के सामने हथियार नहीं डालेंगे। मुझे दुख है— उस अफ़गान के लिए, जिसे गुरुदेव रवीन्द्र नाथ टैगोर ने "काबुली वाला" कहानी लिखकर अमर कर दिया, वह अफ़गान पूछ रहा है कि हिन्दुस्तान ने हमारे लिये क्या किया है ?

क्या यह सम्भव नहीं था कि यू० एन० ओ० में रूप की वकालत करने के बजाय हम नई दिल्ली में शुरू में ही पड़ोसी देशों का सम्मेलन बुलाते ? हम ने बाद में अफसर भेजे, लेकिन हम

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

पड़ोसी देशों का सम्मेलन बुला सकते थे और कलैक्टिव रीजनल रेस्पोंस तैयार कर सकते थे। हमारे पाकिस्तान से भी सम्बन्ध अच्छे हैं, रूस से भी हमारी मित्रता है। रूस से हम मित्रता के साथ, लेकिन दृढ़ता के साथ कहें—मैं जानता हूं सरकार का रवैया थोड़ा बदला है और यह परिवर्तन हमारे मित्र श्री इन्द्रजीत गुप्त को पसन्द नहीं है·····

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसिरहाट) : लेकिन आपको तो पसन्द है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मुझे पहले वाला पसन्द नहीं था। मगर मैं जानना चाहूंगा—सरकार अफ़गानिस्तान की समस्या का राजनीतिक हल करने के लिये कौनसी पहल करने जा रही है ? गुट निरपेक्ष आन्दोलन को लकवा मार गया है—ऐसा लगता है। अगर अफ़गानिस्तान के मामले में गुट निरपेक्ष देश सक्रिय नहीं हो सकते तो फिर गुट-निरपेक्ष ही आन्दोलन का आधार हिल जायेगा। यूरोप में कोई महाशक्ति जबरदस्ती नहीं कर सकती, एशिया और अफरीका जबरदस्ती के लिये खुले हुए हैं। महाशक्तियों की चपेट से बचने के लिए नये-नये आज़ाद होने वाले देशों ने गुट-निरपेक्षता का रास्ता अपनाया। अफ़गानिस्तान भी गुट-निरपेक्ष देश है। लेकिन अगर महाशक्तियों के हस्तक्षेप के खिलाफ़ आवाज़ें नहीं उठी और अफ़गानिस्तान का गुट-निरपेक्ष स्वरूप फिर से कायम नहीं होगा, तो फिर अन्य छोटे-छोटे देशों के लिए गुट-निरपेक्ष आन्दोलन में बने रहना उपयोगी है या नहीं—यह उनको विचार करना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बहस में चीन की भी चर्चा हुई है। चीन के साथ हमें अपने सम्बन्ध सामान्य बनाने चाहिये। लेकिन जब तक सीमा का सवाल तय नहीं होगा, सम्बन्ध पूरी तरह से सामान्य नहीं हो सकते। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि चीन के उपप्रधान मन्त्री ने भारतीय पत्रकार के माध्यम से जो प्रस्ताव भेजा है, उसमें नया क्या है ? उन्होंने कहा है—इट-इज-मोर-प्रेसाइज किस तरह से वह अधिक प्रेसाइज है ? ऐसे प्रस्ताव पहले भी दिये जा चुके हैं। जो हमारी जमीन उनके पास है, उसे तो वे रखना चाहते हैं और जो हमारी हमारे पास है, उसे हमारे पास छोड़ने का यह एहसास करना चाहते हैं।

मन्त्री महोदय ने यह भी आशा दिलाई है—उनका एक वाक्य बड़ा महत्वपूर्ण है कि पूर्व में मामला हल होने का आशावाद बढ़ा है, सम्भावना बढ़ी है—ऐसे कुछ शब्द हैं। मैं जानना चाहता हूं—हमारे विदेश मन्त्रालय के सचिव उन्हीं दिनों पीकिंग में थे। भारतीय पत्रकार से जो बातचीत हुई, वह तो छप गई, उस पर मन्त्री महोदय की प्रतिक्रिया भी आ गई, मगर हमारे सचिव से भी तो कुछ बात हुई होगी—क्या सीमा का मामला उस बातचीत में था ? क्या हमने सारे मामले में पहले से आगे कदम बढ़ाया है ? जो बात हमने सार्वजनिक रूप से इस सदन में कही है, क्या वह पीकिंग में भी कही गई और और अगर कही गई तो उस बारे में उनकी प्रतिक्रिया क्या है ?

उपाध्यक्ष महोदय, इस चर्चा में जनता सरकार की विदेश नीति पर कटाक्ष होना स्वाभाविक था, लेकिन एक बात मैं बड़ी नम्रता के साथ कहना चाहूंगा—हमने लगातार ढाई सालों में विदेश नीति की कन्टीन्यूइटी पर, निरन्तरता पर बल दिया।

सरकारें आएंगी और जाएंगी मगर राष्ट्रीय हित हमेशा रहने वाले हैं। विदेश नीति का लक्ष्य हितों का संवर्द्धन और संरक्षण होना चाहिए। कुछ मुद्दों पर मतभेद हो सकता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसिरहाट) : जैनुइन नान-एलाइनमेन्ट क्या था ?

श्री अटल विहारी वाजपेयी : श्री इन्द्रजीत गुप्त पूछ रहे हैं कि जैनुइन नान एलाइनमेन्ट क्या था। बड़ा अच्छा प्रश्न है। क्या श्री इन्द्रजीत गुप्त को यह समझाना भी जरूरी है कि जैनुइन डेमोक्रेसी क्या है ? क्या यह भी समझाना आवश्यक है कि जैनुइन कम्युनिज्म क्या है ? वे भी इस शब्द का प्रयोग करते रहे हैं। जब बहुत से देश कम्युनिस्ट होने का दावा करते हैं, तो फिर यह कहा जाता है कि खाली कम्युनिस्ट होने से काम नहीं चलेगा, ईमानदारी से कम्युनिस्ट होना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, केवल गुट-निरपेक्षता की नीति पर चलना ही काफ़ी नहीं है, दुनिया को यह दिखाई भी देना चाहिए कि हम गुट-निरपेक्षता की नीति पर चल रहे हैं। मुझे अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि पिछले छ. महीने में हमारी यह छवि बिगड़ी है।

एक माननीय सदस्य : यह तो ग़लत बात है।

श्री अटल विहारी वाजपेयी : पड़ोसी देशों के साथ हमारे सम्बन्ध इस बात की कसौटी होंगे कि हम सफलता से अपनी कूटनीति का संचालन कर रहे हैं। भारत एक बड़ा देश है, हमें छोटे पड़ोसियों के साथ अपने सम्बन्धों का निर्वाह करना है और यह निर्वाह बराबरी के आधार पर ही हो सकता है, बड़े भाई अर्थात दादा का रवैया अपना कर नहीं। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि हम पड़ोसियों के साथ अपने सम्बन्धों को और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को भी घरेलू राजनीति के साथ न जोड़ें। 1977 के चुनाव विदेश नीति के आधार पर नहीं लड़े गए थे। 1980 के चुनाव भी विदेश नीति के आधार पर नहीं लड़े गये, मगर मुझे अफ़सोस है कि चुनावों के दौरान भाषण दिये गये कि फरक्का का समझोता राष्ट्र-विरोधी समझोता था। जो अन्तर्राष्ट्रीय समझौते सरकार उत्तराधिकार में प्राप्त करती है, उन्हें राष्ट्र विरोधी नहीं कहा जा सकता। हमें शिमला समझौता उत्तराधिकार में मिला था। मैंने रामलीला के मैदान में शिमला समझौते की प्रति को यह कहकर आग लगाई थी कि आपने न केवल जीती हुई जमीन पाकिस्तान को वापस कर दी बल्कि अपनी जमीन भी दे दी। मगर विदेश मन्त्री बनने के बाद मैंने कहा कि यह समझौता किसी भी सरकार ने किया हो, यह भारत ने किया है और जो भी सरकार आएगी, वह इस समझौते का पालन करेगी। आप फरक्का के बारे में क्या कह रहे हैं ? फरक्का के बारे में श्रीमती इन्दिरा गान्धी ने भी शेख मुजीबुर्रहमान से एक समझौता किया था और उसमें बंगला देश को जितना पानी दिया था, उसको छोड़ कर हमारे लिए जो पानी बचा था वह 11 हजार क्यूसेक से लेकर 16 हजार क्यूसेक था। हम इस पानी की मात्रा को बढ़ाकर 20 हजार क्यूसेक के ऊपर ले गये, फिर भी हम राष्ट्र विरोधी हो गये। देश-भक्ति केवल आप के ही हिस्से में नहीं आई है। हम भी इस देश को प्यार करते हैं। मैं फिर दोहराना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, पड़ोसियों के साथ हमारे सम्बन्ध की कसौटी होंगे। मैं जानना चाहता हू विदेश मन्त्री महोदय से कि बंगला देश के राष्ट्रपति ने जो यह सुझाव दिया है कि इस क्षेत्र के देशों का शिखर सम्मेलन होना चाहिए, क्या बाधा है इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में।

एक माननीय सदस्य : स्वीकार किया है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जो स्वीकार करने की भाषा है, उसको मैंने ध्यान से पढ़ा हुआ है।...(व्यवधान)...आप मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं। कहते हैं दिल की बात जानते हैं। (व्यवधान)...ये अन्तर्यामी हैं जितने अन्तर्यामी हैं, सब उधर इकट्ठे हो गये हैं मगर जो अन्तर्यामी हैं, वे बहिरगामी न बनें, वे विदेश नीति पर न बोलें, घर के मामलों में ही हल्ला करें। वे विदेश नीति पर शोर न करें कि इस वक्त एक नाजुक मामले पर बहस हो रही है। हमें इस भूखण्ड के देशों को बहुत निकट लाना होगा और समस्याओं का हल करना होगा। अविश्वास बढ़ाकर समस्या हल नहीं कर सकते। अगर नेपाल जल साधनों का नियन्त्रण करने में हमारी मदद न करें, बैठे-बैठे करनाली के प्रोजेक्ट को पूरा करने में सहायता न दे तो उत्तर प्रदेश और बिहार हर साल मुसीबत में फंसेंगे, अरबों रुपये की बर्बादी होगी। यह ठीक है कि हमें अपने हितों की बलि चढ़ाकर पड़ोसियों के साथ सम्बन्ध नहीं सुधारने हैं। लेकिन छोटे पड़ोसियों के प्रति हम किस प्रकार की भाषा बोलते हैं इसका तो ध्यान रखें। चुनाव में कहा गया कि भुटान हमें आंखें दिखा रहा है। क्या भुटान हमें आंखें दिखा सकता है? कौन माई का लाल है जो हमें आंखें दिखा सकता है? रूस और अमेरिका भी आंखें नहीं दिखा सकते हैं। जो सरकार बनती है वह 65 करोड़ जनता की प्रतिनिधि सरकार बनती है। यह कहकर कि भूटान हमें आंखें दिखा रहा है, हमने सरकार की ही निन्दा नहीं की, बल्कि सारे देश की प्रतिष्ठा को गड्ढे में डाला। विदेश नीति के मामले में ओछी राजनीति का हम अवलोकन न करें। आवश्यकता है एक राष्ट्रीय सहमति की। किन्तु सहमति तैयार करने का वह तरीका नहीं है। जो सरकार अपना रही है।

गुटनिरपेक्षता की नीति को अगर सफल करना है तो भारत को आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर होना होगा, सैनिक दृष्टि से सक्षम होना होगा इसके लिए 65 करोड़ जनता को जोड़ना होगा। एक ऐसे विश्व की रचना करनी पड़ेगी जिस में युद्ध का भय न हो और घर के भीतर कोई भारतीय भूख से पीड़ित न हो। विश्व में ऐसे देश की रचना की जिम्मेदारी सरकार पर आयी है। पांच साल का समय है, हम चाहते हैं कि आप कुछ कर के दिखायें लेकिन अगर 6 महीने को ध्यान में रखा जाय तो कोई ज्यादा आशा नहीं दिखाई देती।

श्री अनुल बशर (गाजीपुर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, अभी मैं श्री अटलबिहारी वाजपेयी जी के भाषण को सुन रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में, जब कि ये ढाई वर्षों तक इस देश की विदेश नीति को इन्होंने चलाया था, इनके जमाने में विदेशों में हमारी प्रतिष्ठा गिरी। सन् 1977 से पहले, विदेशों में जो हमारा सम्मान था, वह सम्मान इन ढाई वर्षों में बराबर कम होता गया। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को अपने जीवन की सबसे बड़ी बेइज्जती उस समय महसूस हुई होगी जब वे चीन में मौजूद थे, चीन की सरकार ने उनकी बड़ी आवभगत की थी, बहुत बहलाकर, फुसलाकर वह उन्हें चीन ले गयी थी, चीन में उनको आराम से कमरों में सुलाया गया था लेकिन उसी समय चीन की सरकार ने वियतनाम पर हमला कर दिया। उस समय केवल श्री अटल बिहारी वाजपेयी की ही प्रतिष्ठा नहीं गिरी, उस समय श्री वाजपेयी ने अपनी दूरदर्शिता के कारण भारत की 65 करोड़ जनता की प्रतिष्ठा को गिरा दिया था।

उपाध्यक्ष महोदय, चीन के साथ बात करने का प्रश्न फिर हमारे सामने आ रहा है। चीन के प्रधान मन्त्री ने एक पत्रकार को अपना वक्तव्य दिया। उससे ऐसा लगता है कि चीन फिर से भारत को अपनी दोस्ती के जाल में फंसाना चाहता है। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार, हमारी प्रधानमन्त्री और हमारे विदेश मन्त्री बहुत ही सोच समझ कर कदम उठा रहे हैं। चीन से जब भी कोई बातचीत करनी हो, चीन से जब भी अपने सम्बन्धों की बात करनी हो तो हमें बहुत चौकन्ना रहना होगा।

(श्री चन्द्रजीत यादव पीठासीन हुए)

सभापति जी, हमें यह देखना है कि आज हम किस स्थिति में हैं ? आज जो विश्व की राजनीतिक स्थिति है उसमें चीन और भारत एशिया के दो बड़े देश हैं, दोनों शक्तिशाली देश हैं। दोनों की आर्थिक अवस्था अच्छी है। जहां तक एशिया का सम्बन्ध है, हर लिहाज से चीन और भारत एशिया के लिए सुपर पावर्स हैं।

चीन हमेशा इस बात की फिक्र में लगा रहता है कि चाहे हम उसको दुश्मन मानें या न मानें, वह अपना जो भी कदम एशिया में उठाता है अपने दिल में यह समझ कर उठाता है कि भारत हमारा दुश्मन है। चीन की विस्तारवादी नीति के कुपरिणाम हम स्वयं 1962 में भोग चुके हैं। दूसरे देश भी भोग चुके हैं। चीन ने कम्युनिस्ट पार्टी के आन्दोलन के टुकड़े करवाए इसलिए कि जिन देशों में कम्युनिस्ट पार्टीज हैं उनसे रूस का असर कायम न हो सके बल्कि चीन का ज्यादा असर कायम हो सके।

चीन से हमारी दोस्ती बहुत आसान नहीं है। अगर हम उससे दोस्ती कर भी लें तो जिस तरह से चीन ने 1962 में हमारे महान नेता पण्डित जवाहरलाल नेहरू को धोखा दिया था उसी तरह से फिर कभी वह हमें धोखा देगा और हम धोखा खा जाएंगे। इसलिए हमेशा हमें यह मान कर चलना पड़ेगा कि अन्दर से चीन हमारा दुश्मन है, चीन से हमारी दोस्ती बहुत मुश्किल है और जिस व्यवस्था में और जिस वातावरण में हम और चीन हैं वे अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। उनके रहते चीन से हमारी दोस्ती नहीं हो सकती है। हम कैसे भूल सकते हैं कि हमारी हजारों किलोमीटर भूमि आज भी चीन के पैरों के तले है, चीन उसको रौंद रहा है। हम लाख कहें कि हम शक्तिशाली हो रहे हैं, लाख कहें कि अगर कोई हमारी तरफ आंख उठाकर देखेगा तो उसकी हम आंख फोड़ देंगे, लाख कहें कि कोई हमारे ऊपर हाथ उठाएगा तो उसका हाथ हम काट देंगे लेकिन जिस तरह से मोर अपने पैरों को देख करके दुखी हो जाता है उसी तरह से जब हम देखते हैं कि चीन हमारी हजारों किलोमीटर जमीन पर कब्जा किए हुए है···और उसको हम वापिस नहीं ले पाए हैं तो हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। हमारे देश की सर्वोच्च संस्था, इस पार्लियामैंट ने देश को यह वचन दे रखा है, यह इस बात के लिए वचनबद्ध है कि हम किसी न किसी प्रकार से अपनी भूमि चीन से जरूर छुड़ाएंगे और इसको भी हमें हमेशा अपने ध्यान में रखना होगा। जब भी हम चीन से कोई बातचीत करें तो इस चीज को हम भूल न जाएं, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं।

मध्य एशिया और विशेषकर अफ़गानिस्तान के बारे में अब मैं कुछ कहना चाहता हूं।

[श्री जैनुल बशर]

अफगानिस्तान की आज वही हालत है जो पहले वीयतनाम की थी। जिस तरह से वहां पर अमरीकी सेनाएं थी और अमरीका वहां अपनी कठपुतली सरकार कायम रखे हुए था आज उसी तरह से अफगानिस्तान में रूस की सेनाएं हैं और रूस वहां पर अपनी कठपुतली सरकार को बनाए रखना चाहता है। अफगानिस्तान एक गुट निरपेक्ष देश था। हमारा हमेशा से ही गुट निरपेक्षता में विश्वास रहा है, यह हमारा आइडियल रहा है और इसको हमने हमेशा आगे बढ़ाने की कोशिश की है। इसका हमारे महान नेता पंडित जवाहर लाल नेहरू ने प्रतिपादन किया था और इस पर हम अब भी चल रहे हैं। अगर कोई गुट निरपेक्ष देश किसी बड़ी सुपरपावर के चंगुल में फंस जाता है तो जो दूसरे गुट निरपेक्ष देश हैं, वे उसकी मदद नहीं करेंगे तो यह आन्दोलन कैसे चल सकता है, कैसे आगे बढ़ सकता है? दूसरे देशों को कैसे इस बात पर भरोसा होगा कि हमें सुपर पावर ब्लैक मेल नहीं कर सकती है, हम पर कब्जा नहीं कर सकती है और गुट निरपेक्ष रहकर भी हमारी अखण्डता कायम रहेगी, हमारी स्वतन्त्रता बची रहेगी? मैं समझता हूं कि इसके लिए यह आवश्यक है कि गुट निरपेक्ष आन्दोलन के देश कोई व्यवस्था कायम करें और ऐसा करने के लिए हमारे देश को आगे बढ़ाना चाहिए। इसका कारण यह है कि हमारे देश और मिश्र के प्रेसीडेन्ट नासिर और युगोस्लाविया के मार्शल टीटो ने इस आन्दोलन की बुनियाद डाली थी। और हमारा देश इसमें सबसे ज्यादा अग्रणी रहा है। इसलिये हमारे देश को बात करनी चाहिये कि गुट-निरपेक्ष देश केवल गुट-निरपेक्ष नहीं रहेंगे, बल्कि अपने में कोई ऐसी व्यवस्था होगी कि अगर उन देशों पर कोई भी सुपर पावर हमला करेगी, उनकी आजादी, स्वतन्त्रता के लिए खतरा पैदा हो जायगा तो उसको सब मिलकर दूर करेंगे। ऐसी कोई व्यवस्था की जानी चाहिये और मैं विदेश मन्त्री से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार इस विषय में कुछ सोच रही है?

अफ़गानिस्तान के मामले में केवल इतना कह देना कि रूस की सेनाएं अफगानिस्तान से चली जायें, मैं समझता हूं कि यह काफी नहीं है। भारत को अफगानिस्तान से रूस की सेनाएं हटाने के लिये सक्रिय कदम उठाना चाहिये और क्योंकि अफगानिस्तान केवल गुट-निरपेक्ष देश नहीं रहा है, बल्कि अफगानिस्तान हमेशा से हमारे देश का मित्र रहा है, हमेशा से उसने हमारे देश से दोस्ती रखी है। पाकिस्तान की सरहद पर, जब कि पाकिस्तान सारे मुस्लिम देशों में भारत के खिलाफ प्रोपेगण्डा करता था, उस समय भी अफगानिस्तान की हमदर्दी हमारे देश के साथ रही है।

अब आज अफगानिस्तान के लोग गुलामी की जंजीर में जकड़े जा रहे हैं मैं अपने विदेश मन्त्री महोदय से कहूंगा कि वह कोई सक्रिय कदम उठायें रूस की सेनाओं को वापिस करने के लिये।

रूस हमारा मित्र है, हमेशा मित्र रहा है, हमेशा आड़े समय में रूस ने हमारा साथ दिया है, हम रूस के बहुत एहसानमन्द हैं, उसके ऋणी हैं, लेकिन जो बुनियादी नीति है कि किसी भी देश में दूसरे देश की सेनाओं को नहीं रहना चाहिये, उनकी आजादी कायम रहनी चाहिये, उसके लिए हमें रूस पर दबाव डालना चाहिये और मुझे पूरा यकीन है कि अगर हम जोरदार तरीके से

दबाव डालें तो रूस इस बात को मान जायेगा। हम ही नहीं, अगर सारे गुट निरपेक्ष देश मिलकर कोई ऐसी व्यवस्था करें और उस व्यवस्था के साथ कोई दबाव डाला जाये तो मैं समझता हूं कि रूस जरूर मान जायेगा। रूस के मानने में मुझे ऐसी कोई शंका नहीं है।

पाकिस्तान हमारा पड़ौसी है, दुर्भाग्य से उससे हमारे सम्बन्ध बहुत दिनों तक अच्छे नहीं रहे, लेकिन शिमला कान्फरेंस के बाद सम्बन्धों को सुधारने की एक कोशिश की गई, लेकिन पाकिस्तान से सम्बन्ध सुधारने के लिये या अच्छे सम्बन्ध कायम रखने के लिये एक बहुत बड़ी शर्त है जिसे हमें अपने सामने रखना चाहिये। जब तक पाकिस्तान में फौजी शासन रहेगा, हमारे पाकिस्तान से सम्बन्ध ठीक नहीं हो सकते। मैं खुद व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि पाकिस्तान की जनता इस बात की इच्छुक है कि उसके सम्बन्ध भारत के साथ अच्छे हों। पाकिस्तान केवल हमारा पड़ौसी ही नहीं, पाकिस्तान और हमारा देश आज से 30-32 साल पहले एक देश था, हम और पाकिस्तान के लोग एक थे। आज भी हमारी और पाकिस्तान की संस्कृति, कल्चर, भाषा, रहन-सहन बिल्कुल एकसा है। आज भी हम पाकिस्तान के साथ भावनाओं से जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान की जनता यह चाहती है, उसकी बहुत इस बात की ख्वाहिश है कि भारत के साथ उसके सम्बन्ध अच्छे हों, लेकिन जब पाकिस्तान में फौजी शासन होता है तो वह अपनी गद्दी कायम रखने के लिये, वहां की जनता के ध्यान को मोड़ने के लिये हमेशा कोई न कोई ऐसी बात कहता रहता है भारत के खिलाफ; या तो सरहद पर कोई छेड़छाड़ कर दे या कोई और बात कर दे कि पाकिस्तान के लोग उत्तेजित हो जायें और उनका ध्यान फौजी शासन से हट जाये।

एक बहुत अच्छा मौका आया था और उसे हमारी पिछली जनता सरकार ने गंवा दिया। पाकिस्तान ने करवट ली थी, पाकिस्तान में एक आन्दोलन छिड़ा था, जब कि जुलफिकारअली भुट्टो को फांसी दी जा रही थी। उस समय हमारे देश की सरकार ने, प्रधानमन्त्री श्री मोरारजी देशाई और विदेश मन्त्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने, मुझे दुःख है कि उन्होंने पाकिस्तान की जनता की भावनाओं का आदर नहीं किया।

आज वाजपेयी जी अफगानिस्तान और कम्पुचिया की जनता की भावनाओं की बात करते हैं; लेकिन हमारे खून, हमारी नस्ल और हमारे पड़ौस के पाकिस्तान की जनता की भावनाओं का उन्होंने आदर नहीं किया।

एक शब्द भी सरकार की जुबान से नहीं निकला कि पाकिस्तान की जनता की मंशा के प्रतिकूल जनतान्त्रिक भावनाओं का खून किया जा रहा है और भुट्टो को फांसी दी जा रही है। जैसे हमारी कांग्रेस की सरकार और प्रधानमन्त्री, श्रीमती इन्दिरा गान्धी, बंगला देश की जनता की भावनाओं का आदर करके बंगला देश की स्वतन्त्रता के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, वैसे ही क्यों हम पाकिस्तान की जनता के साथ अपनी सहानुभूति नहीं रख सकते थे; उसके प्रति अपनी सहानुभूति नहीं दिखा सकते थे ? लेकिन ऐसा नहीं किया गया।

आज मैं विदेश मन्त्री जी से यह कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान में जनतन्त्र के लिए आन्दोलन की जो भी शुरूआत हो, उसमें हमें मारल तौर पर पाकिस्तान की जनता का साथ देना चाहिए,

[श्री जैनुल बशर]

क्योंकि जब तक पाकिस्तान में जनतान्त्रिक शासन नहीं होगा, पाकिस्तान की जनता का अपना शासन नहीं होगा, तब तक पाकिस्तान से हमारी दोस्ती नहीं हो सकती है। पाकिस्तान के लोग जब भारत की जनतान्त्रिक व्यवस्था को देखते हैं, जब वे यहां आ कर पार्लियामेन्ट में हमारे भाषणों को सुनते हैं और अपनी आंखों से सब बातें देखते हैं, तो वे बड़े प्रभावित होते हैं। उनकी यह इच्छा, लालसा और ख्वाहिश है कि वे भी भारत की तरह, जो उनका एक भाई है, अपने घर को चला सकें। इसमें हमें उनकी पूरी मदद करनी चाहिए।

आज हमारे देश में, खासकर आर एस० एस० और जनसंघ के साथियों में, यह प्रवृत्ति उठ खड़ी हुई है कि दुनिया में पान-इस्लामिज्म चल रहा है मुस्लिम देश यह नारा लगा रहे हैं कि इस्लाम का परचम ऊंचा हो, जैसा कि अभी श्री वाजपेयी कह रहे थे। लेकिन मुझे इसमें एक अच्छी बात नजर आ रही है। ईरान पहले अमरीका का कठपुतली था। वहां के शहंशाह अमरीका के हाथ में थे। समझ लीजिए कि ईरान अमरीका का एक बहुत बड़ा सैनिक अड्डा था। ईरान के शहंशाह और अमरीका का सैनिक अड्डा, ये दोनों ईरान की जनता पर बहुत बड़ा बोझ बने हुए थे। जब ईरान की जनता ने उसे समाप्त कर दिया, स्मैश कर दिया, खत्म कर दिया, तो अमरीका ने समझा कि ईरान के लोग प्रो-रशन हैं, रूस के समर्थक हैं और आयतुल्ला खोमेनी के पीछे रूस का हाथ है। लेकिन जब अफ़गानिस्तान में रूस की सेनाओं ने प्रवेश किया, तो वही आयतुल्ला खोमैनी रूस के खिलाफ़ भड़क उठे।

इससे प्रकट होता है कि इस्लामी देश न प्रो-अमरीकन हैं, न प्रो-रशन हैं, बल्कि वे आजादी के साथ रहना चाहते हैं। वे गुट-निरपेक्षता में विश्वास करते हैं। वे यह नहीं चाहते कि उनके मामलों में अमरीका या रूस दखल दे। उनकी मन्शा यह है कि वे स्वतन्त्रता के साथ अपने धर्म के मुताबिक अपनी नीतियां चला सकें। मैं आपके माध्यम से विदेश मन्त्री से कहना चाहता हूं कि ऐसे इस्लामी देशों को गुट-निरपेक्ष आन्दोलन में शामिल होने के लिए पर्सुवेड करें। वे गुट-निरपेक्ष आन्दोलन में शामिल हो सकते हैं। आज अरब जगत और इस्लामी देश हमारे लिए बहुत कारामद साबित होंगे। उनके साथ हमारी हमेशा से दोस्ती रही है। उनके साथ कभी भी हमारी दुश्मनी या बिगाड़ नहीं रहा है। जनता पार्टी के जमाने में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, लेकिन वर्तमान सरकार ने उसे भी दूर कर दिया है और तेल वगैरह के मामले में वे हमारी पूरी मदद कर रहे हैं।

इसलिए अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में हमें उनको भी पूरी तरह से अपने साथ ले कर चलना चाहिए और गुट-निरपेक्ष आन्दोलन में उन को शामिल करना चाहिए।

एक और बात मैं कहना चाहता हूं और आपके माध्यम से विदेश मन्त्री जी का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि पाकिस्तान जाने वाले हमारे जो भारतीय नागरिक हैं उन को वीजा पाने में बड़ी कठिनाई होती है। पाकिस्तानी एम्बैसी उनको बहुत हैरेस करती है, बहुत परेशान करती है, तीन-तीन, चार-चार महीने तक वे लोग बड़ी दूर दूर से, बंगाल से, बिहार से, केरल से,

यू० पी० से यहां पर आ कर ठोकरें खाते हैं और आप जा कर देखिए तो उस पाकिस्तान एम्बैसी में उनके साथ इस तरह से दुर्व्यवहार होता है कि लज्जा आती है। जबर्दस्ती उनको ढकेल देते हैं, फेंक देते हैं और छ-छः महीने तक वीजा नहीं देते एन्क्वायरी के नाम पर। मैं विदेश मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस मामले को पाकिस्तान सरकार से उठाएं और अगर जरूरत हो तो और भी आफिसेज इसके नखनऊ में, पटना में या कलकत्ता में, कहीं भी जहां बहुत सारे लोग आते हैं, बना सकते हैं। इस मामले पर मैं विदेश मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारी जो विदेश सेवा है उस की कन्डीशंस ठीक नहीं हैं। कन्डीशन्स का मतलब यह है कि हमारे यह बहुत पढ़े लिखे नौजवान आइ० ए० एस० और आइ० एफ० एस० में आते हैं। आज से दस साल पहले जो उस में आते थे इण्डियन फारेन सर्विस को पसन्द करते थे, इण्डियन ऐडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को पसन्द नहीं करते थे। लेकिन आज हालत यह है कि लोग इण्डियन ऐडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को पसन्द करते हैं, इण्डियन फारेन सर्विस को पसन्द नहीं करते। उसका कारण यह है कि जो विदेशों में हमारे दूतावास हैं उनका रखरखाव ठीक नहीं है, उनकी सर्विस कन्डीशन्स ठीक नहीं हैं, उनको बहुत परेशानी उठानी पड़ती है, तरक्की के उनके चांसेज बहुत कम हैं। वे आगे तरक्की नहीं कर सकते। इतने बड़े देश की विदेश नीती को चलाने वालों के साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए। मैं विदेश मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि ऐसी एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की जाय जो विदेश सेवा में रहने वालों की सेवा की शर्तों पर विचार करे, जा-जा कर दूसरे दूतावासों को देखे और दुनिया में जिस तरह से दूसरी विदेश सेवा चलाई जाती है उसके साथ अपना मुकाबला करे और कोई ऐसी रिपोर्ट दे जिससे विदेश सेवा के सन्चालन में लोगों में उत्साह हो। इससे हमारी नीति और अच्छी बन सकती है जबकि काम करने वालों को ज्यादा आराम मिलेगा, उनको ज्यादा सुविधा मिलेगी।

इन शब्दों के साथ मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अधिक समय दिया। धन्यवाद।

श्री सी० टी० दण्डपाणि (पोल्लाची) : माननीय मन्त्री ने सभा के समक्ष जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है मैं सर्व प्रथम उसका स्वागत करता हूं। विश्व शान्ति में भारत का बड़ा भारी योगदान है। जबसे हमने स्वतन्त्रता प्राप्त की तभी से हम न केवल भारत में किन्तु विश्व के अन्य भागों में भी शान्ति के लिए प्रयत्न करते रहे हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यह अपने सिद्धान्तों और भारत के लोगों की रहन-सहन की स्वाभाविक आदतों की परिपुष्टि करता है तथा किसी को हानि नहीं पहुंचाता है। साथ ही न दूसरों को किसी को हानि पहुंचाने देता है। यही भारतीय लोगों की संस्कृति है। यही कारण है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के शीघ्र बाद पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने सही दिशा में गुट-निरपेक्ष आन्दोलन चलाया था। इसका आरम्भ बीस वर्ष पहले किया गया था। पण्डित जवाहरलाल नेहरू एक लोकतांत्रिक व्यक्ति थे। उन दिनों हमारा देश एक लोकतान्त्रिक देश था। उन देशों में से, जिन्होंने इस विचारधारा को बढ़ावा दिया, केवल भारत ही एक ऐसा देश है जिसका लोकतांत्रिक सिद्धान्त में विश्वास है। मैं अन्य देशों पर आक्षेप करना नहीं चाहता हूं। गुट-निरपेक्ष आन्दोलन में जो देश हैं उन सभी देशों में केवल भारत ने इसकी परम्पराओं और सिद्धान्तों को मान्यता दी है।

[श्री सी० टी० दण्डपाणि]

मैं मन्त्री महोदय को बधाई देता हूं वे अफगानिस्तान में तनाव को कम करने के लिए आगे आये हैं। यहां कहा गया कि इसमें पूर्ण सफलता नहीं मिली है। चाहे इसमें पूर्ण सफलता मिली है या नहीं मिली है किन्तु हमारे सीमावर्ती देश में तनाव कम करने की एक शुरुआत की गई है। यह न केवल भारत के लिए किन्तु समस्त विश्व के लिए एक अच्छा शकुन है। भारत सरकार ने विश्व के इस क्षेत्र में एक पहल की है। यह निश्चित है कि भारत अपने प्रयास में सफल होगा।

दूसरी बात मैं बड़ी शक्तियों के बारे में कहना चाहूंगा। बड़ी शक्तियां अब विनाशकारी दिशा में प्रमुख भूमिका निभा रही हैं। बड़ी शक्तियां चाहती हैं कि विश्व में कोई भी स्वतन्त्र सरकार न चले क्योंकि बड़ी शक्तियां शस्त्रों की होड़ में लगी हुई हैं। कहा गया है कि अपनी समस्त अधिशेष धनराशि या उपलब्ध निधि को मानव समाज के कल्याण के लिए या भूख और रोगों को मिटाने के लिए अथवा भुखमरी से पीड़ित लोगों की रक्षा के लिए व्यय करने की बजाय इसे केवल हथियारों का निर्माण करने पर खर्च कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम में प्रतिवेदित है :—

> "विश्व लगभग प्रति मिनट दस लाख डालर "रक्षा" पर व्यय कर रहा है जिससे युद्ध के लिए आवश्यक विश्व के उन साधनों की चोरी की जा रही है जिनकी गरीबी को मिटाने के लिए आश्यकता है और इससे पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा खतरा हो गया है।"
>
> इस प्रतिवेदन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक, डा० मोस्ताफा के० तोलबा कहते हैं,
>
> "गत 30 वर्षों में विश्व की आयुधशाला की कुल विनाशकारी शक्ति में लाख गुना वृद्धि हुई है।"
>
> "विश्व हथियारों पर प्रतिमिनट लगभग दस लाख डालर खर्च करता है जो प्रतिवर्ष कुल मिला कर 40000 करोड़ से भी अधिक बैठता है। सैनिक हथियारों का विश्वभर में व्यापार लगभग 2000 करोड़ डालर का होता है और इसके सबसे तेजी बढ़ने वाले बाजार तीसरी दुनिया के देशों में हैं। कुछ विकाशसील देश भी हथियार सप्लाई करने लग गए हैं।
>
> साधनों की इस प्रतियोगिता में हथियारों की होड़ विकास के बारे में एक रक्त स्राव की तरह काम कर रही है। इस समय सहायता पर विश्व जितना खर्च कर रहा है उसकी तुलना में सेना पर 20 गुना अधिक खर्च कर रहा है। श्रम और दिमाग की जिस विश्व शक्ति का प्रयोग बिमारी और गरीबी का सामना करने पर खर्च किया जा सकता था उसे हथियार उद्योग में लगाया जा रहा है। एक अनुमान के अनुसार विश्वभर के अनुसंधान और विकास पर होने वाले व्यय का 40 प्रतिशत "रक्षा" पर व्यय होता है।"

यह प्रतिवेदन है। इस प्रतिवेदन के बाद भी मैं नहीं जानता कि क्या बड़ी शक्तियां और अन्य देश सैनिक हथियारों के निर्माण सम्बन्धी अपनी नीति में परिवर्तन करेंगे। मैं कोई आक्षेप नहीं करता हूं क्योंकि सभी देश हथियारों का उत्पादन कर रहे हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका भी हिन्द महासागर के अड्डों पर 100 करोड़ डालर खर्च कर रहा है। इसी तरह पाकिस्तान संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों से अधिक हथियार खरीद रहा है। चीन भी अपने रक्षा उपकरणों का आधुनिकीकरण कर रहा है चीन भी गत वर्ष आई० सी० बी० एम० क्लब में शामिल हुआ है। हथियारों पर नियंत्रण सम्बन्धी बातचीत में कोई प्रगति नहीं हुई है और सभी बड़ी शक्तियां हथियारों की होड़ में हैं। इसे बन्द किया जाना चाहिए। मेरा मन्त्री महोदय से निवेदन है कि वह अपने प्रभाव का प्रयोग करें और बड़ी शक्तियों को लोगों आकांक्षाओं से अवगत कराएं।

यह केवल बड़ी शक्तियां ही हैं जो विश्व में सर्वत्र गड़बड़ी कर रही हैं। उदाहरण के लिए अफगानिस्तान में तनाव सोवियत समाजवादी गणतन्त्र संघ के हस्तक्षेप के कारण है चाहे उसे वहां आमन्त्रित किया गया या वह अपने आप वहां गया। ईरान में तनाव के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका जिम्मेदार है। थाईलैंड और कम्पूचिया में तनाव के लिए वियतनाम जिम्मेदार है। इसी तरह से वियतनामी फौजों में तनाव के लिए चीन जिम्मेदार है। ये सभी बड़ी शक्तियां विश्व में अधिक शक्तिशाली बनना चाहती हैं। इसका सीधा-सादा कारण यह है कि उनकी कुछ क्षेत्रीय और राजनीतिक आकांक्षाएं हैं। वे व्यापार के लिए एक विशेष स्थिति पैदा करना चाहते हैं। साथ ही वे ये सब बातें स्वयं अपने जिन्दा रहने के लिए कर रहे हैं। वे ये बातें विचारधारा सम्बन्धी मत-भेद अथवा किसी विशेष जाति या धर्म के विरुद्ध घृणा के कारण किसी समुदाय को दबाने के अभिप्राय से करते हैं। इन बातों को सम्बद्ध सरकारों द्वारा तत्काल बन्द किया जाना चाहिए।

एक और महत्वपूर्ण बात है जो मुझे व्यक्तिगत रूप में व्यथित कर रही है। समाजवादी और साम्यवादी गुट भी अपने आपस में लड़ रहे हैं। यह श्रमिक वर्ग तथा समाजवादी देशों के लिए बुरा है। यह साम्यवाद तथा समाजवाद के लिए बुरा है उदाहरण के लिए रूस और चीन के बीच लड़ाई है। यहां कहा गया है :

> "12 अगस्त, 1977 को चीन के साम्यवादी दल की ग्यारहवीं कांग्रेस में ह्वा गो फेंग का भाषण सोवियत रूस के प्रति बहुत ही कठोर था। सोवियत 'सामाजिक साम्राज्यवाद' के विरुद्ध यानक माओ वादी आरोपों और नारों को दोहराते हुए ह्वा ने दावा किया कि मास्को ने परस्पर राज्यों के सम्बन्ध सुधारने में एक रत्तीभर भी सद्भावना नहीं दिखाई है। ह्वा ने कहा कि सोवियत रूस ने न केवल सीमा सम्बन्धी बातचीत में प्रगति को असम्भव बनाया है किन्तु उन्होंने 'एक के बाद दूसरी चीन विरोधी लहर' चलाई है। चीन के नेताओं ने यह माना है कि सोवियत संघ के प्रति बिजिंग में एक नई नीति की मास्को ने आशा की थी। उन्होंने कहा, इसने (मास्को) इस बात का पूरा प्रयत्न किया किया कि चेयरमैन माओ द्वारा निर्धारित मार्क्सवादी-लेलिनवादी विचारधारा को बदलने के लिए समें बाध्य किया जाये। यह बिल्कुल दिन में सपने देखना है।"

इसी तरह चीन पर वियतनामियों द्वारा आक्रमण किया जा रहा है। वास्तव में यह मजदूर वर्ग के आन्दोलन और समाजवादी आन्दोलन के लिए एक नाटक है। उन्हें अपने भेद-भाव दूर करने चाहिएं

[श्री सी० टी० दण्ड पाणि]

और संगठित हो जाना चाहिए। हम संयुक्त राज्य अमेरिका की राजनयिकता की बात कर रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका साम्यवादी विश्व को दो गुटों में विभक्त करने में सफल हुआ है। अब वे चीन का समर्थन कर रहें हैं। और इस को साम्यवादी विश्व से अलग रखने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसी प्रकार वे वियतनाम को साम्यवादी विश्व से अलग रखने का प्रयत्न कर रहें हैं। यह गलत है। परन्तु वे इसका प्रयास कर रहे हैं। इसका संपूर्ण कार्यरत समुदाय पर इसका प्रभाव पडेगा। इसलिये मैं कम्युनिस्ट नेताओं से अनुरोध करूंगा कि उन्हें एकत्र होना चाहिए और विश्व में साम्राज्यवादी ताकतों के खिलाप संघर्ष करना चाहिए। केवल उसके बाद ही कार्यरत वर्ग तथा आम जनता को लाभ होगा।

अब मैं अपने भाइयों से एक शब्द कहूंगा जो विदेश में रह रहें हैं। आज समाचार पत्रों में यह खबर हैं कि ब्रिटेन में रहने वाले भारतीयों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उन्हें उस देश से निकाला जा रहा है। हमारी महिलाओं का भी तिरस्कार किया जा रहा है।

मुझे मालूम नहीं है कि क्या हमारे मन्त्री महोदय श्री लंका में तमिल भाषी लोगों को भूल गये है। उन्होंने प्रतिवेदन में उनके बारे में कुछ भी नहीं कहा है। जब श्री वाजपेयी विदेश मन्त्री थे जिनके लिए मेरे हृदय में महान सत्कार है वे श्री लंका के विदेश मन्त्री के सम्मान में बोले परन्तु उन्होने इस समस्या का बिलकुल भी उल्लेख नहीं किया। वहां पर 5 लाख तमिल भाषी लोग हैं। इन्हें राज्य विहीन लोगों के नाम से पुकारा जाता है। शास्त्री-श्री मोवो के समझोते के अनुसार वहां पर 5 लाख तमिल वासी हैं। उनका पुर्नवास भारत में किया जाना है। परन्तु इस बारे में कुछ नहीं किया गया है। यह कहा गया है:—

> "श्रीलंका में 5 लाख राज्य विहीन तमिल लोग पिछले कुछ वर्षों के दौरान श्री लंका से भारतीय मूल के लोगों के देश-प्रत्यावर्तन के धीमा पड़ जाने के कारण अनिश्चित भविष्य का सामना कर रहे हैं।
>
> सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1976 में 45,790 लोगों को भारत भेजा गया था। 1978 में यह संख्या घट कर 39,804, 1979 में 23,769 तथा इस वर्ष प्रथम तिमाही में 3730 व्यक्ति रह गए। अप्रैल तक 3,33,897 भारतीय मूल के लोगों को स्वदेश भेज दिया गया था।
>
> 1964 के शास्त्री-श्री मोवो समझोते तथा 1974 के इन्दिरा-श्री मोवो समझौते के अनुसार 600,000 भारतीय मूल के लोगों को स्वदेश भेजना है और दोनों समझौते का पूर्ण रूप से कार्यान्वियन 1982 तक किया जाना है।"

परन्तु प्रक्रिया धीमी पड़ गयी है। केवल वही नहीं बल्कि जब वे श्री लंका से बहार जाते हैं तो उन्हें भारत में अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। इन देश प्रत्यावर्तितों को तालाईमन्नार में परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक समाचार है जिसमें कहा गया है:—

> "यह समय है कि भारत सरकार तथा भारतीय नौवहन निगम तालाईमन्नार पोत घाट पर व्याप्त दयनीय स्थितियों पर ध्यान दे जहां देश-प्रत्यावर्तितों समेत बड़ी भारी संख्या में यात्रियों को गुण्डों की दया पर छोड़ दिया जाता है जो असल में उन्हें लूट लेते हैं।"

इसलिये मैं इस सम्बन्ध में सरकार से तुरन्त कार्यवाही करने के लिये अनुरोध करता हूं।

श्रीलंका सरकार ने 1964 के शास्त्री-श्री मोवो समझौते को सक्रिय करने के लिये सिलोन वरकर्स कांग्रेस नामक एक समिति का गठन किया है। मैं अपने मन्त्री महोदय से कम से कम इस समय इस मामले में हस्तक्षेप करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिये अनुरोध करूंगा कि तथाकथित राज्य विहीन लोगों को श्रीलंका में ही उनका नागरिकता का अधिकार मिले। ये 5 लाख तमिल भाषी लोग वहां के वासी नहीं हैं। वे श्रीलंका के शासक थे। एकस मय वहां तमिल राजा होते थे। अब उन्हें राज्य विहीन लोगों के रूप में समझा जाता है। मैं सरकार से इस बात पर ध्यान देने के लिये अनुरोध करता हूं कि इन लोगों को उसी देश में स्थायी रूप से बसा लिया जाए। उसी समय जब श्री लंका में आन्दोलन शुरु हुये, जब राज भाषा अधिनियम आया तो बहुत लोगों को तथा महिलाओं को भी नंगा किया गया था। उनको नंगा करके परेड़ कराई गई थी। हम इस सदन में महिलाओं को नंगा करके परेड़ करने के बारे में कितनी बातों की चर्चा कर चुके हैं। परन्तु उस कार्यवाही की निन्दा करने के लिए वहां कोई नहीं गया। जो वहां घटित हुआ वह यह था कि महिलाओं को नंगा किया गया था, उनके कपडे उतारे गये थे। परन्तु उस पर उन्होंने क्या किया? उन्होने लोहे की एक प्लेट पर सिन्हालीज अक्षर अंकित किये गये और उसे गर्म किया गया तथा उस प्लेट को जवान लड़की की छाती पर लगा दिया गया था। यह श्री लंका में हुआ और अब भी हो सकता है। इसीलिये मैं सरकार से इस मामले पर विचार करने तथा इस बात को सुनिश्चित करने के लिये अनुरोध करता हूं कि श्री लंका में रहने वाले सभी लोगों को संरक्षण दिया जाए। और नागरिकता का उनका उचित अधिकार उन्हें तुरन्त दिया जाए।

इन शब्दों के साथ में इस प्रतिवेदन का स्वागत करता हूं।

श्री रवीन्द्र वर्मा (बम्बई उत्तर) : सभापति महोदय मैं उन मानवीय सदस्यों के साथ हूं जिन्होंने मेरे प्रतिष्ठित मित्र श्री नरसिंह राव को इस देश के विदेश मन्त्री की जिम्मेवारियां सम्भालने पर बधाई दी है। श्री राव को ऐसे गलत समय पर इस पद पर प्रतिष्ठित किया गया है जब कि वातावरण अच्छा नहीं है। उत्तर-पश्चिम में मुसीबत के काले बादल छा गये हैं दक्षिण-पूर्व में वातावरण और भी खराब हो गया है, समुद्र में क्षुब्धता है और वातावरण के और भी खराब होने की सम्भावना है। सोवियत सेना अफगानिस्तान में घुस आयी है और यह आशा करने का कोई सही आधार नजर नहीं आता है कि कोई जादूगर ऐसा सूत्र बना सकता है जो इस समस्या का तथा अफगानिस्तान से सोवियत सेनाओं को वापस हटाने का तुरन्त राजनैतिक हल ढूंढ़ निकालेगा।

दियागो गारसिया एक शक्तिशाली सैनिक अड्डा तथा हिन्द महासागर के तटीय देशों के प्रभुसत्ता, स्वतन्त्रता तथा गुट-निरपेक्षता के लिये चुनौती बन रहा है। तनाव-शिथिलता को धक्का पहुंचाया है। साल्ट समझौता प्रायः समाप्त हो चुका है। 77 देशों का गुट बिखर चुका है। नयी अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की सफलता मिलने के बारे में हमारे स्वप्नों, हमारी आशाओं, हमारी आकांक्षाओं की पूर्ति की तुरन्त कोई सम्भावना प्रतीत नहीं होती है।

श्रीमान् ऐसे समय, सरकार तथा देश में विभिन्न राजनैतिक दलों को यह महसूस करना

[श्री सी० टी० दण्डपाणि]

अत्यधिक आवश्यक है कि इन बड़ी समस्याओं का सामना केवल राष्ट्रीय सहमति के आधार पर ही किया जा सकता है। इस समय जबकि देर हो चुकी है मैं यह बताने के लिये प्रयास करने में सभा का समय नहीं लेना चाहता हूं कि जनता सरकार का भी राष्ट्रीय सहमति के आधार पर अपनी विदेशी नीति को आधारित करना अपनी विदेशी नीति को चलाने का प्रयास था। श्रीमान् जब से हम आजाद हुए हमारी विदेश नीति गुट-निरपेक्षता की विचारधारा पर आधारित रही है।

गुट-निरपेक्षता हमारी नीति का आधार बन गयी क्योंकि हमारा विश्वास है कि गूट-निरपेक्षता प्रभुसत्ता का एक अनिवार्य अंग है। गुट-निरपेक्षता किसी भी राष्ट्र में वैचारिक स्वतन्त्रता के बनाये रखने के लिये आवश्यक है। परन्तु गुट-निरपेक्षता नीति का केवल एक साधन मात्र है, यह हमारी नीति का उद्देश्य नहीं है। विदेशी मामलों के क्षेत्र में सरकार की नीति का उद्देश्य हमारे राष्ट्रीय हितों, व्यापक राष्ट्रीय हितों का प्राप्त करना है। वस्तुतः राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति तथा विश्व में शान्ति और सद्भावना के प्रसार में गहरा व अटूट विश्वास के बीच कोई विरोधाभास नहीं है। सरकार को अपनी नीति के लक्ष्य के रूप में राष्ट्र हितों की प्राप्ति की घोषणा करने में किसी प्रकार का संकोच करने की आवश्यकता नहीं है जब तक राष्ट्रों का अस्तित्व है तब तक सरकार और विदेश मन्त्री महोदय का यह अनिवार्य दायित्व व कर्त्तव्य है कि वह देश के राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के लिये पुरजोर प्रयत्न करें।

हमारी आजादी के बाद जब हम गुट-निरपेक्ष हुए तो कुछ परिस्थिति सामने आयी थीं जिनमें गुट-निरपेक्षता की गतिशीलता ने कार्य किया। यह द्विध्रुवीय विश्व था। विश्व दो गुटों में विभाजित हो गया था। तीन दशक बीत गये हैं। इन तीन दशकों में हमने देखा है कि जिस परिस्थिति में गुट-निरपेक्षता को काम करना पड़ा है उसमें परिवर्तन आ गया है। इस समय विश्व बहुध्रुवीय है जिसमें शक्ति के अनेक केन्द्र हैं। पुराने बड़े देशों का सफाया, उपनिवेशवाद का अन्त, अफ्रीका तथा एशिया में कई नये देशों का उद्भव, यूरोपीय राष्ट्रों के लिए अटलांटिक समुद्री राष्ट्रों के बीच नवीन व्यवस्था मतभेद, प्रतियोगिता, विद्वेष, यहां तक कि संघर्ष की स्थिति उन देशों के बीच पैदा हो गई जो पहले एक ही बड़े परिवार के अंग थे, तेल उत्पादक तथा निर्यातक देशों का एक शक्ति केन्द्र के रूप में उभरना तथा यूरोप में वामपन्थी देशों का प्रादुर्भाव इन सबने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि हमें गुट निरपेक्षता की एक नवीन परिभाषा करनी होगी।

मैं महसूस करता हूं कि हमारे विदेश मन्त्री महोदय को सावधान करना मेरे लिये जरूरी है कि आने वाला वर्ष गुट-निरपेक्षता की विचारधारा के लिये, गुट-निरपेक्षता की गतिशीलता के लिये चुनौती भरे वर्ष अवश्य हो सकते हैं। 1950 से शुरू होने वाले दशक में गुट-निरपेक्षता का आविर्भाव गुट-निरपेक्षता के सिद्धान्तों का स्पष्टीकरण हुआ, 1960 से शुरू होने वाले दशक में गुट-निरपेक्षता की ठोस भूमिका को मान्यता मिली, 1970 से शुरू होने वाले दशक में गुट-निरपेक्षता के क्षेत्र का विस्तार हुआ। शायद विषमता के प्रश्न तथा आन्दोलन के इन्हीं सिद्धान्तों को कम करने के प्रश्न का जिनका मेरे माननीय मित्र ने अपने-आप जिक्र किया है 1980 से शुरू होने वाला दशक गुट निरपेक्षता के लिये चुनौती का दशक हो सकता है।

हम पहले ही बहुत तरह की चुनौतियां देख रहे हैं। पहले तो गुट निरपेक्ष राष्ट्रों की सुरक्षा की चुनौती सामने आयी है, आक्रमण के विरुद्ध बीमा के रूप में गुट निरपेक्षता को मानना अब और सम्भव नहीं है। भारत ने यह सोचने में गलती की है कि गुट निरपेक्षता एक भारी कवच था जो दुश्मनों तथा आक्रमण से इसकी रक्षा करेगा और 1962 में इसका दण्ड भुगता जब चीन ने इस पर बिना किसी उत्तेजना के आक्रमण किया। इस समय एक अन्य गुट निरपेक्ष देश अफगानिस्तान को सोवियत सेनाओं की मौजूदगी का सामना करना पड़ रहा है। मुझे विश्वास है कि इस दशक में गुट-निरपेक्षता को गुट-निरपेक्ष देशों के संरक्षण तथा प्रभुसत्ता को बनाये रखने के लिये चुनौती का सामना करना पड़ेगा।

और इसके अतिरिक्त गुट निरपेक्ष देशों के बीच पहचान करने का संकट भी विद्यमान है। चूंकि इस आन्दोलन को बहुत लोकप्रियता मिली इसके सिद्धान्तों को परिभाषित करने में कुछकठिनाई है। इसका वर्णक्रम बदल गया है तथा इसका काफी विस्तार हो गया है।

गुट-निरपेक्ष आन्दोलन अपने सही स्वरूप को नहीं समझ पा रहा है, इसमें साहस विवेक का संकट है और क्रियाशीलता समाप्त हो गई है। स्थूलता से शरीर का लचीलापन समाप्त हो जाता है। परन्तु हम अनुभव करते हैं कि गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के स्थूल आकार ने उसकी आत्मा को भी गतिहीन बना दिया है। इन हालात में भारत को अपना स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए। मैंने गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के समक्ष संकट तथा आने वाले दस वर्षों में सम्भावित संकटों का उल्लेख किया है।

अफगानिस्तान की घटनाओं से यह स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो गयी है। मैं सभा का अधिक समय इस प्रश्न पर नहीं लेना चाहता कि अफगानिस्तान की हाल की घटनाओं का इतिहास क्या है। क्या पहले स्थिति उत्तेजनात्मक हुई तथा बाद में श्री अमीन ने सोवियत सेनाओं को आमन्त्रित किया अथवा श्री करमाल ने उन्हें भेजे जाने के बाद आमन्त्रित किया। परन्तु तथ्य यह है कि अफगानिस्तान की भूमि पर विदेशी सेनाएं विद्यमान हैं।

अफगानिस्तान कभी हमारा सीधा पड़ोसी था। अति प्राचीन काल से अफगानिस्तान का हमारे देश से सम्बद्ध रहा है। आज अफगानिस्तान के वीर पुरुष अनुभव करते हैं कि विदेशी सेनाएं उनके देश में लूट करने आयी। गुट-निरपेक्ष आन्दोलन ने क्या कार्यवाही की ? भारत ने क्या किया? नई सरकार की स्थापना के बाद सरकार के प्रतिनिधि ने संयुक्त राष्ट्र संघ में कहा।

> "भारत को रूस के इस आश्वासन पर कोई सन्देह नहीं है कि उसकी सेनाएं अफगान सरकार की प्रार्थना पर भेजी गई थी तथा भारत को यह भी विश्वास है कि रूस की सेनाएं वहां पर आवश्यकता से एक दिन भी अधिक नहीं रहेंगी।"

कम से कम सत्तारूढ़ दल के समक्ष इतिहास की पुनरावृत्ति हो रही है। 1956 में जब हंगरी में रूस की सेनाएं गई थीं तब श्री वी० के० कृष्ण मेनन ने बिल्कुल वैसा ही शायद शब्दश: वैसा ही वक्तव्य दिया था उन्होंने महासभा की आपात बैठक में कहा था कि किसी प्रकार का संयुक्त राष्ट्र संघ का हस्तक्षेप हंगरी की प्रभुसत्ता का हनन होगा—श्री कृष्ण मेनन ने अपने वाक्यचातुर्य से

[श्री सी० टी० दण्डापाणि]

यह भी कहा 'भारत को सूचित किया गया है कि सोवियत सेनाएं बुडापेस्ट से हटाली जाएंगी जैसे ही कानून और व्यवस्था स्थापित हो जाती है।

वैसा ही वक्तव्य श्री जी० पार्थसारथी ने 1968 में दिया जबकि सोवियत सेना ने चेकोस्लोवाकिया में प्रवेश'''

सभापति महोदय : माननीय सदस्य समाप्त करें।

श्री रवीन्द्र वर्मा : अब आपका अभिप्राय यह है कि मैं समाप्त कर दूं।

सभापति महोदय : आप दो मिनट और ले लें।

श्री रवीन्द्र वर्मा : तब अच्छा है कि मैं बैठ जाऊं।

श्रीमान, मैं बताना चाहता हूं कि प्रत्येक पार्टी तथा ग्रूप को इस वाद-विवाद में भाग लेने के लिए लगभग आधा घण्टा मिला है। आप रिकार्ड देख सकते हैं। इसलिए है क्योंकि आवश्यक बात कहनी होती है।

सभापति महोदय : बात यह नहीं है। जैसा कि हमने कार्य मन्त्रणा समिति में तय किया है कि समय पार्टी सदस्य संख्या के अनुसार दिया जाता है। इसलिए जिन अन्य पार्टियों को अधिक समय मिला है, यह उनकी संख्या के अनुसार दिया गया है। आपकी पार्टी को 10 मिनट का समय दिया गया है। मैं आपको 15 मिनट पहले ही दे चुका हूं। मैं आपको रोकना नहीं चाहता। मैं आपको बताना चाहता हूं। कि मन्त्री महोदय 3.30 पर उत्तर देंगे। मुझे 2-3 छोटे ग्रुपों को और समय देना है। मुझे उन सबको अवसर देना है।

श्री रवीन्द्र वर्मा : मैं आपका आभारी हूं। मैं कहना चाहता हूं कि जिन अन्य पार्टियों को 10 मिनट का समय दिया गया था उन्होंने अधिक समय ले लिया है। यह इसलिए है कि अनेक बात कहनी होती हैं।

सभापति महोदय : मैं केवल संक्षेप में बोलने को कह रहा हूं।

श्री रवीन्द्र वर्मा : आप बहुत कर्तव्यनिष्ठ बन रहे हैं। मैं इसको समझता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी कर्तव्यनिष्ठता के अनुरूप ही उदारता भी बरतेंगे।

मैं मन्त्री महोदय और इस सरकार के कथन का उल्लेख करके समाप्त करूंगा। उनके कथन का आशय यह है कि "उचित आक्रमण तथा अनुचित आक्रमण' में भेद है। उनका आशय यह लगता है कि बड़ी शक्तियों को अधिकार प्राप्त है कि वे आदेश जारी कर सकें कि उनके पड़ौसी देशों में किस प्रकार की सरकार हो। यदि यह बात है तो यह नया सिद्धान्त है। यह 'समिति प्रभु-सत्ता' के सिद्धान्त से बहुत मेल खाता है और मैं समझता हूं कि भारत सरकार इस 'सीमित प्रभु-सत्ता' के सिद्धान्त का समर्थन करती हैं। प्रथमतः इसलिए कि यह हमारी विदेश नीति का आधार है तथा दूसरे क्योंकि पड़ौसी देशों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। मैं माननीय सदस्य श्री वाजपेयी से सहमत हूं कि भारत सरकार को अफगानिस्तान समस्या का समाधान खोजना चाहिए। मैं मंत्री

महोदय को याद दिलाना चाहता हूं कि 1962 में भारत पर हमले के एक सप्ताह के भीतर गुटनिरपेक्ष शक्तियां क्रियाशील हो गईं थीं तथा कोलम्बो सम्मेलन ने एक सूत्र तैयार किया था जिसे भारत ने समग्र रूप से मान लिया था। परन्तु आज स्थिति क्या है ?

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अब मैं सोवियत रूस तथा भारत के सम्बन्धों को लेता हूं। मेरे कथन का यह अभिप्राय नहीं है कि मैं सोवियत मैत्री की कद्र नहीं करता। सोवियत संघ एक महान शक्ति है तथा भारत का विश्वासनीय मित्र है जिसने संकट के समय भारत का साथ दिया है। कई बार संयुक्त राष्ट्र संघ में और उससे बाहर आर्थिक विकास तथा सैनिक विकास के मामलों में हमारा साथ दिया है। मैं रूस के साथ में मैत्री सम्बन्ध बनाये रखने के पक्ष में हूं अपितु उसे मैं दृढ़ बनाने का समर्थक हूं। परन्तु मैं यह भी मानता हूं कि मैत्री का अर्थ चापलूसी नहीं है। जो व्यक्ति मित्र के दोष नहीं बताता, जो मित्र के खतरों की सही संकेत नहीं करता, वह सच्चा मित्र नहीं है। यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं दो तीन बातों का उल्लेख करना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आप अपने समय से दुगना समय पहले ही ले चुके हैं। कृपया समाप्त करें।

श्री रवीन्द्र वर्मा : यह अधूरा लगता है। यदि आप अनुमति दें तो मैं 5-6 वाक्यों में समाप्त करूंगा।

अब मैं भारत-चीन सम्बन्धों को लेता हूं। हमारे चीन के साथ सम्बन्धों में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। क्योंकि चीन ने भारत पर हमला किया तथा अभी भी भारत की भूमि पर अधिकार जमाये हुए है तथा इस कारण दोनों देशों में तनाव बना हुआ है। परन्तु आज यह समझ लेना आवश्यक है कि आज जिस बहुध्रुवीय विश्व में जिसमें हम कार्य कर रहे हैं हमारे समक्ष सीमित विकल्प नहीं होने चाहिए।

अपने विकल्पों को बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि हम यह समझ लें कि मनोमालिन्य से चिपटे रह कर हम विकल्पों का विस्तार नहीं कर सकते। मैं उन सदस्यों के साथ सहमत हूं जो यह मानते हैं कि हमें सतर्क रहना चाहिए परन्तु मैं वहां तक नहीं बढ़ सकता जहां तक सितारा के माननीय सदस्य ने कल कहा था 'मुझे उनकी नेकनीयत पर सन्देह है। मुझे चीन के बारे में कोई भ्रान्ति नहीं है। मुझे अमरीका के बारे में कोई भ्रान्ति नहीं है। मुझे किसी भी बड़ी शक्ति के बारे में कोई भ्रान्ति नहीं है। क्योंकि उनके अन्तर्राष्ट्रीय हित हमारे राष्ट्रीय हितों के साथ मेल खाते हैं, जो कि संयोग की बात ही है। हितों में ऐसी एक एकता स्थायी नहीं हो सकती, युक्ति से कार्य लेते हुए हमें अपने विकल्पों का विस्तार करना चाहिए ताकि हम बहुध्रुवीय विश्व में गतिशील तथा लचीली विदेश नीति अपना सकें।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप अपनी बात कह चुके हैं ?

श्री रवीन्द्र वर्मा : मुझे दो वाक्य मैटर करने हैं। मेरा स्वभाव इस प्रकार समय की याचना करने का नहीं है। परन्तु यह मामला ऐसा है कि यदि इसमें कुछ विषयों को लिया जाता

[श्री रवीन्द्र वर्मा]

है तथा अन्य को छोड़ दिया जाता है तो उसमें गलत फहमी होने की सम्भावना है। इसी कारण मैं कुछ मिनट और ले रहा हूं। पाकिस्तान के साथ हमारे विचित्र सम्बन्ध हैं। आज पाकिस्तान का स्थिति अत्यन्त द नीय है। कोई भी ऐसा नहीं कहेगा कि पाकिस्तान की दयनीय दशा से लाभ उठाया जाये। असुरक्षित पाकिस्तान से भारत को भारी खतरा हो सकता है। यदि मेरे पास समय होता तो मैं इस बारे में अधिक कहता। मैं इस सम्बन्ध में पण्डित जवाहर लाल नेहरू को उद्धृत करूंगा, जिन्होंने नेपाल का उल्लेख करते हुए कहा था कि हिमालय हमारी सीमा का रक्षक रहा है अतएव हमें उसे उसी रूप में समझना चाहिए, उन्होंने कहा था :

> "इस लिए भारत को मुख्य अवरोध नेपाल के उस ओर से है—इसलिए हम नेपाल का स्वतन्त्रता को समझते हैं परन्तु हम अपनी सुरक्षा को जोखिम में नहीं डाल सकते क्योंकि यदि नेपाल में कुछ होता है तो या तो हमें अवरोध को पार करना होता है अथवा हमारा सीमा की स्थिति कमजोर हो जाती है।

पण्डित नेहरू विस्तारवादी नहीं थे। परन्तु वह आन्तरिक मामलों और रक्षा कार्यों में अटूट सम्बन्ध मानते थे। इस प्रकार पाकिस्तान के उस पार विदेशी सेनाओं का होना नई स्थिति पैदा करती है जिसके कारण हमारे लिए आवश्यक हो गया है कि हम पाकिस्तान को फिर से विश्वास दिलायें कि उसे भारत की ओर से कोई खतरा नहीं तथा पाकिस्तान को शस्त्रों की होड़ में भाग लेने के स्थान पर मैत्री एवं स्थिरता को बल देना चाहिए"। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवधान न डालें।

श्री रवीन्द्र वर्मा : दियागो गार्शिया से उत्पन्न खतरे का उल्लेख मैं पहले कर चुका हूं—

अध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें।

श्री रवीन्द्र वर्मा : मैं समाप्त कर रहा हूं इन क्षेत्रों में हमारे देश को हमारी प्रभुसत्ता को हमारी निरपेक्षता को तथा शान्ति को न केवल एक ओर से अपितु दूसरी ओर से भी खतरा पैदा हो गया है। यदि मेरे पास समय होता तो मैं उनका विस्तार से उल्लेख करता।

मैं अपने माननीय मित्र श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जो नई दिल्ली से निर्वाचित हैं, द्वारा कुछ समय पहले कही गई इस बात से सहमत हूं कि हमारी विदेश नीति के लिए जो विश्वास मानवता उत्पन्न करने के लिये पड़ौसी देशों के साथ हमारे सम्बन्ध महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। मुझे विश्वास है कि सरकार इस विश्वसनीयता जो जनता पार्टी की सरकार के शासनकाल में बनाई गई थी, पुनः बनाने के लिये और उसे कायम रखने की दिशा में कार्य करेगी···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सबको अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार प्राप्त है। कृपया शान्ति रखें।

श्री रवीन्द्र वर्मा : मुझे इस तरह से दबाया नहीं जा सकता। कुछ माननीय सदस्य ऐसे हैं जिन्हें वास्तविकता का ज्ञान नहीं है अतः कई बार वे ऐसी बातें कहते हैं, जो बेतुकी होती हैं।

मुझे मालूम है कि समय नहीं है, अत. मैं इस बात पर बल देकर अपना भाषण समाप्त करूंगा कि हमारी विदेश नीति भी विश्वसनीयता को बनाये रखने की आवश्यकता है और आज यह खतरे में है।

मैं अपना भाषण समाप्त करते हुए जरा उत्तेजित हो जाऊं तो मुझे इसकी चिन्ता नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आप पड़ौसी देशों को छोटे देश कहते हैं और स्वयं को बड़ी मछलियां मानकर उनको छोटी मछलियां कहते हैं, उससे यह संकेत मिलता है कि इन पड़ौसी देशों के साथ हमारे सम्बन्धों में निरंकुशता की वापसी के खतरनाक अपशकुन दिखाई दे रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : किसने किस देश के बारे में ऐसा कहा है.....

श्री रवीन्द्र वर्मा : प्रधान मन्त्री ने ऐसा कहा है आपको यह भी मालूम नहीं कि ऐसा किसने कहा है। और भूटान के बारे में कहा है। आप चाहते हैं कि मैं सभी बातें कह दूं। आप मुझे समय दीजिये तो मैं अक्षरशः उद्धृत कर सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप उत्तेजित मत हों।

श्री रवीन्द्र वर्मा : यह मेरा अन्तिम वाक्य है। हमारी विदेश नीति में खतरनाक अपशकुनों का संकेत मिल रहा है। और किसी देश विशेष के प्रति झुकाव का संकेत मिल रहा है। गुट-निरपेक्षता के प्रति हमारी आस्था में कमी आई है—वास्तविक गुट-निरपेक्षता क्यों नहीं अपनाई जाती ?

श्री माधवराव सिन्धिया (गुना) : अणु भी लघु होता है।

श्री रवीन्द्र वर्मा : वह शक्ति का पुन्ज होता है। कोई भी इसे 'लघु' कह कर इसका उपहास नहीं कर सकता, जैसा कि माननीय प्रधान मन्त्री ने किया है।

अतः मुझे आशा है कि विदेश मन्त्री तथा सरकार ऐसे संकट-मय समय में हमारे देश की विदेश नीति का निर्धारण और अन्वियन करते समय इन बातों को ध्यान में रखेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय को 3.30 बजे अपना भाषण देना था। यदि सदन 15 मिनट की अनुमति दे तो कुछ और सदस्य अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं।

श्री हरिकेश बहादुर आप केवल पांच मिनट के लिय बोलेंगे।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं सब से पहले माननीय विदेश मन्त्री को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने कम्पूचिया की सरकार को मान्यता प्रदान की है। लेकिन मैं इस सरकार की इस बात के लिए निन्दा भी करना चाहता हूं कि इस पार्टी ने

[श्री हरिकेश बहादुर]

सत्ता में आने से पहले अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम सत्ता में आने के बाद तुरन्त कम्पूचिया की सरकार को मान्यता प्रदान करेंगे लेकिन इस कार्य को इन्होंने इतने दिन तक तय नहीं किया। मगर इन्होंने देर में भी किया इसके लिए हम इनको बधाई देना चाहते हैं।

पाकिस्तान के साथ हम लोग अपना सम्बन्ध सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, यह एक अच्छी बात है। लेकिन इन तमाम बातों को देखने की आवश्यकता है जो पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई हैं। इस समय पाकिस्तान आधुनिक शस्त्रों का शस्त्रागार बनता जा रहा है और दुनिया के विभिन्न देशों से जिनमें मुख्य रूप से चीन, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, पश्चिम जर्मनी वगैरह हैं, इन सभी देशों से शस्त्र वहां आ रहे हैं और पाकिस्तान में रखे जा रहे हैं। सवाल इस बात का है कि हथियार पाकिस्तान में रखकर किस देश के खिलाफ इस्तेमाल होंगे? निश्चय ही ये हथियार सोवियत संघ के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने वाले हैं, अफ़गानिस्तान के खिलाफ भी नहीं होने वाले हैं। चीन के खिलाफ या ईरान के खिलाफ भी इस्तेमाल नहीं होने वाले हैं। अल्टीमेटली भारत के ही खिलाफ इनका इस्तेमाल होना है। इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अभी पाकिस्तान के वित्त मन्त्री ने कहा है कि सन् 81 में पाकिस्तान अपने परमाणु विकास कार्यक्रम पर लगभग 4 करोड़ चालीस लाख डालर यानी 40 करोड़ रुपये खर्च करेगा। 18 माह में वह परमाणु बम का विस्फोट करेगा जिसे वह लीबिया की मदद से बना रहा है। इस सम्बन्ध में मैं एक छोटा सा हिस्सा अखबार का पढ़कर सुनाना चाहता हूं:

> "ब्रिटिश ब्राडकास्टिए कारपोरेशन ने यह समाचार दिया है कि पाकिस्तान लीबिया नेता मोनामार गदा की पेट्रो-डालर की वित्तीय सहायता से इस्लामी बम बना रहा है। बी० बी० सी० ने भविष्यवाणी की है कि पाकिस्तान 18 महीने की अवधि में अणु परीक्षण करेगा।"

यह एक बहुत खतरनाक बात है। इस कार्य में पाकिस्तान को फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, ब्रिटेन इटली और स्विटजरलैण्ड की व्यापारिक कम्पनियों की मदद मिल रही है। भारत सरकार को इस मामले को सम्बन्धित सरकारों के साथ बातचीत के जरिए उठाना चाहिए और देखना चाहिए कि पाकिस्तान को अगर इस प्रकार से हथियार दिए जाएंगे तो यह अन्ततः भारत की सुरक्षा के लिए एक बहुत खतरा पैदा होगा। अभी डिफेंस मिनिस्ट्री की जो रिपोर्ट आई है उसमें भी इस तरह की बात कही गई है। इसलिए इस बात की तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं।

चीन का जहां तक सवाल है चीन के साथ हमारी दोस्ती बहुत पुरानी रही है। लेकिन चीन ने ही 1962 में भारत पर आक्रमण कर भारत के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया था जिस से कि हमारे देश के महान नेता पं० जवाहर लाल नेहरू को भी धक्का लगा और साथ ही साथ भारत की समूची जनता को भी। आज उन तमाम बातों को ध्यान में रखकर ही हम चीन के साथ दोस्ती बनाने की बात करें तो ज्यादा अच्छा होगा हमें चीन के साथ दोस्ती करने से पहले तिब्बत के भी सवाल को देखने की आवश्यकता है। तिब्बत न देकर के हमने भूल की थी। आज तिब्बत

में स्वतन्त्रता के लिए वहां के लोग संघर्ष कर रहे हैं। हमें उनके स्वतन्त्रता संघर्ष में मदद करनी चाहिए। हमें अपनी प्रतिज्ञा को याद रखना चाहिए जो हमने 1962 में की थी। उस समय इसी सदन में यह कहा गया था कि जब तक हम अपनी एक इंच भूमि चीन के कब्जे से वापस नहीं ले लेंगे तब तक चीन के साथ समझौता नहीं करेंगे। आज हमारे पूर्वोत्तर सीमान्त के सभी हिस्सों में गड़बड़ पैदा हो रही है उसमें कहा जा रहा है कि विद्रोहियों को चीन में प्रशिक्षण दिया जा रहा है और चीन के हथियार उनको दिए जा रहे हैं। आज उन तमाम बातों पर विदेश मन्त्री को ध्यान देने की आवश्यकता है।

कराकोरम रोड़ के बारे में बहुत से माननीय सदस्यों ने अपनी बातें कहीं। एक पुस्तक लिखी गई है "आस्पैक्टस आफ नौलेज" डाक्टर महावीर प्रसाद गुप्ता द्वारा जिसमें उन्होंने लिखा है कि भारत को चाहिए कि वह चीन की मदद से पाक-आक्यूपाइड काश्मीर में बनी कराकोरम हाइवे को डिमिलिट्राइज करने हेतु प्रस्ताव करे। यह एक बहुत ही प्राग्मेटिक सुझाव है। इस सम्बन्ध में एक प्रेस नोट भी 30 जून के हिन्दुस्तान टाइम्स में है—काल टु डिमिलिट्राइज कराकोरम रोड। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि अगर इस प्रकार का प्रस्ताव भारत सरकार चीन के साथ करे तो उससे भारत की सुरक्षा के लिए भी आसानी होगी। और साथ ही साथ हमारे सम्बन्ध सुधरने में बेहतरी आएगी।

अभी ब्रिटेन और चीन के बीच गोपनीय तरीके से एक न्यूक्लियर डील हुआ है। भारत की सुरक्षा की दृष्टि से यह चीज बहुत ही खतरनाक है। भारत सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। ब्रिटिश वैज्ञानिक गुरगावोंग प्रान्त में न्यूक्लियर पावर स्टेशन बनाने से सम्बन्धित कार्यों में मदद कर रहे हैं। भारत को यह मामला ब्रिटेन के साथ अवश्य उठाना चाहिए। इस बात को मैं विदेश मन्त्री जी से कहना चाहूंगा।

सोवियत संघ का जहां तक सवाल है, उसके बारे में सभी माननीय सदस्यों ने कहा है कि जब भी आवश्यकता पड़ी है, उन्होंने हमारी मदद की है। दोस्त असली वही है जो कि मौके पर काम आता है। सोवियत संघ के साथ हमारी मित्रता कमजोर नहीं होनी चाहिए—इस बात को मैं बहुत जोर देकर कहना चाहता हूं। लेकिन साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं कि चीन और पाकिस्तान के साथ मित्रता बढ़ाने की कोशिश हमें करनी चाहिए परन्तु चीन और पाकिस्तान के साथ जब हम मित्रता बनायें तब इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सोवियत संघ की मित्रता के मूल्य पर वह मित्रता नहीं होनी चाहिए।

अफगानिस्तान के प्रश्न पर माननीय सदस्यों ने वक्तव्य दिए हैं। अफगानिस्तान से सोवियत सेनायें वापिस जायें, यह कहना ठीक है लेकिन क्या दूसरी शक्तियां अफगानिस्तान को स्वतन्त्रता-पूर्वक अपने भाग्य का फैसला करने देंगी—यह सोचने की बात है। आज जो स्थिति है उसमें अमरीका और तमाम इंपीरियलिस्ट फोर्सेज इस बात की ताक में लगी हैं कि अफगानिस्तान उनके चंगुल में आए। जहां तक सोवियत संघ का सवाल है, मैं इस बात का समर्थन नहीं करना चाहता कि उसकी सेनायें वहां पर रहें लेकिन अफगानिस्तान के लिए आजादी से रहने की स्थिति पैद

[श्री हरिकेश बहादुर]

करने के लिए भारत को अहम भूमिक अदा करनी चाहिए।

हिन्दमहासागर को शान्ति-क्षेत्र बनाना भारत की सुरक्षा की दृष्टि से अति-आवश्यक है। मारिशस ने दिएगो गार्सिया द्वीप ब्रिटेन को, जहाजों में ईंधन देने हेतु, दिया था किन्तु अब वह अमरीकी अड्डा बन गया। यह समझौते के विरुद्ध है। मारिशस के प्रधान मन्त्री ने उसे वापिस लेने की बात ब्रिटेन के प्रधानमन्त्री से की थी लेकिन उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया है। इससे हिन्द-महासागर का क्षेत्र धीरे-धीरे एक तरह से अशान्ति एवं असुरक्षा का क्षेत्र बनता जा रहा है। इस सवाल पर विदेश मन्त्री को विशेष रूप से ध्यान देने की कोशिश करनी चाहिए।

अन्त में मैं एक बात और कहना चाहता हूं। गत तीस वर्षों से विदेश मन्त्रालय में फारेन लैंग्वेज एन्टरप्रेटर्स का कैडर फार्मेशन टाला जा रहा है। फारेन लैंग्वेज एन्टरप्रेटर्स का अपना एक विशेष महत्व है। उनके प्रति यह एक गम्भीर अन्याय की बात है कि उनका कैडर फार्मेशन नहीं हो रहा है। मेरा विदेश मन्त्री जी से अनुरोध है कि कैडर फार्मेशन हेतु शीघ्र कदम उठाएं।

श्रीमन्, मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे समय दिया।

अध्यक्ष महोदय : श्री बनातवाला, आप पांच मिनट में अपना भाषण समाप्त करेंगे।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी उदारता से परिचित हूं।

श्री माधव राव सिन्धिया : वह उदार नहीं है। समय के मामले में वह बड़े कंजूस हैं।

श्री जी० एम० बनातवाला : अध्यक्ष महोदय, इस सरकार को सत्ता में आये अभी छः ही महीने ही हुए हैं। यह समय इतना संक्षिप्त है कि इसमें विदेशी नीति का पूर्ण विश्लेषण सम्भव नहीं है। तथापि इस छः महीने की संक्षिप्त अवधि के दौरान की सम्पूर्ण स्थिति को देखकर यह पता चलता है कि माननीय विदेश मन्त्री ने विदेश नीति को एक नया रूप दिया है और देश ने इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से प्रगति की है।

किन्तु फिर भी कुछ कमियां हैं और एक दो मामलों में कुछ कार्य नहीं किया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं भारत के अरब देशों के साथ सम्बन्धों के बारे में सरकार को नई दिल्ली में पी० एल० ओ० मिशन को राजनयिक दर्जा देने और उसके अध्यक्ष यासर अराफत को निमन्त्रण देने के लिए बधाई देता हूं। यह भी प्रशंसनीय है कि सरकार ने 20 नवम्बर, 1979 को मक्का में महान मस्जिद को आतंकवादियों द्वारा छीने जाने के प्रयास की असाधारण घटना के सम्बन्ध में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने में समय नहीं लगाया। सरकार ने सही ही इस घटना की निन्दा की है और साऊदी अरब द्वारा उठाये गये कदमों की प्रशंसा की।

मैं यहाँ पर भूतपूर्व प्रधानमन्त्री और भूतपूर्व विदेश मन्त्री द्वारा गुप्त रूप से मोशे दयान से मिलने की घटना पर अपना दुःख व्यक्त करता हू और उसकी भर्त्सना करता हूं। अगर ऐसा कोई

कार्य है जिससे हमारे देश की छवि को सबसे अधिक क्षति हुई है भूतपूर्व प्रधान मन्त्री और भूतपूर्व विदेश मन्त्री की गुप्त भेंट···(व्यवधान) वह कहते हैं कि उनकी नीति राष्ट्रीय सहमति पर आधारित है इस सम्बन्ध में उनकी नीति राष्ट्रीय सहमति पर नहीं, अन्तर्राष्ट्रीय भर्त्सना पर आधारित है। (व्यवधान)। अध्यक्ष महोदय, फिलिस्तीनी प्रश्न का अभी समाधान नहीं हुआ है। हमने सही रवैया अपनाया है और मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि फिलिस्तीनी समस्या के समाधान के कारण हमारा रवैया किसी मजबूरी के कारण नहीं बल्कि ऊंचे सिद्धान्तों में हमारी दृढ़ आस्था का परिणाम है। किन्तु हमारी नीति सरकार के लिए मात्र मन्त्र की तरह जबानी जमा खर्च नहीं होनी चाहिये। इस सम्बन्ध में हमारी नीति सशक्त होनी चाहिए तथा इस सम्बन्ध में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। यह सही है कि आज फिलिस्तीनी समस्या की ओर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। ब्रिटेन, फ्रांस तथा जर्मनी जैसे देश अपने अन्य कांमन मार्किट सहयोगी देशों के साथ इस समस्या की ओर अधिक ध्यान दे रहे हैं। अरब अपनी सुरक्षा के बारे में बहुत धैर्य खोते जा रहे हैं, यह सही भी है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह यहूदी राज्य इसरायल के विरुद्ध प्रभावी राजनीतिक तथा आर्थिक प्रतिबन्ध लगाये, क्योंकि इसरायल को तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी दक्षिणी अफ्रीका जैसा रंग-भेद की नीति वाला देश कहा है।

महोदय बम्बई में इसरायल के वाणिज्य दूतावास को निरन्तर कार्य करने देना हमारी नीति में एक गम्भीर विसंगति है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इसे बन्द कर दें। येरूसलम के स्वरूप को बदलने के उद्देश्य से बढ़ते हुए इसरायल आतंकवाद की पूर्ण भर्त्सना की जानी चाहिये। हमें अभी हाल में समाचार मिला है कि इसरायल आतंकवाद के कारण वेस्ट बैंक के तीन अरब मेयरों के पैर उड़ा दिये गए हैं। दुर्भाग्य से हमारी सरकार ने इस घटना की कोई भर्त्सना नहीं की है। इसी प्रकार इसरायल अब अल-अक्सा मस्जिद के नीचे पुरातत्व खुदाई कर रहा है जिससे इसलाम के दूसरे पवित्रमय स्थान का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। महोदय, इस सब बातों की ओर सरकार द्वारा उचित ध्यान दिया जाना चाहिये। अधिक आर्थिक सहयोग की भी आवश्यकता है। उदाहरण के तौर पर अब एक नये इराकका राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन की देखभाल में उदय हो रहा है। वहां पर अभी हाल में चुनाव हुए थे। वहां पर निर्माण कार्य बड़ी तेजी से चल रहा है। भारत को इराक से मिले ठेलों का कुल मूल्य 1,000 करोड़ रुपयों से भी अधिक है। इराक लीबिया तथा अन्य देशों में विश्वास सम्बन्धी गतिविधियों में भारत के योगदान की सम्भावनाएं अपार हैं। मुझे आशा है कि सरकार इस ओर अपना उचित ध्यान देगी।

इराक जाने वाले भारतीय तीर्थ-यात्रियों की सुविधा के लिये बम्बई से वहां तक की नौवहन सेवा आरम्भ करने की भी आवश्यकता है।

महोदय, मैं अफगानिस्तान में रूस की सेना की उपस्थिति के बारे में हमारी सरकार की नीति के बारे में दो अथवा तीन वाक्य कहना चाहता हूं। इस नीति के अन्तर्गत भारत की रूस की इस सैनिक उपस्थिति के सम्बन्ध में हमारी नीति नरम निरनुमोदन की है। इससे यह पता चलता कि सरकार ने वहां की स्थिति की गम्भीरता और स्वरूप को ठीक से नहीं समझा है। रूस द्वारा की गई बमबारी में लगभग 30,000 अफगानी मारे गये, 40,000 अफगानी जेलों में अथवा जेलों से

[श्री जी० एम० बनात वाला]

बाहर मार दिये गये। रूसी आक्रमण के कारण लगभग 80,000 व्यक्ति बेघर हो गये हैं और इस सम्बन्ध में हमारी नीति नरम निरनुमोदन भी है। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि महाशक्ति हस्तक्षेप के बारे में हम साहिसक पक्ष लेने में असफल रहे हैं।

महोदय, सम्बन्ध में राजनयिक माध्यमों से तनाव समाप्त करने के प्रयासों की बात भी कही गई है। किन्तु यह नकारात्मक ढंग से किये जाने वाले प्रयास हैं। इस समस्या का राजनीतिक समाधान, जिसके अन्तर्गत अफगानिस्तान में सभी राष्ट्रों द्वारा हस्तक्षेप न करने की गारण्टी देने से ही समूचे मामले को सम्बद्ध किया जा रहा है, का अर्थ होगा, वहां पर रोपित शासन को वास्तविक मान्यता देना, जिसे कोई भी सभ्य देश पसन्द नहीं करगा। अन्त में, मैं सरकार की पाकिस्तान, बंगला देश और अन्य पड़ोसी देशों के साथ सम्बन्ध सुधारने की कोशिशों की प्रशंसा करता हूं। किन्तु चीन के सम्बन्ध में बड़ी ही सतर्क नीति अपनाने की आवश्यकता है। और मैं अपना भाषण समाप्त करते हुए पंडित नेहरू को उद्धृत करना चाहूंगा कि वह किस प्रकार की विदेश नीति चाहते थे। पंडित नेहरू ने कहा है कि विदेश नीति को कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये आदर्शवादी होने के साथ-साथ वास्तविकता पर आधारित भी होना चाहिये। यदि विदेश नीति आदर्शवादी नहीं होती तो वह शुद्ध अवसरवादी हो जाती है और यदि यह वास्तविकता पर आधारित नहीं होती तो उसके जोखिमपूर्ण तथा बिल्कुल निष्प्रभावी हो जाने की सम्भावना रहती है। धन्यवाद।

श्री त्रिदिब चौधरी (बरहामपुर) : मैं वास्तव में बोलने के लिए बुलाए जाने हेतु तैयार नहीं था।

अध्यक्ष महोदय : जीवन में कभी-कभी अप्रत्याशित बातें भी हो जाती हैं।

श्री त्रिदिब चौधरी : मैं सभा के एक या दो मिनट लूंगा। सभा ने कुछ सीमा तक हमारी सरकार द्वारा कम्पूचिया में हेंग समरिंग सरकार को दी गई मान्यता का सामान्यत: स्वागत किया है।

आज की स्थिति के अनुसार उस भाग में भी अपनी अलग जटिलताएं हैं। ए० एस० ई० ए० एन० राष्ट्रों और चीन की हमारे मान्यता के निर्णय पर प्रकाशित प्रतिक्रियाओं से संकेत मिलता है कि हमें उन देशों की ओर से कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। मेरे विचार में विदेश मन्त्री इन सभी बातों से परिचित हैं और वे इस बात का ध्यान रखेंगे। कि हेंग समरिन सरकार को समर्थन देते समय जो कि अच्छी बात है, इस बात का ध्यान रखेंगे कि हेंग समरिन सरकार वियत-नामी सेना के बल पर ही बनी हुई है। इसमें कोई सन्देह नहीं है। यह एक तथ्य है। इससे वास्तव में कुछ जटिलताएं पैदा होती हैं जैसा कि ऐसी ही जटिलताएं हमने अफगान क्षेत्र में रूसी सेना की उपस्थिति से देखी हैं। विदेश मन्त्री को सम्भावित कठिनाइयों से स्वयं को अवगत रखना चाहिए। मुझे आशा है कि वे अपने पद का सदुपयोग करते हुए वियतनामी सरकार को कम्पूचिया से अपनी सशस्त्र सेना हटाने के लिए कहेंगे।

मैं अफगान की स्थिति को लेता हूं। आज तक ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है कि स्थिति सुधार हुआ हो। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि भारत सरकार ने कुछ पहल की थी। हमें आशा है

में कि अच्छे परिणाम मिलने लगेंगे । परन्तु किसी भी तरह यद्यपि कुछ रूसी सेना हटाई भी गई तो इससे स्थिति में सुधार का कोई संकेत नहीं मिला है । हमें आज की स्थिति को देखते हुए हमें सतर्क रहना होगा ।

महोदय, अब मैं चीन के साथ सम्बन्धों को सामान्य करने को लेता हूं । जहां तक मेरे व्यक्तिगत विचार हैं मैं चीन सहित सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों का हिमायती हूं और हमें चीनी प्रवक्ता द्वारा सीमा प्रश्न को निपटाने के सम्बन्ध में किए गए प्रस्तावों को एकाएक अस्वीकार नहीं कर देना चाहिए । मैं यह नहीं कहता हूं कि उनके प्रस्तावों को आखें मूंदकर स्वीकार कर लिया जाए । परन्तु चीन द्वारा किए गए प्रस्तावों का क्या अर्थ है, इसका पता लगाने में कोई हानि नहीं है ।

विदेश मन्त्री ने स्वयं कहा है कि जहां तक पूर्वी सीमा की तरफ अर्थात मैकमोहन लाइन की तरफ का सम्बन्ध है कोई विशेष कठिनाई नहीं है । परन्तु असली कठिनाई तो लद्दाख और आकासी चीन सीमा की ओर की है । मेरे विचार में यदि दीर्घकालीन वार्तालाप द्वारा इन कठिनाइयों को दूर किया जाता है और दोनों पक्षों को स्वीकार्य कोई हल निकाला जाता है तो कोई हानि नहीं है । धन्यवाद

श्री ख्वाजा मुबारक शाह (बारामूला) : श्री चह्वाण द्वारा दिए गए भावोत्तेजक भाषण के उपरान्त मेरे विचार में कहने के लिए कुछ अधिक नहीं बचा है । अतः मैं सभा का अधिक समय नहीं लूंगा । परन्तु मैं केवल एक अनुरोध करता हूं कि इस बदलते हुए विश्व में देश की विदेश नीति लोचपूर्ण होनी आवश्यक है । इन अर्थों में लोचपूर्ण कि राष्ट्र हित में सबसे बड़ी बात अर्थात शान्ति और सुरक्षा प्राप्त हो जाए । श्री चह्वाण कुछ बातें छोड़ गए हैं । जिन के बारे में अब बोलूंगा । मेरे विचार में विश्व स्थिति के सम्बन्ध में एक आत्म सन्तोष सा है और इसके संबंध में सतही जानकारी है । आज की विश्व की स्थिति के अनुसार विश्व शान्ति को खतरा है और इसीलिए हमें विश्व की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखना होगा और भूत का पीछा न करना होगा और न ही भूत का बन्दी बनना है ।

महोदय, मध्य पूर्व से अफगानिस्तान तक संकट है । हमें अब इस संकट में क्या करना होगा ? आप जानते हैं कि हमारी स्वतन्त्रता और सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए । इसके लिए सबसे प्रथम हमें जिस चीज की आवश्यकता है, वह है सन्तुलित दृष्टि कोण । यह एक कठिन काम और हमें अपना सन्तुलन रखना होगा । हमारी स्थिति और साधन क्षमता हमसे अपेक्षा करती है कि हम एक सन्तुलित दृष्टिकोण अपनाएं । मैं इसलिए यह कह रहा हूं क्योंकि कतिपय माननीय सदस्यों ने हमें अन्तराष्ट्रीय संबंधों में एक कठोर रुख अपनाने का सुझाव देते हुए कुछ शब्द कहे हैं । अन्तराष्ट्रीय संबंध हमें अत्यन्त कड़ा रुख अपनाने की अनुमति नहीं देता है ।

मैंने इस संकट के समय में जैसा कहा है कि अफगानिस्तान की क्या स्थिति है । मैं सोवियत रूस के इस स्पष्टीकरण को स्वीकार नहीं करता हूं कि वे अफगानिस्तान, अफगानिस्तान सरकार के आमन्त्रण पर आए हैं । अफगानिस्तान सरकार थी कहां ? वे कहते हैं उन्हें हाफिज अमीन ने निमन्त्रण

[श्री ख्वाजा मुबारक शाह]

दिया था। क्या उसने उनको अपनी हत्या करने के लिए बुलाया था। जब रूसी सेनाएं वहां आईं तो वहां कोई अफगानिस्तान सरकार नहीं थी। रूसी अपने राष्ट्रीय हित के प्रलोभन में ही वहां गए थे। अतः हमें स्थिति को उसकी सम्पूर्णता में देखना चाहिए। एक सदस्य ने यह शिकायत की है कि प्रधान मंत्री ने अपना दृष्टिकोण बदल लिया है और उन्होंने कहा है कि हत सारी घटना को उसकी सम्पूर्णता में देखना चाहिए और तत्पश्चात अपनी विदेश नीति बनानी चाहिए। जी हां, यह ठीक है, परन्तु सम्पूर्णता है क्या ? सम्पूर्णता यही है कि विश्व स्थिति बिगड़ती जा रही है और इसमें शीघ्र ही सुधार की कोई आशा नहीं है। हमें अफगानिस्तान से मध्यपूर्व तक सम्पूर्ण स्थिति पर दृष्टिपात करना होगा। बड़ी शक्तियों में अत्यधिक प्रतिद्वन्द्विता है। रूसी सेनाएं अफगानिस्तान में अपने हितों की सुरक्षा की नीति के अनुसरण में आई। मेरे विचार में इस स्थिति में कोई सुधार नहीं होगा परन्तु हमें फिर भी अच्छे की आशा रखनी चाहिए।

हमें अब क्या करना चाहिए ? मेरे विचार में हमारे राष्ट्रीय हितों की पूर्ति कठोर दृष्टिकोण अपनाने से नहीं होगी। हमारे राष्ट्रीय हितों की पूर्ति कुछ दीर्घकालीन और कुछ अल्पकालीन उपायों से होगी।

मैं गुट निरपेक्षता, आत्म निर्भरता, वैयक्तिक और सामूहिकता जैसे दीर्घकालीन उपायों के विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि समय अधिक नहीं है। मेरे विचार में गुट निरपेक्षता इस समय कोई संगति नहीं है। ये सभी दीर्घकालीन उपाय हैं और मैं उनके विस्तार में नहीं जाऊंगा। मैं केवल यहीं कहता हूं कि वर्तमान स्थिति हमसे अपने सभी पड़ौसियों से मतभेद दूर करने की मांग करती है। एक मित्र पड़ौसी देश की सुरक्षा की सबसे बड़ी गारन्टी होती है।

मैं अब चीन के साथ हमारे संबंधों को लेता हूं। चीन, जैसा कि विदेश मंत्री ने कहा है, हमारे पूर्वी सीमा क्षेत्र को छोड़ने के लिए तैयार है परन्तु साथ ही वह चाहते हैं कि पश्चिमी सीमा का जो क्षेत्र उनके पास है, उन्हें दे दिया जाए।

महोदय, आप जैसा कि जानते हैं कि भारत की पश्चिमी सीमा में उसी जम्मू और कश्मीर भी आते हैं और मैं राज्य से संबंध रखता हूं। वे दूसरी तरफ के क्षेत्र के एक भाग को पाकिस्तान के कब्जे में चाहते हैं। हमारे समक्ष कई संवैधानिक कठिनाइयां हैं हमारे संविधान के अनुसार भारत का कोई भी भाग संसद की स्वीकृति के बिना अलग नहीं किया जा सकता। इस संबंध में एक शर्त और भी है कि संसद को स्वीकृति तभी मिलेगी जब जम्मू और काश्मीर राज्य अपनी सहमति देगा। मैं आशा करता हूं कि देश के व्यापक हित में अगर कुछ क्षेत्र देना है तो जम्मू और काश्मीर राज्य की विधानसभा से परामर्श किया जाएगा।

परन्तु जो मामला यहां लाया गया है, वह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। उस देश में क्या होता है जो वास्तविक नियन्त्रण की वर्तमान रेखा के दूसरी ओर है ? आप उस बात को जानते हैं कि चीन और पाकिस्तान ने 1963 में—और उसके बाद भी—एक समझौता किया है, जिससे चीन को कराकोरम, हुआ और भारतीय भूक्षेत्र के कुछ भाग, जो कि जम्मू एवं कश्मीर में हैं, प्राप्त हो गए हैं।

इसलिए, यदि आप उस भूभाग को छोड़ देते हैं तो इसका अर्थ है कि पाकिस्तान की छेड़छाड़ को माफ कर दिया गया है। और कि उस भूभाग पर पाकिस्तान का दावा हो गया है, और, इसलिए, आप जम्मू एवं कश्मीर के उस भूभाग को छोड़ देते हैं। इसलिए, मैं विदेश मंत्री से इस बात को ध्यान में रखने का अनुरोध करता हूं।

एक या दो मुद्दे और हैं जो जम्मू एवं कश्मीर राज्य से सम्बन्धित हैं। मुझे इस बात से अत्यन्त प्रसन्नता है कि विदेश मंत्री ने पासपोर्ट और वीजा के मामले को आसान कर दिया है। परन्तु यह कहते हुए मुझे अफसोस है कि जम्मू एवं कश्मीर के मामले में, यदि कश्मीरी मूल का कोई व्यक्ति भारत अथवा जम्मू कश्मीर एवं राज्य में आना चाहता है तो कार्य विधि संबंधी कठिनाईयां और विलम्ब होता है। मुझे आशा है कि मंत्री जी उस पर विचार करेंगे।

अरब देशों के सम्बन्ध में, मुझे इस वास्तविकता का व्यक्तिगत अनुभव है कि अरब देशों के विभिन्न स्थानों पर स्थापित हमारे केन्द्रो (मिशन्स) में बहुत ही थोड़े व्यक्ति हैं जो अरबी भाषा बोलते हैं। विदेशों में हमारा प्रचार कार्य इतना प्रभावहीन है कि अरबवासी हमें अपने नजदीक महसूस नहीं करते। इसलिए मैं उस बात का अनुरोध करूंगा कि अरबी भाषा के जानकार लोगों को ही अरब देशों में स्थित हमारे केन्द्रों (मिशनों) में नियुक्त किया जाना चाहिए। मैं विदेश मंत्री से इस तथ्य पर विचार करने का भी अनुरोध करूंगा कि काहिरा ही अरब देशों का केन्द्र नहीं है। इसलिए, मिश्र की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर अरब क्षेत्रों के प्रति नीति बनाना अरब देशों को आकर्षित नहीं करेगा।

अध्यक्ष महोदय : अब श्री जयपाल सिंह कश्यप बोलें। वह अन्तिम वक्ता हैं। उसके बाद, विदेश मंत्री बोलेंगे।

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला): अध्यक्ष महोदय, पंडित जवाहर लाल नेहरू ने इस देश की विदेश नीति की कल्पना की थी और भारत को गुट निरपेक्ष नीति के आधार पर आगे ले जाने का संकल्प किया था और कहा था कि ऐसा करके ही भारत को ऐशिया का ही नहीं बल्कि पूरे संसार का नेतृत्व करने का अवसर प्राप्त होगा। लेकिन आज हम चारों तरफ नजर दौड़ाते हैं तो हमारी यह नीति असफल हुई दिखाई देती है। चारों तरफ हमारा कोई भी पड़ोसी देश ऐसा नहीं है जिस को हम अपना मित्र कह सकें, जिससे हम अपने दिल की बात कर सकें, जो हमारा साथी हो फिर चाहे वह चीन हो या पाकिस्तान हो या बंगला देश हो जिसको हमने स्वतन्त्र कराया था। समुन्द्र की तरफ से भी हमारे देश को खतरा बना हुआ है। ऐसी अवस्था में हमें जो हमारी विदेश नीति है, उस में जो कमियां हैं उन पर विचार करना होगा और उन कमियों को दूर करना होगा।

मैं समझता हूं कि इसका मुख्य कारण यह है कि विदेश मन्त्रालय आज तक यह नहीं समझ पाया है कि उसकी विदेशों के साथ किस तरह से सम्पर्क कायम करना है, वहां पर किस तरह से अपने काम को आगे बढ़ाना है। जो नीति है वह नौकरशाही बनाती है और अफसरशाही उनको लागू करती है। हमारा विदेश मन्त्रालय पार्टी-बन्दी का अड्डा बन गया है। आज उसको आधुनिक स्वरूप तो प्रदान किया जा रहा है, तरह-तरह की सुविधायें भी वहां पर मुहैया कियी जा रही लेकिन उसका

[श्री जयपाल सिंह कश्यप]

भारतीयकरण नहीं हो रहा है। विदेश मन्त्रालय विदेशों का तो प्रतीक मालूम होता है लेकिन भारतीयता का प्रतीक मालूम नहीं होता। उसका भारतीयकरण हम को करना होगा, भाषण के मामले में, खानपान के मामले में, रहन-सहन के मामले में किस तरह से दूसरे देशों में हम भारतीय कल्चर का प्रचार कर सकते हैं, किस तरह से उनके साथ हम कल्चरल दोस्ती स्थापित कर सकते हैं, इसको हमें देखना होगा और एक और योजना बद्ध तरीके से हमको आगे बढ़ना होगा। हम दूसरे देशों की नकल न करें। दूसरे देशों की नकल करके हमने भारतीय दूतावासों को ऐसा अड्डा बना दिया है कि वे भारतीयता के प्रतीक नहीं रह गये हैं, सही मानो में हमारे विचारों के प्रतीक नहीं रह गये हैं।

आज इसलामी गुट देश पाकिस्तान के साथ बैठ कर संधियां और समझौते करते हैं।

अगर पाकिस्तान पर हमला होगा तो वह सारे इस्लामी देशों पर हमला माना जायगा। एक तरफ उनका रिज्यूलूशन करता है यह कि हमारे देश की नीति की असफलता है क्योंकि हम इसलामी देशों के दोस्त हैं।

वहां पर कश्मीर के प्रश्न पर चर्चा हो जाये, वहां बैठकर पाकिस्तान के नेता इस बात को कह जायें और वह देश सुनते रहें, इसका मतलब है कि हमारी नीति की यह एक कमजोरी है। हमारी नीति क्या रह गई है कि केवल दूसरे देशों में जाकर घूम आओ, विदेशियों को अपने यहां घुमाओ, इससे ज्यादा हम सोच नहीं पाते हैं। खाओ और खिलाओ और उस प्रेमी की तरह हमारी विदेश नीति बन गई है, मनमौजी प्रेमी, जिस पर कोई विश्वास नहीं करता है। कभी इधर चक्कर काटता है और कभी उधर चक्कर काटता है। हम भारत की विदेश नीति को एक मनचले प्रेमी की संज्ञा दे सकते हैं।

आज देश को ऊंचा उठाने के लिए जहां हम दूसरे देशों में जाकर काले और गोरे के सवाल को रोकना चाहते हैं वहां पर इस देश में जो जातिवाद फैला हुआ है, वर्ण-व्यवस्था फैली हुई हैं, अगर अफ्रीका के देशों के लिए हम लड़ते हैं तो भारत में फैली हुई जाति और व्यवस्था-के विरुद्ध भी हमें संघर्ष करना पड़ेगा।

ऐसी हालत में मैं सदन का ज्यादा समय न लेते हुए केवल इस बात को कहूंगा कि जो भारत के राजदूतावास हैं, हाईकमीशन हैं, उनका भारतीयकरण होना चाहिए। हमारी देशी भाषा के आधार पर, भारत के कल्चर के आधार पर, यहां के रहन-सहन, खानपान के आधार पर आज अनेक ऐसे राजदूत हैं जो इस दूसरे देशों में जाकर जातीयता का प्रमाण देते हैं, वहीं के लोगों से दूर रहते हैं। हमारा जूठा उन लोगों से न छू जाये, इस तरह की भावनाएं लेकर हम एक दूसरे देशों के नजदीक नहीं आ सकते हैं।

भारत एक रोज दुनिया में नेतृत्व करे और वहां पर हमारी एक्टिव नान-एलाइन्मैंट पॉलिसी होनी चाहिए। वह बहुत मजबूत और सक्रिय होनी चाहिए, यह नहीं कि हमें बड़े देशों के पिछलग्गू बनकर रहें। यही कहकर मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपको धन्यवाद देता हूं। इति

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंहराव) : अध्यक्ष महोदय, कुल मिलाकर 23 माननीय सदस्यों ने इस बहस में भाग लिया है। यह अच्छी-खासी संख्या है, केवल वक्ताओं की दृष्टि से नहीं अपितु उन वक्ताओं द्वारा दिए गए सुझावों की दृष्टि से भी। जैसी मुझे आशा थी, माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए सुझाव अत्यधिक लाभप्रद और जानकारी प्रदान करने वाले रहे हैं। मैं केवल उन सदस्यों के प्रति ही आभारी नहीं हूं जिन्होंने इस सरकार के लिए उनके शब्दों का प्रयोग किया है। अपितु उन सदस्यों के प्रति भी आभारी हूं जिन्होंने कुछ आलोचना की थी; और मैं उनको इस बात का आश्वासन देता हूं कि उनकी आलोचना पर उसके समग्र पहलुओं में विचार किया जाएगा क्योंकि मैं इसे रचनात्मक दृष्टि से देखता हूं भले उनका यह रुख हो अथवा नहीं।

महोदय, जैसा श्री चह्वाण ने बताया, हमारी नीति एक बड़ी सीमा तक राष्ट्रीय जनमत पर आधारित रही है। स्वभावतः जनमत का अर्थ यह नहीं है कि सभी मामलों में दृष्टिकोण की समानता हो, जनमत ऐसी कुछ चीज है जिसके साथ सारा राष्ट्र रह सकता है, सारा राष्ट्र इसे अपना सकता है और इसे स्वीकार कर सकता है। वही जनमत होता है, यद्यपि, निजी विषयों के विस्तृत मामलों में किसी भी मात्रा में भिन्नता हो सकती है। इसलिए, उसी भावना के साथ मैं इस बात से सहमत हूं कि राष्ट्रीय जनमत को हमारी विदेश नीति का आधार होना चाहिए और ऐसा ही है; और मैं सदन को इस बात का आश्वासन देता हूं कि यह सरकार उसी भावना के साथ अपनी विदेश नीति का संचालन करेगी।

सदन को और राष्ट्र को इस बात का निर्णय करना है कि एक निर्धारित समय में कौन राष्ट्रीय जनमत का विरोध कर रहा है। राष्ट्रीय जनमत ऐसी कुछ चीज है जिसे लोग अपनी रगों में महसूस करते हैं; इसे बताए जाने की आवश्यकता नहीं है। और इसलिए, जब राष्ट्रीय जनमत का कोई विरोध करता है तो उसे भी लोग अपनी रगों में सहसूस करते हैं। मुझे इस बात का विश्वास है कि भारत के लोग अपनी रगों में इस विरोध को महसूस करने के लिए पर्याप्त रूप से दूरदर्शी हैं और जब कभी राष्ट्रीय जनमत का विरोध होता है, वे अपना निर्णय भी देते हैं।

अनेक माननीय सदस्यों के अनुसार, विश्व की स्थिति सचमुच निराशाजनक है। मैं उनसे सहमत हूं। जहां तक वर्तमान स्थिति का सम्बन्ध है तनाव शैथिल्य को अत्यन्त स्पष्ट तौर पर आघात पहुंचा है। जैसा कि बतलाया था, सातवें दशक को तनाव-शैथिल्य का दशक माना जा सकता है। आठवां दशक तनाव का दशक होने की आशंका पैदा करता है। मैं आशा करता हूं कि इसमें भयंकर तनाव रहेगा, परन्तु इसमें यह विभीषिका की स्थिति में नहीं पहुंचेगा। इसीलिए, आज विश्व का प्रत्येक व्यक्ति उस स्थिति के बारे में चिन्तित है जिसमें आज हम हैं। स्थिति तनावों से भरी है। यह खतरनाक स्थिति है किसी भी क्षण इसका विस्फोट हो सकता है। यह है आज की स्थिति।

मैं सदन को इस बात का स्मरण कराना चाहूंगा कि कुछ दिन पूर्व एक सुहावनी सुबह दुनिया ने एक समाचार, समाचारपत्रों में छपा हुआ देखा जो देखने में हास्यास्पद लगा था; परन्तु यह हास्यास्पद बिल्कुल नहीं था। उस समाचार में कहा गया था कि अमेरिका द्वारा किसी स्थान पर लगाए गए कम्प्यूटरों ने एक गलत चेतावनी दी और यदि तीन मिनट में इस गलत चेतावनी का

[श्री पी० वी० नरसिंह राव]

खंडन और घोषणा नहीं की गई होती तो अमेरिका की ओर से अंतरमहाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र (आई० सी०बी० एम०एस०) समूचे विश्व के ऊपर उठ रहे होते अथवा अपने लक्ष्य की ओर उड़ रहे होते। मैं यह भी सदन को बताऊंगा कि उस दिन हम मास्को में थे। मैं नहीं जानता कि उसका कितना महत्व है। इसलिए, न केवल, निर्णय करने वाले लोगों द्वारा जान-बूझकर निर्णय लेने से विश्व की तबाही का खतरा पैदा होता है अपितु मस्तिष्कहीन यंत्रों की गलती के कारण भी इसका खतरा पैदा होता है। आज विश्व की यह स्थिति है। इसलिए इस सचाई को कोई चुनौती नहीं दे सकता कि यदि मानवता को अपना अस्तित्व बनाए रखना है तो उसे अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। इस सम्बन्ध में सारी बात यही है। हम किस तरह मानवता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, किस तरह स्वयं की रक्षा करते हैं, किस तरह जीवित रहने की, अस्तित्व को कायम रखने की ललक को बनाए रखते हैं, और किस तरह उन विनाशकारी शक्तियों पर काबू पा सकते हैं जो अत्यन्त शक्तिशाली हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं ? यह प्रश्न मानवता के सामने है।

जबकि मैंने सदन के समक्ष एक पहलू प्रस्तुत किया है जोकि निःसंदेह रूप से निराशाजनक है, अब मैं स्थिति का दूसरा पहलू भी मैं सदन के समक्ष रखना चाहूंगा जो कि मेरी दृष्टि में तथा अनेक पर्यवेक्षकों की दृष्टि उज्जवल पहलू है। इस तथ्य के बावजूद कि तनाव-शैथिल्य भारी दबाव में है, इसे (तनाव-शैथिल्य) सदा के लिए नहीं खो दिया गया है। तनाव शैथिल्य को पुनः प्राप्त करने के लिए कुछ प्रयास होते रहे हैं।

विरोधी खेमे में आने वाले देशों के नेताओं ने अनिच्छापूर्वक अथवा इच्छापूर्वक एक-दूसरे से वार्ता करना शुरू कर दिया है। बड़ी शक्तियों अथवा महाशक्तियों जो भी हम उनको कहें, के बीच सम्बन्ध में अभी भी कोई ठहराव नहीं दिखाई दिया, फिर भी उन्होंने एक-दूसरे के देशों की यात्रा करना शुरू कर दिया है। उन्होंने परस्पर वार्ता करना शुरू कर दिया है, भले ही वे एक-दूसरे से असहमत हों और यह अपने आप में अन्धकार के मध्य एक रोशनी है। जहां तक एस० ए० एल० टी०-दो का सम्बन्ध है, यह बिल्कुल ही अरुचिकर है, कि जबकि एस० ए० एल० टी०-समझौते का अनुमोदन किया जाना अभी बाकी है, वास्तव में यह समझौता पूरी शक्ति के अमल में आ रहा है। चुंकि इसका वस्तुतः अनुमोदन नहीं किया गया है, दोनों महाशक्तियां इसका उल्लंघन कर सकती थीं परन्तु इसे उच्च सूत्रों से यहम ालूम हुआ है कि इस तथ्य के बावजूद कि इस समझौते का अनुमोदन नहीं हुआ है, उसका उल्लंघन नहीं किया गया है। इस तरह यह बड़ी शक्तियों द्वारा खींची गई ऐसी रेखा है जिसके परे वे नही जा सकतीं, इसे 'लक्ष्मण रेखा, कहिए अथवा कुछ और। इसलिए वहां उज्जवल चमक है और अन्ततः, परन्तु कम से कम नहीं, मानवता क्या चाहती है? जैसा कि मैंने अभी कहा शांत स्थापना के पक्ष में स्थिति बनाने में सब से बड़ा निमित्त है मानवता की ललक, जिन्दा रहने की मानवता की आकांक्षा, मानव जाति की जीवित रहने की आकांक्षा और इसका प्रतिनिधित्व किया जाता है गुटनिरपेक्षता द्वारा। इस तरह से गुट निरपेक्ष आंदोलन आज की दुनिया की समस्याओं से जुड़ जाता है। और यदि गुटनिरपेक्ष आंदोलन को अपने कार्यों का दूसरों को अहसासी कराना है तो वह या तो अपनी सैन्यशक्ति द्वारा अथवा अपनी बहुतायत द्वारा अथवा ऐसी किस कसौटी द्वारा, जिन्हें महानता के गुण माना जाता है, इसका अहसास नहीं करा सकता। आज वह

अपने कार्यों को एक मात्र ध्यान से अहसास करा सकता है क्योंकि यह मानवजाति की जीवित रहने की आकांक्षाओं का एक मात्र प्रतिनिधि है, न कि विनाश होने की स्थितियों का और यही गुटनिरपेक्ष आंदोलन की भूमिका बनानी होगी। गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है और यहां जो कुछ गुट निरपेक्ष आदोलन के बारे में कहा गया है उससे अधिकांशतः सामान्य रूप से मैं सहमत हूं। आज यह तर्कसंगत है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि आज यह पहले कभी की तुलना में ज्यादा तर्कसंगत है। द्वि-ध्रुवी विश्व की अपेक्षा यह बहु-ध्रुवी विश्व में ज्यादा तर्कसंगत है। और एक-दूसरा उज्जवल पहलू यह है कि जैसे-जैसे ज्यादा से ज्यादा विकसित होती जाती है, वहां अस्तित्व बनाए रखने की गुट निरपेक्ष की सम्भावनाएं बढ़ती जाती है, न केवल अस्तित्व को बनाए रखने की अपितु इसको सामान्यतः स्वीकार किए जाने की भी सम्भावनाएं बनती जाती हैं। जब विश्व में केवल दो खेमे थे, इसे ऐसी कोई चीज समझा जाता था जो अतर्कसंगत हो। अनेक लोगों ने, अनेक देशों ने और अनेक नेताओं ने इसका उपहास किया और इस तरह इसका प्रारम्भ हुआ। परन्तु इसके बाद एक ऐसा समय आया जब विश्व के अनेक अत्यन्त महत्वपूर्ण मसलों के सम्बन्ध में गुट निरपेक्ष नेतृत्व प्रभावी हो गया और इसलिए, जैसे-जैसे इसके केन्द्रों की संख्या बढ़ती जा रही है, मुझे इस बात में कोई सन्देह नहीं कि इसके साथ गुट निरपेक्षता की तर्कसंगतता बढ़ती जा रही है। यदि इसके केन्द्र अधिक होते हैं, तो इसका अर्थ है कि विश्व में ऐसे देश अधिक हैं जो गुट निरपेक्ष होना चाहते हैं, जो किसी दूसरे का पिछलग्गू नहीं बनाना चाहते और, इसलिए, दूसरे परिणाम-स्वरूप स्वतः प्रगति गुट निरपेक्षता को मजबूत किए जाने की दिशा में होती है, न कि इसको कमजोर बनाने की दिशा में। परन्तु बहुत कुछ उन पर निर्भर रहेगा जो इसका संचालन कर रहे हैं। यह महत्व ठीक भी हो सकता है। यह निष्क्रियता की स्थिति में पहुंच सकता है। अथवा यह वास्तव में सक्रिय हो सकता है और विश्व की समस्याओं का सामना करने की कोशिश कर सकता है। अब यह मानव जाति के वृहत जनसमुदाय का प्रतिनिधित्व करता है। 94 देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य हैं। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि गुट निरपेक्षता में कुछ स्थूलता आ गई है। यह स्थूलता जैसी कुछ चीज हो सकती है परन्तु इसके सदस्यों की संख्या में वृद्धि को महत्वहीन नहीं कहा जा सकता। यदि गुट निरपेक्ष आंदोलन 25 देशों का ही आंदोलन बना रहा होता तो मुझे विश्वास है कि इसकी छवि, काफी भिन्न हुई होती। परत्तु आज 94 देश इस आंदोलन के साथ हैं तथा और ज्यादा देश इसमें शामिल होने के इच्छुक हैं, तो इसका अर्थ है कि मानव जाति का बहुत बड़ा भाग इस आंदोलन के साथ आ रहा है क्योंकि वे यह जानते हैं कि उनकी आकांक्षाएं केवल मात्र इसी तरीके से पूरी की जा सकती है, अन्य किसी दूसरे तरीके से नहीं।

दूसरा तरीका किसी गुट में शामिल होने का है जिसमें वे दोनों ओर से पिस जाते हैं। मैं एक उदाहरण दे सकता हूं जिसके द्वारा वार्ता के दौरान हमें बहुत ही सार्थक प्रतिक्रिया देखने को मिली है। यह एक ऐसा देश है जिसने अभी हाल में गुट निर्पेक्ष देशों के समूह में प्रवेश किया है। पहले वे गुट निर्पेक्षता का मजाक उड़ाते थे। फिर वे यह देखकर हैरान हुए कि गुटों में शामिल होने से कोई भी लाभ नहीं है। वे गुटनिर्पेक्ष आंदोलन में हाल में ही आए हैं। मैं उस देश का नाम नहीं लूंगा। हमने उनसे बात की और वे बोले—"आप भारतवासियों के लिए गुट निर्पेक्षता सरल है। आप के लिए यह स्वाभाविक है लेकिन हम इसमें अभी हाल में आए हैं और हमें इस कठिन मार्ग का पता लग गया है। आपको उसे अनुभव करना चाहिए। आप इस बात का अनुभव नहीं कर रहे

[श्री पी० वी० नरसिंह राव]

कि हमें गुट-निर्पेक्ष आंदोलन में आने के कठिन मार्ग का पता चल गया है। अतः इसे इतना आसान न समझें।

यह आपके लिए आसान है लेकिन हमारे लिए अपना दृष्टिकोण, अपने परम्परागत मूल्यों में परिवर्तन लाना बहुत कठिन है। अतः इन सब बातों में परिवर्तन लाना सरल नहीं है।" मैं उस भावना की सराहना करता हूं क्योंकि किसी भी देश के लिए गुट-निर्पेक्ष आंदोलन में आने के बाद शीघ्र ही, अपने दृष्टिकोण में अचानक परिवर्तन लाना आसान नहीं है। अतः उन्हें गुट-निर्पेक्ष आंदोलन में जाने का कठिन मार्ग का पता लग रहा है। जो गुट-निर्पेक्ष आंदोलन तथा सारे विश्व के हित में है। लेकिन यह सच है कि संख्या में वृद्धि हो रही है। क्या यह स्वभाविक नहीं है कि अभी हाल में जो देश उपनिवेशवाद से युक्त हुए हैं, अपनी समस्याओं से पूर्णतः उलझे रहें। इतना बड़ा देश होने के बावजूद भी क्या हम अपनी समस्यांओं से पूर्णतः उलझे हुए नहीं है? वे छोटे देश हैं। हम उनका इतिहास जानते हैं वे जाति प्रधान शासन के अन्तर्गत रहे। आज जब वे अचानक आजाद हुए हैं, तो आप यह आशा नहीं रख सकते कि वे अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपना सार्थक योगदान दें। वे अपनी स्थानीय समस्याओं में बहुत व्यस्त हैं और मैं उन्हें दोषी नहीं ठहराता। हमें उनसे सहानुभूति रखनी पड़ेगी और उनकी समस्याओं के समाधान में उनकी सहायता करनी पड़ेगी ताकि निकट भविष्य में वे अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में अपना उचित योगदान दे सकें। हमारा दृष्टिकोण वैसा होना चाहिए, यह नहीं कहना चाहिए कि इस आंदोलन में स्थूल बातें हैं। इसलिए इस पर अंकुश लगाया जाए। तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि हम किसी भी देश के लिए दरवाजे बंद नहीं करेंगे। यदि वे गुट-निर्पेक्षता के मापदण्ड को पूरा करते हैं तो वे इसमें प्रवेश ले सकते हैं। इन्हें बाहर रखने का कोई प्रश्न ही नहीं है। उन्हें कई विवाद विरासत में मिले हैं। गुट-निर्पेक्ष देश पहली बार संघर्ष नहीं कर रहे हैं। जो कुछ उप-निवेशवादियों ने इन देशों में अपने शासनकाल में किया था, यह सब उसकी झलक है। वे हमेशा ही किसी न किसी के विरुद्ध काम करते रहे। उन्हें ये निंदनीय विवाद विरासत में मिले हैं, जिनसे ये जूझ रहे हैं। उसके लिए भी हमें उन्हें दोषी नहीं ठहरना चाहिए क्योंकि यह सब उनके कारण नहीं हुआ है। इन सब बातों के कारण वे लोग हैं जिन्होंने इन दशकों में उन पर राज किया जैसे कि मैंने कहा ये अब भी कई बातों के लिए इन उप-निवेशवादी ताकतों पर निर्भर करते हैं। बहुत कम देश अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। वे अब भी किसी न किसी बात के लिए इन देशों पर निर्भर करते हैं। और आर्थिक दृष्टि से भी इन पर निर्भर करते हैं। वे गुट-निर्पेक्ष आंदोलन में हो सकते हैं लेकिन वे किसी न किसी प्रभाव में आ सकते हैं। फिर भी हमें उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए क्योंकि थोड़े समय के अन्दर ऐसा होना स्वाभाविक ही है। दूर भविष्य में वे कैसे प्रभाव से मुक्त होते हैं, गुट-निर्पेक्ष देशों के बीच आते हैं, इस पर आज गुट-निर्पेक्ष आंदोलन के नेताओं को विचार करना है और उन्हें ही कुछ करना है।

अतः मैं अनुरोध करूंगा कि गुट निर्पेक्ष आंदोलन को किसी निश्चित दिशा की ओर जाना है। इसे अपनी समस्याओं के बारे में बहुत सावधान रहना चाहिए। अब ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा भारत सभी गुट निर्पेक्ष हैं। यदि सभी गुट निर्पेक्ष हों और फिर भी अफगानिस्तान जैसी पेचीदा समस्या सामने हो, तो क्या हम गुट निर्पेक्ष देशों की एक बैठक करके इस समस्या को

हल करने के लिए कह सकते हैं ? क्या यह सम्भव है ? क्या सभी गुट निर्पेक्ष देशों से इस समस्या को स्वयं सुलझाने की आशा रखना उचित है ? क्या यह व्यवहारिक है ? लेकिन मान लो कि गुट निर्पेक्ष देश फिलस्तीन के पक्ष में आह्वान करते हैं, जैसे कि उन्होंने किया भी है और जिसके बारे में इस महीने की 22 तारीख के संयुक्त राष्ट्र संघ की असाधारण बैठक हो रही हो, जिसमें इस सरकार की ओर से मैं भी भाग ले रहा हूं तो इस प्रश्न के बारे में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। सारा विश्व इस प्रश्न पर विचार करेगा। अतः हमें गुट निर्पेक्ष आंदोलन की पेचीदा समस्याओं को सावधानी से हल करना है। यह बात सच है कि गुट निर्पेक्ष आंदोलन सभी समस्याओं को हल नहीं कर सकता। पंडित नेहरू, टीटो तथा नासर जैसे दिग्गजों ने जिस समय आंदोलन शुरू किया, यदि हम उसे याद करें तो हमें मालूम होगा कि उनका ध्यान विश्व की महत्त्वपूर्ण समस्याओं की ओर था, उनका ध्यान छोटी-छोटी समस्याओं की ओर नहीं था। उनका ध्यान विश्व शांति की ओर था, उनका ध्यान उपनिवेशवादी शिकंजे में जकड़े देशों की मुक्ति की ओर था। अतः उनका ऐसा करना मानवमात्र की अपनी मुक्ति से सम्बन्धित था। उसके पीछे उद्दात्त भावनायें थीं। इसी कारण वे सफल हुए। आज की परिस्थितियां हमें उनके उच्चादर्शों, उच्चविचारों तथा आंदोलन की पहली अवस्था की ओर ले जाने के लिए बाध्य कर रही हैं। आज उपनिवेशवाद को समाप्त करने तथा इससे मुक्ति करवाने सम्बन्धी समस्याओं के अलावा हम किसी की समस्या को हल नहीं कर पाये हैं। अतः हमें अपना ध्यान उन बिना सुलझी समस्याओं की ओर दिलाना है, जिनका सामना सभी देश काफी समय से कर रहे हैं और जिनके प्रति हमारी प्रतिक्रिया भी औपचारिक ही रही है। हम गुट निर्पेक्ष सम्मेलनों में प्रस्ताव ही पास करते रहे। मैंने ये सब प्रस्ताव पढ़े हैं। इसकी भाषा भी भावनापूर्ण नहीं है। अतः इस दृष्टिकोण में परिवर्तन किया जाना चाहिए और इस बारे में अधिकांश बातें उन लोगों पर निर्भर करता है जिन्हें नेतृत्व सौंपा गया है। मुझे इस बारे में कोई भी संदेह नहीं है कि भारत, इसके नेता तथा यहां के लोग अपने गुट निर्पेक्ष आंदोलन के वैभव को वापस लायेंगे जो कुछ वर्षों से क्षीण होता जा रहा है। अतः मुझे ऐसा होने के बारे में कोई संदेह नहीं है और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि गुट निर्पेक्ष आंदोलन, जो भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार रहा, जो यथासम्भव रूप से सुदृढ़ किया जायेगा।

मैं इस पर विस्तार से नहीं बोलना चाहता क्योंकि मैंने देखा है कि कई बातों के बारे में मतैक्य हो सकता है, एक ऐसा समझौता हो सकता है जिसका पता वाद-विवाद से लगा है। मैं कुछ ही बातों के बारे में बोलूंगा।

पहली बात हिंद महासागर तथा दियेगो गार्शिया के बारे में है। कल श्री इन्द्रजीत गुप्त ने शिकायत की है कि दियेगो गार्शिया का जिक्र मंत्रालय के प्रतिवेदन में नहीं है। मैं सबसे पहले यह बात कहना चाहूंगा कि यह एक परम्परागत रिपोर्ट होती है जिसे विदेश मंत्रालय हर वर्ष सभा पटल पर रखता है। उस रिपोर्ट की रूपरेखा तथा आकार हमेशा एक ही जैसा होता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह कोई तर्क नहीं है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : अतः यदि कुछ है तो रूपरेखा में परिवर्तन होना चाहिए। मैं

[श्री पी० वी० नरसिंह राव]

इस बात को सोच समझ कर कहना चाहता हूं कि मैं इस प्रतिवेदन को मंत्रालय के कार्य सम्बन्धी तथ्यात्मक प्रतिवेदन बनाना चाहता हूं क्योंकि यह अभी तक केवल एक राजनैतिक प्रतिवेदन है। यदि वैसा किया जा सकता है तो दियेगो गार्शिया के अतिरिक्त कुछ अन्य प्रश्न भी इसमें स्वयं ही आ जायेंगे। अब कभी-कभी एक दो चीजें इसमें आ भी जायें तो और यदि श्री इन्द्रजीत गुप्त अचानक ही उन बातों को पूछें जो प्रतिवेदन में नहीं और शिकायत करना शुरू करें तो इसका इलाज यही है कि इसकी रूपरेखा में परिवर्तन लाया जाये। लेकिन वे कहते हैं कि हम इस बारे में उदासीन रहे हैं। इसके उत्तर में हम कहेंगे कि हम इसके बारे में अवश्य उदासीन रहे हैं। लेकिन हम इस बात में सहमत नहीं हैं कि हम चुप रहे हैं। संसद के वर्तमान सत्र में मैंने लोक सभा और राज्य सभा में लगभग 6 तारांकित तथा अतारांकित प्रश्नों के उत्तर दिये हैं। क्या यह कहा जा सकता है कि मैंने इसके बारे में कुछ नहीं बताया ?

श्रीमानजी, दियागो गार्शिया के बारे में मैंने कुछ रोचक जानकारी खोज निकाली है। हमने 1965 में ही यह कहा था—जबकि श्री रामगुलाम ने भी द्वीप को वापिस कहने की मांग नहीं नहीं उठाई थी—कि आप ने इस द्वीप को अलग क्यों कर दिया है? यह बात हमने कही थी। तत्कालीन विदेश मन्त्री द्वारा 1965 में एक वक्तव्य दिया गया था जिसमें उसने कहा था—मैं वक्तव्य का केवल सार्थक भाग ही उद्यत कर रहा हूं क्योंकि वह पूरा तो काफी लम्बा है—जोकि इस प्रकार है :

> "उप-निवेशी शक्तियों द्वारा अपने शासित क्षेत्र के किसी भाग को अलग कर दिया जाना और उसे अलग करके अपने अधिकार में रख लेना आधुनिक विचार धारा के साथ मेल नहीं खाता और वह उप-निवेशी क्षेत्रों की स्वतन्त्रता के नारे में पारित किये गये संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव के भीविपरीत है।"

अतः यह पहली बार नहीं उठाया जा रहा है। जब इसे अलग किया जा रहा था तो उस समय भी हमने इसका विरोध किया था और प्रधान मंत्री तक ने सदन में कहा था कि वह इस द्वीप को वापिस करने की मांग को न्याय संगत मानती हैं और कहा था कि हमने इसके बारे में कोई औपचारिक रवैया नहीं अपनाया है और न ही हम इसकी आवश्यकता समझते हैं। हम इसकी आवश्यकता इसलिए नहीं समझते क्योंकि यह तो परिपेक्ष्य से ही पूर्णतया स्पष्ट है। अतः यह कहना कि हमने दियागो गार्शिया के बारे में उदासीन रवैया अपनाया है, ठीक नहीं है। अतः हमारा रवैया इस मामले में उतना ही सख्त रहा है जितना कि होना चाहिए था। परन्तु जैसा कि चह्वाण जी ने कहा हमें इसके बारे में जरा और अधिक आक्रमण रवैया अपनाना चाहिए क्योंकि इसका सम्बन्ध हिन्द-महासागर से है और मैं उनकी इस बात से सहमत हूं। अब हमें इसके बारे में अधिक कड़ा रवैया अपनाना चाहिए। हम ऐसा ही करने जा रहे हैं और हिन्द महासागर के सम्बन्ध में कोलम्बों में होने वाले सम्मेलन में हमारा रवैया ऐसा ही होगा। यही बात मैंने अभी कुछ ही दिन पूर्व एक तारांकित प्रश्न के बारे में जो कुछ होने जा रहा है, मैं उसका ब्यौरा नहीं दे सकता क्योंकि हम सब कुछ अकेले ही नहीं करते हैं। इस मामले से सम्बद्ध अन्य जितने भी देश होते हैं, उन सभी के साथ विचार

विमर्श किया जाता है। मैं जानता हूं कि यदि इसके लिए उपयुक्त वातावरण तैयार कर लिया जाए, तो वह इस सम्पूर्ण मामले में काफी कारगर सिद्ध हो सकता है।

श्रीमानजी, अब मैं श्री चह्वाण द्वारा विकासशील देशों की सामूहिक आत्मनिर्भरता के बारे में दिए गए सार्थक सुझाव के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। उन्होंने यह सुझाव गुट-निर्पेक्ष देशों के बारे में दिया है, परन्तु विकासशील देश तथा गुट-निर्पेक्ष देश एक दूसरे के इतने निकट हैं कि मैं यह मानकर चलता हूं कि गुट-निर्पेक्ष देशों पर ही लागू होती है। इस सन्दर्भ में मैं सदन के समक्ष यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारत विकासशील देशों के बीच आर्थिक सहयोग का प्रवल सार्थक रहा है। सदन को इस बात की जानकारी है ही कि उत्तर तथा दक्षिण के बीच बातचीत कराने सम्बन्धी अनुकूल वातावरण तैयार करने सम्बन्धी प्रयत्न आये दिन मंद पड़ते जा रहे हैं। हाल ही में समिति की एक बैठक हुई थी। इसके सम्बन्ध में 77 देशों के दल की एक बैठक हुई थी जिसकी अध्यक्षता भारत द्वारा की गई। मैंने भी इस बैठक में भाग लिया था और काफी लम्बे प्रयास के बाद, 77 देशों का वह दल उत्तर-दक्षिण वातचीत से सम्वद्ध सभी मामलों में, उनकी तिथियों, उनकी कार्यवाहियों तथा सम्मेलन से सम्बन्ध अन्य विषयों के बारे में एक संयुक्त निष्कर्ष पाया। काफी कठिनाई के उपरान्त हम एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंच पाए। सम्पूर्ण देशों की समिति का तात्पर्य है, संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अन्य संगठन जिन्हें संयुक्त राष्ट्र संगठन में शामिल कर लिया गया है सदन को मालूम ही है कि इन सभी की समिति की बैठक गत कुछ महीनों में होती रही है। हमें इस प्रकार के समाचार प्राप्त होते रहे हैं कि इनका भविष्य काफी अच्छा है और विकासशील देशों द्वारा जो कुछ भी कहा जाता रहा है, विकासशील देश उसकी न्यायोचितता की सराहना ही करते रहे हैं। हमें अनेक लोगों ने बताया कि इसका भविष्य काफी अच्छा है। परन्तु गत तीन या चार दिनों में इसकी पूर्णतया अवांच्छानीय प्रतिकाष्ठा दृष्टि-गोचर हुई-जब यह समाचार आया कि विकसित देशों द्वारा उन सभी सुझावों का विरोध किया जा रहा है जो कि विकासशील देशों द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा उत्तर-दक्षिण के बातचीत आरम्भ करने के लिए अगस्त में बताये जाने वाले विशेष सत्र की संभावना निसंदेह बहुत अधिक धूमिल हो गई है।

इस प्रकार का झुकाव आ रहा है। हम अच्छे की आशा कर रहे थे परन्तु इसके साथ ही हमें बुरे से बुरे परिणामों के लिए भी तैयार रहना चाहिए और यही कारण है कि हमारा देश सदा ही विकासशील देशों का समर्थन करता रहा है। और केवल विकसित देशों का समर्थन ही नहीं करता रहा है। इन विकासशील देशों के बीच आर्थिक सहयोग तथा तकनीकी सहयोग का कार्यक्षेत्र काफी व्यापक है। 77 देशों के दल की पिछली बैठक में हमने प्रत्येक देश से इस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता पर बल दिया। इसके बारे में कुछ आपत्तियां उठाई गई, कुछ संदेह व्यक्त किए गए, परन्तु हमने उन्हें बताया कि इसका अन्य कोई विकल्प नहीं है। हमने कहा कि हमें उत्तर-सक्षिण के मामले में अपना भरसक प्रयत्न करना चाहिए तथा साथ ही इसके बारे में वातचीत के लिए भी तैयार रहना चाहिए। हमने इसके गुण दोषों पर विचार करने में किसी प्रकार का विलम्ब नहीं किया। हमने कहा कि ऐसा करना अनिवार्य है और सभी इससे सहमत हो गए हैं तथा हमारे इसके लिए समिति का गठन कर दिया है। उस समिति की पहले ही एक बैठक हो चुकी है। विकासशील देशों के बीच सहयोग स्थापित करने के लिए वह कुछ लाभकारी योजनाएं प्रस्तुत

[श्री पी० वी० नरसिंह राव]

करने जा रहे हैं। मुझे आशा है कि निकट भविष्य में मैं सदन को विश्वास में लेकर यह बताने की स्थिति में होऊंगा कि विकासशी लदेशों के आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत क्या कुछ किया जा रहा है अतः मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि श्री चह्वाण द्वारा तो सुझाव दिया गया है उस पर पहले ही कार्यवाही की जा रही है और मुझे आशा है कि निकट भविष्य में ही इसके परिणाम सामने आने लग जाएंगे।

अब मैं सबसे विकट समस्या अफगानिस्तान की समस्या पर आता हूं। इस समस्या के बारे में भी एक दूसरे के उत्तर में विभिन्न दृष्टिकोण व्यक्त किए गए हैं जिनके सन्दर्भ में मेरे लिए कहने के लिए बहुत कम कुछ रह गया है। एक पुस्तिका प्रकाशित की गई है जिसमें अफगान स्थिति के बारे में भारत का दृष्टिकोण आरम्भ से लेकर आज तक स्पष्ट कर दिया गया है।

सदन में एक मत यह व्यक्त किया गया है कि अफिगानिस्तान के बारे में जो पहला भाषण दिया गया था, तथा उसके बारे में अब जो कुछ कहा जा रहा है उसमें मैंने या श्रीमती गांधी ने कुछ परिवर्तन कर दिया है। एक दूसरा मत यह है कि इसमें परिवर्तन आया है और उनका कहना है कि यदि आप समझते हैं कि कोई परिवर्तन नहीं आया है तो आप हमें बताइये कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। एक अन्य मत भी है। मैं नहीं कहना चाहता हूं कि यदि इतने अधिक मत व्यक्त किए गए हैं तभी तो इसके लिए एक पूरी पुस्तिका छापने की आवश्यकता पड़ी है और यदि एक ही मत होता तो पुस्तिका छापने की आवश्यकता न पड़ती। परिस्थितियों में होने वाले परिवर्तनों के अनुरूप ही मत व्यक्त किए गये हैं। परन्तु किसी भी मत में कोई आधारभूत परिवर्तन नहीं किया गया है। परन्तु यदि हम आज इस पर चर्चा कर रहे हैं तो इसके बारे में हमें आज की स्थिति को ही स्पष्ट करना होगा। मैं इस विषय के बारे में कोई निर्णय नहीं देना चाहता कि सोवियत संघ की सेना किसके निमन्त्रण पर अफगानिस्तान भेजी गई? इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता? यदि कोई मुझसे यह कहे कि मैं अपने प्रत्येक वक्तव्य में इस सम्पूर्ण कहानी को दोहराऊं तो मैं समझता हूं यह अधिक होगा इसलिए मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि हमारे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है इसके साथ ही मैं यह कह दूं कि हम परिवर्तित परिस्थितियों के रवैये सन्दर्भ में परिवर्तन करते रहते हैं।

यह कहा गया है कि हमने दो परिस्थितियों पर अपनी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है प्रथम तो अफगान प्रस्तावों पर तथा दूसरे हाल ही में सोवियत संघ द्वारा सेनाओं को वापिस बुलाने के बारे में की गई घोषणा के बारे में। अब मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त का ध्यान एक समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। मैं यह कल्पना तो नहीं कर सकता कि वह समाचार पत्र पढ़ते नहीं हैं। ऐसा मैं कैसे कह सकता हूं? परन्तु फिर भी 22 जून की सभी समाचार पत्रों में जो कुछ प्रकाशित हुआ वह हमारी प्रतिक्रिया दी थी।

अभी भी मैं यह नहीं कह सकता हूं कि जैसा कि मैंने कहा क्या मुझे स्थिति के प्रति कड़ी, पूर्ण प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए जबकि मुझे अभी बहुत ब्योरे प्राप्त करने हैं। यह केवल राय व्यक्त करने तथा इसके बारे में भूल जाने का ही प्रश्न नहीं है। यह विस्फोटक स्थिति है और इस

विस्फोटक स्थिति के जारी रहने की संभावना है और इसलिए 22 जून के समाचार-पत्रों में जो भी प्रकाशित किया गया था वह भारत सरकार की प्रतिक्रिया थी कि उस तारीख को व्यक्त करना संभव था और उससे हर एक को सन्तोष होना चाहिए कि हमने एक निश्चित दृष्टिकोण अपनाया है। हमने संदेहवादी दृष्टिकोण नहीं अपनाया है। हमने प्रचारात्मक दृष्टिकोण नहीं अपनाया है जो हर जगह तेज हो रहा है। हमने ऐसा कोई दृष्टिकोण नहीं अपनाया है और हम ऐसा नहीं कर सकते थे। जो दृष्टिकोण हमने अपना लिया है उसके अतिरिक्त हम कोई दूसरा दृष्टिकोण कैसे अपना सकते थे ? यदि हम वैसा करते हैं तो यह पूर्ण रूप से तर्क संगत नहीं है। हम जानते हैं कि हमें अपना तर्क कैसे कायम रखना है, कैसे अपनी नीति को संगत बनना है और इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि विदेश मंत्रालय के संवाददाता द्वारा जो भी प्रैस को दिया गया था वही सब उस तारीख को देना संभव था। अभी भी हमें बहुत ब्यौरे प्राप्त करने हैं। और इसके अधिक कुछ कहने के लिए हमें बहुत सी जटिलताओं की जांच करनी है। मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता हूं कि उससे अधिक कहने की कोई आवश्यकता है।

अफगान के प्रस्ताव के बारे में, अफगान प्रस्ताव इस सभा में प्रश्न की विषय-सामग्री थे। मैंने अफगान-प्रस्तावों का विचार करने के योग्य समझते हुए उनका स्वागत किया। क्या मैं उस सीमा से आगे जा सकता था ? अफगानिस्तान से ये प्रस्ताव हैं। मैं किसी पक्ष का नहीं हूं, मुझे न तो उन्हें स्वीकार करना है और न उन्हें अस्वीकार करना है। उन्हें स्वीकार करना अथवा स्वीकार न करना पाकिस्तान और ईरान के ऊपर है। यदि वे संशोधित रूप में स्वीकार कर लेते हैं तो इसमें वार्ता के माध्यम से कुछ होने वाला है। मैं तो मध्यस्थ हूं जिससे वार्ता शुरू कराने की आशा की जा सकती है। यदि मैं कड़ा दृष्टिकोण अपनाता हूं तो क्या ऐसा करना मेरे लिए संभव है ? श्री आगा शाही 15 तारीख को यहां आने वाले हैं। मैं उनसे मिलने के लिए उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा हूं। मैं अफगान प्रस्तावों पर विचार-विमर्श करने का प्रयास करूंगा। यदि आगा शाही अथवा कोतेव सादेह से नहीं तो मैं अफगान-प्रस्तावों पर किससे विचार-विमर्श करूंगा ? ये ही पार्टियां हैं जिनसे मुझे अफगान वार्ता की व्यवहारिकता के बारे में प्रश्न पर आने से पूर्व बातचीत करनी है। इसलिए प्रथम प्रतिक्रिया के रूप में जैसा कि मैं इस सभा तथा दूसरी सभा में कह चुका हूं कि वे विचार करने के योग्य हैं। परन्तु यह हमारा अन्तिम दृष्टिकोण नहीं हो सकता है क्योंकि हम इस सम्बन्ध में अन्तिम दृष्टिकोण अपनाने वाले कोई नहीं होते हैं। अन्य लोग भी हैं जिन्हें दृष्टिकोण अपनाना है और हम यह देखेंगे कि क्या इन दृष्टिकोण के बीच बैठक का कोई आधार हो सकता है। क्योंकि मैं वह नाजुक प्रयास कर रहा हूं, और मैं नम्र निवेदन करूंगा कि जो कुछ मैं कह चुका हूं उससे अधिक कहना मेरे लिए उचित नहीं होगा।

अब माननीय सदस्यों को मालूम हो गया होगा कि हमारी प्रतिक्रिया में संयम और सन्तुलन है और इन परिस्थितियों में तनाव कम करने के लिए ऐसा ही होना चाहिए। इसके सिवाय कुछ नहीं कर सकते थे। ऐसा नहीं है कि हम कुछ अधिक शब्द नहीं कह सकते थे परन्तु यह शब्दों का प्रश्न नहीं है; बल्कि तनाव कम करने का प्रश्न है जिससे हम अत्याधिक महत्त्वपूर्ण रूप से संबंधित हैं। इसलिए मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि अपनी प्रतिक्रियाओं के व्यक्त करने के रूप में जो कुछ किया गया है अथवा इस सरकार द्वारा जो कदम उठाये गये हैं वह सुविवेचित तथा सुविचारित हैं।

]श्री पी० वी० नरसिंह राव]

अब मैं चीन के साथ संबंध सामान्य बनाने के बारे में एक अन्य अत्यधिक जटिल प्रश्न पर आता हूं। यह पुनः दोनों सदनों के वाद-विवाद तथा कार्यवाही वृत्तान्त में आया है। मुझे समूचे वाद-विवाद से एक सावधानी बरतने के लिए कहा गया है और यह, 'सावधान' 'खबरदार!' —शब्दों में व्यक्त की गई है; और जहां तक मैं इस सावधानी को समझ पाया हूं मैं इसके प्रतिपूर्ण सम्मान प्रकट करते हुए कहता कि मैं उसी भावना के साथ इसको मानता हूं जिस भावना से यह कहा गया है। हालांकि मैं इसको अस्वीकार नहीं कर रहा हूं फिर भी मैं वास्तव में सावधानी बरतने को ही सब कुछ नहीं मानता हूं। चेतावनी दी गई है और मैं इसे मान रहा हूं।

इस तरफ से एक माननीय सदस्य ने इसको हिन्दी में बहुत सुन्दरता के साथ प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, "दूध का जला छाछ को भी फूंक-फूंक कर पीता है। मुझे इतना ही कहना है कि आप जिन्दगी भर फूंकते ही रहेंगे या पीयेंगे भी कभी।" इसलिए सभी प्रकार की सावधानी बरतते हुए भी हम सदस्यों द्वारा दी गई सलाह का लाभ उठायेंगे और हम भी वही करेंगे जो ठीक है। किसी भी सदस्य ने संबंधों को सामान्य बनाने के विरुद्ध नहीं कहा है। श्री इन्द्रजीत गुप्त ने तो बिल्कुल ही दो टूक बात कही है कि केवल कोई पागल ही इसका विरोध कर सकता है। सौभाग्यवश मुझे ऐसा पागल व्यक्ति नहीं मिला है। इसलिए यही मेरा उत्तर होगा। अन्ततः हमें वार्ता क्यों नहीं करनी चाहिए? दुश्मन भी बातचीत करते हैं और इस समय हम अपने आपको दुश्मन नहीं समझते हैं। हम पड़ोसी हैं। यह सच है कि विगत 15 से 20 वर्षों में कुछ गलत हुआ है। यदि दूसरी ओर से इसे ठीक करने की इच्छा है तो हमें इसे ठीक करना है क्योंकि हम अपने आप यह नहीं कर सकते हैं। हम इसे अविश्वास के साथ शुरू नहीं कर सकते हैं। हम सावधानीपूर्ण तथा सतर्क हैं परन्तु हम चीनियों को नहीं कह सकते हैं सब ठीक है, आप बातचीत करने के लिए हालांकि हमें आप पर विश्वास नहीं है। इस प्रकार के रवैये से काम नहीं चलेगा। हमें खुले दिमाग से बातचीत करनी होगी और हम ऐसा ही करेंगे। मैं पहले ही एक वक्तव्य दे चुका हूं जिसमें सचेत रहने की इच्छा व्यक्त की गई है। एक वक्तव्य दिया गया है कि यह एक व्यापक प्रस्ताव है। कोई यह नहीं कह सकता है कि यह सतर्कता नहीं बरती गई है। यद्यपि मैं नहीं समझता हूं कि मैंने कोई चीज अस्वीकृत की है, मैं नहीं समझता हूं कि मैंने वास्तव में कोई एक ऐसा वक्तव्य दिया है जिससे आगे वार्ता असंभव हो जाये। वह हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे पास महाभारत का एक बड़ा पुराना उदाहरण है। अट्ठारह दिन तक उन्होंने दिन में लड़ाई की और रात में साजिश तथा वार्ता की। ठीक ऐसा ही यहां हुआ। यही महाभारत में भी हुआ कि उस समय अन्त में पांडव और कौरव लड़ाई के मैदान में उतर आये। भगवान कृष्ण पांडवों की ओर गये। पांडवों ने कहा, "अब कुछ नहीं हो सकता, हम युद्ध करेंगें।" परन्तु उन्होंने कहा, "नहीं, मैं आपका दूत बनूंगा और पहले हस्तिनापुर जाऊंगा, अगर मुझे अवमानित भी किया जाता है, अगर मुझे मना भी किया जाता है और वापस भी भेजा जाता है तो भी मैं आपके दूत के रूप में जाऊंगा।" इसलिए हमारे लिए यह कोई नई बात नहीं है। हमारे पास ऐसा उदाहरण है जहां हमने अपने कर्त्तव्य का निर्वहन किया है तथा साथ ही अन्तिम क्षण तक विनाश को टालने का प्रयास किया। इसलिए मैं नहीं समझता हूं कि इसमें कोई गलत काम किया गया है। जैसा कि सर्वविदित है कि अन्य देश भी हैं जो इस समय वार्ता कर रहे हैं, वे किसी स्तर पर वार्ता कर रहे हैं।

निशस्तन, गुफूतन, बर्खास्तन वे बैठते हैं, वे बातचीत करते हैं ओर विसर्जित हो जाते हैं। क्या इस समय बहुत से बड़े देशों के बीच यह नहीं हो रहा है। इसलिए मैं विनम्रता के साथ यह कहता हूं कि जब हम सावधानी बरतेंगे तो यदि सम्भव हुआ तो हम निश्चित रूप से प्रगति करना चाहेंगे और इस के लिए मैं इस सदन का आशिर्वाद चाहता हूं और मुझे इस सदन का आशिर्वाद प्राप्त है।

पड़ोसियों के बारे में अब मैं अटल बिहारी जी के अफसोसी भाषण पर आता हूं। उनको रूस के लिए भी अफसोस है, वियतनाम के लिए भी अफसोस है; अफसोस अगर किसी के लिए नहीं है तो अपने लिए नहीं है। उन्होंने जो कुछ किया था, उसके लिए उन्हें कोई अफसोस नहीं है। वह कोई और बात कहते तो मैं कुछ नहीं कहता मैं उनका जवाब भी नहीं देता, लेकिन जब पड़ोसियों की बात उन्होंने उठाई उठाई तो उन्होंने मुझे एक ऐसे धर्म-संकट में डाल दिया है कि मैं कुछ कह भी नहीं सकता। जरूर कहूंगा कि उन्होंने जो कुछ किया है; उसका नतीजा यह है कि आज हम खून के घूंट पीकर चुप हैं। समय आयेगा, जब भारत फैसला करेगा कि हमारे हितों की रक्षा हुई या हमारे हितों का हनन हुआ।

श्री मलिक एम० एम० ए० खां (एटा) : कहिये साहब कहिये।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : जी नहीं, फार इन्स्टांस देखिए हमारे इरिगेशन मिनिस्टर आज जे० आर० सी० की मिटिंग में गये हुए हैं, वह ढाका में हैं। क्या यह कोई मुनासिब है कि मैं कुछ कहूं भूटान, नेपाल जो हमारे दूसरे देश हैं पड़ौसी, उनसे हमारी कई बातों पर वार्ता चल रही है। क्या यह ठीक होगा कि मैं कुछ कहूं ? लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि जिसको हम समझते हैं कि पड़ोसियों से दोस्ती करने का एक तरीका है, तरीके कई होते हैं। यह भी होता है कि आप अपनी लंगोटी उठा-कर दे दें, यह भी होता है कि आप अपनी भी रक्षा करें, उनकी भी करें। इसलिए मैं जानना चाहता हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : अनपार्लियामैंटरी है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैं हितों की बात कर रहा हूं। यह तो साहित्यिक भाषा है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं तो एपरिशियेट करता हूं।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : इसको उपमा कहते हैं।

बात यह है कि हम दोस्ती भी करें और अपने हितों की रक्षा भी करें, अटलजी ने यह कहा था। मैंने उसी वक्त उनको कहा कि इन पर पाबन्द रहें, अटल रहें। अटल जी अगर सिद्धांत पर अटल रहें तो इसका रास्ता बहुत अच्छा निकल सकता है, इस पर दो रायें नहीं हो सकतीं, मैं यह भी कहना चाहता हूं। इसलिए मैं इस वक्त इससे ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन सदन को आश्वासन देता हूं कि अपने हितों की रक्षा करते हुए अपने सभी दोस्तों से अच्छे-से-अच्छे सम्बन्ध हम बनायेंगे, उसमें कोई सन्देह की बात नहीं है।

मैं समझता हूं कि जो भी कठिन मुद्दे उठाये गए हैं मैंने उनके बारे में कह दिया है। अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं केवल एक या दो प्रश्नों को लूंगा।

[श्री पी० वी० नरसिंह राव]

कई मामलें अलग-अलग देशों के बारे में उठाये गये हैं और उनके साथ अर्थात् श्री लंका, भूटान, नेपाल तथा अन्य देशों के साथ हमारे संबंध के बारे में कई मामले उठाये गये हैं। उनके ब्यौरे की गहराई में जाने के लिए मैं सभा का समय नहीं लेना चाहूंगा। संयोग से इस समय मेरे पास ये ब्यौरे नहीं है परन्तु इन देशों में से प्रत्येक के साथ हमारे सम्बन्ध अच्छे हैं। उनके साथ सम्बन्धों को सुधारने के लिए जो हमने किया है वह सर्व विदित है। यदि किसी बात में की कहीं कमी रहती तो उस पर विचार करने के लिए हम सदैव तैयार हैं। यह सच है कि द्विपक्षीय सम्बन्ध एक तरफा नहीं सुधारे जा सकते हैं। द्विपक्षीय सुधार करना होता है और यह बिल्कुल संभव है कि कभी उस पर हमारे कुछ मतभेद हो सकते हैं जो हमें करना है। यह केवल झगड़ालूपन नहीं है जो वार्ता सम्बधों को सामान्य बनाने को रोकता है। संबंधित देशों की यह सच्ची स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। जिस पर वे डटे रहना चाहते हैं और झुकना नहीं चाहते हैं। वे उन्हें ऐसे पर्याप्त मौलिक समझ सकते हैं जिन पर वे न झुकें। ये सभी संभावनायें हैं। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि जिस देश पर भी वे चाहते हैं मैं सदन के समक्ष सारी जानकारी रखने के लिए तैयार हूं तथा हम उन देशों के सम्बन्धों के सुधार के बारे में सदस्यों के विचारों से निश्चित रूप से लाभ उठा सकते हैं।

जम्मू कश्मीर के एक माननीय सदस्य द्वारा एक प्रश्न सामान्य बनाने तथा चीन के साथ संबंधों को सीमा-विवाद का निपटारा करने के बारे में था। मैं इस सभा में और दूसरी सभा में पहले ही कह चुका हूं कि भारत के लोगों के इनके बारे में जानकारी दिये बिना इसके बारे में प्रत्येक से सलाह-मशविरा किये बिना भारत और चीन के बीच संबंधों को सामान्य बनाना तथा सीमा-विवाद का निपटान कैसे सम्भव हो सकता है ? यह अभी सम्भव नहीं है। इसलिए प्रत्येक बात यहां पर उचित समय पर आने वाली है। मेरे पास दूसरा विकल्प नहीं है यदि हम कोई प्रगति करते हैं, यदि हम कोई अस्थाई विचार भी बनाते हैं जो हमें करना है चाहे वह विचार भी अस्थाई रूप में यहां लाया जायेगा। हमारे पास दूसरा विकल्प नहीं है। लोकतन्त्र में कोई अन्य विकल्प नहीं हो सकता है। इसलिए चाहे यह ऐसा क्षेत्र हो जो जम्मू व कश्मीर में हो अथवा अन्य राज्यों में हो, स्थिति यही है। उदाहरणार्थ बंगला देश के साथ हमारे सीमा विवाद में क्या हमने पं० बंगाल सरकार को निरन्तर सम्पर्क में नहीं रखा है ? और वे इन वार्ताओं में निश्चय ही भागीदार रहे हैं और हम उन्हे सम्पर्क में रख रहे हैं। इसलिए किसी राज्य सरकार को इस मामले से दूर रखने का प्रश्न ही नहीं है अन्ततः भारत में राज्य तथा संघ राज्य है परन्तु उस क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों का प्रश्न है जो इससे तत्काल प्रभावित होते हैं और उनकी राज्य सरकारें निश्चित रूप से सम्बन्धित हैं। मुझे उसमें कोई सन्देह नहीं है। उन आधार पर जम्मू व कशमीर के माननीय सदस्य को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है।

बहुत सी, अन्य छोटी-छोटी बातें हैं परन्तु मैं समझता हूं कि काफी कह दिया है.....

श्री एम० सत्यनारायण राव : गल्फ देशी ये हमारे देश के श्रमिकों फी क्या स्थिति है ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : इसके बारे में कोई नहीं बोला है परन्तु इनके बारे में कटौती प्रस्ताव है।

श्री एम० सत्यनारायण राव : इसके बारे में बोला था।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैं शीघ्र ही यह कह कर इस मामले का निबटा दूंगा कि जब हमें यह बात मालूम हुई कि इन श्रमिकों को जिन्हें विदेश में भेजने तथा नियुक्त करने के मामले में कुछ विनियमों की आवश्यकता है तो कुछ मुकदमे खड़े हो गए थे।

मसला उच्चतम न्यायालय तक गया और उच्चतम न्यायालय ने एक आदेश द्वारा हमें कुछ मार्ग दर्शीय बातें बतायीं। बाद के एक आदेश द्वारा उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वह अब भी अपने पहले वाले आदेश में दी गई मार्गदर्शी बातों पर दृढ़ है और उसने यह भी कहा है कि महान्याय-वादी अथवा सरकार की ओर से किसी ने आश्वासन दिए हैं कि सरकार उच्चतम न्यायालय से पहले आदेश में दी गई बातों के अलावा, और कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाएगी।

अब स्थिति यह है। हमें उन मार्गदर्शीय बातों का पालन करना है, लेकिन एक ही रास्ता है और वह है इस संसद द्वारा एक नये कानून का बनाया जाना। अब यही हम कर रहे हैं। इस बारे में एक विधेयक तैयार किया गया। जब पहली बार हमने इसकी जांच की तो हम इस बात से पूरी तरह आश्वस्त नहीं हो पाए कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 तथा 19 केन्द्र उपबन्धों के अनुसार खरा उतरेगा। अतः हमने इसे विधि मंत्रालय से वापस भेजा है। वे अतिरिक्त समय देकर इस परकाम कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि वे बहुत शीघ्र संविधान में निहित मूलभूत अधिकारों के अनुरूप एक विधेयक लाएंगे।

क्या हम किसी व्यक्ति पर अपनी जीविका के लिए कहीं जाने पर रोक लगा सकते हैं अथवा नहीं? इस मामले पर विचार करते हुए यह प्रश्न स्पष्ट रूप से सामने आता है और इसमें भारी मतभेद भी हो सकते हैं। अतः हम इन सब कठिनाइयों पर काबू पाना चाहते हैं और ऐसे निष्कर्षों पर पहुंचना चाहते हैं जो संविधान की चुनौतियों का भी सामना कर सके। हम इसे कर रहे हैं। और उसके बाद हम निश्चय ही विधेयक साथ में लाने तथा पारित करने के उद्देश्य से औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक निर्णय लेंगे। उसके बाद निर्णयों की बात आती है। इसमें कुछ समय लगेगा। लेकिन कुछ माननीय सदस्यों द्वारा प्रकट आश्यों के सम्बन्ध में मैं कहूंगा कि सरकार इन्हें पूरा करने में असमर्थ है। वे हमसे दुबई में कुछ करवाना चाहते हैं। दुबई पर हमारा क्या अधिकार है? यह बात ठीक है कि लोग वहां दुखी हैं। इसका कारण एक है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? किसी हद तक वे जिम्मेदार हैं। हम उन्हें दोषी नहीं ठहरा सकते। लेकिन लोग अन्य देशो में जाते ही हैं। वास्तव में, हमारे लोग दक्षिण-पूर्व एशिया के सभी देशों में गये हैं। उनमें से कुछ लोग इन क्षेत्रों के नेता भी हैं। ऐसा युगों तक होता रहा। लेकिन जब अधिकार के प्रयोग करने तथा विदेशों में इनके हितों में कुछ करने का अवसर आता है तो कठिनाईयां सामने आती हैं। हमारी कुछ सीमाएं हैं। राजनयिक माध्यम द्वारा इसमें कई बाधाएं आती हैं। अतः मैं आप से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस बारे में जो कुछ किया जा सकता है, उसकी कुछ सीमाएं हैं। लेकिन सीमाओं के अन्दर जो कुछ भी सम्भव है हम करेंगे। विधेयक, जब भी आपके सामने आए, आपकी सम्पत्ति है, आप हमें कह सकते हैं कि क्या करें? और विधेयक पारित किया जाएगा। उसके लिए दलीय विचारधाराओं का कोई भी प्रश्न नहीं। कोई भी माननीय सदस्य इस बारे में सुझाव दे सकता है। यह किसी दल विशेष का मामला नहीं होगा क्योंकि यह किसी दल का मामला

[श्री पी० वी० नरसिंह राव]

नहीं है। अतः इस प्रश्न के बारे में यही कुछ कहना चाहूंगा। निष्कर्ष में, मैं कहना चाहूंगा कि इह मअपने अतीत तथा परम्पराओं से प्रेरणा लेते हैं। हम इस कथन का पालन करते हैं :—

उदार चरितांनां तु वसुधैव कुटुम्बकम् ॥

आप इस सिद्धांत को विश्व की किसी अन्य सभ्यता में नहीं पाएंगे। अन्य सभ्यताओं से कुछ प्रतिबंध हैं। लेकिन हम खुले दिल के हैं और हम सारे विश्व को अपनाते हैं। यह बात सच है कि अपने इतिहास में हम भी कभी-कभी प्रतिबन्धात्मक बने और जैसे कि श्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा हमारा समाज गतिहीन हो गया क्योंकि हमने अपनी सीमाओं से बाहर नहीं देखा था।

अब हम इस प्रकार सीमाओं से बाहर निकल चुके हैं और हम गुट निरपेक्ष आंदोलन के नेताओं में से एक हैं, जो, जैसे कि मैंने अभी कहा, मानवता के एक बड़े भाग का प्रतिनिधित्व करता है। अतः उस रूप में हम अपने कर्तव्य के पालन करने का भरसक प्रयत्न करेंगे और मैं आशा करता हूं कि भारतीयों के यह प्रतिनिधि साफ इन नीति का समर्थन करेगी जो, जैसे कि मैंने कहा, मतैक्य पर आधारित है। धन्यवाद।

मैं माननीय सदस्यों से कटौती प्रस्तावों पर बल न देने का अनुरोध करता हूं। कुछ सदस्यों ने कहा है कि विदेश स्थित हमारे मिशनों में बहुत कम साज-सामान है। कुछ सदस्यों ने कुर्सी मेज आदि के बारे में कहा। माननीय सदस्यों द्वारा विदेश मंत्रालय की मांगों में वृद्धि करने का अनुरोध उचित ही है। मैं सच्चे दिल से कहता हूं कि इसकी आवश्यकता है। मैं इस बारे में एक उदाहरण दूंगा। हमारा विदेशी प्रचार, विशेषकर रेडियो प्रचार, बहुत ही कमजोर है। जिन देशों के लिए हमारा यह प्राकरण होता है वह उन देशों तक नहीं पहुंचता और यह एक असंतोषजनक मामला है। हम प्राकरण उन भाषाओं में करते हैं और यदि वे प्राकरण उन भाषाओं के तटों तक ही न पहुंचे, तो क्या यह हास्यास्पद बात नहीं है ? अतः मैं कहूंगा कि हमारा बजट पहले ही बचत वाला बजट है, बहुत बचत वाला बजट है लेकिन हम सदस्यों का समर्थन एक अच्छे तथा कार्यकुशल ढंग से चाहेंगे जिसके लिए अधिक राशि की जरूरत होगी। उसके लिए मैं सभा से बाद में अनुरोध करूंगा। लेकिन इस समय मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे अपने कटौती प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : इनके अनुरोध को ध्यान में रखते हुए हम अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेते हैं।

अध्यक्ष महोदय :—अब मैं सभी कटौती प्रस्ताव सभा के मतदान के लिए रखता हूं। यदि कोई माननीय सदस्य किसी कटौती प्रस्ताव को पृथकतः रखना चाहता हो तो वैसा बताए। अब मैं सभी कटौती प्रस्तावों को मतदान के लिए रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं विदेश मंत्रालय की अनुदानों की मांगे सभा में मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है :—

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गईविदेश मंत्रालय संबंधी मांग संख्या 31 के संबंध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा राशियों से अनधिक राशियां भारत की सचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विदेश मंत्रालय

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
		राजस्व	पूंजी
31	विदेश मंत्रालय	91,77,65,000	12,91,45,000

ऊर्जा मंत्रालय तथा कोयला विभाग, (इस्पात, खान तथा कोयला मंत्रालय)

अध्यक्ष महोदय : सभा अब ऊर्जा मंत्रालय की मांग संख्या 30 तथा कोयला विभाग (इस्पात, खान तथा कोयला मंत्रालय) की मांग संख्या 82 पर विचार तथा मतदान करेगी जिसके लिए 5 घंटे निश्चित किये गये हैं।

ये मांगे निम्न प्रकार हैं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
		राजस्व	पूंजी
30	उर्जा मंत्रालय	44,07,56,000	370 28,86,300
82	कोयला विभाग	70,86,28,000	381 03,28,000

जिन माननीय सदस्यों के अनुदानों की मांगों सम्बन्धी कटौती प्रस्ताव परिचालित कर दिये गये हैं, यदि वे अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं तो 15 मिनट के अन्दर कटौती प्रस्ताव क्रम सहित अपने स्लिप भेज दें। इन कटौती प्रस्तावों को पेश किये गये समझा जायेगा।

अब श्री दौलतराम सारण।

श्री दौलतराम सारण (चुरु) : अध्यक्ष जी, मैं ऊर्जा मंत्रालय की अनुदान की मांगें जो इस सदन में विचारार्थ प्रस्तुत हैं, उनके संबंध में कहने के लिये खड़ा हुआ हूं।

ऊर्जा मंत्रालय को गत वर्ष इस सदन के द्वारा जो धनराशि स्वीकृत की गई थी, उस धनराशि के अन्तर्गत जिन योजनाओं की स्वीकृति हुई थी, उनको यह मंत्रालय ठीक तरह से अंजाम नहीं दे सका है और अपने कार्यक्रमों को पूरा नहीं कर सकता है। ऊर्जा मंत्रालय उस धनराशि को सांगोपांग

[श्री दौलत राम सारण]

ढंग से उपयोग करने में बिल्कुल असफल रहा है। मुझे खेद है कि यह मंत्रालय अपने सहयोगी मंत्रालयों का, जिन मंत्रालयों से इनके कामकाज का सम्बन्ध है, उनका भी सहयोग प्राप्त नहीं कर सका है। उनका सहयोग प्राप्त करने में भी यह असफल रहा है। ये बार-बार इस सदन में जवाब देते रहे हैं कि बिजली इसलिए ठीक तरह से पैदा नहीं की सकी कि रेलवे ने कोयला नहीं पहुंचाया, स्टील मिनिस्ट्री ने स्टील समय पर नहीं दिया, इसलिए योजना पूरी नहीं हो सकी। इस तरह से यह मंत्रालय दूसरे मंत्रालयों को अपने सहयोग में, विश्वास में, नहीं ला सका है।

(श्री गुलशेर अहमद पीठासीन हुए)

सभापति जी, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह आश्चर्य की बात है कि सरकार कोयला निकालती है, सरकार कोयला पहुंचाती है और सरकार ही कोयला उपयोग करती है, लेकिन फिर भी बिजली पैदा नहीं होती। सब जगह सरकार है, कहीं कोई बीच में नहीं है लेकिन फिर भी कोयला आता नहीं। यह कह दिया जाता है कि रेल इसलिए नहीं चलती कि कोयला नहीं पहुंचा, डीजल नहीं पहुंचा। पहुंचाने वाली सरकार की रेल, निकालने वाली सरकार और देने वाली सरकार, लेकिन इसके बाद जनता की यह हालत है कि बिजली नहीं, कोयला नहीं और डीजल नहीं। यह हालत इस सरकार व्यवस्था की है, तो ऊर्जा मंत्रालय के सम्बन्ध में सबसे पहले यह कहना चाहता हूं कि इस परिप्रेक्ष्य में इनकी सारी कारगुजारी को हम देख सकेंगे।

ऊर्जा मंत्रालय के अन्तर्गत नौ स्रोत हैं, जिनसे इनको ऊर्जा प्राप्त हो सकती है। उनमें सबसे मुख्य स्रोत है पानी का, दूसरा कोयले का, तीसरा सौर का, चौथा परमाणु का, पांचवां गोबर-गैस-प्लान्ट, तापीय ऊर्जा, ज्वारीय विद्युत और वायु ऊर्जा ये सारे स्रोत ऊर्जा प्राप्त करने के हैं और बाकी के स्रोत तो अभी खोजे जा रहे हैं। तापीय ऊर्जा तो केवल एक प्रयास है, अभी उसकी कोई संभावना नहीं लगती है।

जहां भूमि से गर्म पानी निकलता है, उससे यह आशा करते हैं कि वहां से बिजली पैदा की जा सकेगी। इसी तरह से वायु स्रोत के अन्दर पहाड़ी क्षेत्रों में और दक्षिण के पठारों में पवन-चक्कियां स्थापित की हैं— जिनसे ऊर्जा प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं और छोटे-छोटे कुंओं के पम्पिंग सेट्स चलाने में कुछ सफलता मिली है। लेकिन कोई कारगर स्रोत अभी तक दिखाई नहीं पड़ा है। सौर ऊर्जा स्रोत की भी उज्ज्वल सम्भावना लगती है, लेकिन इस मंत्रालय के सामने ऐसा लगता है कि जितना कार्य इस सौर ऊर्जा के सम्बन्ध में करना चाहिए, उतना कार्य नहीं हो रहा है।

आज प्रधान मंत्री जी ने भी इस सम्बन्ध में एक उत्तर देते हुए कहा था कि थोड़ा पानी गरम करने, रसोई में थोड़ा-बहुत काम करने और कहीं-कहीं खेती की कोई चीज सुखाने के लिए सौर ऊर्जा के स्रोत का उपयोग होता है, लेकिन अभी यह सब प्रयोग की अवस्था में है, जबकि इसके बढ़ने की संभावना हमारे देश में हो सकती है इसलिए मेरा कहना है कि इस तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाय।

अब मैं परमाणु विद्युत की तरफ आता हूं—इसकी हालत बहुत खस्ता है। हमारे यहां पर-

माणु विद्युत के तीन केन्द्र हैं—एक तारापुर में है जो तारापुर और अमरीका के बीच में लटक रहा है, दूसरा मद्रास का कल्पकम परमाणु विद्युत केन्द्र, यह 235 मैगावाट यूनिट का है, यहां पर दूसरा यूनिट भी तैयार हो रहा है, तीसरा कोटा में रावत भाटा में 220 मैगावाट यूनिट का है। चौथा नरौरा में, जो उत्तर प्रदेश में है राजस्थान के कोटा में जो एटामिक पावर प्लांट है—उसकी बड़ी दुर्दशा है, यह हर महीने या अधिक से अधिक दो महीने बाद बन्द हो जाता है? बन्द क्यों हो जाता है? जितनी जानकारी मैं प्राप्त कर सका हूं—आज तक इसका पता नहीं चल सका है कि इसके बन्द होने के क्या कारण हैं? हर बार यह कहा जाता है कि अब यह ठीक चलेगा, लेकिन महीने-दो महीने के बाद फिर बन्द हो जाता है। इससे राजस्थान की विद्युत उपलब्धि पर बहुत बुरा असर पड़ा है। कोटा आज भारत का एक महत्त्वपूर्ण औद्योगिक केन्द्र बन गया है। इस केन्द्र से बिजली न मिलने के कारण राजस्थान के सारे उद्योग लड़खड़ा गये हैं और राजस्थान की विद्युत उपलब्धि पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा है। यही नहीं, इससे कई खतरे जो आणविक दृष्टि से पैदा होते हैं, उनकी भी सम्भावना हो सकती है। इसलिए मैं इस मंत्रालय से निवेदन करना चाहता हूं, मेहरबानी करके या तो इसको ठीक कीजिये या कोटा से उठाकर दिल्ली ले आइये ताकि यहां रोज उस पर निगरानी रखी जा सके। राजस्थान की जनता इससे बहुत तंग हो चुकी है, राजस्थान की औद्योगिक क्षमता को, किसानों की क्षमता को इसने नष्ट कर दिया है इसीलिए मुझे बहुत अधिक नाराजगी के साथ इस बात को कहना पड़ा है।

जहां तक हमारे पारम्परिक स्रोतों का सम्बन्ध है, जैसे तेल, कोयला और प्राकृतिक गैस—इस सम्बन्ध में हमारा देश बहुत सौभाग्यशाली है। कोयले के बहुत व्यापक भण्डार हमारे देश में हैं। 1 लाख 11 हजार 628 मिलियन मीटरिक टन कोयले के भण्डार होने का अनुमान है, जिसमें से 79,075 मीलियन मीटरिक टन गैरकोकिंग किस्म का कोयला है और 22500 मिलियन मीटरिक टन कोकिंग किस्म का कोयला है। हमारे इस कोयले का उपयोग बेहतरीन तरीके से थर्मल पावर प्लांट्स के लिए किया जा सकता था, लेकिन पहले इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। हमारे योजनाबद्ध विकास में ऊर्जा उत्पादन के लिए पहले हाइड्रोइलैक्ट्रिक की तरफ ध्यान दिया गया, लेकिन उसको भी अधर में, बीच में छोड़ दिया। जहां तक थर्मल पावर प्लांट्स का सम्बन्ध है—रेलें कोयला नहीं पहुंचा पा रही है, डीजल की उपलब्धि नहीं हो रही है, जिससे हमारे थर्मल प्लांट्स भी गड़बड़ा गये हैं और और हमारी जितनी योजनाएं हैं, सब लड़खड़ा रही हैं और देश में जगह-जगह जो हमारे उत्पादन के साधन हैं वे पूरी तरह से असफल होते नजर आ रहे हैं। इसलिए में कहना चाहता हूं कि पारस्परिक समन्वय और सहयोग की व्यवस्था की जाय, इस मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों के साथ सहयोग स्थापित होना चाहिए।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

इसकी आवश्यकता है अन्यथा योजनाबद्ध विकास लड़खड़ा जाएगा। इधर देश में कोयले के साथ साथ तेल और प्राकृतिक गैस के भी अच्छे भंडार बताए जाते हैं। लेकिन जो सुनिश्चित भंडारों की क्षमता आंकी गई है, वह 300 मिलियन मैट्रिक टन के करीब है और देश के जो प्राकृतिक गैस भण्डार हैं वे 53 बिलियन क्यूमेक एवं मैट्रिक टन के लगभग है और अभी जो दक्षिण तट और बंगाल की खाड़ी और बम्बई में नये स्रोत मिले हैं जो उनसे हम आशा करते हैं कि तेल और गैस के प्राकृतिक

[श्री दौलत राम सारण]

साधनों के अधिक अच्छे भण्डार मिल सकेंगे । इस तरफ सरकार का ध्यान अधिक जाना चाहिए ताकि हमें ऊर्जा के अधिक स्रोत मिल सकें लेकिन मुझे खेद है कि यह मंत्रालय इस तरफ जितना ध्यान देना चाहिए उतना ध्यान नहीं दे सका है।

अब मैं पन-बिजली की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। पन-बिजली की स्थिति यह है कि देश के अलीय संसाधनों से लगभग 400 टी० डब्लु० टी वार्षिक ऊर्जा पैदा की जा सकती है लेकिन इसमें से केवल 10 प्रतिशत का उपयोग किया गया है । इस तरह से इन व्यापक संसाधनों का पूरा उपयोग करना चाहते हैं, तो इस तरफ पूरा ध्यान देना चाहिए जबकि सरकार का ध्यान पूरी तरह से इस तरफ नहीं गया है । हमारे पास बहुत सारे प्राकृतिक साधन हैं । हमारा बहुत सारा पानी बह कर नदियों के द्वारा समुद्र में चला जाता है और हम यह भी देखते हैं कि अरबों रुपये की धन की हानि प्रति वर्ष हमें बाढ़ों के कारण उठानी पड़ती है लेकिन इस पानी का उपयोग हम सिंचाई और विद्युत उत्पादन में नहीं कर पाए हैं और यह अभी तक तबाही का कारण बना हुआ है। मैं ऐसा समझता हूं कि परस्पर मंत्री स्तर पर और मंत्रिमंडलीय स्तर पर सम्पर्क और योजना की उपेक्षा का परिणाम यह है। ऐसा मुझे नजर आता है और मैं यह निवेदन करूंगा कि इस तरफ अधिक ध्यान दिया जाए ताकि इन प्राकृतिक साधनों का उपयोग हमारे विकास के कार्यों में हो सके । अगर योजनाबद्ध तरीके से सबसे पहले बिजली, पानी और सड़क, केवल इन तीन चीजों की तरफ ध्यान दिया जाता तो आज देश का नक्शा कुछ और ही होता। समग्र पानी को इस्तेमाल करने की तरफ ध्यान दिया जाए और उसके लिए आप योजना बनाएं । आप पानी को खेतों में पहुंचाएं और बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल में लाएं, तो इनसे लोगों को बहुत फायदा होगा । इसके अलावा जमीन के नीचे जो पानी है, उसको भी निकाला जाए, उससे अधिक पैदा की जाए, तो अधिक उत्पादन हम कर सकते हैं और इससे देश में जो बेरोजगारी की समस्या है, उसका समाधान भी कर सकते हैं और देश में जो आज अभाव की स्थिति है, उसकी भी मिटा सकते हैं लेकिन मुझे अफसोस है कि योजना-निर्माताओं ने उस तरफ उतना ध्यान नहीं दिया जितना प्राथमिकता के हिसाब से देना चाहिए था । उसी का परिणाम आज हम लोग भुगत रहे हैं । देर आयद दुरुस्त आयद, अगर अब भी दुरस्त हो जाए, तो भी मैं समझता हूं कि हम अपने संसाधानों का अधिक उपयोग कर सकते हैं।

ग्रामीण विद्युतीकरण के नाम पर जब हम स्थिति देखते हैं, तो हमारे सामने सारा चित्र स्पष्ट हो जाता है कि ध्यान किधर है । आप यह देखिए कि देश के अन्दर 80 प्रतिशत लोग गांवों में बसते हैं। 5,76,000 गांव हमारे देश में हैं लेकिन 33 वर्ष की आबादी के बाद केवल 2,55,735 गांवों की ही बिजली दी गई है और 39,99 173 पम्पिंग सैटों को बिजली दी गई है । यह नक्शा हमारे सामने है । केवल 15.5 या 15.6 परसेन्ट बिजली गांवों को दी गई है।

देश की यह स्थिति यह बताती है कि ध्यान किधर है ? आप औद्योगिक क्षेत्र को करीब 60.6 परसेंट बिजली देते हैं, रेलवे को 3.8 प्रतिशत और अन्य को 4 प्रतिशत बिजली देते हैं । उद्योगों को आप केवल 6 प्रतिशत बिजली देते हैं।

इस प्रकार हम देख रहे है कि बिजली उत्पादन में कमी हो रही है बिजली के उत्पादन की ओर उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा जितना कि दिया जाना चाहिए। हमारे यहां प्राकृतिक साधन प्रचुरता में होते हुए भी, अन्य साधन भी उपलब्ध होते हुए हमारा जितना ध्यान उधर होना चाहिए

था उतना नहीं हुआ है। उसको हम प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं। दूसरी तरफ जो हमारी उत्पादित ऊर्जा है उस ऊर्जा का भी हमने इस तरह से वितरण किया है कि उसमें हमने बहुसंख्यक लोगों की उपेक्षा की है। हमारे देश का वह क्षेत्र, वह उद्योग जिस पर हम बहुत अधिक निर्भर रहते हैं, उसको हम केवल 15 प्रतिशत बिजली देते हैं। जिस क्षेत्र पर हमारी बहुत अधिक जनसंख्या निर्भर करती है, जो क्षेत्र इस देश में 33 हजार, करोड़ रुपये का वार्षिक उत्पादन करता है उसको हम केवल 15 प्रतिशत बिजली देते हैं, और जो क्षेत्र 10 या 11 हजार करोड़ रुपये का वार्षिक उत्पादन करता है उसको हम 60.6 प्रतिशत बिजली देते हैं। यह हमारी स्थिति है। मैं औद्योगिक क्षेत्र को पनपाने के विरुद्ध नहीं हू। लेकिन देश की जो तात्कालीन आवश्यकता है जिससे आम आदमी का जीवन स्तर ऊंचा उठता है, रोजगार मिलता है उसको हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। देश के अन्दर उत्पादन बढ़ाने और लोगों में अभाव को दूर करने के लिए मैं खेती को प्राथमिकता दिया जाना आवश्यक समझता हूं। इसकी तरफ ज्यादा ध्यान की आवश्यकता है।

जो कार्यक्रम बताया जाता है उस कार्यक्रम को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि गांवों की तरफ ध्यान दिया जाएगा। जैसाकि मैंने अभी बताया, अभी तक आधे गांवों में भी बिजली नहीं है। यह बताया जाता है कि अगर 3,366 करोड़ रुपये हों तो हम 1994-95 तक सब गांवों को बिजली दे सकते हैं। यह भी कहा जाता है कि इस मंत्रालय की ओर से अगर कुछ अधिक धनराशि दी जाए तो आधे के करीब गांवों को 1984-85 तक विद्युत प्रदान की जा सकती है। लेकिन साथ ही यह भी कहाजाता है कि यह धनराशि भी उपलब्ध होने की आशा नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह धनराशि उपलब्ध हो सकती है। बहुत फुजूल के कामों में तो धनराशि खर्च कर देते हैं लेकिन देश के बहुसंख्यक लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए राशि उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। मैं ऊर्जा मंत्रालय के मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वे इसकी तरफ गम्भीरता से ध्यान दें और गांवों को अधिक बिजली देने के लिए अधिक धनराशि दें। अगर खेतों तक अधिक बिजली पहुंचेगी तो अधिक रोगजार के साधन बढ़ेंगे और देश में अधिक उत्पादन होगा। आज अनेक कृषि उत्पादों के लिए बाहर दौड़ रहे हैं। हमारे यहां दालों का अभाव है, तेलों का अभाव है। यह स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी अगर खेतों के लिए पूरी बिजली नहीं मिलेगी, पूरा पानी नहीं मिलेगा। आज गांव के लिए यातायात के साधन नहीं हैं। आपके पास बिजली पैदा करने के साधन हैं। आप अधिक बिजली पैदा कीजिए, अधिक गांवों को दीजिए हम यहां से उसके लिए मंजूरी देने के लिए तैयार हैं।

गांवों के विद्युतीकरण के लिए एक बात कही जाती है। उसके लिए तीन प्रकार के कार्यक्रम चलते हैं। तीन प्रकार के दृष्टिकोण अपनाये जाते हैं। एक राज्य का सामान्य विकास कार्यक्रम है। दूसरे कृषि पुनर्वित्त विकास निगम, वाणिज्य बैंक, भूमि विकास बैंक आदि वित्तीय संस्थाएं ये तीनों मिल कर कार्यक्रम के लिए धन देती हैं और इस कार्यक्रम को बनाने के लिए दो उदेश्य सामने रखेजाते हैं।

एक लघु सिंचाई का और एक ग्रामीण उद्योगों का। इस कार्यक्रम की क्या स्थिति है यह मैंने अभी आपको बता दिया है। बिजलीकृत गांवों में खेती के लिए जो बिजली दी जाती है वह मंहगी दी जाती है, रेट उसका बहुत हाई है और उद्योगों के लिए जो बिजली दी जाती है, वह सस्ती दर पर दी जाती है। खेत तक बिजली पहुंचाने के पैसे किसान से लिए जाते हैं और एक किसान अपने खेत के कुएं पर बिजली ले जाना चाहता है तो राज्य का बिजली बोर्ड साढ़े आठ सौ रुपया फी खम्भा

[श्री दौलत राम सारण]

चार्ज करता है। मीटर भी दो सौ रुपये का होता है जो बिजली बोर्ड किसान से लेता है। किसान से पैसे लेने के बाद भी मीटर किसान का नहीं हो पाता, वह बिजली बोर्ड का ही रहता है। मीटर का तार तोड़ दिया, नाम से सैकड़ों झूठे केसेज राजस्थान में किसानों के खिलाफ चलाए गए हैं। जब बिजली वह मांगता है तो बिजली की चोरी का केस उस पर लगा दिया जाता है। यह हालत आज गांवों की है इन गांवों की विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत। गांवों में खम्भे लगा दिए जाते हैं लेकिन आगे बिजली पहुंचाने के लिए पैसे का अभाव बता दिया जाता है।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : कोरम हीं नहीं है। आप कैसे हाउस को चलाएंगे। कोरम को आप देखें। ट्रेजरी बंचिज सब खाली हैं।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : साढ़े पांच बजे के बाद यह कोरम का सवाल नहीं उठाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : साधारणतः इस प्रकार के प्रश्न नहीं उठाए जाते। श्री मनीराम बागड़ी आप जानते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : 5 बज कर 30 मिनट पर यह प्रश्न नहीं उठाया जाना चाहिए।

श्री दौलत राम सारण : जो बिजली दी जाती है वह सही ढंग से नहीं दी जाती है। बिजली बोर्ड भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। किसानों को बड़ा परेशान किया जाता है। बिजली की चोरी के झूठे मुकदमे किसानों पर लगा दिए जाते हैं। बार-बार बिजली गायब होती रहती है इसकी वजह से किसानों की जो मोटरें होती हैं वे जल जाती है और उनको भारी नुकसान होता है बिजली उसको बहुत ही थोड़ी मात्रा में दी जाती है किसान खेत बोता है तो उस समय उसको नहीं बताया जाता है कि कितनी बिजली देंगे। जब वह फसल बो चुकता है उसके बाद कटौती कर दी जाती है। यह जो कटौती की जाती है उसकी वजह से किसान की खड़ी फसल जल जाती है। इस प्रकार की कटौती के कारण लाखों मन अनाज नष्ट हो गया है पिछले वर्ष यह कोई कारखाना नहीं है जब मर्जी आई तब बिजली बन्द कर दी। अगर फसल के पकने के समय पर एक पानी नहीं दिया जाएगा या दो पानी नहीं दिए जाएंगे तो पूरी फसल नष्ट हो जाएगी और नष्ट हो जाती है तब कुछ नहीं मिलता है। घास भी नहीं मिलती है। यह दृष्टिकोण बिजली विभाग के लोगों के दिमाग में नहीं है। इस हद तक उपेक्षा किसानों की हो रही है।

ऊर्जा मंत्रालय की स्थिति यह है कि जो बिजली दी जाती है उसका रेट अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग है। राजस्थान में मिनिमम चार्ज किसान को देना ही पड़ता है वह बिजली जलाए या न जलाए। उतने पैसे तो उसको हर हालत में देने ही पड़ेंगे। बिजलीं कट सरकार या बिजली बोर्ड ने भी कर दिया तब भी उसको मिनिमम चार्ज के पैसे देने ही पड़ेंगे और अगर नहीं देता है तो उसके खिलाफ वारेंट निकाल दिए जाते हैं। यह अजीब स्थिति है। वह निवेदन करने जाता है तो उसकी सुनवाई नहीं होती है और कहा जाता है कि यह कमर्शियल डिपार्टमैंट है इस तरह से कमर्शियल लाइट के आदमी अपने कंज्यूमर्ज के साथ बिजिनेस नहीं करते हैं, उनके साथ इस तरह से डील नहीं करते हैं जिस तरह से यह डिपार्टमैंट करता है। इन बातों पर गौर करने की आवश्यकता है।

देश में 31 हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है कि जिसमें से 60.6 प्रतिशत बिजली हो तो उद्योगों को दी जाती है और केवल 15.6 प्रतिशत ही किसानों को दी जाती है। गांवों के साथ वह भेदभाव, गांवों की यह उपेक्षा समझ में नहीं आती है। धन्ना सेठों को अधिक बिजली तथा तरह-तरह की सुविधाएं दी जाती हैं, उनको लाभ पहुंचाने की चेष्टा की जाती है। लेकिन गरीब किसान अपने कुएं के लिए बिजली के लिए तड़पता है, उसको बिजली नहीं दी जाती। इसलिये यह उपेक्षा वर्दाश्त नहीं की जा सकती, इसको बन्द करना पड़ेगा।

मैं यह कहना चाहता हूं कि यह डिपार्टमेंट अनेक निगमों, बोर्डों और समितियों में बंटा हुआ है और एक-दूसरे के साथ उनका कोई समन्वय नहीं है। सब अपना-अपना ऊंट हांकते हैं। इसलिये इसमें को-ऑर्डिनेशन और को-आपरेशन की आवश्यकता है। नहीं तो योजनाएं पड़ी रहती हैं। मुझे पता है कि यह योजनाओं की तरफ ध्यान नहीं देते और जब ताकीद की जाती है तो बजट निकाल कर स्टेट को वापिस भेज देते हैं।

राजस्थान में पलाना लिगनाइट पावर प्लान्ट के लिए योजना भेजी गई स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से छटी लोक-सभा में मैंने प्रश्न भी किया था, उस समय मुझे जवाब दिया गया कि राजस्थान में बिजली सरप्लस है, इसलिए आवश्यकता नहीं है इस प्लान्ट की अभी। लेकिन राजस्थान की क्या हालत है, वह तो आप स्वयं जानते हैं कि किस तरह से वहां बिजली अभाव की स्थिति है। मैं कहना चाहता हूं कि पश्चिमी राजस्थान के लिए पलाना लिगनाइट पावर प्लान्ट की बहुत अधिक आवश्यकता है, उसको तुरन्त स्वीकृति दी जानी चाहिए और उसके लिए धन भी सहायता स्वरूप दिया जाना चाहिए।

इसी तरह कोटा का जो थर्मल पावर प्लान्ट है, उसके निर्माण में बहुत ढील चल रही है, उस पर ताकीद करनी चाहिए। राजस्थान पिछड़ा हुआ है, खेती में भी पानी बाहर से आता है दूसरे प्रान्तों से और बिजली भी दूसरे प्रान्तों से आती है और उसमें जब आपकी सहायता रहेगी, तभी काम हो सकता है।

मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि वह अपने उत्तर में यह बताने का कष्ट करें कि आपके जो विभिन्न ऊर्जा-स्रोत हैं, उनके उत्पादन पर प्रति यूनिट कितना लागत खर्चा आता है और उसमें कन्ज्यूमर्स से आप क्या चार्ज करते हैं, कितना मुनाफा बीच में रखते हैं और प्रशासनिक व्यय उस पर कितना पड़ता है; यह सब बतायें। यह आंखें खोलने वाली बात होगी। मैं खुद यह बात न कहकर आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे उम्मीद है कि आप जवाब देते हुए अवश्य इसका उल्लेख करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने कई बार घंटी बजाकर मुझे जो बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और मैं मंत्री महोदय को कहना चाहता हूं कि गांव की, गरीब की उपेक्षा बन्द करो, हिन्दुस्तान गांव में बसता है, गांधीजी कहकर गये हैं। इसलिये खेत और गांव की तरफ ध्यान दो। खेत हरा होगा तो देश हरा होगा, खेत सूखा होगा तो सारा देश भूखा होगा। इसलिये बिजली दो, काम दो, सस्ते रेट पर दो और किसान को खुशहाल बनाओ। बेरोजगारी पर हमला

[श्री दौलत राम सारण]

करना है, अभाव मिटाना है तो खेत की तरफ बिजली का मुंह मोड़ दो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री एस० बी० चव्हाण।

श्री एस० बी० चव्हाण (नांदेड़) : क्या मैं आपसे कल समय देने का अनुरोध कर सकता हूं क्योंकि मैं आज स्वस्थ अनुभव नहीं कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय।

श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय (आसनसोल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री द्वारा सभा के समक्ष प्रस्तुत की गई मांगों का समर्थन करता हूं। मेरे विचार में आज हम महत्वपूर्ण विषयों में से एक पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे देश में उद्योग का विकास, कृषि विकास तथा देश का सम्पूर्ण विकास ऊर्जा के विकास पर निर्भर करता है। यदि आप वर्ष 1976-77 में विद्युत उत्पादन के कार्य निष्पादन को देखें तो यह 56% था। यदि आप पुनः दृष्टिपात करें तो पायेंगे कि 1979 में यह कम होकर 45 प्रतिशत हो गया। 56 प्रतिशत से कम होकर यह 45 प्रतिशत हो गया। परिणामस्वरूप क्या हुआ ? औद्योगिक क्षेत्र में सम्पूर्ण उत्पादन कम हो गया। इस्पात का उत्पादन, कोयले का उत्पादन, सीमेन्ट का उत्पादन तथा कृषि उत्पादों का उत्पादन भी कम हो गया था। यह स्थिति उस समय थी जब कांग्रेस ने 1980 में शासन संभाला। तत्पश्चात् विद्युत उत्पादन में वृद्धि हेतु अत्यधिक प्रयत्न किया गया। सभा में हमने विद्युत उत्पादन के संबंध में प्रधान मंत्री को अत्यधिक चिंतित देखा है और इसके लिए रेलवे से समन्वय तथा अन्य संबंधित विभागों से समन्वय करने हेतु विद्युत मंत्री द्वारा कतिपय ठोस उपाय किये गए हैं ताकि कोयला देश के विद्युत गृहों में पहुंच सके। यदि आप आवागमन की दर को देखें या कोयले की विद्युत गृहों तक ढुलाई को देखें तो पायेंगे कि विद्युत केन्द्रों की कोयले की प्रतिदिन मांग 1900 वैगन है। यह पहले कम होकर 1800 वैगन हो गई थी। तत्पश्चात् विद्युत गृहों के बहुत से सयन्त्रों में कोयले का स्टाक बहुत कम हो गया। कभी-कभी विद्युत गृहों में काम ही नहीं हो सका। ऐसी स्थिति में वित्त मंत्री की अध्यक्षता में एक सम्पूर्ण समन्वय समिति का गठन किया गया है। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण बात है और परिणामस्वरूप विद्युत उत्पादन की कार्यकुशलता 45% से बढ़कर 48% हो गई। हमारे देश में निरन्तर तीन वर्षों तक निगरानी न रखने से विद्युत संयन्त्रों को काफी क्षति पहुंची है। उचित रखरखाव के अभाव में अक्सर ब्रेक डाउन होते रहे हैं। अधिकतम उत्पादन क्षमता की स्थिति बहुत धूमिल रही। वर्तमान सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ?

आज अधिकारियों और आपरेटरों के प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। अधिकारियों और कार्यकारी अधिकारियों को प्रशिक्षण देने हेतु चार संस्थानों की स्थापना की गई है। इसके परिणाम भी प्राप्त होने लगे हैं। आप जैसा जानते हैं सरकार की वर्तमान धारणा विद्युत संकट को दूर करने की है। ऐसा करने हेतु सरकार को विशाल विद्युत केन्द्रों को आरम्भ करना होगा। सरकार ने विशाल खानों के मुहानों पर ही जहां कोयला अन्य आधारभूत सुविधाएं तथा पानी उपलब्ध है विशाल विद्युत केन्द्रों की स्थापना करने का निश्चय किया है। सरकार ऐसे स्थानों पर

विशाल विद्युत केन्द्र स्थापित करने जा रही है। मैं सुझाव देता हूं कि विशाल विद्युत केन्द्र केवल केन्द्रीय क्षेत्र में ही स्थापित किए जाएं क्योंकि इसके लिए अपेक्षित प्रौद्योगिकी कीबहुत ही जटिल तथा आधुनिक समस्या है एवम् इन विद्युत केन्द्रों की स्थापना तथा संचालन हेतु अपेक्षित पर्याप्त प्रशिक्षण सुविधाएं राज्य विद्युत मण्डलों के पास उपलब्ध नहीं है। मैं सिफारिश करता हूं कि विशाल विद्युत केन्द्रों का निर्माण केन्द्रीय क्षेत्र द्वारा उचित निरीक्षण तथा देश के उचित तकनीकी कार्मिकों के साथ किया जाए। ऐसा करते समय हमें राज्य विद्युत मण्डलों द्वारा चालित विद्युत केन्द्रों का ध्यान रखना होगा। कई राज्यों के विद्युत मण्डलों की अधिक विद्युत उत्पादन करने की बजाए अधिक शक्तियां प्राप्त करने में रुचि है। यह ऐसा निकाय है जहां वे अधिक विद्युत उत्पादन नहीं करना चाहते अपितु राजनीति चाहते हैं।

मिसाल के तौर पर पश्चिम बंगाल राज्य को लीजिये। पूर्वी क्षेत्र विद्युत के अभाव में अत्यधिक नुकसान उठा रहा है क्योंकि अतिरिक्त क्षमता के निर्माण के लिए योजना में कोई प्रावधान नहीं किया गया। पिछले तीन वर्षों में, मैं पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत मण्डल की कुछ आलोचना करने के लिये क्षमा चाहता हूं। मैं ऐसा करने के लिए विवश हूं। क्यों? वर्ष 1974 में कोलाघाट के स्थान पर एक विशाल परियोजना की स्वीकृति दी गई थी। उसके पश्चात् वर्ष 1977 तक प्रगति अच्छी हुई परन्तु 1977 के पश्चात, क्या हुआ? क्या सिविल इंजीनियरिंग का काम चल रहा है। उनको सुपुर्द की गई मशीनरी पर जंग लग रहा है। आज भी मशीनरी इस बुरी स्थिति में है कि जब इसे तीन या चार वर्ष बाद चलाया जाएगा तो आप देखेंगे कि विद्युत संयन्त्र काम ही नहीं कर रहा और हर वक्त हर क्षण ब्रेक डाउन हो रहे हैं। राज्य सरकार क्या कर रही है। राज्य सरकार स्थिति के प्रति लापरवाह है।

पश्चिम बंगाल में विद्युत की स्थिति क्या है? ओद्योगिक क्षेत्रों में ओद्योगिक मजदूरों की अस्थायी घटना एक स्थायी विशेषता बन गई है। जूट, इंजीनियरिंग, वस्त्र, इस्पात और अन्य उद्योगों में काम करने वाले सबसे अधिक प्रभावित हैं। दुर्गापुर में उनके द्वारा रक्षित विद्युत संमन्त्रों के संबंध में क्या है? यह राज्य सरकार की परियोजना है और वे स्वंय इसे कर रहें। परन्तु उत्पादन कितना है? पिछले दिन तक कलकत्ता को बिल्कुल बिजली नहीं दी गई। कलकत्ता क्षेत्र में कुल कितने समय तक बिजली कटौती की जाती है? विरोधी पक्ष के मेरे मित्र इसे भली-भांति जानते हैं। जब बिजली आती है तो बच्चे चिल्लाते हैं "ज्योति बाबू आ गया" और जब बिजली दिन में रात में और गर्मी में जाती है तो बच्चे चिल्लाते हैं, "ज्योति बाबू चला गया।" पश्चिम बंगाल में वह एक मजाक बन गया है क्योंकि इसका उचित ध्यान नहीं रखा जाता है।

जहां तक दामोदर घाटी निगम का सम्बन्ध है, विरोध पक्ष में बैठे मेरे मित्र क्या कह सकते हैं कि वर्ष 1976-77 तक उत्पादन 900 मैगावाट तक नहीं था? दामोदर घाटी निगम को वर्ष 1977-78, 1978-79 और 1979-80 में क्या हुआ? मैंने जैसा कि आरम्भ में कहा है कि जो लोग इसके प्रभारी थे, उनकी और अधिक विद्युत उत्पादन में रुचि नहीं थी। वे अधिक शक्तियां प्राप्त करने में रुचि रखते थे। दामोदर घाटी निगम में जहां 900 या यहां तक कि 1000 मैगावाट तक का उत्पादन हो रहा था घटकर 340 मैगावाट हो गया। यह चापलूसी नहीं है, परन्तु मैं लक्ष्य बता रहा हूं कि कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद एक साल में इतनी बार दामोदर घाटी निगम के अध्यक्ष

[श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय]

दामोदर घाटी निगम नहीं जाते, जितनी बार विद्युत मन्त्री गए हैं। चन्द्रपुर एक अलग-थलग स्थल है और वहां स्थित केन्द्र काम नहीं कर रहा है। मैंने मन्त्री महोदय को वहां चार बार जाते देखा है मैं उनकी चापलूसी नहीं कर रहा हूं। यह एक लक्ष्य है। वे अपनी तरफ से अत्यधिक प्रयत्न कर रहे हैं। उनके समक्ष चुनौती है और वह संघर्ष कर रहे हैं। परन्तु दामोदर घाटी निगम के लिए एक चीज की जानी चाहिए। उन्हें दामोदर घाटी निगम के लिए एक ऐसे उपयुक्त व्यक्ति की तलाश करनी चाहिए, एक सामर्थ्यवान और गतिशील अधिकारी की, जो मजदूरों और अधिकारियों को उत्साहित कर सके, अपेक्षाकृत अच्छा रखरखाव उपलब्ध करा सके, और इस मामले में अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन और अधिक समन्वय कर मुझे पूर्ण विश्वास है कि दामोदर घाटी निगम उपयुक्त परिवर्तनों और अन्य बातों के बाद उभरेगा।

जहां तक बिजली उत्पादन का सम्बन्ध है, हम पारम्परिक तरीकों पर निर्भर करते हैं। हम ताप बिजली उत्पादन के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। हम विशाल ढंग से हाइड्रो-जेनरेशन करने का प्रयत्न करने जा रहे हैं। परन्तु हमें आणविक विद्युत उत्पादन करना चाहिए। हमें देश में सौर ऊर्जा के विकास तथा जवारीय विद्युत करना चाहिए। मैं मंत्री महोदय से अपनी सारी मशीनरी को इस दिशा में लगाने का आग्रह करता हूं। मैं जानता हूं कि मंत्रालय में काम का बंटवारा उन श्रेणियों में हुआ है, और इस बार बजट में देश के वैज्ञानिकों को अनुसन्धान करने के लिए काफी प्रोत्साहन दिया गया है। यदि हम देश में सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हैं और वाणिज्यिक रूप देते हैं। तथा ज्वरीय विद्युत का उपयोग करते हैं तो पूर्ण परिवर्तन आ जाएगा।

ऐसा करते समय मैं मंत्री महोदय को कुछ अन्य मुद्दों के संबंध में भी सलाह दूंगा। सरकार के हाथ में उन राज्य विद्युत मंडलों को अपने हाथ में ले सकने के लिए उपयुक्त कानून होना चाहिए जो ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं। जिनको नई परियोजनाओं हेतु अतिरिक्त स्वीकृति मिल गई परन्तु उसकी अपेक्षा कर रहेंहैं तथा जहां विद्युत केन्द्रों के निर्माण कार्य की प्रगति सन्तोपजनक नहीं है। इसके अतिरिक्त मैं यह सुझाव भी देता हूं कि हमारे वर्तमान नियोजन में, जैसा कि मंत्री महोदय की परि कल्पना है, हमें विशाल विद्युत केन्द्रों को अपने हाथ में लेना चाहिए। हम देश के विकास को देश के ओद्योगिक और कृपि विकास को उन लोगों के भरोसे नहीं छोड़ सकते जो राज्य क्षेत्र में राजनीति चलाएंगे। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को इस कार्य को करने के लिए प्रशिक्षित किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मुखोपाध्याय जी आप कल जारी रख सकते हैं। ऊर्जा मंत्रालय और कोयला विभाग संबंधित अनुदानों की मांगों सम्बन्धी कटौती प्रस्तावों, जो सम्बन्धित सदस्यों से प्राप्त पूर्तियों के आधार पर प्रस्तुत हुए समझे गए थे, की संख्या को दर्शाने वाली एक सूची सदस्यों की सूचना पटल पर लगा दी गई है।

यदि सदस्य को सूची में कोई त्रुटी नजर आती है तो वह तत्काल इसे पटल अधिकारी के ध्यान में लाएं।

श्रीमती गीता मुखजी (पंसकुरा) : मैं प्रस्ताव करती हूं :—

"कि ऊर्जा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

गांवों का विद्युतीकरण करने में असफलता। (1)

"कि ऊर्जा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के लिये उदारतापूर्वक अनुदान देने में असफलता। (2)

"कि ऊर्जा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

दामोदर घाटी निगम के प्रशासन को सुदृढ़ बनाने तथा उसे इतना कुशल बनाने में असफलता, जिससे कि उसकी पूरी अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग किया जा सके। (3)

"कि ऊर्जा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

दामोदर घाटी निगम के रखरखाव के कार्य में सुधार करने और ट्यूबों के लीक होने आदि को रोकने में असफलता। (4)

"कि ऊर्जा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

केन्द्रीय सरकार के प्रबंधाधीन तापीय बिजली केन्द्रों की अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग करने में असफलता। (5)

"कि ऊर्जा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

देश में बिजली के पारेषण में होने वाला 20 प्रतिशत बिजली की चोरी को रोकने में असफलता। (6)

"कि ऊर्जा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

बिजली उपभोक्ताओं पर बकाया पड़ी 80 करोड़ रुपए की बड़ी राशि को वसूल करने में असफलता। (7)

"कि ऊर्जा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

विद्युत उत्पादन और उसकी सप्लाई को केन्द्र के अधिकार में लाने की इच्छा। (8)

"कि ऊर्जा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

सौर ऊर्जा; ज्वार भाटा ऊर्जा, आदि जैसे बिजली के वैकल्पिक स्रोतों का पता लगाने के लिए गम्भीर और ठोस प्रयास करने में असफलता। (9)

[श्रीमती गीता मुखर्जी]

"कि ऊर्जा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

केरल में साइलेंट वैली परियोजना को स्वीकृति देने में असफलता। (10)

"कि उर्जा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

बिजली का अधिक उत्पादन करने और वितरण करने के लिए राज्य विद्युत बोर्डों को उदारता पूर्वक सहायता देने में असफलता। (11)

श्री आर० के० महालगी : (ठाणे) :

"कि ऊर्जा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

महाराष्ट्र सरकार द्वारा भेजी गई विभिन्न विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने में असफलता। (12)

"कि ऊर्जा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपया कम किया जाये।"

महाराष्ट्र में बिजली उत्पादन परियोजनाओं की मंजूरी देने में विलम्ब। (21)

'कि ऊर्जा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।"

देश में विभिन्न बिजली बोर्डों विशेषकर महाराष्ट्र बिजली बोर्ड, के कार्यकरण में अकुशलता। (22)

"कि ऊर्जा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किया जाये।'

बिजली की सप्लाई की दरों में वृद्धि को देखते हुए कृषि के लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत ढूंढने की आवश्यकता।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि ऊर्जा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

बिहार के दरभंगा जिले में इलैक्ट्रीसिटी कम्पनी, दरभंगा राज तथा सकरी बिजली घर की जेनरेटिंग मशीनों की मरम्मत तथा चालू करने में असफलता। (17)

"कि ऊर्जा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

पूरी क्षमता में बिजली उत्पन्न करने में असफलता तथा उसके लिये ठोस योजना की कमी। (18)

"कि ऊर्जा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

कोशी नदी के बराह क्षेत्र तथा अन्य स्थानों पर 7000 मेगावाट पन बिजली उत्पन्न करने वाले बहुउद्देश्यीय डैम बनाने तथा चालू करने में असफलता। (19)

"कि ऊर्जा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

बागमती नदी पर नौटहर में, कमला नदी पर सिसपानी में तथा सोन नदी पर बनदेव में बहुउद्देश्यीय डैम बनाने में असफलता। (20)

श्री के० एन० राजन (त्रिचूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि ऊर्जा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

ऊर्जा संरक्षण के संबंध में दीर्घावधि नीति तैयार करने में असफलता । (38)

"कि ऊर्जा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

योजना आयोग द्वारा गठित किये गये ऊर्जा अध्ययन दल की सिफारिश को लागू करने में असफलता । (39)

"कि ऊर्जा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

पन बिजली उत्पादन पर प्राथमिकता तथा तरजीह देने में असफलता । (40)

"कि ऊर्जा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

केरल में साइलेन्ट नदी घाटी पन बिजली परियोजना की मंजूरी देने में असफलता । (41)

"कि ऊर्जा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

केरल की इद्दीकी पन बिजली परियोजना के तीसरे चरण का कार्य शुरू करने में असफलता । (42)

"कि ऊर्जा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

ट्रांसमिशन में हानि को कम से कम करने में असफलता । (43)

"कि ऊर्जा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

नई बिजली उत्पादन परियोजनायें शुरू करने के लिये विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों को पर्याप्त वित्तीय सहायता की व्यवस्था करने में असफलता । (44)

"कि ऊर्जा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

सौर तथा ज्वारभाटीय ऊर्जा जैसे वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत ढूंढने में असफलता । (45)

"कि ऊर्जा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

ग्रामीण विद्युतीकरण करने के लिये एक गहन स्कीम तैयार करने में असफलता । (46)

"कि ऊर्जा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

ताप बिजली घरों को अच्छी किस्म का कोयला सप्लाई करने में असफलता । (47)

"कि ऊर्जा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

केन्द्रीय प्राधिकरण के अधीन विभिन्न ताप बिजलीघरों को उनकी अधिकतम क्षमता तक चलाने में असफलता । (48)

[श्री के० एन० राजन]

"कि ऊर्जा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

केन्द्रिय प्राधिकरण के अधीन विभिन्न ताप बिजली घरों के नियमित रखरखाव रखने में में असफलता। (49

"कि ऊर्जा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

कोयला खानों के मुहानों पर ताप बिजली घर स्थापित करने में असफलता। (50)

"कि ऊर्जा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

हाई टेंशन उपभोक्ताओं से विशाल बकाया राशि को वसूल करने में असफलता। (51)

"कि ऊर्जा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा दिल्ली के नागरिकों को पर्याप्त ऊर्जा की सप्लाई करने में असफलता। (52)

"कि ऊर्जा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

बड़े औद्योगिक उपभोक्ताओं द्वारा ऊर्जा की चोरी रोकने में असफलता। (53)

"कि ऊर्जा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

बिजली मजदूरों के लिये एक औद्योगिक मजदूरी नीति तैयार करने में असफलता। (54)

"कि ऊर्जा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

ऊर्जा उद्योग में मजदूरी का मानकीकरण करने में असफलता। (55)

"कि ऊर्जा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

दामोदर नदी घाटी निगम के कार्यकरण को गतिशील बनाने में असफलता। (56)

"कि ऊर्जा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के अधीन अक्सर बिजली फेल होने की जांच करने में असफलता। (57)

"कि ऊर्जा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

ऊर्जा उत्पादन को केन्द्रिय प्राधिकरण के अधीन लाने का इरादा। (58)

"कि ऊर्जा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

राज्य बिजली बोर्डों को लेने का इरादा। (59)

"कि ऊर्जा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

निजी क्षेत्र में उर्जा उत्पादन के लिए नये लायसेंस मंजूर करने का इरादा। (60)

"कि ऊर्जा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में बन्द ऊर्जा स्टेशनों की मंजूरी देने में ढील देने का इरादा। (61)

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि ऊर्जा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं।"

राष्ट्रीय पावर ग्रिड संबंधी कार्य को शीघ्र शुरु करने की आवश्यकता। (93)

"कि ऊर्जा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गग मांग में 100 रुपये कम किए जाएं ।'
केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण को और प्रभावी बनाने की आवश्यकता । (94)

"कि ऊर्जा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाएं ।"
नई पन बिजली तथा ताप बिजली उत्पादन स्कीमों के सर्वेक्षण के कार्य में शीघ्रता करने की आवश्यकता । (95)

"कि ऊर्जा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं ।"
नर्मदा सागर परियोजना के कार्य को शुरू करने की आवश्यकता । (96)

"कि ऊर्जा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं ।"
ताप बिजली स्कीमों को ध्यान से स्थापित करने की आवश्यकता । (97)

"कि ऊर्जा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं ।"
ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को और कार्यकुशल बनाने की आवश्यकता । (98)

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि ऊर्जा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।"
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा कमजोर वर्गों के गांवों में बिजली पहुंचाने में असफलता । (119)

"कि ऊर्जा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1रुपया किया जाये ।"
ग्रामीण विद्युतीकरण करने में असफलता । (120)

"कि ऊर्जा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1रुपया किया जाये ।"
केन्द्रीय सरकार के प्रबंध के अधीन ताप बिजली घरों की अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग करने में असफलता । (121)

"कि ऊर्जा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।"
देश में बिजली की 20 प्रतिशत तक होने वाली चोरी को रोकने में असफलता । (122)

"कि ऊर्जा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।"
बिजली उपभोक्ताओं से भारी बकाया राशि वसूल करने में असफलता । (123)

"कि ऊर्जा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।"
ऊर्जा उत्पादन तथा वितरण को केन्द्रीय सरकार के अधीन लाने की आवश्यकता । (124)

"कि ऊर्जा मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गगत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।"
ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत ढूंढने में असफलता । (125)

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : मैं प्रस्ताव करती हूं :—

"कि कोयला विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।"
पंश्चिम बंगाल समेत देश के विभिन्न भागों में सोफ्ट कोक की सप्लाई करने में असफलता । (1)

[श्रीमती गीता मुखर्जी]

"कि कोयला विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"
विभिन्न कोयला खानों में श्रमिक ठेकेदारी प्रणाली समाप्त करने में असफलता। (2)

"कि कोयला विभाग शीर्षक से अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"
बांकुरा कोयला खान समेत देश के विभिन्न भागों में नये कोयला खान का काम शुरू करने में असफलता। (3)

"कि कोयला विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये"
देश में कोयले की कमी, वैगनों की कमी तथा इसके परिणामस्वरूप ऊर्जा की कमी के दुष्चक्र को तोड़ने में असफलता। (4)

"कि कोयला विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"
झरिया और अन्य कोयला खदानों में भूमिगत आग को रोकने में असफलता। (5)

"कि कोयला विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"
कोल इंडिया लिमिटेड के अधीन सभी कोयला खानों में राष्ट्रीय कोयला मजदूरी करार को क्रियान्वित करने में असफलता। (6)

"कि कोयला विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"
इस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में भूमिगत स्थानों से कोयले का उत्पादन बढ़ाने में असफलता। (7)

"कि कोयला विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"
पश्चिम बंगाल के आसन सोल रानीगंज क्षेत्र में कोयला खानों में भूमि के धंसने को रोकने में असफलता। (8)

"कि कोयला विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"
केन्द्र सरकार के प्रबंध के अन्तर्गत कोयले खानों में चिकित्सा सुविधाएं देने और पानी सप्लाई करने की व्यवस्था में सुधार करने में असफलता। (9)

"कि कोयला विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"
केन्द्र सरकार के अन्तर्गत कोयला कम्पनियों के विभिन्न भ्रष्टाचार को समाप्त करने और दोषी अधिकारियों को दण्ड देने में असफलता। (10)

"कि कोयला विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"
कोल इण्डिया लिमिटेड के अन्तर्गत सबसे बड़ी कम्पनी इस्टर्न कोल फिल्ड लिमिटेड में दुर्घटनाओं की बढ़ती हुई संख्या को रोकने में असफलता। (11)

"कि कोयला विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"
खान सुरक्षा महानिदेशक द्वारा की गई जांचों के परिणाम स्वरूप विभिन्न खान दुर्घटनाओं के लिए दोषी पाए गए अधिकारियों को दण्ड देने में असफलता। (12)

"कि कोयला विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

कोयला खान सम्बन्धी विभिन्न सुरक्षा सम्मेलनों की सिफारिशों को लागू करने में असफलता। (13)

"कि कोयला विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

मध्य प्रदेश में शिलवाड़ा कोयला खान दुर्घटना के लिये अदालती जांच द्वारा दोषी पाये गए अधिकारियों को दण्ड देने में असफलता। (14)

"कि कोयला विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

कोयला खानों को पर्याप्त मात्रा में बिजली सप्लाई करने में असफलता जिसके परिणाम-स्वरूप उनमें उत्पादन गिर रहा है। (15)

"कि कोयला विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

तापीय बिजली केन्द्रों को पर्याप्त और अच्छी किस्म का कोयला सप्लाई करने में असफलता जिसका बिजली के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। (16)

श्री आर० के० महालगी (ठाणे) :

"कि कोयला विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाये।"

कोल इण्डिया लिमिटेड में बड़ी संख्या में कर्मचारियों की अनुपस्थिति तथा आवश्यकता से अधिक कर्मचारी। (19)

"कि कोयला विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाये।"

कोल इण्डिया लिमिटेड में प्रति मास होने वाली एक करोड़ रुपये की हानि को रोकने की आवश्यकता। (20)

"कि कोयला विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाये।"

कोयले कि अत्याधिक कमी के कारण बम्बई में सूती कपड़ा मिलों को होने वाली कठिनाइयों की ओर ध्यान देने की आवश्यकता। (21)

मध्याह्न पश्चात 6 बजे :

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 10 जुलाई 1980/ 19 आषाढ़, 1902 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

मुद्रक : आकाशदीप प्रिन्टर्स, 20, दरियागंज, नई दिल्ली।